राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2] दसवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का बियालीसवां दिवस [संख्या 26

मंगलवार,

5 अप्रेल, 1994

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी।

तहसील जहाजपुर में उपकोष कार्यालय

777. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या भीलवाड़ा जिले में जहाजपुर में उपकोष कार्यालय खोलने के लिए मानदण्ड के अनुसार पर्याप्त कार्य उपलब्ध है? यदि हां,तो उपकोष, जहाजपुर के क्षेत्राधिकार में वर्ष 1990-91 से वर्ष 1993-94 के बीच कितना कार्य शाहपुरा कोष कार्यालय में जहाजपुर तहसील के अन्तर्गत निष्पादित हुआ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जहाजपुर तहसील का कार्य जिले में सर्वाधिक पेंशनधारियों तथा भूतपूर्व सैनिकों एवं सरकारी कार्यालयों के भुगतान का है? यदि हां, तो क्या मानदण्ड के अनुसार वहां उपकोष कार्यालय खोलने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, वित्त (श्री अनंग कुमार जैन) : (1) जी नहीं।

(2) जी, नहीं। जहाजपुर तहसील में पेंशनरों की संख्या और सरकारी कार्यालयों की संख्या सर्वाधिक नहीं है। परन्तु भूतपूर्व सैनिक पेंशनरों की संख्या 658 है जो सर्वाधिक है। पेंशन भुगतान का कार्य उप कोषाधिकारी, जहाजपुर (तहसीलदार) द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। अतः जहाजपुर में स्वतंत्र उपकोष खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री रतनलाल ताम्बी : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे, उपकोष कार्यालय खोलने के आपके मानदण्ड क्या हैं और उन मानदण्डों के अनुसार जहाजपुर में खोलने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास नीचे से आया है?

Page No.2

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, एटथ फाइनेंस कमीशन ने जो अपनी सिफारिश की थी उसके आधार पर राज्य सरकार ने मोटे तौर पर दो-तीन मानदण्ड तय किये हैं। All the sub-divisional headquarters should have independent sub-treasuries.

दूसरा है, श्रीमन्, At places where the number of work is substantial, special needs.

यह तीन बातें हैं। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां उपकोष कार्यालय....

श्री अध्यक्ष : बस, वह तीन ही बातें पूछी हैं उन्होंने। आपने बता दी, अब वह दूसरा पूछेंगे।

श्री रतनलाल ताम्बी : क्या यह सही है कि राजस्थान में उपखंड कार्यालयों के अलावा आपने तहसीलों में भी खोले हैं तहसील हैडक्वार्टर पर। दूसरा, संख्या के आधार पर मैंने यह भी पूछा है, 1990-91, 92, 93, 94 में जहाजपुर क्षेत्र के शाहपुरा में कितने मामले रहे, उससे आपका मानदण्ड बैठता है ?

श्री रामनारायण चौधरी : तहसीलों में भी आपको रखना चाहिये।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में अभी तक जहाजपुर में जो तहसीलदार है, उपकोष कार्यालय वहां पर कार्यरत है वह स्वतंत्र नहीं है और उनके जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन वहीं भुगतान की जाती है और बिल के जहां तक भुगतान का सवाल है, भीलवाड़ा नहीं होते, 36 किलोमीटर शाहपुरा है कुछ समय पूर्व, तीन-चार वर्षों पूर्व यह आदेश जारी कर दिया गया है कि जहाजपुर तहसील या जहाजपुर एरिया का जितना भी कार्य होगा वह शाहपुरा सब-ट्रेजरी के द्वारा सम्पादित किया जायेगा। जो वर्क इनके यहां जहाजपुर एरिया में है वह इतना वर्क नहीं है। नार्मली सरकार का यह मानदण्ड भी है कि जहां प्रतिदिन 50 बिल आते हों उस जगह सब ट्रेजरी खोले। तो इतना वर्क वहां पर नहीं है। मैं 91, 92, 93, 94 में जहाजपुर तहसील के जितने बिलों का निस्तारण हुआ, जो बिल पास किये गये उनकी संख्या भी माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा। 1990-91 में 6462, 1991-92 में 6585, 1992-93 में 6828, 1993-94 में 6253 तो जो कार्य जहाजपुर क्षेत्र के अन्दर है उसके हिसाब से फिलहाल मानदण्डों के मुताबिक वहां पर इण्डिपेंडेंट सब-ट्रेजरी खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और मानदण्डों से वह उचित भी नहीं ठहरता है वहां पर। जहां तक आपका विशेष उद्देश्य है कि पेंशनर्स को वहां पर पेंशन भुगतान होना चाहिए, तो यह सही है कि भूतपूर्व सैनिक वहां पर सबसे अधिक हैं और पेंशन का भुगतान वहीं पर किया जाता है, सिर्फ बिल के पास करने का प्रश्न है वह शाहपुरा जाकर के किया जाता है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री धारीवाल।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक : 24 मार्च, 1994)

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के उत्थान कार्यक्रम

560. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 1990-91, 1991-92 एवं 1992-93 में प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान कार्यक्रमों के लिए कितनी-कितनी राशि किस-किस जिले में किस-किस मद में आवंटित की गयी थी ?

(2) वर्ष 1993-94 में जितनी राशि का प्रावधान रखा गया था उसका जनवरी, 1994 तक कितना उपयोग किया गया ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री मदन दिलावर): (1) वर्ष 1990-91, 1991-92 एवं 1992-93 में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जातियों के उत्थान कार्यक्रमों के लेखों का विवरण परिशिष्ट – 1 पर संलग्न है ।

उक्त जातियों के उत्थान हेतु विभाग द्वारा क्रियान्वित प्रमुख योजनाओं का विवरण जिलेवार आवंटन परिशिष्ट –2 पर उपलब्ध है ।

राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा उक्त वर्षों में विभिन्न योजनाओं पर आवंटित एवं व्यय की गयी राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट –3 पर संलग्न है ।

(2) वर्ष 1993-94 में विभाग में अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण मद में आयोजना मद में रुपये 296.20 लाख एवं आयोजना भिन्न मद में रुपये 1816.88 लाख राशि का प्रावधान रखा गया था । माह जनवरी, 1994 तक उक्त मद में आयोजना व्यय 252.32 लाख रुपये एवं आयोजना भिन्न व्यय 922.00 लाख रुपये हुआ । इसी प्रकार अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम द्वारा रुपये 1094.65 लाख की राशि का प्रावधान किया गया, जिसके विपरीत माह जनवरी, 1994 तक रुपये 427.09 लाख की राशि का उपयोग कर लिया गया ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह था कि सन् 1990-91 1991-92 और 1992-93 तथा 1993-94 में अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्थान कार्यक्रमों के लिए कितनी-कितनी राशि आवंटित की गयी और उनका उपयोग जनवरी, 1993-94 तक कितना हुआ ? सवाल यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि केन्द्रीय सरकार के द्वारा जो सहायता इनको दी जाती है, राज्य सरकार प्रस्ताव बना कर भेजती है, प्रस्ताव बनाने पर वह विचार करेगी, पर यह देखती है कि दी गयी राशि का कितना उपयोग किया गया है और जो लक्ष्य निर्धारित थे उनको

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

कितना पूरा किया गया है। मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है उसमें कही भी व्यय का जिक्र नहीं है। जितनी योजनाए मैंने पूछी, उतनी की उतनी योजनाए पर आपने यह कहा कि 91 में यह आबटन हुआ, 92 में यह आबंटन हुआ, उस योजना के अन्तर्गत 93 में यह हुआ लेकिन 93-94 जनवरी तक जो खर्चा हुआ उसके बाबत् कही कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ एक जगह जिक्र आया है वह आया है कि इसी प्रकार अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम द्वारा रुपये 1094.65 लाख की राशि का प्रावधान किया गया, जिसके विपरीत माह जनवरी, 1994 तक रुपये 427.09 लाख की राशि का उपयोग कर लिया गया। तो आप स्वयं देख लीजिये कि आधी से कम राशि का उपयोग जनवरी तक हुआ है, ऐसे हालातों में क्या केन्द्रीय सहायता की आप आशा रखते हैं ? एक बात।

दूसरा सवाल मेरा यह है कि यह सवाल बनाते वक्त मेरे दिमाग मे यह बात थी, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मैं समझता हूं, जिसका जवाब आपने कतई नही दिया कि स्वैच्छिक संगठनों को आप कितनी राशि देते हैं। सारा घोटाला जो कुछ है वह इन स्वैच्छिक संगठनों की राशि के आवंटन के उपयोग का है। उसके जवाब मे पूरा आपने कम से कम एक किलो कागज का यह जवाव मुझे दिया है, लेकिन उसका कहीं पर भी जिक्र नहीं है। क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि स्वैच्छिक संगठनों को समाज कल्याण की तरफ से विभिन्न योजनाओं के मद मे राशि का आवंटन किया जाता है ? और अगर किया जाता है तो कितना किया जाता है ?

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि प्रतिपक्ष की तरफ से पहली बार इस सदन में एक ऐसी आवाज गूंजी है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों की तरफ भी इनका ध्यान गया है। 40 वर्षों तक अनुसूचित जाति, जनजाति की तरफ इन लोगों का ध्यान नहीं गया था। मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं इस बात के लिए कि आज तक जो नहीं किया, माननीय सदस्य ने ध्यान दिलाया है इसलिए जो इन्होंने पूछा है कि केन्द्रीय सहायता की मांग की जा सकती है क्या इतने लक्ष्य पूरे नहीं होने के बावजूद भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि मैंने जो जवाब दिया है वह जनवरी तक का दिया है और 31 मार्च तक लक्ष्य पूरे होने के लिए और द्रुत गति के हमने काम किया है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कहां दिया जवाब ? आबंटन ही आबंटन है, खर्चा कितना किया गया है यह कहीं नहीं बताया गया है।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हू, हालांकि यह कहना नहीं चाहिए परन्तु शिथिलता 1993-94 में रही वह इस कारण से रही है कि हम तो थे नहीं और राष्ट्रपति शासन था। इसके कारण से

(श्री मदन दिलावर)

निश्चित रूप से शिथिलता रही है और काम को द्रुत गति दी जा रही है। जहां तक केन्द्रीय सहायता लेने का सवाल है, द्रुत गति से काम करके और जो केन्द्र ने सहायता दी है उसका खर्च करके निश्चित रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति के उत्थान के लिए काफी काम किया जाएगा और जो केन्द्र सहायता दे रहा है उसका पूरा पूरा उपयोग किया जाएगा।

स्वैच्छिक संगठनों की बात जहां तक माननीय सदस्य ने पूछी है, यह इस सवाल से सम्बन्धित नहीं है इसलिए मैं अभी बता नहीं सकता। माननीय सदस्य मेरे से मिलें तो मैं सारी जानकारी दे दूंगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सवाल से सम्बन्धित कैसे नहीं है? सवाल पढ़ें मेरा, साफ लिखा है, 'अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्थान कार्यक्रम के लिए।' तो क्या यह उत्थान कार्यक्रमों में शामिल नहीं आता है स्वैच्छिक संगठनों को पैसा देना?

श्री अध्यक्ष : लेकिन पहला आपका सवाल यह था कि इसमें इन्होंने केवल आबंटन बताया है व्यय नहीं बताया है। आपने परिशिष्ट-2 देखा?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक-दो योजनाओं को छोड़ दीजिये आप फरमायें तो एक एक योजना का बता दूं कि किस किस में दिया है।

श्री अध्यक्ष : परिशिष्ट-2 में भिन्न भिन्न योजनाओं में कितना आबंटन हुआ, व्यय हुआ सबको अलग अलग दिया है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : व्यय नहीं है, कहीं नहीं है।

श्री अध्यक्ष : देखिये, है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं पढ़ता हूं, नम्बर एक है बाल्मिकी ग्राम विकास, आबंटन, व्यय का कोई जिक्र नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कहां पढ़ रहे हैं आप, पीछे देखिये। योजना का नाम कोक शहरी....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एकाध में दिया है, योजना तो है 18-19.

श्री अध्यक्ष : सुनिये, 1990-91 में आय 31.75, व्यय 19.32, 1992-93 में 31.00, व्यय 5.85 इसी तरह से दूसरी योजना में हैं 15 पेज हैं। सब योजनाओं के अलग अलग दिये हुए हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : करीब करीब बीस योजनाएं हैं।

श्री अध्यक्ष : आप आगे पढ़िये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैंने एक एक कागज पढ़ लिया है।

श्री अध्यक्ष : मैं भी तो उसी में से बता रहा हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने कोक का फरमाया, अब आप इस तरह से

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

अगर मंत्रियों को प्रोटक्शन दोगे और पूरा जवाब नहीं दिलवायेंगे तो कैसे काम चलेगा।

श्री अध्यक्ष : कोक का दिया है, आटो रिक्शा का दिया है, साइकिल रिक्शा का दिया है, भंगी कष्ट मुक्ति का दिया है, कुओं को गहरा करने का दिया है, दुकान का दिया है।

श्री रामनारायण चौधरी : + + + मंत्री महोदय का और जो आप बता रहे हैं वह तो वह भी तो बता सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : + + + सवाल नहीं है। जो कागज आप मंगाते हैं वह पढ़ते नहीं हैं, आप कागज तो दुनियां भर के मंगा लेते हो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं बता दूं किन–किन का नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : इनको पढ़िये ना।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं बता दूं, सवाल तो मेरा है, मुझे पूछ लेने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : व्यय दिया हुआ है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : व्यय नहीं दिया, साहब। बाल्मिकी ग्राम विकास–का कोई व्यय नहीं दिया, शिक्षा से स्वावलम्बन का कोई व्यय नहीं दिया, पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र का कोई व्यय नहीं दिया, बुक बैंक का कोई व्यय नहीं दिया, स्वच्छकार छात्रवृत्ति का कोई व्यय नहीं दिया मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए कोई व्यय नहीं दिया और पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति का कोई व्यय नहीं दिया। अनुसूचित जाति के छात्रावासों का कोई व्यय नहीं दिया, अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों, में जो टी. डी. ए. में है, का कोई व्यय नहीं दिया। अनुसूचित जाति व जनजाति छात्रावास आयोजना का कोई व्यय का उल्लेख नहीं दिया, अस्वच्छ कार्यों में रत परिवारों को....

श्री अध्यक्ष : सुनिये, आप जो बता रहे हैं ना यह योजना ही नहीं हैं, इनके अन्तर्गत योजनाएं बनी हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह कार्यक्रम हैं, साहब, और कार्यक्रम के बारे में ही मेरा सवाल है। मेरे सवाल में साफ लिखा हुआ है कि उत्थान कार्यक्रम....

श्री अध्यक्ष : मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि जो आपको इन्फार्मेशन सप्लाई की गयी है उसमें इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत जो भिन्न भिन्न योजनाएं हैं उन योजनाओं का आय-व्यय का यह पूरा पत्रक दिया हुआ है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैंने कार्यक्रम पूछे हैं, कितना व्यय किया गया है।

+ + + अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अवलोपित किये गये।

Page No.7

श्री अध्यक्ष : हां, आप कार्यक्रम पूछ रहे हैं, अब आप कार्यक्रम पूछिये ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मंत्री महोदय, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि आपका विभाग किन-किन कार्यक्रमों को हाथ में लेता है और किन-किन को राशि आवंटित करता है ?

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि किन--किन कार्यक्रमों को हाथ में लेता है, उनकी मैं जानकारी दे रहा हूं । पिछड़े वर्गो के कल्याण के कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के वर्गो के लिए नि शुल्क छात्रावास सुविधाएं, छात्रवृत्तियां, आश्रम स्कूल, स्नातक एवं स्नातकोत्तर आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, बुक बैंक योजना, भवन निर्माण योजना, खनन पट्टे हेतु अनुदान, कृषि ऋण के ब्याज एवं पुनर्भरण, विशेष अनुसूचित जाति और जनजाति सगठन योजना, राजस्थान राज्य सहकारी विकास निगम, अत्याचारों और उत्पीड़न के शिकार नागरिकों को आर्थिक सहायता, अन्तरजातीय विवाह हेतु सवर्णो को प्रोत्साहन इत्यादि कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं । समाज कल्याण कार्यक्रमों में विभाग द्वारा विकलांग कल्याण, महिला कल्याण, बालक कल्याण, वृद्धा एवं आश्रित सेवा, सेवा परिवीक्षा एवं बंदी कल्याण, भिक्षावृत्ति उन्मूलन, वृद्धा एवं असक्तों को पेंशन आदि, सामाजिक कुरीतियां एवं शोषण को समाप्त करने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं को संचालित किया जाता है ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा सवाल पहले आ ना स्वैच्छिक संगठनों बाबत ।

श्री अध्यक्ष : वह इससे सम्बन्धित नहीं है ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कार्यक्रम में तो आ गया ना, यह मना कर दें कि स्वैच्छिक संगठनों को पैसा नहीं देते हैं ।

श्री अध्यक्ष : इससे सम्बन्धित नहीं है । आप दूसरा प्रश्न करिये ।

नेक्स्ट, श्री भरत सिंह ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा जवाब तो आने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : आ गया जवाब सारा । जो जवाब आपको लिखित में दिया वह जवाब तो आपने पढ़ा नहीं ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पढ़ लिया अध्यक्ष महोदय, यह बात मत करो सिर्फ 22 योजनाओं में से चार का व्यय दिया हुआ है. 18 पर खर्चा नहीं बताया है इन्होंने ।

श्री अध्यक्ष : इसमें तीन तरह के सैट है । एक सैट है ...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : चारों सैट मैंने पढ़ लिये । आप कहेंगे तो मैं दुबारा

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

पढ़कर बता दूं कि किन--किन का खर्चा दिया है। या तो आपकी कापी में और मेरी कापी में कोई फर्क होगा।

श्री अध्यक्ष : उनको पूरा पढ़कर फिर सवाल करिये आप। नेक्स्ट, श्री भरत सिंह।

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कनेक्शन

778. **श्री भरतसिंह** (खानपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के नगरपालिका तथा नगर परिषद् क्षेत्र में गत पांच वर्षों में कितने विद्युत कनेक्शन कृषि हेतु दिये गये ?

(2) क्या यह सही है कि शहरी क्षेत्रों में नये कृषि कनेक्शन देने पर किसी प्रकार की पाबन्दी नहीं है ?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्शन के इन्तजार में कहीं कहीं पांच साल से भी अधिक किसानों को इन्तजार करना पड़ता है ? यदि हां, तो सरकार की इस भेदभाव भरी नीति के पीछे क्या सोच है ?

सिंचाई मंत्री (श्री देवीसिंह भाटी) : अध्यक्ष महोदय, यह सिंचाई विभाग से सम्बन्धित नहीं है यह ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित है और हमारी प्रश्न शाखा से इसको 8 तारीख में एनलिस्ट किया गया है।

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो बड़ा इम्पार्टेंट सवाल है इसका उत्तर तो आना चाहिये। (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : परम्परा यह रही है कि जब सवाल लिस्ट हो जाता है Somebody must come and reply. अब यह झगड़ा हम सलटेंगे नहीं।

श्री देवीसिंह भाटी : पूर्व में यह सूचित कर दिया था इसको एनलिस्ट कर दिया है 8 तारीख को।

श्री अध्यक्ष : लिस्ट होने के बाद सूचित करने से क्या मतलब हुआ ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यही क्वेश्चन 8 तारीख को है।

श्री अध्यक्ष : इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब यह लिस्ट हो गया दूसरी बात है लेकिन सवाल यह है कि जब प्रश्न लिस्ट हो चुका है पहले आज की तारीख में, 8 तारीख को तो पोस्टपोन करके लिस्ट करने की बात है, लिस्ट हुआ नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इसमें ऊर्जा लिखकर फिर इसमें किया गया है सिंचाई विभाग।

श्री अध्यक्ष : कोई भी करे, इसका जवाब आना चाहिये, 8 तारीख को इसका जवाब दिया जाएगा। इसी क्रम में दिया जाएगा, 8 तारीख को इसी क्रम में आयेगा।

नेक्स्ट, श्री रिछपाल सिंह।

महाराजपुरा (नांवा) से ग्राम गोविन्दी सड़क निर्माण प्रकरण

779. **श्री रिछपाल सिंह** (डेगाना), श्री रूपाराम (मकराना) एवं श्री हबीबुर्रहमान (मण्डवा) : क्या अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इस वर्ष अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत ग्राम महाराजपुरा तहसील नावां के बस स्टैण्ड से ग्राम गोविन्दी तक सड़क निर्माण की स्वीकृति दी गयी है ? यदि हां, तो उक्त सड़क पर अभी तक कार्य प्रारम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि गत वर्ष भी उक्त सड़क का निर्माण कार्य पांच-छः दिन तक चला और असामाजिक तत्वों द्वारा हरिजन स्त्री-पुरुष, मजदूरों के साथ मारपीट करके कार्य बन्द करवा दिया गया था ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध पुलिस एवं विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि अभी फिलहाल दो दिन तक उक्त सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था एवं उन्हीं असामाजिक तत्वों द्वारा मजदूरों को डरा धमका कर कार्य पुनः बन्द करवा दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, सहायता एवं पुनर्वास (श्री सांवरमल जाट) : (1) जी हां। इस वर्ष राहत कार्यों के तहत कथित सडक निर्माण की स्वीकृति दी गयी थी। रास्ते के विवाद के कारण झगड़े की आशंका को देखते हुए कार्य बन्द किया गया।

(2) जी हां। यह सही है कि संवत् 2048 में भी राहत कार्यों के अन्तर्गत इस सड़क के निर्माण कार्य की स्वीकृति जारी की गयी थी जिसके तहत 5-6 दिन कार्य चला एवं तत्पश्चात् विवाद के कारण कार्य बन्द कर देना पड़ा। ग्राम वालों के द्वारा कार्य में बाधा डालने एवं राहत कार्यों पर श्रमिकों को डराने धमकाने पर तहसीलदार एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर समझा-बुझा कर मामला शांत करवा दिया गया। इसलिए एफ. आई. आर. दर्ज नहीं करायी गयी। और शांति भंग होने की आशंका के कारण कार्य बन्द करवा दिया।

(3) यह सही है कि उक्त सड़क का निर्माण कार्य दिनांक 17-2-94 से 19-2-94 तक चला था एवं रास्ते के विवाद के कारण दिनांक 21-2-94 से कार्य बन्द कर दिया गया था।

श्री रिछपाल सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं जहां मंत्री महोदय ने विवाद बताया है वहां कटान का रास्ता है या नहीं ? अगर कटान का रास्ता है तो विवाद किस बात का। सड़क बननी चाहिये वहां।

(श्री रिछपालसिंह)

दूसरा सवाल यह है कि बस स्टेण्ड से महाराजपुरा गांव तक की दूरी कितनी है और रास्ता कटान का है या नहीं है? है तो उसको सड़क बनाकर सीधा क्यों नहीं जोड़ दिया जाता ?

श्री सांवरलाल जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, राहत विभाग विभिन्न विभागों को पैसा देता है। विभाग अपने स्तर पर कार्यवाही करता है और मैं आपको यही भरोसा दिलवा सकता हूं कि यह सड़क आपकी 16 तारीख से स्वीकृत कर दी जायेगी। जिला कलक्टर नागौर को कह दिया है और चालू करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रुपाराम

इसमें रूपारामजी का नाम है। मैं उनके नाम बुला रहा हूं।

श्री रूपारामजी (अनुपस्थित) श्री हबीबुर्रहमान। मैं उनके नाम बोल रहा हूं जिनके नाम हैं।

श्री रिछपाल सिंह : वह नाम है यह उनके इलाके के जैसा ...... (व्यवधान) जवाब तो दिलवायें पूरा, रास्ता कटान का है कि नहीं है यह तो बात बतायें। .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जिनके नाम हैं उनके नाम पुकारने दीजिये पहले मुझे। आप तो बड़ी उतावली कर रहे हैं। जो प्रश्नकर्त्ता हैं उनके नाम तो आने दीजिये। श्री रूपाराम (अनुपस्थित) श्री हबीबुर्रहमान (अनुपस्थित) अब आप पूछिये।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी (नावां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि वहां झगड़े की सूरत थी और अशान्ति होने की वजह से इस काम को बन्द कर दिया गया। आपको मालूम होना चाहिये कि इसके सम्बन्ध में मैं भी आपके पास आया था और गांव वालों की जो दरख्वास्त थी 3 कि. मी. की दूरी है बारोड से महाराजपुरा और महाराजपुरा बस स्टेण्ड। अगर दोनों साइड से यह सड़क शुरू हो जाती है तो किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं है। आप इसको दोनों साइड से शुरू करने की स्वीकृति दीजिये। काम शुरू करवायें किसी तरह का झगड़ा नहीं होगा और झगड़ा हुआ तो मेरी जिम्मेदारी होगी यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप एक तरफ से मत करवाइये। एक तरफ से करवाने से क्या होता है कि वहां इन्फ्लूएन्सिव आदमी की खेती है वह अपने साइड से नहीं जाने देने की वजह से सारी बीमारी हो रही है। इसलिये आप दोनों साइड से, बारोड की साइड से और महाराजपुरा बस स्टेण्ड से सड़क को शुरू करवायें, कोई झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा हुआ तो मेरी गारन्टी है, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। दोनों तरफ से आप सैंक्शन दे दीजिये।

श्री सांवरलाल जाट : मैंने पहले ही आपको निवेदन कर दिया। यह सवाल आपको पी. डबल्यू. डी. से करना चाहिये। हम तो पैसा दे रहे हैं और झगड़े का जवाब भी हम दे रहे हैं। आपकी सड़क चालू कर दी जायेगी।

Page No.11

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी, श्री रामनारायण ।

लोक देवता श्री रामदेवजी रूणिचा प्रन्यास प्रकरण

780. **श्री नाथूराम अहारी** (डूंगरपुर) **श्री रामनारायण** (नैनवा) एवं **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि लोक देवता श्री रामदेवजी रूणिचा मन्दिर एक सार्वजनिक प्रन्यास है ? यदि हां, तो जोधपुर सम्भाग से उसके पंजीयन की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि इस मन्दिर में सभी जाति धर्म के लोग आस्था रखते हैं, दर्शन पूजा में भेंट चढ़ाते हैं ? यदि हां, तो इस मन्दिर की वार्षिक आय क्या है ? गत पांच वर्षों की आय का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि पूर्व आयुक्त ने रामदेवजी के तथा कथित वंशजों से मिलकर इस सार्वजनिक प्रन्यास को निजी घोषित कर दिया है ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या इस प्रन्यास को निजी घोषित करने के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार के बारे में सरकार को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या यह सही है कि सरकार ने विभाग के आयुक्त के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में वाद दायर करने का आदेश दिया है ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(6) क्या उच्च न्यायालय में वाद दायर कर दिया गया है ? यदि हां, तो वह किस प्रक्रम पर है ?

(7) क्या सरकार इस प्रकरण में हुए भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

देवस्थान मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया : (1) सहायक आयुक्त, देवस्थान, जोधपुर द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के तहत मन्दिर श्री रामदेवजी रूणिचा को दिनांक 18-9-91 को सार्वजनिक न्यास घोषित किया गया । निर्णय की प्रति परिशिष्ट-'क' सदन की पटल पर रख दी गयी है ।

(2) जी हां, यह सही है कि इस मन्दिर में सभी जाति धर्म के लोग आस्था रखते हैं, दर्शन करते हैं व भेंट चढ़ाते हैं । सहायक आयुक्त के निर्णय दिनांक 18-9-91 के अनुसार मन्दिर की औसत वार्षिक आय 5 से 6 लाख रुपये हैं । आय-व्यय के वार्षिक लेखे प्रन्यास द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण उपलब्ध नहीं हैं ।

Page No.12

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

(3) मन्दिर श्री रामदेवजी रूणिचा को सार्वजनिक प्रन्यास घोषित किये जाने के निर्णय दिनांक 18-9-91 के विरुद्ध अपील सं. 32/91 व 35/91 दायर हुई जिसमें पूर्व आयुक्त ने इस मन्दिर को सार्वजनिक प्रन्यास नहीं माना। निर्णय की प्रति, परिशिष्ट-ख, सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(4) इस प्रन्यास को निजी घोषित करने के सम्बन्ध में 4 शिकायतें प्राप्त हुईं जिन पर देवस्थान आयुक्त से टिप्पणी प्राप्त की जाकर मामले की जांच की जा रही है।

(5) जी हां। आदेश की प्रति परिशिष्ट-ग, सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(6) सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जोधपुर द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका दिनांक 2-4-94 को प्रस्तुत कर दी गयी है जिसके एडमिशन हेतु दिनांक 15-4-94 नियत है।

(7) आयुक्त देवस्थान विभाग का निर्णय एक न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत है। फिर भी प्राप्त शिकायतों की जांच की जा रही है। (प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

श्री रामनारायण : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जब आयुक्त, देवस्थान विभाग ने न्यायिक प्रक्रिया के तहत निर्णय बता दिया तो जो 24-4-93 को फैसला किया उसकी अपील कितने दिनों बाद की और उस देरी के लिए कौन जिम्मेदार है? पहला।

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि जितनी वहां आमदनी होती है। उसका कोई हिसाब नहीं रखा जाता। वास्तव में सही बात है। आपने कहा है कि उसका हिसाब-किताब, लेखा उन्होंने पेश नहीं किया है। इस लेखे को ईमानदारी से कोई रखे इसके लिए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ताकि धार्मिक स्थान है, किसी भी तरह की किसी के दिमाग में भ्रान्ति नहीं हो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि निर्णय 24-4-93 को देवस्थान आयुक्त का हुआ। हमारे यहां से 27-7-93 को इसके बारे में आदेश जारी हुआ कि उसकी तैयारी करके अपील में जाया जाये। उसके तहत अपील में जाने में कुछ समय जरूर लगा लेकिन विधि विभाग से.....।

श्री अध्यक्ष : विदिन टाइम है अपील? "विदिन टाइम है ना अपील"? फिर क्या है?

श्री परसादीलाल मीणा : एडमिशन में चल रही है। विदिन टाइम नहीं है। 24-4-93 को फैसला किया आपके सहायक देवस्थान आयुक्त के खिलाफ आयुक्त ने और आपने अपील प्रश्न लेने के बाद 2-4-94 को की है। इतना समय लगने का क्या विदिन टाइम है? ला डिपार्टमेंट

Page No.13

(श्री परसादीलाल मीणा)

में फाइल कब भेजी और अपील की अनुमति कब मिली ? इतना समय क्यों लगाया ? क्या जान-बूझकर इसका समय निकल जाये, सरकार की या विभाग की कोई मिली भगत थी। इसलिये इस अपील में टाइम निकाला गया है ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : 24-4-93 को आयुक्त का फैसला हुआ था। उसमें शासन सचिव ने विधि विभाग से राय लेने के बाद अपने यहां से आदेश सातवें महीने में जारी किये थे असिस्टेंट कमिश्नर को कि वह या तो सत्र न्यायालय या हाईकोर्ट में इसकी रिट अपनी तरफ पेश करें। उसके तहत समय जरूर लगा। हमने सातवें महीने में उनको कन्वे किया लेकिन जो पेश हुआ है वह पेश 2-4 को हुआ है। यह सच है और उसकी हियरिंग है।

श्री परसादीलाल मीणा : यह प्रश्न नहीं लगता तो क्या सरकार पेश करती अपील ? यह सवाल नहीं लगता, आपकी निगाह में क्वेश्चन नहीं आता तो सरकार अपील में जाती क्या ? क्या मंशा थी सरकार की जो इतने समय अपील में नहीं गयी ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सारा विलम्ब का समय है वह राष्ट्रपति शासन के समय का है।

श्री परसादीलाल मीणा : मान लो, यह अपील आपकी खारिज हो गयी या यह तो आप मान रहे हैं यह नाम मात्र के लिए अपील की है, उसके बाद में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है। उसमें करोड़ों रुपये साल के आते हैं। आपने 5-6 लाख की बात कही, क्या आपके पास लेखे हैं ? करोड़ों आदमी जाते हैं, एक रुपया एक आदमी चढ़ायेगा करोड़ों रुपये आते हैं। तो क्या व्यवस्था कर रहे हैं जो आपके कब्जे में वह मन्दिर आ जाए ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : वह सारा मामला न्यायालय के अन्तर्गत है। जब तक उससे रिलीफ नहीं मिलेगी वास्तव में उसमें कोई विशेष नहीं कर पायेंगे। हमारी मंशा बहुत स्पष्ट थी, जो भी देवस्थान आयुक्त ने फैसला किया उसको उचित नहीं मानते हुए। यह सातवें महीने की हमारी प्रक्रिया हमारी तरफ से प्रारम्भ हो गयी थी और हमने विधि विभाग से इसकी स्वीकृति लेकर अपील में गये। देवस्थान कमिश्नर ने जो फैसला किया है वह ठीक नहीं मानते हुए ही प्रक्रिया शुरू की लेकिन इसके लिए हाई कोर्ट में रिट के लिए जाने में जो देरी हुई है। यह अपने आप में स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है लेकिन हमारे पास जैसे ही इसकी जानकारी मिली, हमने इसको प्रोसेस किया और 15 तारीख को इसकी हियरिंग है। अब उस हियरिंग के बाद इस पर क्या निर्णय होगा उसके बाद ही निर्णय कुछ करेंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : आपने यह माना है कि देवस्थान आयुक्त के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुयी हैं। किस तरह की शिकायतें प्राप्त हुयी है ? वह तो अब रिटायर हो गये। आप उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

Page No.14

श्री गुलाबचन्द कटारिया : वह रिटायर नहीं हुए हैं। जो शिकायतें हमें प्राप्त हुई वह इस प्रकार की वेग चिट्ठियां हैं उसमें किसी प्रकार का सबूत या ऐसे नहीं है। लेकिन फिर भी जांच हो रही है। हमारे लेवल पर और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि उसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता पायी जाएगी तो वह सर्विस में हैं अभी भी, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे।

श्री हरजीराम बुरडक : इसका उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, आप समझ नहीं रहे हैं। देखिये, यह रिट पिटीशन है। इसमें मियाद का सवाल नहीं है।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : मियाद का सवाल नहीं है और मियाद का सवाल आएगा तो हाई कोर्ट में उठेगा ··· (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या बोल रहे थे, मंत्रीजी ने तो सारा बता दिया। मुख्य मत्रीजी ने बताया ना कि रिट पिटीशन हो गयी। रिटपिटीशन है, हाई कोर्टमें तय हो जाएगा जो आप कह रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : जिन अधिकारियों की वजह से इसमें ढील हुई, जान बूझ कर बसमें टाइमबार्ड किया जिन्होंने जानबूझ कर इसकी अवधि निकाल उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं। जब उनकी निगाह में यह मामला था और उनको पता था कि टाइमबार्ड हो गया, यह तो प्रश्न लग गया इससे अपील कर दी इसके लिए नहीं तो आपकी सरकार की और विभाग की मिलीभगत है ·· (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। पहली बात तो यह है कि जो बात आप अपील-अपील कर रहे हैं वह अपील नाम की कोई चीज इसमें है ही नहीं। या तो दावा करते। इन्होंने दावा करने के बजाय हाई कोर्ट में रिट कर दी। दोनों ही चीज है। इसमें अपील का क्या सवाल है। अपील का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। डेट का सवाल है।··· (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : 2-4-94 को अपील की है।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : नियमों में प्रावधान या अपील का। प्रावधान था, अपील नहीं की।···· (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अपील का प्रावधान नहीं है। अपील का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें जब देवस्थान धर्मपुरा मे फाइनल डिसीजन हो गया तो that can be questioned in a court of law either by way of suit or by way of writ. They are choiced with it. हाईकोर्ट में रिट की इन्होंने। या तो दावा होता है इसका रेगूलर सूट। तो रेगूलर सूट के बजाय इन्होंने रिट कर दी।

श्री रामनारायण (नैनवां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न है कि इनका जो 22-7-93 का आर्डर है, इनके शासन उप सचिव ने लिखा था 18-9-91,

(श्री रामनारायण)

के बाबत पंजीयन श्री मंदिर रामदेवजी सार्वजनिक प्रन्यास तहसील पोकरण जिला जैसलमेर के विरूद्ध अपील संख्या 32/91 में आयुक्त, देवस्थान विभाग द्वारा दिनांक 24-4-93 को पारित निर्णय के विरूद्ध नियमानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में तत्काल दावा दायर किया जावे ...

श्री अध्यक्ष : दावा दायर करना, अपील क्या हुई उसमें ?

श्री रामनारायण : मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि क्योंकि सूट इसका एप्रोप्रियेट तरीका था, रास्ता था, कानूनी ... (व्यवधान) आप भी जानते हैं, अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : दोनों ही तरीके हैं, हाई कोर्ट में रिट भी है ।

श्री रामनारायण : यह दावा चूंकि पेश नहीं हुआ, यदि टाइम की पोजिशन से ना रिट

श्री अध्यक्ष : अब आप किस बात का आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं । यह कोर्ट डिसाइड करेगा । हाई कोर्ट के पास चले गये ...

श्री रामनारायण : मेरा निवेदन करना है कि आयुक्त, देवस्थान विभाग के आर्डर को नल एण्ड वोइड घोषित करने के लिए या उसको दूसरी साइड से इल्लीगल घोषित ...

श्री अध्यक्ष : हाई कोर्ट में रिट की है न ।

श्री रामनारायण : वह दावा पे किया जाना चाहिए था ।

श्री अध्यक्ष : कोई जरूरी नहीं, है दोनों आप्शन हैं ।

श्री रामनारायण : मेरा निवेदन करना है कि आर्डर के बाद ...

श्री अध्यक्ष : अब यह निर्णय आप करेंगे या मैं करूंगा ? कोर्ट करेगा यह Let the High Court decide. कि आप दावा करिये they will file a suit. तो हाई कोर्ट करेगा डिसीजन, आप और हम करेंगे क्या ?

श्री रामनारायण : मेरा इसमें, मान्यवर, पाइण्टेड क्वेश्चन है । मेरा पाइण्टेड क्वेश्चन यह है कि क्या आपने जो पांच-छह लाख रुपये का सालाना बतायी है और जब तक आप जांच नहीं कर पा रहे हैं ...

श्री अध्यक्ष : आपके सवाल बहुत हो चुके हैं आप क्यों खड़े हैं ? आपकी जगह तो इन्होंने ले ली है । आपका टाइम हो गया ।

श्री रामनारायण : नहीं, मेरा टाइम, आप जब मुझे मौका देते हैं तब ...

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं यह कोई बहस ..

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, इसमें इम्पार्टेण्ट मामला दूसरा है ।

श्री रामनारायण : मामला बहुत इम्पार्टेण्ट है ।

श्री अध्यक्ष : जो अदालत तय करेगी उसमें यहां बहस करने से क्या फायदा।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसमें इम्पार्टेण्ट मामला और है।

श्री अध्यक्ष : हां, इम्पार्टेण्ट मामला यही है कि इसकी आमदनी बहुत ज्यादा है, सरकार इसको सार्वजनिक प्रन्यास बनाना चाहती थी उसको देवस्थान कमिश्नर ने टर्न डाउन कर दिया, प्राइवेट मान लिया। अब उसको चैलेन्ज किया है इन्होंने हाई कोर्ट में।

श्री रामनारायण चौधरी : यह उसमें है कि जब टर्न डाउन कर दिया और प्राइवेट मान लिया और जब तक यह....

श्री अध्यक्ष : अब देखिये, वह लीगल प्रक्रिया है। वह एक्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, वह प्योरली लीगल प्रक्रिया है। एज ए कोर्ट उसने डिसाइड किया है।

श्री रामनारायण चौधरी : जब तक यह प्रश्न नहीं लगा तब तक सरकार हरकत में ही नहीं आयी, यह है।....

श्री अध्यक्ष : नहीं, अब वह कह रहे हैं हम तो जुलाई से आ रहे थे। यह कह रहे हैं कि जुलाई से लगे हुए थे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने 24.4 के फैसले के बाद 27.7 को ही इस प्रकिया को....

श्री अध्यक्ष : जुलाई से ही शुरू कर दिया न।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : प्रारम्भ कर दिया था और उप शासन सचिव ने अपना पत्र लिख दिया था। उस पत्र में उन्होंने दोनों चीजें साफ लिखी थीं, न्यायालय में तत्काल दावा दायर किया जाए या माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की जाए। यह दोनों ही आप्शन उन्होंने दिये हैं उसी के साथ हम रिट याचिका में गये।

श्री अध्यक्ष : दावे का निर्णय लम्बा होगा, रिट में जल्दी मिल जायेगा।

नैक्स्ट **श्री** रामस्वरूप, **श्री** चुन्नीलाल गरासिया। आप बैठिए, हो गया।

श्री रामनारायण : मतलब यह है कि आज की तारीख में उसकी कितनी आमदनी है, जांच करके दुबारा तो कुछ आर्डर किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री रामनारायण : दावा तो अलग चले, आज की तारीख में उसकी....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, अब नैक्स्ट सवाल ले रहा हूं।

श्री रामनारायण : मेरा इतना सा निवेदन है कि यह सरकार....

श्री अध्यक्ष : देवस्थान धर्मपुरा के कमिश्नर ने बैलियत कोर्ट के डिसीजन दिया है....

श्री रामनारायण : वह अलग चीज है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अब यह क्या जांच करेंगे ?

श्री रामनारायण मीणा : वह अलग मामला है। आज की तारीख का निर्णय तो करें। वह चले, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आज करोड़ों रुपये की आमदनी हो रही है, क्या सरकार को पता नहीं है ? पता है तो आज की तारीख में दुबारा जांच कराकर....... ।

श्री अध्यक्ष : बिना कानून काहे की जांच करे सरकार ? अधिकार के बिना कैसे करेगी ? जब तक कोर्ट उसको सार्वजनिक नहीं करेगा, ऐसे ही सरकार कैसे करेगी ? हां, रामस्वरूप जी बोलिये ।

मेडिकल कालेज में विभिन्न विषयों के सहायक प्राचार्य

781. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडा-भीम) : [**श्री चुन्नीलाल गरासियां** (उदयपुर ग्रामीण) के स्थान पर] : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में स्थित मेडिकल कालेजों में विभिन्न विषयों के सहायक प्राचार्य के कुल कितने पद हैं तथा कुल सहायक प्राचार्य के पदों में से विभिन्न विषयों में सामान्य श्रेणी के कितने पद हैं व इनमें से अनुसूचित जाति, जनजाति के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं ?

(2) वर्तमान में विभिन्न विषयों के कितने सहायक प्राचार्य स्थायी व अस्थायी रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति के मेडिकल कालेजों में कार्यरत हैं ?

(3) वर्तमान में मेडिकल कालेजों में विभिन्न विषयों के अनुसूचित जाति, जनजाति के कितने पद सहायक प्राचार्य के रिक्त हैं, बैकलाग में हैं ?

(4) राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अस्थायी रूप से कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सहायक प्रोफेसर्स को अनुपयुक्त घोषित क्यों किया तथा सभी अनुसूचित जाति/जनजाति के पदों के विरुद्ध सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से क्यों भरा गया है ?

(5) अनुसूचित जाति/जनजाति के अस्थायी सहायक प्राचार्य के रूप में गत तीन वर्षों से सुचारू रूप से संतोषजनक कार्य कर रहे हैं, को सरकार अस्थायी से स्थायी करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

(6) सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति के सहायक प्राचार्य के पदों में बैकलाग को भरने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (**श्री राजेन्द्र राठौड़**) : (1) राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राचार्य के कुल 599 पद विभिन्न विषयों के स्वीकृत हैं। इनमें से नियमानुसार अनुसूचित जाति हेतु 112 पद एवं अनुसूचित जनजाति हेतु 80 पद आरक्षित हैं तथा सामान्य वर्ग हेतु 407 पद

Page No.18

(श्री राजेन्द्र राठौड)

रहते हैं। विषयवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) विभिन्न विषयों में सहायक आचार्य के पदों पर अनुसूचित जाति के 21 तथा अनुसूचित जनजाति के 5 चिकित्सक नियमित रूप से नियुक्त हैं तथा अनुसूचित जाति के 24 एवं अनुसूचित जनजाति के 8 चिकित्सक तदर्थ आधार पर नियुक्त हैं। विषयवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) कुल स्वीकृत पदों के आधार पर वर्तमान में अनुसूचित जाति के 91 एवं अनुसूचित जनजाति के 75 पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु बैकलाग है।

(4) सामान्यतया आरक्षित दर्शाए गए पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षण के अनुरूप ही पात्र आवेदकों में से चयन राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार की जानकारी के अनुसार केवल टी. बी. एवं चेस्ट विभाग में ही चयन के समय तदर्थ व अस्थायी आधार पर नियुक्त अनुसूचित जनजाति के एक चिकित्सक को आयोग द्वारा उपयुक्त नहीं माना गया है।

(5) तदर्थ व आवश्यक आधार पर नियुक्त किसी भी अस्थायी चिकित्सक को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित हुए बिना नियमित रूप से नियुक्त किया जाना नियमानुसार सम्भव नहीं है।

(6) वर्तमान में उपलब्ध सीधी भर्ती के रिक्त पदों मे नियमों के अनुसार अधिकतम पद इन वर्गों हेतु आरक्षित दर्शाते हुए चयन हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थना प्रेषित कर दी गयी है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय मे रखा गया।)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन है, आपने बताया कि वर्तमान मे उपलब्ध सीधी भर्ती के रिक्त पदों मे नियमानुसार अधिकतम पद····

श्री राजेन्द्र राठौड : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्त्ता तो दूसरे हैं, यह बीच में ही।

श्री अध्यक्ष : लिखित में है।

श्री रामस्वरूप मीणा : इन वर्गों हेतु आरक्षित दर्शाते हुए चयन हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थना प्रेषित कर दी गयी है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, पूछने का अधिकार तो है ही।

श्री रामस्वरूप मीणा : हां, अध्यक्ष महोदय, यह चेलेन्ज नहीं कर सकते कैसे इनका नाम आया। अध्यक्ष महोदय की मेहरबानी है, उनके हृदय में बसा हुआ हूं मैं। मेरा नाम ले लिया तो क्या दिक्कत है आपको ? (व्यवधान)

Page No.19

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिये अपना ।

श्री राजेन्द्र राठोड़ : अध्यक्ष महोदय, यह रहस्योद्घाटन आज ही हुआ है ।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा नाम तो आता रहा है और आता रहेगा इसी प्रकार । आप इस राम नाम से ही जीत रहे हो नहीं तो आप हार जाते ।

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : प्रश्न पढ़ना है तो पढ़ लेओ, अध्यक्ष महोदय की मेहरबानी सूं ही (व्यवधान) नहीं तो, अध्यक्ष महोदय ने बहुत पावर हैं, म्ह समझा हां ।

श्री रामस्वरूप मीणा : अनुसूचित जाति, जनजाति का मामला है इसलिए आप इसका समय बरबाद न करें ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अपना मामला नहीं है, यह जनजाति का मामला है ।

श्री किशनाराम नाई : आउट ऑफ वे चल रहे हो आप ।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जवाब दिया है कि किसी भी अस्थायी चिकित्सक को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित हुए बिना नियमित रूप से नियुक्त किया जाना नियमानुसार सम्भव नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बताएं वह कौनसा नियम है आपका जिसके अनुसार यह सम्भव नहीं है ? दूसरा मेरा निवेदन करना है, आपने बताया कि वर्तमान में उपलब्ध सीधी भर्ती के रिक्त पदों में नियमानुसार अधिकतम पद इन वर्गों हेतु आरक्षित दर्शाते हुए चयन हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को प्रार्थना पत्र प्रेषित कर दिया गया था । माननीय मंत्री महोदय बतायें कि प्रार्थना पत्र कब प्रेषित किया है, भविष्य में सरकार इसमें क्या करने जा रही है ? तीसरा, निवेदन है कि कौन-कौनसे नियम हैं इसको स्पष्ट करें जिसके द्वारा बैकलॉग आपने भर दिया है ? कितना किस वर्ष भरा गया है ? अध्यक्ष महोदय, तीन प्रश्न किये हैं मैंने ।

श्री राजेन्द्र राठोड़ : अध्यक्ष महोदय, सहायक आचार्य के पद राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विधिवत रूप से विज्ञापित करके स्थायी रूप से भरे जाते हैं, इस तरह का प्रावधान है । तदर्थ रूप से जब राजस्थान लोक सेवा आयोग में हम अपनी रिक्वीजिशन भेज देते हैं और हमें यह लगता है कि....

श्री अध्यक्ष : वह पूछ रहे हैं कि नियम कौनसा है ?

श्री राजेन्द्र राठोड़ : राजस्थान लोक सेवा आयोग के नियम बने हुए हैं, अध्यक्ष महोदय । (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : कौनसे नियम हैं ? क्या नियम हैं ?

Page No.20

श्री अध्यक्ष : आप यह ही बताइये। राजस्थान लोक सेवा····

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान में जो गजेटेड पोस्ट हैं, सारे विभागों में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा ही इस तरह के पदों को भरा जाता है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप तो नियम बता दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजस्थान लोक सेवा अधिनियम के तहत····

श्री रामस्वरूप मीणा : कौनसे नियम हैं, यह बता दो आप तो और नियम पता नहीं है तो छोड़ो। आपको जानकारी नहीं है कौनसा नियम है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान लोक सेवा नियम के तहत इस तरह के········

श्री अध्यक्ष : नियम बता दिया, लोक सेवा आयोग नियम, यह आप देख लेना। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, तदर्थ नियुक्तियां तभी दी जाती हैं जब राजस्थान लोक सेवा आयोग को हम अपनी तरफ से रिक्वीजिशन भेज देते हैं और हमें लगता है कि इसमें विलम्ब होगा। तब एक केन्द्रीय चयन समिति द्वारा इस तरह के अभ्यर्थियों को लिया जाता है और आरक्षण के अनुसार जितने स्थान इनके आरक्षित होते हैं, अध्यक्ष महोदय, उसी के अनुसार विज्ञप्ति जारी की जाती है और उसी के अनुसार भर्ती की जाती है।

श्री अध्यक्ष : चलिये, दूसरा सवाल पूछिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित दिसम्बर, 1993 में सहायक प्रोफेसर की रिक्तियां हैं, प्रत्येक विषय में कौन-कौनसे वष के कुल कितने रिक्त पद हैं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में अनुसूचितजाति के 91 और अनुसूचित जन जाति के 75 पद रिक्त हैं और अभी जो विज्ञप्ति जारी की गयी है उसके अनुसार जितना प्रतिशत आरक्षण नीति के अनुसार बनता है, अध्यक्ष महोदय, उसके अनुसार विज्ञप्ति कर दिया गया है और अध्यक्ष महोदय, इस हेतु अभी जो विज्ञप्ति जारी की गयी हैं उसमें अनुसूचित जाति के 22 और अनुसूचित जनजाति के 15 पदों हेतु प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये गये हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न दूसरा था आपने जवाब दिया वह नहीं है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित दिसम्बर, 1993 में सहायक प्रोफेसर की रिक्तियां हैं, प्रत्येक विषय में कौन-कौनसी वर्षवार कुल कितनी रिक्तियां हैं, यह बताइये।

Page No.21

श्री अध्यक्ष : यह तो बताया है न इन्होंने अभी ।

श्री रामस्वरूप मीणा : नहीं, वह तो कुल बता दीं, साहब, आपने ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, कुल भी बतायी हैं 91 और 75 तो कुल बतायीं हैं और अभी जो 22 और····

श्री रामस्वरूप मीणा : बताइये, साहब, आप बनवा रहे हो क्या ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, जनरल मेडिसन में अनुसूचित जाति के 5, अनुसूचित जनजाति के 4, पेडियाट्रिक मेडिसन में अनुसूचित जाति के 4, अनुसूचित जनजाति के 4, पी. एण्ड एस. एम. में अनुसूचित जाति के 3, अनुसूचित जनजाति के 7, अध्यक्ष महोदय, इस हिसाब से लगभग 36 की सूची है । आप कहें तो मैं सारी पढ़कर सुना दूं ।

श्री अध्यक्ष : विषयवार भी आ गया, अब तो सब आ गया । यह विषयवार भी आ गया, टोटल भी आ गया । अभी जो लोक सेवा आयोग में भेजा है वह भी आ गया, सब आ गया ।

नेक्स्ट श्री कालूलाल गुर्जर ।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्त्री विशेषज्ञ के बारे में इन्होंने नहीं बताया है । उनमें आज ही कुल 55 हैं ।

श्री अध्यक्ष : जो आंकड़े आपने मांगे हैं वह सब आ गये ।

श्री रामस्वरूप मीणा : स्त्री विशेषज्ञ में कुल 55 बकाया हैं । नोहर कागदा को रेफरल रखा है वह किस आधार पर रखा है इन्होंने ?

विधान सभा क्षेत्र माण्डल में पशु चिकित्सालय

782. **श्री कालूलाल गुर्जर** (माण्डल) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) भीलवाड़ा जिले के माण्डल विधान सभा क्षेत्र में कितने पशु चिकित्सालय वर्तमान में चल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा तहसील की 10 पंचायतों जो माण्डल विधान सभा क्षेत्र में आती हैं, में एक भी चिकित्सालय नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार अब इन दस पंचायतों में कब तक पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ?

(3) क्या माण्डल तहसील के ग्राम भगवानपुरा, चान्दराज, पीथास, कांडिमाल आदि स्थानों पर पशु चिकित्सालय खोलने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) वर्ष 1994-95 में भीलवाड़ा जिले में कहां कहां पर पशु चिकित्सालय खोला जाना प्रस्तावित है ?

राज्य मंत्री, पशुपालन (श्री अर्जुनसिंह देवड़ा): (1) भीलवाड़ा जिले में माण्डल

(श्री अर्जुनसिंह देवड़ा)

विधान सभा क्षेत्र में 3 पशु चिकित्सालय माण्डल, करेड़ा, ज्ञानगढ़ कार्यरत हैं। तथा उमरी, गोरखिया, बागोरा औषधालय कार्यरत हैं।

(2) जी हां। माण्डल की दस पंचायतों में पशु चिकित्सालय सुविधा उपलब्ध नहीं है परन्तु इनके आसपास के चिकित्सालयों से आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवा दी जाती है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में चिकित्सालय खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) वर्तमान में कोई चिकित्सालय खोलने का प्रावधान नहीं है।

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो खण्ड एक का उत्तर दिया इसमें यह लिखा है कि भीलवाड़ा जिले के माण्डल विधान सभा क्षेत्र में 3 पशु चिकित्सालय माण्डल, करेड़ा, ज्ञानगढ़ कार्यरत हैं तथा उमरी, गोरखिया, बागोर में औषधालय कार्यरत हैं। औषधालय और चिकित्सालय में क्या अन्तर है ? मेरी तो यह समझ में नहीं आया कि 3 औषधालय कार्यरत हैं और 3 चिकित्सालय कार्यरत हैं।

श्री अध्यक्ष : पहले इसी का हो जाए।

श्री कालूलाल गुर्जर : दूसरा, मेरा प्रश्न यह है कि चिकित्सालय खोलने का क्या मानदण्ड है ? कितनी पंचायतों पर एक चिकित्सालय खोलते हैं, कितनी आबादी पर खोलते हैं, कितने एरिया में खोलते हैं ? उनका क्या मानदण्ड है, जरा यह बता दें।

श्री अध्यक्ष : दो सवाल हो गये अब, बैठिये।

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, पशु चिकित्सालय में डाक्टर लगाये जाते हैं और औषधालय में वेटरिनरी असिस्टेंट लगाये जाते हैं, यह फर्क है। (व्यवधान) दूसरा, माननीय सदस्य ने जो पूछा कि क्या मानदण्ड हैं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, यह है कि एक तो पशुओं की संख्या, आसपास के 10-15 किलोमीटर के क्षेत्र में चिकित्सालय न होना, सड़क की व्यवस्था, पोस्ट आफिस और भवन आदि की व्यवस्था होने पर नया चिकित्सालय खोला जाता है।

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अभी यह कहा कि 10-15 किलोमीटर के एरिया में और पशुओं की संख्या को देखते हुए खोला जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने खण्ड 2 में यह लिखा कि 10 पंचायतें जो भीलवाड़ा तहसील की माण्डल विधान सभा क्षेत्र में लगती हैं इनके 30 किलोमीटर के चारों तरफ कोई औषधालय नहीं है। आप 15 किलोमीटर का एरिया बता रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं 30 किलोमीटर के अन्दर कोई नहीं है। भीलवाड़ा से कारोई और सियूरिया पंचायतें तो ...

श्री अध्यक्ष : एक बात मंत्री जी बताना भूल गये, वित्तीय साधनों की कमी। (व्यवधान)।

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, 30 किलोमीटर के चारों तरफ उन पंचायतों में औषधालय नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : बाकी सब क्राइटेरिया सही होने के बावजूद भी वित्तीय साधन का है ।

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा पशु चिकित्सालय जयपुर में हैं और जयपुर के बाद दूसरा नम्बर पूरे राजस्थान में भीलवाड़ा का है । भीलवाड़ा में 72 इकाईयां काम कर रही हैं ।

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । चिकित्सालय खोलने का एक वित्तीय आधार भी हो गया, लेकिन उसका उप-स्वास्थ्य केन्द्र तो खोल सकते है जहां पर 30-33 किलोमीटर तक सुविधा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : उप स्वास्थ्य केन्द्र तो वे खोलेंगे । बैठिये आप ।

नेक्स्ट, श्री रामगोपाल बैरवा ।

विधानसभा क्षेत्र पीपल्दा के मन्दिरों का जीर्णोद्धार

783. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या पर्यटन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या सरकार पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के धार्मिक स्थान कमलेश्वर महादेव मन्दिर (इन्द्रगढ़), पालेश्वर महादेव मन्दिर (बम्बोरी) को पर्यटन की दृष्टि से पर्यटन स्थल मानती है ? यदि हां, तो पिछले 5 वर्षों में इन स्थलों पर कितना काम करवाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार अब उक्त मन्दिरों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस माध्यम से कब तक ?

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्रीमती नरेन्द्र कंवर) : (1) जी हां । इन स्थलों पर अधिकांश श्रद्धालुओं का आवागमन है । गत पांच वर्षों में इन स्थलों पर पर्यटन विभाग द्वारा विकास कार्य नहीं करवाये गये हैं । पुरातत्व विभाग के कमलेश्वर महादेव मन्दिर के मरम्मत कार्य पर 0.88 लाख रुपये व्यय किये हैं । विभाग अपने सीमित वित्तीय संसाधनों तथा प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए पर्यटन स्थलों के विकास की योजना बनाता है ।

विभाग द्वारा पर्यटन क्षेत्र के विशेषज्ञों से भविष्य में जब भी हाड़ौती क्षेत्र का पर्यटन की दृष्टि से सर्वेक्षण कराया जावेगा, उसमें ये स्थल भी सम्मिलित होंगे ।

(2) वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

श्री रामगोपाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न के खण्ड एक में जो कमलेश्वर महादेव मन्दिर है, तीर्थ स्थान की दृष्टि से हाड़ौती का सबसे महत्वपूर्ण

(श्री रामगोपाल बैरवा)

मन्दिर है और यहां पर हजारों की संख्या में तीर्थ यात्री प्रतिदिन आते हैं और जाते हैं। इस तीर्थ स्थान के आसपास का जो वातावरण है, इसका जो सौन्दर्य है, आसपास पहाड़ों से घिरा हुआ यह स्थान है, बहता हुआ यहां पर झरना है, आज यात्री यहां पर आते हैं तो एक तो ऐसी जगह को यदि पर्यटन स्थल घोषित कर दिया जाए तो यह तीर्थ स्थान और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।

दूसरे खण्ड में यह कहा गया है पुरातत्व विभाग के द्वारा जो खर्च किया गया है इसमें बताया गया है 0.88 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। जो राशि व्यय की गयी है वह बहुत कम है और इस मन्दिर की उपयोगिता को देखते हुए इस पर जो राशि खर्च की गयी है यह भी जरूर बढ़ायी जाए।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी इनके सुझाव नोट कर लें आप। नेक्स्ट।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर: साहब, नहीं, सुझाव कैसे नोट कर लें।

श्री अध्यक्ष: श्री नेक्स्ट, जोगेश्वर गर्ग।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली): यह मामला हमारे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।

एक माननीय सदस्य: यह बहुत महत्वपूर्ण है, कब तक शामिल कर लिया जाएगा। मान्यवर? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा: माननीय मंत्री महोदय, मेरा निवेदन है कि आपने मेहन्दीपुर बालाजी को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज।

श्री शांतिकुमार धारीवाल: मंत्री महोदय, द्वारा गलत बयानी की गयी है।

एक माननीय सदस्य: यह एक महत्वपूर्ण स्थान है इसको शामिल कराया जाए।

श्री रामस्वरूप मीणा: अध्यक्ष महोदय, मेहन्दीपुर बालाजी जिसको आपने पर्यटन स्थल घोषित कर रखा है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा ऋण/अनुदान

784. **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर): क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा विभिन्न व्यवसायों के लिए ऋण एवं अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है? यदि हां, तो किस व्यवसाय हेतु?

(2) चालू वित्तीय वर्ष सहित विगत पांच वर्षों में उक्त योजनान्तर्गत कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा उनमें से कितनों को लाभान्वित किया गया? वर्षवार एवं जिलेवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

(3) क्या यह सही है कि इस योजना में टैक्सी कारों, जीपों एवं बसों के लिए ऋण उपलब्ध करवाये जाते थे ? यदि हां, तो अब तक कुल कितने लोगों को लाभान्वित किया गया तथा अब क्यों नहीं किया जा रहा है ?

(4) निगम द्वारा उपलब्ध करवाये गये ऋणों की वसूली की क्या प्रक्रिया है तथा कितने प्रतिशत वसूली प्राप्त हो रही है ?

राज्य मन्त्री, समाज कल्याण (श्री मदन दिलावर) : (1) जी हां। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ऋण एवं अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। ऋण एवं अनुदान उपलब्ध करवाये जाने वाले व्यवसायों को नाम मय इकाई लागत परिशिष्ट 'क' पर अंकित है।

(2) यह योजना राज्य में वर्ष 1991-92 में प्रारम्भ हुई थी परन्तु राज्य सरकार द्वारा एन. एस. एफ. डी. सी. ऋण के पुनर्भुगतान की गारण्टी वर्ष 1992-93 में दिये जाने के कारण इस योजना का कार्यान्वयन वर्ष 1992-93 से हो पाया। विभिन्न जिलों में इस योजनान्तर्गत 1894 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 926 आवेदन पत्रों की कमी पूर्ति हेतु जिलों को वापस लौटाया शेष 968 आवेदन पत्रों में 510 आवेदन पत्रों की स्वीकृति जारी की गयी। 186 आवेदन पत्र स्वीकृति स्तर पर, 272 आवेदन पत्र जांच स्तर पर विचाराधीन हैं। वर्षवार एवं जिलेवार सूचियां परिशिष्ट 'ख' पर अंकित हैं।

(3) जी नहीं।

(4) निगम द्वारा ऋण वितरण एवं वसूली जिला स्तर पर परियोजना प्रबन्धक/प्रभारी अधिकारी अनुसूचित जाति निगम द्वारा की जाती है। लाभार्थियों से ऋण वसूली की प्रक्रिया के अन्तर्गत निर्धारित मासिक एवं मूल ब्याज की राशि के लिए नोटिस जारी करने, दण्डनीय ब्याज की दर लागू करने तथा अन्तिम रूप से सम्पत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जिलों द्वारा अब तक 86.59 लाख रुपये के ऋण वितरण के बदले 2.10 लाख रुपये की वसूली हुई है जो ऋण वितरण का 2.43 प्रतिशत है। ऋण वसूली की कार्यवाही जारी है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'ग' पर है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें।)

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला पूरक प्रश्न इन ऋण आवेदन पत्रों की वसूली की प्रक्रिया और निस्तारण के बारे में है। दो वर्ष से यह योजना निगम में लागू है और इस योजना के निस्तारण के लिए निगम ने इन दो वर्षों में हर जिले में सीनियर आर. ए. एस. स्तर का एक अधिकारी लगाया है, प्रोजेक्ट मैनेजर। उसको गाड़ी दी है, टेलीफोन दिया है, स्टाफ दिया है और अलग से उसको बैंक अकाउण्ट दिया है और वहां स्टेण्डिंग कमेटी भी है। अध्यक्ष महोदय, वह सारा सैटअप उन एप्लीकेशन्स को निस्तारण करके,

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

तैयार करके, इन ऑल रेस्पेक्ट कम्पलीट करके ही निगम को भेजना होगा, ऐसा मैं मानता हूं। उसके बावजूद 1894 में से, अध्यक्ष महोदय, 926 आवेदन-पत्र ऐसे हैं जो वापिस जिला स्तर को भेजे गए पूर्ति के लिए। मैं जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि 926 एप्लीकेशन्स क्या वहां से अधूरी आयी थीं? और अधूरी आयीं तो वह हमारी स्टेंडिंग कमेटी और हमारा सारा सेटअप क्या कर रहा है?

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, जो 510 एप्लीकेशन्स स्वीकृत हुई हैं यानि कि केवल 27 पर्सेण्ट, उसमें से भी अब तक वास्तविक रूप में ऋण सुविधा उपलब्ध केवल 190 व्यक्तियों को हुई है। यानि कुल आवेदन-पत्रों का 10 प्रतिशत। दो साल की हमारी उपलब्धि यह है कि हमने आवेदनकर्ताओं के 10 प्रतिशत व्यक्तियों को ऋण सुविधा उपलब्ध करायी है। तो इतना अधिक विलम्ब होने के क्या कारण हैं? एक और बात इसमें कि 186 पेंडिंग बताए हैं निगम स्तर पर स्वीकृति के वास्ते और 272 पूर्ति के वास्ते। 926 जिलों को भेज दिये पूर्ति के लिए, 272 जांच और पूर्ति के लिए आपके पास पेंडिंग हैं और 186 स्वीकृति स्तर पर पेंडिंग हैं इसका क्या अर्थ है मेरी समझ में नहीं आया, मंत्री महोदय, स्पष्ट करें। यह इतना लम्बा पेंडिंग है तो उसमें ओल्डेस्ट एप्लीकेशन्स कब की हैं? मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि सभी जिलों में प्रोजेक्ट मैनेजर आर. ए. एस. अधिकारी हैं। मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं सभी जिलों में आर. ए. एस. अधिकारी नहीं हैं। लगभग 11 जिलों में तो समाज कल्याण अधिकारी इस काम को देख रहे हैं। नयी योजना 1991 में लागू हुई और फिर गारण्टी 1992-93 में मिली। नयी योजना होने के कारण समाज कल्याण जिला अधिकारी, प्रोजेक्ट मैनेजर को उसकी पूर्ण जानकारी नहीं होने के कारण, मैं उसको उनकी कमी मानता हूं, प्रार्थना-पत्र कई अधूरे आये। वह अधूरे आये तो यहां जांच की गयी। उसमें कई प्रकार की खामियां पायी गयीं, जैसे जाति प्रमाण-पत्र नहीं होना, तहसीलदार से प्रमाणित हैसियत प्रमाण-पत्र नहीं होना। इस प्रकार से ठीक-ठीक प्रकार से उसकी यूनिट कास्ट जो थी वह सूट नहीं करती थी। कई कारणों से वापिस लौटाये गए। मैं समझता हूं उनको लौटाने के बाद तुरन्त कमी पूर्ति करके लाना चाहिए था। इस बात में मुझे कोई यह नहीं है क्योंकि इसमें निश्चित रूप से अधिकारियों की कमी रही है और मैं उन अधिकारियों से इस बारे में पूछूंगा कि इस प्रकार की नेग्लीजेंस क्यों बरती गयी? क्यों नहीं अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को इसका पूरा लाभ दिया गया?

माननीय सदस्य ने कहा है कि 186 और 290 आवेदन-पत्र यहां पेंडिंग हैं, निगम स्तर पर स्वीकृति के लिए। उसमें भी कई प्रकार की अभी कमियां होंगी, मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है कि

(श्री मदन दिलावर)

किसी कारण से हैं। कई बार तो क्या होता है कि प्रशासनिक स्वीकृति निकल जाती है और वित्तीय स्वीकृति निकलती है उसके बाद में उसको रहननामा और जमानतनामा देना पड़ता है। तो प्रशासनिक स्वीकृति निकलने के बाद उस व्यक्ति, जो ऋण लेने वाला है, को जमानत देने वाला नहीं मिलता। इस कारण से भी प्रॉब्लम आती है।

तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैंने आगे से इस प्रकार का कर दिया कि अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को समय पर ऋण उपलब्ध हो। उनका उत्थान ठीक प्रकार से हो सके इसलिए जिला स्तर पर एक तारीख को वह प्रार्थना-पत्र देता है कोई व्यक्ति तो पन्द्रह दिन के अन्दर उस प्रार्थना-पत्र का निस्तारण करना आवश्यक होगा। प्रदेश स्तर पर प्रार्थना-पत्र आ जाता है वहां से उसके पन्द्रह दिन के अन्दर यहां प्रदेश स्तर पर निगम के जो अधिकारी बैठे हैं उनको उनका निस्तारण करना आवश्यक होगा। अदरवाइज उन अधिकारियों से पूछा जाएगा कि क्यों नहीं किया गया और यदि कोई सन्तोषप्रद जवाब नहीं मिला, उत्तर नहीं मिला, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मणसिंह जी।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री।

श्री अध्यक्ष : पहले लक्ष्मणसिंह जी का एक और आ जाए।

श्री लक्ष्मणसिंह (मीम) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि ऋण की वसूली 2.43 प्रतिशत थी। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि क्या यह ऋण की वसूली आप सन्तोषप्रद मानते हैं? अगर नहीं मानते हैं तो ऋण की कम वसूली करने के लिए किन्हीं अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी थी? और क्या इस ऋण की कम वसूली से वापस बाद में पुनः ऋण देने के लिए यह प्रभावित नहीं हुए थे?

श्री अध्यक्ष : श्री मोदीजी। आप बैठिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं। यह 1894 एप्लीकेशन्स आयी आपके पास, आपने 190 लोगों को ही लाभान्वित किया। आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना रुपया आया है, आपने इन अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए जो लोन का पैसा आया वह 20 करोड़ रुपया आपने आर. एस. ई. बी. को लोन दे दिया और इन लोगों को महरूम रख दिया इसके बारे में आप जवाब दें कि क्या यह क्या सही है और सही है तो ऐसा क्यों किया गया?

श्री अध्यक्ष : जोगेश्वर गर्ग पूछिये, अब आप।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय,

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

एक तो माननीय मंत्री महोदय को सूचना दे दूं यह जो 1894 पैंडिग हैं, निगम स्तर पर हैं और स्टेण्डिग कमेटी से स्वीकृत होने से पहले जो जिला स्तर पर पैंडिग पड़े हैं, वह अलग हैं, वह इसमें शामिल नहीं हैं। इसलिए वह सख्या तो बहुत ही बड़ी है। दूसरी बात, ग्यारह जिलों में मान लिया कि आपके पास पी. एम. नहीं है पर उन्नीस जिलों में है। उन उन्नीस जिलों में होने के बावजूद जो ऋण वितरण हुआ हैं, वह एक मात्र चौदह जिलों में हुआ है बाकी सोलह जिलों में एक भी आदमी को ऋण नहीं मिला है।

मेरा दूसरा सप्लीमेण्ट्री यह है, अध्यक्ष महोदय, आजकल पर्यटन और व्यवसाय के कारण ट्रांसपोर्टेशन की काम बहुत बढ़ा है। उस अनुसूचित जाति के व्यक्ति को कार या जीप या मिनी ट्रक या मिनी बस इस तरह की चीजों के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी जानी चाहिये। निगम क्यों नहीं करवा रहा है? और कब तक करवायेगा इसके लिए बतायें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय मंत्री जी।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि 46 लाख समर्थिग ऋण देने के बाद वसूली बहुत कम हुई। मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता है कि वह टोटल अमाउन्ट है, जितना हमने ऋण दिया है और वसूली होती है जितनी किश्त होती है। यह निश्चित रूप से इसमें थोड़ा-सा एक कॉलम और होना चाहिये था। जितनी किश्तें थीं उनका पर्सेन्टेज नहीं है, यह तो टोटल ऋण दिया उसका पर्सेन्टेज है इसलिए यह संतोषजनक है ऋण वसूली और इसमें कोई कोताही नहीं बरती गयी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी ओर माननीय सदस्य ने पूछा है कि 20 करोड़ रुपया ऋण दे दिया हैं और आपने महरूम रख दिया है इन लोगों को, ऐसा नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पैसा हमारे पास में अभी भी पर्याप्त है और कोई ऋण लम्बे समय के लिए नहीं दिया गया है। जो ब्याज हमें मिला था उसी ब्याज पर दिया गया है। सितम्बर में सहायता मिलने वाली है आर. एस ई. बी. को, उसमें से सरकार सीधा पैसा कट करके अनुसूचित जाति निगम को दे देगी। इसलिए मैं समझता हूं किसी प्रकार से महरूम किया गया हो, ऐसा कुछ नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि 16 जिलों में ऋण वितरण नहीं किया गया है। मैंने पहले ही माननीय सदस्य को बता दिया है कि निश्चित रूप से इसमें अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं देने के कारण यह स्थिति बनी है और अब मैं एक-एक से रिव्यू कर रहा हूं, जिले वाइज उनसे पूछ रहा हूं कि इस प्रकार का क्यों किया जा रहा है? निश्चित रूप से बडा भारी काम है। जिलों में हमारा स्टाफ भी बहुत कम है

Page No.29

(श्री मदन दिलावर)

यह भी एक कारण है। स्टाफ पर्याप्त नहीं है।

दूसरी बात माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा आप ट्रक, जीप इस प्रकार से परिवहन के लिए क्यों नहीं दे रहे हैं ? परिवहन के लिए केन्द्र सरकार ने तय किया हुआ है कि दो लाख रुपये से अधिक ऋण न दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, दो लाख मे न तो जीप आती है, न ट्रक आता है। फिर भी मैं जो माननीय सदस्य ने पूछा है, केन्द्र सरकार से बात करके इस पर विचार किया जाएगा, क्यों नहीं इसमें भी लाभ दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भीमराज भाटी।

राजसमन्द क्षेत्र में मार्बल खनन पट्टे

785. **श्री भीमराज भाटी** (पाली) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजसमद क्षेत्र में खनिज मार्बल के खनन पट्टे मंजूर करने पर रोक लगायी हुई है ? यदि हाँ, तो किस आदेश द्वारा ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि रोक के बावजूद भी खनन पट्टे मंजूर किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

खनिज मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा कोई रोक नहीं है। परन्तु निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर के एम. ई. राजसमन्द को भेजे गये निर्देश दिनांक 14-8-92 में गैप एरिया को चिन्हित करने के उद्देश्य से अस्थाई रोक लगायी गयी थी, जिसको दिनांक 15-1-94 को हटा लिया गया है।

(2) इस अवधि में राज्य सरकार ने एक खनन पट्टा स्वीकृत किया। इसके अलावा राजस्व विभाग से चरागाह भूमि में खनन-पट्टा स्वीकृत करने की सहमति प्राप्त कर सम्बन्धित खनिज अभियन्ताओं को नियमानुसार तीन खनन पट्टे जारी करने के निर्देश भी प्रदान किये गये हैं।

श्री भीमराज भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न यह पूछा था कि राजसमन्द एरिया में खानों के पट्टों के ऊपर बैन लगाया हुआ है। वह बैन 92 से लगा हुआ था। 92 से लेकर मैंने जब यह प्रश्न पूछा था तब तक कौन से पट्टे दिये गये हैं ? 92 तक आप एग्री कर रहे हैं कि 92 तक बैन था। 92 से लगा कर आपने रोक हटायी उस पीरियड में उस बैन के बावजूद भी आपने कोई लाइसेंस दिये क्या ?

उस पीरियड में लाइसेंस दिये गये है। मेरे क्वेश्चन का एक और पार्ट था जो इनकन्विनेंट पार्ट था वह मिस कर दिया। उसमें मैंने कहा था कि यहाँ से स्पेशल डायरेक्शन दिये और यहां से आफिसर गये और बैन लगे हुए पीरियड में लाइसेंस देकर आये हैं। बैन लगे हुए

(श्री भीमराज भाटी)

पीरियड में लाइसेंस देने के लिए जो सम्बन्धित अधिकारी था उस पर दबाव डाला गया और अन-अथोराइज्ड रूप से बैन वाले पीरियड में लाइसेंस दिये गये। यह मेरा प्रश्न था।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने 27-2-88 को एक आदेश दिया था कि जो गैप एरिया होता है दो खानों के बीच में उसको नीलामी के आधार पर खनन पट्टे पर उठाया जाए, लेकिन वहां पूर्व की कुछ दरख्वास्तों के आधार पर उसको अलाट किया जाता रहा है। अब इस अनियमितता को ठीक करने के लिए सारे गैप एरियाज का आइडेंटीफिकेशन कर लिया जाए उस दृष्टि से गैप एरियाज के बारे में यह निर्देश दिये गये थे जो आइडेंटीफिकेशन व्यवस्था हो जाने के ऊपर हटा लिये गये बाकी नियमित रूप से जो खानों के पट्टे अलाट करने की कार्यवाही है वह चलती रही है, उसमें कोई बाधा नहीं आयी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें।)

(12.00)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्व व्यय पुनरीक्षण शीर्ष समिति का गठन

1192. **श्री रामनारायण** (नैनवां) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्व व्यय के पुनरीक्षण हेतु अप्रेल, 1990 में उच्च स्तरीय शीर्ष समिति का गठन किया गया था ? यदि हां, तो समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त रिपोर्ट में दिये गये सुझावों के आधार पर कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तब की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) बकाया सुझावों पर कब तक अमल प्रारम्भ कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के आदेश दिनांक 5 अप्रेल, 1990 द्वारा राजस्व व्यय पुनरीक्षण हेतु श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय शीर्ष समिति का गठन किया गया था।

(2) समिति द्वारा की गई सिफारिशें संलग्न परिशिष्ट में दी गयी हैं। समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर शासन द्वारा विचार कर कतिपय निर्णय लिये गये जो संलग्न परिशिष्ट में इंगित किये गये हैं।

(वित्त मंत्री)

(3) इन निर्णयों के आधार पर आवश्यक कार्यवाही कर दी गई है तथा कतिपय बिन्दुओं पर क्रियान्वयन की प्रक्रिया जारी है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

डुप्लिकेटिंग मशीनमैन/मशीन ऑपरेटर के वेतनमान

1193. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या डुप्लीकेटिंग मशीनमैन एवं मशीन ऑपरेटर के कार्य समान हैं ? यदि हां, तो इन दोनों ही पदनामों में कार्यरत कर्मचारियों को राज्य के विभिन्न विभागो में वर्तमान में कौन-कौन से वेतनमान दिये जा रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत डुप्लीकेटिंग मशीनमैन एवं मशीन ऑपरेटर के वेतनमान में भिन्नता है ? यदि हां, तो समान कार्य होते हुए भी यह भिन्नता क्यों है ? क्या सरकार इस विसंगति को दूर करने का विचार रखती है ?

(3) क्या वित्त विभाग, राज, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ. 17 (5) एफ. डी/(जी) 2/84 आर. पी. एस. 83-13/89 दिनांक 12-12-1989 के संदर्भ मे डुप्लीकेटिंग मशीनमैन को भी 15 वर्षीय चयनित वेतनमान देने का प्रावधान रखा गया है ? यदि हां, तो उक्त में से कितने कर्मचारियों को तदनुसार चयनित वेतनमान का लाभ अब तक दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार यह लाभ अब भी देने का विचार रखती है ?

(4) डुप्लीकेटिंग मशीनमैन को 15 वर्षीय चयनित वेतनमान स्वीकृत किये जाने पर उसे अगले कौनसे वेतनमान में वेतन नियमन किया जायेगा ?

(5) क्या डुप्लीकेटिंग मशीनमैन को भी राज्य सरकार के आदेशानुसार 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान देने का प्रावधान रखा गया है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां। कृषि विभाग में मशीन ऑपरेटर (डुप्लीकेटिंग) एवं तकनीकी शिक्षा बोर्ड में मशीनमैन के पद का वेतनमान 910-1520 (5) है। इन दो विभागों के अतिरिक्त अन्य सभी विभागों में डुप्लीकेटिंग मशीनमैन के पद का वेतनमान 800-1250 (3) है।

(2) जी हां। यह वेतनमानों में विसंगति है, जिसे दूर किये जाने का प्रकरण राज्य सरकार के परीक्षणाधीन है।

(3) जी हां। एकांकी पदों के लिये चयनित वेतनमान सम्बन्धित विभागाध्यक्षों से प्रस्ताव के प्राप्त होने पर निर्धारित किये जाने थे। डुप्लीकेटिंग मशीनमैन के सम्बन्ध

(वित्त मंत्री)

में ऐसा कोई प्रस्ताव विभागाध्यक्षों से प्राप्त नहीं होने से अभी तक इस पद के लिए चयनित वेतनमान का निर्धारण नहीं हुआ है। जिससे किसी भी मशीनमैन को चयनित वेतनमान का लाभ नहीं मिल सका है। विभागाध्यक्षों से चयनित वेतनमान निर्धारित करने के लिये प्रस्ताव के प्राप्त होते ही चयनित वेतनमान का निर्धारण कर दिया जाएगा। डुप्लीकेटिंग मशीनमैन जिन्होंने नियमित नियुक्ति के बाद 15 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है उनको चयनित वेतनमान का लाभ अब भी दिया जाएगा।

(4) प्रश्न के भाग 3 के उत्तर में उल्लेखित कारण से अभी तक चयनित वेतनमान का निर्धारण नहीं हुआ है।

(5) जी हां। 25.1.92 से।

विभागीय अधिकारियों का पदोन्नति में आरक्षण

1194. **श्री जितेन्द्र नीनामा** (घाटोल): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आबकारी निरोधक शाखा में तीन सहायक आबकारी अधिकारी एवं तीन ही आबकारी अधिकारी तथा एक आयुक्त के पदों में से एक भी पद रोस्टर प्रणाली द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों से नहीं भरा गया है? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि विभाग में प्रथम श्रेणी प्रहराधिकारी के बारह पद स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो क्या इनमें से किसी पद पर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति को पदोन्नति दी गयी ? यदि हां, तो कब व नहीं तो क्यों ? क्या सरकार अब किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति का इन पदों पर रोस्टर के आधार पर पदोन्नति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) आबकारी निरोधक दल शाखा में एक अतिरिक्त आयुक्त, एक उपायुक्त, दो आबकारी अधिकारी तथा तीन सहायक आबकारी अधिकारी के पद स्वीकृत हैं। इस शाखा में आयुक्त का अलग से कोई पद स्वीकृत नहीं है, बल्कि आबकारी आयुक्त के नियन्त्रण में ही यह निरोधक दल शाखा है। इस शाखा में प्रहराधिकारी द्वितीय श्रेणी का पद सीधी भर्ती से भरा जाता है। प्रहराधिकारी प्रथम श्रेणी से अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी निरोधक दल तक के उक्त सभी पद शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति के उपयुक्त उम्मीदवार विचारणीय सीमा (जॉन आफ कंसीडरेशन) में उपलब्ध नहीं होने के कारण पदोन्नति नहीं दी जा सकी है।

(2) हां, यह सही है कि विभाग में प्रहराधिकारी प्रथम श्रेणी के 12 पद स्वीकृत

(आबकारी मंत्री)

हैं। इनमें से किसी पद पर पदोन्नति हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति का वांछित योग्यता रखने वाला आशार्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण पदोन्नति नहीं दी गयी है। भविष्य में रोस्टर बिन्दू के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति का उपयुक्त आशार्थी पात्रता सूची में उपलब्ध होने की स्थिति में उसे पदोन्नति दी जा सकेगी।

प्रदेश का होटल व्यवसाय

1195. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा तथा अन्य राज्य सरकारों द्वारा होटल व्यवसाय को उद्योग के रूप में मान्यता दी हुई हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार द्वारा भी होटल व्यवसाय को उद्योग के रूप में मान्यता देने की अनेक बार घोषणाएं की गई है?

(3) क्या सरकार होटल व्यवसाय को उद्योग के रूप में मान्यता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) केन्द्र सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों द्वारा होटल व्यवसाय को उद्योग के रूप में मान्यता देने सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की जा रही है। केन्द्र सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों से जानकारी प्राप्त होने पर सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी।

(2) राज्य सरकार के उद्योग विभाग द्वारा पर्यटन को उद्योग घोषित करने की अधिसूचना दिनांक 4.3.1989 को प्रसारित की गयी है। इससे पर्यटन क्षेत्र की गतिविधियां, जिसमें होटल व्यवसाय भी शामिल है, उद्योग की श्रेणी में आ गये हैं।

(3) पर्यटन जिसमें होटल व्यवसाय भी शामिल है, को राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 4.3.89 के अन्तर्गत उद्योग घोषित किया जा चुका है।

विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ की औद्योगिक बस्तियां

1196. श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कहां-कहां औद्योगिक बस्तियां बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्तमान औद्योगिक बस्तियों के विस्तार की सरकार की कोई योजना है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज रखें।

(श्री जगदीप धनखड़)

(3) उपरोक्त दोनों स्थितियों में भूमि अधिग्रहण कार्यवाही की प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में रीको के समक्ष औद्योगिक बस्ती बनाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है परन्तु औद्योगिक क्षेत्र बनाने की योजना विचाराधीन है।

(2) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में औद्योगिक बस्ती बनाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है परन्तु किशनगढ़ औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु ग्राम सांवतसर की 20 बीघा 05 बिस्वा भूमि अवाप्ति हेतु प्रस्तावित है।

(3) किशनगढ़ में औद्योगिक बस्ती बनाने के लिये कोई भी भूमि हेतु अधिग्रहण की कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। परन्तु 20 बीघा 05 बिस्वा निजी खातेदारी भूमि है। जिसकी अवाप्ति की कार्यवाही भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के तहत की जा रही है। भूमि अवाप्ति के लिये राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 17.6.93 को जारी की गयी है तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) किशनगढ़ द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 5-1 की रिपोर्ट दिनांक 3.3.94 को प्रेषित की गयी है। राज्य सरकार द्वारा उक्त भूमि की अवाप्ति के लिये धारा-6 की अधिसूचना जारी किया जाना विचाराधीन है।

जिला बीकानेर के औद्योगिक क्षेत्रों में भू-खण्डों का आवंटन

1197. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर जिले में कुल कितने औद्योगिक क्षेत्र हैं तथा उनमें नये उद्योगकर्मियों को आवंटन हेतु कितने-कितने भू-खण्ड किन-किन दरों पर उपलब्ध हैं ?

(2) क्या खारा ग्रोथ सेंटर के विकास के लिए भारत सरकार से आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि प्रतिवर्ष प्राप्त हुई है ?

(3) मूल योजनानुसार ग्रोथ सेंटर का विकास कार्य कब तक सम्पूर्ण हो जाना चाहिए था ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में कुल 7 औद्योगिक क्षेत्र है। उद्यमियों के लिये आवंटन हेतु इन क्षेत्रों में उपलब्ध भूखण्डों की संख्या तथा दरों का विवरण निम्नानुसार हैं:—

(उद्योग मंत्री)

औ. क्षेत्र का नाम	कुल भूखण्डों की संख्या	आवंटित भूखण्डों की संख्या	आवंटन हेतु उपलब्ध भूखण्डों की संख्या	भूखण्ड आवंटन की दर (रुपये प्रति वर्ग मीटर)
1. रानी बाजार	188	188	शून्य	120/-
2. बीछवाल	312	311	01	100/-
3. लूणकरणसर	156	96	60	35/-
4. नोखा	65	41	24	75/-
5. नापासर	117	57	60	60/-
6. खाजूवाला	97	97	शून्य	10/-
7. ग्रोथ सेन्टर खारा	50	शून्य	50	60/-

(2) जी, हां। भारत सरकार से दिनांक 28.2.94 तक कुल 200 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं। वर्ष 1990-91 में 50 लाख तथा वर्ष 1991-92 में 150 लाख रुपये राशि प्राप्त हुए।

(3) मूल योजना के अनुसार ग्रोथ सेन्टर का विकास कार्य वर्ष 1995-96 तक पूर्ण किया जाना है।

प्रदेश की स्वयं रोजगार योजना

1198. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए प्रधान मंत्री की रोजगार योजना लागू है? यदि हां, तो यह योजना क्या है और कब से लागू है?

(2) इस योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराने में किस प्रक्रिया से रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? तथा इस सम्बन्ध में भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अब तक इस योजना से किस-किस जिले में कितने-कितने बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया और लक्ष्य कितने-कितने का था?

(4) वित्तीय वर्ष 1994-95 हेतु इस योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराने के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि राज्य में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिये "प्रधानमंत्री की रोजगार योजना" 2 अक्टूबर, 1993 से लागू है। इस योजना के अन्तर्गत 18 से 35 वर्ष तक की आयु के उन युवाओं को जो मेट्रिक (उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण) या आई. टी. आई. उत्तीर्ण हों या जिन्होंने सरकार द्वारा प्रायोजित, कम से कम 6 महीनों की अवधि का तकनीकी पाठ्यक्रम पूरा किया हो, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 24,000/- रुपये वार्षिक तक हो, जो उस क्षेत्र के कम से कम तीन वर्ष के स्थाई निवासी हो और जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक वित्तीय संस्थान/सरकारी बैंक के चुककर्ता न हो, को उद्योग, सेवा और व्यापार के माध्यम द्वारा स्वरोजगार स्थापित करने के लिये एक लाख रुपये तक की लागत की परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। उद्यमी को परियोजना लागत का 5 प्रतिशत नकद मार्जिन मनी के रूप में लगाना अपेक्षित है शेष 95 प्रतिशत राशि बैंकों द्वारा कम्पोजिट कर्ज के रूप में उपलब्ध करवाया जाता है। भारत सरकार प्रत्येक उद्यमी को परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम 7,500 अनुदान के रूप में देती है।

(2) इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होने के लिये उद्यमी को जिला उद्योग केन्द्र में आवेदन प्रस्तुत करना होता है। पात्र आवेदकों का साक्षात्कार कर चयन, जिला चयन समिति द्वारा किया जाता है। तत्पश्चात चयनित उद्यमियों के आवेदन-पत्र स्वीकृति हेतु बैंकों को भिजवाये जाते हैं। ऋण स्वीकृति के उपरान्त उद्यमी को एक माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण पूर्ण कर लेने के पश्चात सम्बन्धित बैंक, ऋण उपलब्ध कराता है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की प्रति संलग्न है। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के निर्देशानुसार ही योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

(3) जिलेवार लक्ष्य, बैंकों को प्रायोजित प्रार्थना-पत्र ऋण स्वीकृतियां एवं वितरण की जिलेवार सूची संलग्न है। लाभार्थियों को ऋण वितरण, उनके द्वारा प्रशिक्षण पूर्ण कर लेने के उपरान्त सुलभ करवाया जाता है, जिसकी अन्तिम तिथि 30 जून, 1994 है।

(4) यह भारत सरकार की योजना है और वार्षिक लक्ष्य भारत सरकार ही निर्धारित करती है। अगले वर्ष के लिये भारत सरकार से अभी तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया।)

बागावास (जयपुर) में आवंटित खनन पट्टे

1199. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि बागावास तहसील विराट नगर जिला जयपुर में आवंटित खनन पट्टा श्रीमती वीणा जोशी ने

Page No.37

(श्री राकेश मेघवाल)

मुख्त्यारनामे के जरिये मेसर्स वाणगंगा मिनरल्स को उप पट्टे पर दे रखा है एवं वाणगंगा मिनरल्स द्वारा क्षेत्र में क्षेत्र के ग्रास-पास के खातेदारी की भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध खनन किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त तथ्यों की जांच करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी, नहीं। श्रीमती वीणा जोशी के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा निकट ग्राम बागावास तहसील विराटनगर जिला-जयपुर में उन्हें आवंटित खनन पट्टा क्षेत्र में उनकी ओर से पावर ऑफ एटोर्नी के आधार पर श्री सुशीलकुमार अग्रवाल द्वारा खनन कार्य करवाया जा रहा है। खनन कार्य पार्टी के पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र में ही कराया जा रहा है, इसलिये जांच का कोई मुद्दा नहीं बनता।

कोटपूतली क्षेत्र में लाइम स्टोन का खनन

1200. श्री कालूलाल गूर्जर (माण्डल) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सरकार द्वारा दिए गये कार्यादेश के तहत राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम द्वारा कोटपूतली के क्षेत्र में कितने क्षेत्रों में लाइमस्टोन के खनन का कार्य कराया जा रहा है ?

(2) क्या निगम उक्त खनन कार्य को स्वयं सम्पादन भी कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हां, तो निगम द्वारा किस प्रकार का कार्य कराया जा रहा है ?

(3) निगम ने इस क्षेत्र के खनन कार्य को किन-किन लोगों को किस तारीख से कितना कितना एरिया ठेके पर दे रखा है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) पिछले तीन सालों में निगम ने कितना खनन कार्य किया ? विवरण अलग-अलग ठेकेदारों के अनुसार सदन की मेज पर रखें।

(5) राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम को इस योजना पर अब तक कितना लाभ प्राप्त हुआ ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम कोटपूतली के एक क्षेत्र में कार्य कर रहा है।

(2) निगम इस क्षेत्र में खनन कार्य अपनी देख-रेख में करवा रहा है।

(3) परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(4) परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है।

(5) कोटपूतली परियोजना पर अब तक हुए लाभ निम्न प्रकार हैं:—

खनिज मंत्री)

वर्ष	लाभ (लाख रुपये)
1990-91	4.67
1991-92	20.61
1992-93	40.53
1993-94 फरवरी तक	64.46 प्रोविजनल

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें।)

जिला नागौर में आर. सी. सी. के ठेके

1201. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नागौर जिले में वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 में अब तक आर. सी. सी. के ठेके हुए हैं ? यदि हां, तो कितने ? ठेकों की क्षेत्रवार प्राप्त होने वाली राशि की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बजरी को छोड़ कर अन्य खनिजों की रॉयल्टी संग्रह के ठेके क्वारी लाइसेन्स के अनुमोदित क्षेत्रों एवं आवंटित पट्टों हेतु ही किये जाते हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि नागौर में बिना अपनी क्वारी लाइसेन्स आवंटित क्षेत्रों का भी ठेका दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसे क्षेत्रों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि नागौर में बिना अनुमोदित डेलिनेशन प्लान के भी रॉयल्टी संग्रह के ठेके आवंटित किए गए हैं ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ? यदि नियमों के अन्तर्गत नहीं है, तो खनिज अभियन्ता के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? क्षेत्रों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1992-93 में 'एक" तथा वर्ष 1993-94 में "ग्यारह" ठेकों की क्षेत्रवार सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है। परिशिष्ट "क"।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। ठेकों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। परिशिष्ट "ख"।

(4) जी नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

जिला झुंझुनू को यमुना नदी के पानी का वितरण

1202. श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री जगदीप धनखड़)

(1) क्या यह सही है कि झुंझुनू जिले में सिचाई के लिए यमुना नदी के तेज वाला हैड से पानी लाने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने केन्द्र के समक्ष रखा था ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या केन्द्र सरकार ने कोई निर्णय इस संबंध में लिया है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जी हां । यमुना नदी पर स्थित ताले-वाला हैड से चूरू एवं झुंझुनू जिलों में पानी लाने के लिये एक फीजिबिलिटी रिपोर्ट वर्ष, 1975 में तैयार कर केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत की गयी थी। विवरण संलग्न है ।

(2) जी नहीं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-5 देखें ।)

ज़िला नागौर के बांधों से सिचाई

1203. श्री रिछपालसिंह (डेगाना) एवं **श्री चेनाराम** (डीडवाना) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नागौर जिले में कार्यरत कुल कितने बांध हैं तथा इन बांधों से प्रति वर्ष कितनी जमीन की सिंचाई की जाती है ? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार नागौर जिले में नये बांध बनाने की योजना रखती है, यदि हां, तो कहां-कहां पर ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) वर्तमान में कार्यरत बांधों से डेगाना तहसील के किन-किन ग्रामों में सिचाई की जाती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) नागौर जिले के आठ तहसीलों में कुल 81 बांध कार्यरत हैं तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होने एवं बांधों के भर जाने की स्थिति में लगभग 10855,66 हैक्टर जमीन की सिचाई हो सकती है । तहसील वार सूची संलग्न है ।

(2) जी हां । स्वीकृत योजनाओं एवं विचाराधीन योजनाओं का विवरण क्रमशः परिशिष्ट "अ" एवम् "ब" पर संलग्न है ।

(3) वर्तमान में कार्यरत बांधों से डेगाना तहसील के जिन 18 गांवों में सिचाई की जाती है उनकी सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

सामरिया नाला बांध चित्तौडगढ़ का निर्माण

1204. श्री अर्जुनलाल जीनगर (लाडपुरा) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No.40

(श्री अर्जुनलाल जीनगर)

(1) क्या गंगरार विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सोनगर के साभरिया नाला बांध का सर्वे वर्ष 1991 में हुआ था ? यदि हां, तो कार्य को चालू क्यों नहीं किया गया ?

(2) सरकार इसे कब तक पूर्ण करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उपरोक्त बांध की सर्वे वर्ष, 93-94 में प्रारम्भ की गयी है। इस योजना का निर्माण तकनीकी उपयुक्तता निर्धारित लाम-लागत अनुपात एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि पर निर्भर करेगा।

अतारांकित प्रश्न संख्या 1205
(स्थगित)

बैर (भरतपुर) नहर की खुदाई

1206. श्री रेवतीप्रसाद कोली (बैर) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बैर (भरतपुर) नहर के सरकार द्वारा खुदाई के आदेश किये गये थे ? यदि हां, तो अब तक उसकी क्रियान्विति क्यों नहीं हुई ?

(2) क्या बाण गंगा नदी से सीता बांध में पानी आसानी से आ सकता है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

ओराई बांध (चित्तोड़गढ़) की नहरों के निर्माण में अवाप्त भूमि का मुआवजा

1207. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगू) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बेगू विधान सभा क्षेत्र के ओराई बांध की नहरों की खुदाई में जिन-जिन किसानों की जमीनें कटी ? क्या उसका मुआवजा भुगतान किया जा चुका है ? यदि हां, तो किस-किस किसान को कितनी-कितनी राशि दी गई ? विवरण मय नाम पते के सदन की मेज पर रखें और यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) सरकार अब कब तक उक्त किसानों को मुआवजा राशि देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) बेगू विधान सभा क्षेत्र के ओराई बांध की नहरों के लिये अवाप्त की गयी भूमि के मुआवजे के भुगतान का कृषकवार विवरण संलग्न है। जैसा कि संलग्न विवरण में दर्शाया गया है, कुल 323 बीघा 15 बिस्वा भूमि अवाप्ति में

Page No.41

(सिचाई मंत्री)

आती जिसमें से 178 बीघा 4 बिस्वा भूमि के मुआवजे का भुगतान वर्ष 1965-66 में कर दिया गया था। शेष 14 निजी खातेदारों की कुल 26 बीघा 4 बिस्वा भूमि की मुआवजा राशि 48510/- के एवार्ड वर्ष, 1988 में जारी होने एवं बजट वर्ष 1993-94 में आवटित होने पर मार्च, 1994 से भुगतान किया गया है।

(2) उपरोक्त विवरण के अनुसार सभी कृषकों को मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

कडाना डूब क्षेत्र के गांवों का पुनर्वास

1208. श्री भीखा भाई (सागवाड़ा): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कडाना डूब क्षेत्र में आने वाले 187 गांवों में कितने गांवों का पुनर्वास कर दिया गया है ?

(2) क्या इन पुनर्वासित गांवों में बिजली, सिंचाई, शिक्षा सुविधायें उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो चोकली एवं कुआ क्षेत्र में स्थापित आदिवासियों के लिए कडाना बेकवाटर से लिफ्ट एरिगेशन की योजना क्या नहीं बनाई गई ?

(3) क्या सरकार सामुदायिक लिफ्ट एरिगेशन योजनाओं के सम्बन्ध में कोई कार्यक्रम बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कडाना बांध में डूब व बैक वाटर से बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले के 132 ग्राम प्रभावित हुए हैं। इन ग्रामों के प्रभावित विस्थापितों का पुनर्वास कर दिया गया है।

(2) प्रभावित गांवों के विस्थापितों को जहां बसाया गया है, वहां पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नोर्मस के अनुसार शिक्षा सुविधा हेतु स्कूल भवनों का निर्माण कराया गया है। कडाना बांध के बैक वाटर से प्रभावित सबसे बड़े ग्राम गलियाकोट कस्बे के विस्थापितों को सागवाड़ा, जुईतलाई एवं चितरी पुनर्वास बस्तियों में बसाया गया है, वहां पर इस विभाग के माध्यम से बिजली की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। अन्य ग्रामों में पुनर्वास नामर्स में इसका प्रावधान नहीं होने के कारण बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गयी है। पुनर्वास नामर्स में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने का प्रावधान नहीं होने से इस विभाग द्वारा चोखली एवं कुआ क्षेत्र में स्थापित आदिवासियों के लिये कडाना बैक वाटर से लिफ्ट इरिगेशन की योजना नहीं बनायी गयी है।

(3) कडाना बांध के जल संग्रह (बैक-वाटर) से सामुदायिक लिफ्ट इरिगेशन की कोई योजना अभी प्रस्तावित नहीं है।

Page No.42

विधान सभा क्षेत्र माण्डल के विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद

1209. श्री कालूलाल गुर्जर (माण्डल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य में प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो कितनी स्कूलों में इस प्रकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगे हुए हैं और कितनों में नहीं ?

(2) माण्डल विधान सभा क्षेत्र में कितने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगे हुए हैं और कितनों में नहीं ? सूची नाम विद्यालय एवं कर्मचारी सहित सदन की मेज पर रखें ।

(3) जिन विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं है वहां पर विद्यालय की सफाई व छात्रों के पीने के पानी की क्या व्यवस्था है और सरकार अब कब तक क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

उत्तर

(1) वर्तमान पैटर्न के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद दिये जाने का प्रावधान नहीं है ।

(2) माण्डल विधान सभा क्षेत्र में 40 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 13 विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद सृजित हैं । पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(3) जहां चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद स्वीकृत नहीं है वहां कन्टीजेन्सी की राशि स्वीकृत होती है, उसमें से पानी भरने व सफाई करने की व्यवस्था की जाती है ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-6 देखें ।)

निदेशालय, संस्कृत शिक्षा, जयपुर व जयपुर कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी

1210. श्री लक्ष्मणसिंह (मीम) : क्या शिक्षा (संस्कृत) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) निदेशालय, संस्कृत शिक्षा, जयपुर तथा जयपुर स्थित कार्यालयों में ऐसे कितने कनिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ लिपिक/कार्यालय सहायक/कार्यालय अधीक्षक कार्यरत हैं, जिनको 15 वर्ष से 30 वर्ष तक निरंतर सेवा करते हुए हो गये हैं ? सूची सदन की मेज पर कार्यारंभ तिथि सहित रखें ।

(2) ऐसे कितने कनिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ लिपिक/कार्यालय सहायक/कार्यालय अधीक्षक हैं, जिनको 5 से 10 वर्ष जयपुर से बाहर कार्य करते हुए हो गये हैं और उनके द्वारा जयपुर में स्थानान्तरण चाहने पर भी स्थानान्तरण नहीं किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(श्री लक्ष्मणसिंह)

(3) क्या सरकार स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध हटने के बाद 15 से 30 वर्ष तक जयपुर में निरंतर सेवा करने वाले कर्मचारियों का स्थानान्तरण जयपुर में चाहने वाले कर्मचारियों के स्थान पर करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) निदेशालय संस्कृत शिक्षा, जयपुर तथा जयपुर स्थित/कार्यालयों में क. लि./व. लि./कार्यालय सहायक/कार्यालय अधीक्षक के पदों पर कार्यरत रहते हुए जिन्हें 15 वर्ष से 30 वर्ष तक निरंतर सेवा करते हुए हो गये हैं — उनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं ।

(2) निदेशालय संस्कृत शिक्षा, जयपुर तथा जयपुर स्थित कार्यालयों से बाहर क लि/व. लि./कार्यालय सहायक/कार्यालय अधीक्षक के पदों पर कार्य करते हुए 5 से 10 वर्ष हो गये हैं और उनके द्वारा जयपुर में स्थानान्तरण चाहने पर भी स्थानान्तरण नहीं किये गये हैं, उनका विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न हैं ।

(3) आवेदन-पत्र आने पर विचार कर समुचित निर्णय लिया जाएगा ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-7 देखें ।)

भाषा विभाग द्वारा हिन्दी शीघ्र-लिपिक प्रशिक्षण

1211. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या भाषा विभाग द्वारा हिन्दी शीघ्रलिपिक प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है ? यदि हां, तो प्रतिवर्ष कितने प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं ?

(2) क्या उक्त सुविधा केवल राज्य कर्मचारियों को ही मिलती है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

(3) क्या निगमों, बोर्डों एवं अन्य निकायों में भाषा विभाग द्वारा प्रशिक्षित कर्मचारियों को सीधी नियुक्ति द्वारा शीघ्रलिपिक के पद पर पदोन्नति दी जा रही है ? यदि हां, तो राज्य कर्मचारियों को इस लाभ से वंचित क्यों रखा जा रहा है ?

(4) क्या पूर्व में इस प्रकार के लाभ कर्मचारियों को मिल रहे थे ? यदि हां, तो अब क्यों, इस पदोन्नति लाभ से कर्मचारियों को वंचित कर दिया गया है ?

(5) क्या राज्य सरकार कर्मचारियों को भी इस प्रशिक्षण में सफलता प्राप्त करने पर शीघ्र लिपिक के पद पर पदोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, प्रशिक्षणार्थियों की संख्या इस बात पर निर्भर रहती है कि विभागाध्यक्षों द्वारा कितने राज्य कर्मचारी प्रशिक्षण हेतु भेजे जाते हैं । प्रशिक्षण का एक सत्र सामान्यतः आठ माह का होता है ।

(2) जी हां, यह सुविधा राज्य कर्मचारी के लिये ही है क्योंकि राज्य सरकार

Page No.44

(शिक्षा मंत्री)

का यह मन्तव्य था कि हिन्दीकरण की नीति को क्रियान्वित करने हेतु अधिक से अधिक राज्य कर्मचारियों को हिन्दी टंकण एवं शीघ्रलिपिक में प्रशिक्षित किया जाए जिससे वे अपने-अपने विभागों में राजकार्य अधिक से अधिक हिन्दी में कर सकें।

(3) निगम, बोर्ड एवं अन्य स्थानीय निकाय आदि स्वायत्तशासी होने के नाते अपने-अपने भर्ती नियमों के अनुसार भर्ती एवं पदोन्नतियां आदि करते हैं। राज्य सरकार के विभागों में शीघ्रलिपिक का पद शत-प्रतिशत सीधी भर्ती का है। अतः पदोन्नति का प्रश्न नहीं उठता है।

(4) प्रश्न के भाग-3 के उत्तर के परिप्रेक्ष में प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) जी नहीं।

शिक्षा विभाग में कार्यरत आशुलिपिक

1212. श्री रामनारायण (नैनवां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग में आशुलिपिक के कितने पद सृजित है तथा उनमें कितने भरे हुए हैं ?

(2) क्या शिक्षा विभाग में कार्यरत सभी आशुलिपिकों की वरिष्ठता सूची नहीं बनाई गई है ? यदि हां, तो अब कब तक बनाकर प्रकाशित कर दी जावेगी ?

(3) क्या निजी सहायक के पद आशुलिपिकों में से वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के जरिए भरे जाते हैं ? यदि हां, तो इस समय निजी सहायक के कितने पद रिक्त हैं तथा उनको कब तक भर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) प्राथमिक एव माध्यमिक शिक्षा विभाग में आशुलिपिक के 60 पद स्वीकृत हैं। इन पदों पर 51 आशुलिपिक कार्यरत हैं।

(2) जी हां। आशुलिपिक की वरिष्ठता सूची 31-3-90 तक की प्रकाशित कर दी गयी है। 1-4-90 से 31-3-94 तक की वरिष्ठता सूची तैयार करने की कार्यवाही चल रही है।

(3) जी हां। निजी सहायक के 13 पद रिक्त हैं। वरिष्ठता सूची पर 23-3-94 तक आपत्तियां आमंत्रित की गयी थी, प्राप्त आपत्तियों के मूल्यांकन एव निराकरण के पश्चात् अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित कर पदोन्नतियां दी जा सकेगी।

संस्कृत शिक्षा, जयपुर का स्टोर प्रकरण

1213. श्री लक्ष्मणसिंह (भीम) :

Page No.45

(श्री लक्ष्मणसिंह)

क्या शिक्षा मंत्री (संस्कृत) यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि संस्कृत शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर का चार्ज भूतपूर्व स्टोर कीपर द्वारा अभी तक नहीं संभलवाया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा चार्ज सम्भलवाने हेतु लिखने के उपरान्त भी सम्बन्धित कर्मचारी ने स्टोर का चार्ज नहीं सम्भलाया है ?

(3) क्या विभाग द्वारा आदेश अवहेलना की स्थिति में सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है ? यदि की गयी है तो क्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि स्टोर में सामान की कमी का अंदेशा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या तत्काल कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) संस्कृत शिक्षा, जयपुर सम्भाग कार्यालय में स्टोर का चार्ज श्री ऋषि शंकर गुजराती, वरिष्ठ लिपिक के पास दिनांक 15-9-88 से दिनांक 3-7-92 तक रहा। विभागीय आदेश दिनांक 30-6-92 के द्वारा उक्त श्री गुजराती का स्थानान्तरण तुरन्त प्रभाव से आदेशित किये जाने पर श्री गुजराती को स्थानान्तरित स्थान के लिये दिनांक 4-7-92 को पूर्वान्ह में कार्यमुक्त कर दिया गया। इनसे स्टोर के चार्ज का आदान-प्रदान नहीं हुआ।

(2) सम्भाग द्वारा इस सम्बन्ध में लिखने पर श्री गुजराती ने दिनांक 28-10-92 से 29-11-92 तक सम्भागीय कार्यालय में उपस्थित होकर केश का चार्ज सम्भला दिया एवं इनको स्टोर का चार्ज पुनः आकर देने हेतु सम्भागीय अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया था। श्रीगुजराती दिनांक 20-1-93 को पुनः सम्भाग में उपस्थित हुए, किन्तु चार्ज का आदान-प्रदान नहीं हुआ। इसके बाद सम्भाग/विभाग द्वारा लिखे जाने पर भी श्री गुजराती द्वारा स्टोर के चार्ज का आदान-प्रदान नहीं किया गया।

(3) श्री गुजराती के विरुद्ध लेखा व स्टोर सम्बन्धी अंकेक्षण-आक्षेपों के संदर्भ में इनको विभागीय पत्र क्रमांक निसंशि/संस्था-4/पी. एफ-52/दिनांक 4-6-93 द्वारा आरोप-पत्र दिया गया हैं। आरोप-पत्र की प्रति संलग्न हैं।

(4) स्टोर में सामान की कमी के अंदेशों के सम्बन्ध में सामान का भौतिक सत्यापन कराकर वस्तुस्थिति के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करायी जा सकेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के विद्यालय

1214. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) किशनगंज विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कौन-कौन से सीनियर, हायर सैकेण्ड्री तथा सैकण्ड्री स्कूल क्रमोन्नत करना प्रस्तावित है ? क्या सरकार भंवरगढ, कलेवाड़ा, नाहरगढ एवं जलवाड़ा के सीनियर हायर सैकण्ड्री तथा रामगढ में सैकण्ड्री स्कूल खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस क्रम में कब से खोले जावेंगे ?

(2) क्या सरकार भंवरगढ व कस्वा-थाना में बालिका माध्यमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष, 1994-95 के लिये उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक में तथा माध्यमिक विद्यालय को सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नति के प्रस्ताव आमंत्रित किये गये है। प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा कर गुणवगुण के आधार पर वित्तीय सीमा में सरकार विद्यालय क्रमोन्नत कर सकेगी।

(2) वर्ष, 1994-95 में प्रस्ताव प्राप्त होने पर सरकार बालिका विद्यालयों के क्रमोन्नति के लक्ष्यों की सीमा में इन विद्यालयों के क्रमोन्नति के प्रस्तावों पर विचार कर सकेगी।

एस. एम. बी. सैकण्ड्री स्कूल अजमेर का संचालन

1215. श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) एस. एम. बी. शिक्षा समिति, रामगंज, अजमेर कब से एस. एम. बी. सैकण्डरी स्कूल चल रही थी ?

(2) क्या यह सही है कि समिति द्वारा वर्ष 1992 में एस. एम. बी. सैकण्डरी स्कूल रामगंज, अजमेर को जिला शिक्षा अधिकारी छात्र संस्थायें अजमेर को सौंप दिया गया था।

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने अपने आदेश संख्या शिविरा अनु/ए/161/18/प्रा. /79-80-82 दिनांक 1-10-1982 के द्वारा प्रबन्ध समिति को भंग कर आर्थिक व प्रशासनिक अधिकार समाप्त कर प्रशासक की नियुक्ति नहीं की ?

(4) क्या यह भी सही है कि 1-10-1982 के पश्चात् से संस्था के कार्यरत कर्मचारियों को केवल सरकार की हिस्सा राशि 60 प्रतिशत व 80 प्रतिशत का भी भुगतान नहीं हो रहा है ?

(5) क्या राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक 11 (6) शिक्षा 6182 दिनांक 6-1-1986 के द्वारा प्रबन्ध समिति की हिस्सा राशि एरियर नहीं मानी जा रही है ?

(6) क्या प्रबन्ध समिति/मैथिल/ब्राह्म शिक्षा समिति में कोई विवाद है ? यदि

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

नहीं तो प्रबन्ध समिति की ऐरियर मानी जा रही हिस्सा राशि 40 व 20 का भुगतान कौन करायेगा ?

(7) क्या सरकार स्वयं ही कर्मचारियों को वेतन भत्ते की राशि निर्धारित दर से कम नहीं दे रही हैं ?

(8) क्या राजस्थान सरकार गैर-सरकारी अनुदानित शिक्षण संस्था 1993 के नियम प्रावधानों के अन्तर्गत एस. एम. बी. के कर्मचारियों को पूर्ण भुगतानें कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) एस. एम. बी. शिक्षा समिति, रामगंज, अजमेर वर्ष, 1970 से माध्यमिक स्तर का विद्यालय चला रही है।

(2) जी हां, राज्य सरकार द्वारा वर्ष, 1984 में संस्था में जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) अजमेर को प्रशासक नियुक्त किया गया था। वर्ष, 1992 में जिला शिक्षा अधिकारी के स्थान पर प्रधानाचार्य, राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजमेर को प्रशासक नियुक्त किया गया है।

(3) निदेशालय के आदेश दिनांक 1-10-82 द्वारा समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) अजमेर को दिये गये थे। राज्य सरकार द्वारा वर्ष, 1984 में जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) अजमेर व 1992 में प्रधानाचार्य राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, अजमेर को प्रशासक नियुक्त किया गया है।

(4) राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक स्तर पर 60 प्रतिशत एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 80 प्रतिशत से भुगतान किया जा रहा है।

(5) जी हां।

(6) संस्था के हिस्से की राशि के भुगतान का दायित्व प्रबन्ध समिति के प्रबन्धकों का होता है।

(7) सरकार अनुदान प्रतिशत को स्वीकृत सीमा में ही भुगतान कर सकती है।

(8) नियमानुसार कर्मचारियों को पूर्ण भुगतान होना चाहिये। किन्तु राज्य सरकार के स्वीकृत अनुदान प्रतिशत से अधिक देय राशि की व्यवस्था संस्था प्रबन्धकों द्वारा ही की जानी होती है।

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र किशनगढ़ के वाचनालय

1216. श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में कहां-कहां वाचनालय हैं ?

(2) क्या सरकार की वाचनालय खोलने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

(श्री जगदीप धनखड़)

(3) क्या राजीव गांधी फाउन्डेशन ने इस सम्बन्ध में कोई राशि दी है? यदि हां, तो दी गई राशि व उसके उपयोग का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र किशनगढ़ में वाचनालय नहीं है।

(2) वाचनालय खोलने सम्बन्धी कोई योजना विचाराधीन नहीं हैं।

(3) अजमेर उत्तर साक्षरता कार्यक्रम में राजीव गांधी फाउन्डेशन के सौजन्य से 25 ग्रामीण वाचनालय खोले जाने हेतु मेमोरेन्डम (एम. ओ. यू.) अनुमोदित कर जिलाधीश अजमेर को भेजा जा चुका है।

जिला जयपुर के विद्यालयों में उर्दू विषय

1217. **श्री जुबेर खां** (रामगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला जयपुर मे किन-किन राजकीय विद्यालयों में उर्दू विषय पढाया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) किन-किन राजकीय विद्यालयों में उर्दू अध्यापकों के अभाव में उर्दू विषय बन्द कर देना पड़ा है?

(3) क्या यह सही है कि जिला जयपुर में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों मे उर्दू विषय के अध्यापकों का स्थानान्तरण अन्यत्र विद्यालयों में, जहां कि उर्दू विषय नहीं पढ़ाया जाता, कर दिया गया है?

(4) उपरोक्त अध्यापक उर्दू विषय पढाने के लिये नियुक्त किये गये थे या किसी अन्य विषय को पढ़ाने के लिये?

उत्तर

(1) जयपुर में उन विद्यालयों की सूची जहां उर्दू पढ़ाया जा रहा है सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) अध्यापक के अभाव में किसी विद्यालय से उर्दू, विषय बन्द नहीं किया गया।

(3) जी नही।

उर्दू विषय के किसी अध्यापक का स्थानान्तरण उर्दू विषय नहीं पढाये जाने वाले विद्यालय में नहीं किया गया।

(4) उर्दू अध्यापक पद पर नियुक्ति उर्दू विषय पढ़ाये जाने हेतु ही की जाती है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-8 देखें।)

आश्रम बालिका छात्रावास, भर (जयपुर) में अनियमितताएं

1218. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री रामस्वरूप मीणा)

(1) तहसील बस्सी के ग्राम भर में आश्रम बालिका छात्रावास के सम्बन्ध में नागरिक दिनांक 17-2-1994 को शिक्षा उप निदेशक जयपुर सम्भाग से मिले थे ? यदि हां, तो उनकी समस्याओं के बारे में उन्हें क्या आश्वासन दिया गया ?

(2) छात्राओं पर 250/-रु. प्रति माह खर्च दर्शाया जाता है ? जबकि 150/-रु. वास्तव में खर्च होते हैं ?

(3) क्या ग्राम भर का छात्रावास जंगल में है, यदि हां, तो क्या वार्डन बच्चियों को अकेली छोड़ती है ?

उत्तर

(1) दिनांक 17-2-94 को तहसील बस्सी के ग्राम भर के नागरिक, भर में चल रहे बालिका छात्रावास के सम्बन्ध में शिकायत लेकर शिक्षा उप निदेशक (महिला) से मिले थे, जिन्हें शिकायत के सम्बन्ध में जांच करवाने का आश्वासन उप निदेशक शिक्षा ने दिया था । उप निदेशक, शिक्षा (महिला), जयपुर के अनुसार उक्त शिकायत की जांच करवा ली गयी है ।

(2) समाज कल्याण विभाग को कम धन-राशि व्यय करने के सन्दर्भ में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(3) जी नहीं ।

(जिला अलवर के सेवानिवृत्त उप प्रधानाचार्य के पेंशन प्रकरण

1219. श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर जिले में दिनांक 31-10-1991 को कितने उप प्रधानाचार्य सेवा निवृत्त हुए थे ?

(2) कितने उप प्रधानाचार्य को उनकी समस्त देय पेंशन आदि राशि का भुगतान कर दिया गया है एवं कितने उप प्रधानाचार्य को अभी तक पेंशन आदि राशि का भुगतान नहीं किया गया है ?

(3) अब तक भुगतान नहीं किये जाने का क्या कारण है ? अब कबतक भुगतान कर दिया जायेगा ?

(4) सरकार विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) अलवर जिले में दिनांक 31-10-91 को उप प्रधानाचार्य व्यावसायिक शिक्षा श्री बाबूलाल गुप्ता सेवा निवृत हुये थे ।

(2) इन्हें अभी तक पेंशन, अंशदान का भुगतान नहीं किया गया हैं ।

(3) श्री बाबूलाल गुप्ता द्वारा 1-1-77 से 14-5-77 तक विशेष

(शिक्षा मन्त्री)

आकस्मिक अवकाश स्वीकृति का वाद माननीय न्यायालय में दर्ज किये जाने के कारण पेन्शन प्रकरण अवकाश स्वीकृति के अभाव में नहीं निपटाया जा सका। माननीय न्यायालय से श्री गुप्ता के पक्ष में निर्णय होने के परिणामस्वरूप अवकाश स्वीकृत कर पेन्शन प्रकरण निदेशक, पेन्शन विभाग, राज. जयपुर को पत्र दिनांक 2-3-94 के द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है। पेन्शन स्वीकृति के पश्चात ही भुगतान किया जा सकेगा।

(4) पेन्शन ग्रेच्युटी आदि के भुगतान के लिये कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं हैं। क्योंकि न्यायालय के निर्णय से पूर्व अवकाश स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं था। अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

तहसील डूंगरगढ़ के उच्च प्राथमिक विद्यालय

1220. श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में तहसील डूंगरगढ़ जिला चूरू के किन-किन ग्रामों में कितने उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं ?

(2) प्रत्येक विद्यालय में कितने-कितने पद कहां-कहां स्वीकृत हैं ? क्या इन पदों में से कुछ पद रिक्त हैं। यदि हां, तो क्यों ? अब इन्हें कब तक भर दिया जायेगा ?

(3) उक्त विद्यालय में कौन-कौन अध्यापक कब-कब से कार्यरत हैं तथा प्रत्येक विद्यालय में छात्रों की संख्या क्या है ?

(4) क्या यह भी सही है कि छात्रों की संख्या को देखते हुए अध्यापकों का पद-स्थापन सही है ? यदि हां, तो किस नियम के तहत ? यदि नहीं, तो अधिक अध्यापक लगाने की सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(5) क्या यह सही है कि तहसील में विद्यालयों को हैण्ड ओवर (कुछ विद्यालयों) किया जाना है ? यदि हां, तो किस-किस विद्यालय को और कब से ?

(6) पूर्व में किन-किन विद्यालयों को कब-कब से राज्य सरकार ने हैण्ड ओवर किये हैं ?

उत्तर

(1) तहसील डूंगरगढ़ जिला चूरू में निम्नलिखित ग्रामों में उच्च प्राथमिक विद्यालय सचालित हैं—

(1) लोठेरा (2) जाखासर (3) सामदसर (4) ठुकरियासर (5) लिखमादेसर (6) कल्याणसर नया (7) तोलियासर (8) गितासर (9) धीरदेसर चोटियान (10) लखासर (11) जैतासर (12) चिग्सावास रामसरा (13) उठरासर (14) पुन्दलसर

Page No.51

(शिक्षा मंत्री)

(15) डेलवा (16) देराजसर (17) धर्मास (18) जोधासर (19) बांपेऊ (20) बीझासर (21) ऊपनी (22) राजेड़ (23) धनेरू (24) लिखमीसर उतराद (25) सुडसर (26) दुसारणा बड़ा (27) कुन्तासर (28) नोसरिया (29) सुरजनसर।

(2) स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। पद रिक्त रहने का मुख्य कारण पदोन्नति, त्यागपत्र एव सेवा-निवृत्ति हैं। रिक्त पदों को आगामी सत्र के प्रारम्भ में भर दिया जावेगा।

(3) विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं छात्रों का विवरण सदन के पटल पर रख दिये गये हैं।

(4) जी हां। विद्यालय उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत होने पर एक वरिष्ठ अध्यापक एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद स्वीकृत किया जाता है। अगले दो वर्षों में 3 पद तृतीय वेतन शृंखला के स्वीकृत किये जाते हैं। विद्यालय में छात्र संख्या बढ़ने से एवं कक्षा खण्डों में वृद्धि होने से मांग के अनुसार वित्तीय सीमा में अतिरिक्त पद सृजित किये जाते हैं।

(5) निम्नलिखित विद्यालयों के भवन अधिग्रहण (हैण्डओवर) की कार्यवाही विभाग में विचाराधीन है। प्रकरणों में कमियां होने के कारण आक्षेप लगाकर लौटाये गये हैं, आक्षेप की पूर्ति होने पर विद्यालय भवन अधिग्रहण (हैण्डओवर) किया जा सकेगा।

(1) राज. मा. वि., सेजूसर।
(2) राज. मा. वि., बिग्गा।

(6) वर्ष 1984 से प्राप्त सूचना के आधार पर चूरू जिले के निम्नलिखित विद्यालय भवनों को विभाग द्वारा अधिग्रहण (हैण्ड ओवर) किया गया है:—

(1) राज. बा. उ. प्रा. वि., गौशाला मार्ग, चूरू।
(2) रा. उ. मा. वि., साहवा
(3) रा. बा. उ. प्रा. वि., ददरेवा
(4) रा. बा. मा. वि., सरदारशहर
(5) रा. प्रा. वि., चूरू
(6) रा. बा. मा. वि., छापर
(7) रा. नवीन प्रा. वि., नं.–2, आड़सरवास, डूंगरगढ़
(8) रा. प्रा. वि., वार्ड नं.–4, राजगढ़
(9) रा. उ. प्रा. वि., साहवा
(10) रा. प्रा. वि., नं.-2, मोमासरवास, डूंगरगढ़

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजेरा (बीकानेर) को क्रमोन्नति

1221. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

गांव राजेरा तहसील बीकानेर की जनसंख्या तथा छात्र संख्या को देखते हुए

(श्री भीमसेन चौधरी)

क्या सरकार प्राथमिक शाला को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

राज्य सरकार ने इस वर्ष 1000 प्राथमिक विद्यालयों को उ. प्रा. विद्यालयो में क्रमोन्नत करने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 94-95 के प्रस्ताव आमन्त्रित किये गये हैं। प्राप्त अन्य प्रस्तावों के साथ प्राथमिक विद्यालय, राजेरा, तहसील बीकानेर को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने पर निर्धारित मानदण्डों एवं गुणावगुण के आधार पर वित्तीय सीमा में विचार कर निर्णय लिया जा सकेगा।

रेफरल अस्पताल माण्डल में सुविधाओं का अभाव

1222. **श्री कालूलाल गुर्जर (माण्डल)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) माण्डल जिला भीलवाड़ा में रैफरल अस्पताल किस तिथि से शुरू किया गया है ?

(2) उक्त रैफरल अस्पताल में कुल कितने डाक्टर्स के पद किस-किस श्रेणी के स्वीकृत है तथा अन्य स्टाफ के भी कौन-कौन से पद स्वीकृत है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त रैफरल अस्पताल में एम्बुलैंस उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों सरकार अब कब तक एम्बुलैंस देने का विचार रखती है ?

(4) क्या उक्त अस्पताल में एक्सरे मशीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार एक्सरे मशीन लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य आदेश दिनांक 29-3-1989 द्वारा माण्डल, जिला भीलवाड़ा में रैफरल अस्पताल स्वीकृत किया गया है ?

(2) माण्डल अस्पताल में डाक्टर्स एवं अन्य स्टाफ के पदों का विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं,

योजना मद में समुचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर, उपादेयता के आधार पर] रोगी वाहन उपलब्ध कराने पर विचार सम्भव हो सकेगा।

(4) जी नहीं,

योजना मद में समुचित वित्तीय संसाधन एवं भवन व्यवस्था के अभाव में।

(5) जी हां, उपादेयता के आधार पर योजना मद में समुचित वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत पर्याप्त भवन व्यवस्था होने पर एक्सरे मशीन उपलब्ध कराने पर विचार करना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट9 देखें।)

बड़े गांव झालीजी का बराना (बून्दी) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना

1223. श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवराय पाटन) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि केशवराय पाटन (बूंदी) तहसील के बड़े गांव झालीजी का बराना के लिये जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा जनसंख्या, पड़ोसी गांवों एवं अन्य बातों को मध्य नजर रखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के प्रस्ताव भेजे गए हैं ? यदि हां, तो जनता की मांग को मध्य नजर रखते हुए सरकार वित्तीय वर्ष 1994-95 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां, प्रस्ताव प्राप्त हुए है, परन्तु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के मापदण्डों के अनुसार केशवराय पाटन तहसील में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के खोलने के लक्ष्य प्राप्त किये जा चुके है, अत: उन पर विचार किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा।

जिला जोधपुर में चिकित्सा सुविधा का विस्तार

1224. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में चिकित्सा सेवा में विस्तार के अन्तर्गत सरकार की क्या-क्या योजनाएं हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें। पी. एच. सी., डिस्पेन्सरी, एडपोस्ट, सब सेण्टर नए खोलने के क्या मापदण्ड है ?

(2) जोधपुर जिले में वर्तमानमें किस-किस क्षेत्र मे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं कहां-कहां पर उपलब्ध करवायी जा रही है ?

(3) बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में किस-किस क्षेत्र की चिकित्सा सुविधा विस्तार करने की सरकार की योजना है ? क्या सरकार ग्राम भाक से डिस्पेन्सरी खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में चिकित्सा सेवाओं विस्तार के अन्तर्गत जो योजनाएं हैं उसका विवरण निम्न प्रकार से है।

(क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना।

(ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना।

Page No.54

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

(ग) नये उपकेन्द्रों की स्थापना।

(ग) कार्यरत चिकित्सलयों में रोगी शैय्याओं की वृद्धि।

(घ) स्वीकृत चिकित्सा संस्थानों पर आवश्यकतानुसार रोगी वाहन, एक्सरे मशीनें एवं अन्य साज समान की पूर्ति।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र में एक लाख की आबादी पर कम से कम एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 1994-95 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने प्रस्तावित नहीं हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

सामान्य क्षेत्र में प्रति 30 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर एक, जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्र में 20 हजार की ग्रामीण, जनसंख्या पर एक। इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास जारी है।

उपकेन्द्र

सामान्य क्षेत्र प्रति 5 हजार की ग्रामीण जन संख्या पर एक।

जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्र में प्रति 3 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर एक।

एडपोस्ट

वर्ष 1993-94 से राज्य में एडपोस्ट/(उच्चीकृत-उपकेन्द्र) स्थापित किये जाने का प्रावधान नहीं है।

(2) जोधपुर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध करायी जा रही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधा का विवरण इस प्रकार से है:—

1. जोधपुर शहरी क्षेत्र।

2. मेडिकल कालेज से संलग्न चिकित्सालय।

3. सेटेलाइट चिकित्सालय एक, सीटी डिस्पेन्सरी 12 एडपोस्ट डिस्पेन्सरी 4

ग्रामीण क्षेत्र

पं. समिति	सा. स्वा. केन्द्र	प्रा. स्वा. केन्द्र	उप केन्द्र (उच्चीकृत)
1. शेरगढ़	1	5	32 (6)
2. बालेश्वर	1	5	38 (5)
3. मण्डोर	—	6	35 (5)
4. फलोदी	1	6	42 (4)
5. बाप	1	5	31 (4)

Page No.55

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

1	2	3	4
6. लूणी	2	6	56 (9)
7. पिपाड़ सिटी	2	8	57.(9)
8. भोपालगढ़	1	7	49 (3)
9. ओसियां	2	13	82 (5)

(3) बिलाड़ा विधान सभा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलाड़ा पर राष्ट्रीय राज मार्ग पर एक्सीडेंटल यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। ग्राम भांक में डिस्पेंसरी खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, क्योंकि इस हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं है।

कालेज ऑफ नर्सिंग, जयपुर में छात्रों के प्रवेश में अनियमितताएं

1225. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कालेज आफ नर्सिंग जयपुर में बी. एस सी. नर्सिंग (सेवारत कर्मचारियों के लिए) में प्रवेश हेतु राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 11-6-1991 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर की एकल खण्ड पीठ ने वाद संख्या 442/92 में अपने निर्णय में दिनांक 17-2-1992 को इस विज्ञप्ति को अवैध घोषित कर दिया? यदि हां, तो क्या इसकी पालना की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विज्ञप्ति तथा न्यायालय के निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इसके उपरान्त भी प्राचार्य, कालेज ऑफ नर्सिंग, जयपुर ने तीन छात्रों की प्रतीक्षा सूची जारी कर दिनांक 22-2-1992 को प्रवेश दिया? यदि हां, तो क्यों? तीनों की शैक्षणिक योग्यता सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त तीनों छात्रों में से एक श्री कामता प्रसाद पुत्र श्री धर्मसिंह, प्रवेश की शैक्षणिक योग्यता पूर्ण नहीं करता? यदि हां, तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 17-2-1992 के द्वारा विज्ञप्ति अवैध घोषित करने के बाद उक्त छात्र को प्रवेश देने का आधार क्या था?

(4) क्या वर्तमान, प्राचार्य, कालेज ऑफ नर्सिंग, जयपुर के विरुद्ध भारी

(श्री महावीर भगोरा)

भ्रष्टाचार एवं प्रवेश में (सेवारत कर्मचारियों के लिए) अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें/ज्ञापन सरकार को प्राप्त हुये ? यदि हां, तो उस पर क्या-क्या-कार्यवाही की गई ? प्राप्त शिकायतों की प्रतियां मय की गई कार्यवाही विवरण के सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या यह भी सही है कि प्राचार्य, कालेज ऑफ नर्सिंग, जयपुर द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत शपथ पत्र में यह झूठ बोला गया कि श्री कामता प्रसाद प्रथम वर्ष विज्ञान से उत्तीर्ण है जबकि उक्त छात्र हायर सैकण्डरी उत्तीर्ण है ?

उत्तर

(1) जी हां । विज्ञप्ति तथा निर्णय की प्रति संलग्न है ।

(2) जी नहीं । उक्त तीन छात्रों को इस कॉलेज में प्रवेश दिनांक 3-2-92 को दिया गया और उन्होंने इस कॉलेज में अपनी उपस्थिति दिनांक 12-2-92 को दी जो कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 17-2-92 के पहले है । तीनों की प्रवेश-पत्र की कापी और शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण-पत्र संलग्न है ।

(3) जी नहीं । श्री कामता प्रसाद पुत्र श्री धर्मसिंह प्रवेश की शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करते हैं । श्री कामता प्रसाद प्रवेश विज्ञप्ति के अनुसार प्रथम वर्ष टी. डी. सी. 45 प्रतिशत अंकों के साथ सभी ऐच्छिक विषयों, फिजिक्स, केमेस्ट्री एवं बायोलोजी में पास है । अनिवार्य विषय हिन्दी में यह अनुपस्थित रहे हैं जिसको कि बी. एस. सी. नर्सिंग के अधिनियम 0.299-ए-6 के अनुसार बी. एस सी. नर्सिंग भाग चतुर्थ की परीक्षा तक पास किया जा सकता है । इनका इस कालेज में प्रवेश दिनांक 3-2-92 को हो गया जो कि माननीय न्यायालय के आदेशों के पहले है । (प्रति संलग्न है)

(4) जी हां । प्राप्त शिकायतों की जांच की जा रही है । (प्रतियां संलग्न है)

(5) जी नहीं । श्री कामता प्रसाद प्रथम वर्ष विज्ञान में सभी ऐच्छिक विषयों, फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायोलाजी एवं अंग्रेजी विषयों में मय 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण है । विषय सामान्य हिन्दी की परीक्षा विश्वविद्यालय के अधिनियम 0.299-ए-6 के अनुसार बी. एस. सी. के भाग चतुर्थ तक की अवधि तक पास की जा सकती है ।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व डिस्पेन्सरी में दवाइयों का वितरण

1226. श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री कन्हैयालाल पाटीदार)

क्या यह सही है कि वर्तमान में जो विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या डिस्पेन्सरी कार्यरत है उनमें अपेक्षा के अनुरूप दवाइयां सप्लाई नहीं की जाती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र की चिकित्सा सुविधा में सुधार लाने की दृष्टि से सप्लाई बढ़ाये जाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं, वित्तीय प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रु. 12,000/- प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (रैफरल अस्पताल में) रु. 1200/- प्रति रोगी शैय्या दवाई सप्लाई करने का प्रावधान है। समुचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

कोटा सम्भाग के प्राइवेट नर्सिंग होम

1227. श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा सम्भाग में कितने प्राइवेट नर्सिंग होम हैं एवं यह नर्सिंग होम कबसे कार्यरत हैं और इनका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन नर्सिंग होम्स में चिकित्सा हेतु किन-किन चिकित्सकों को नियुक्त किया हुआ है एवं उनमें से कितने चिकित्सक सरकारी सेवा में कार्यरत हैं ?

(3) इन नर्सिंग होम्स में किस-किस में शल्य चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है ? शल्य चिकित्सा करने वाले चिकित्सकों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्राइवेट नर्सिंग होम पर सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं होने के कारण कोटा सम्भाग में प्राइवेट नर्सिंग होम से सम्बन्धित प्रश्न का उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं है।

(2) प्राप्त सूचना के आधार पर डॉ. वेद प्रकाश गुप्ता, वरिष्ठ विशेषज्ञ (पेथोलोजी) जैन दिवाकर मेमोरियल ट्रस्ट अस्पताल कोटा में एवं डॉ. श्रीमती चन्द्रप्रभा शर्मा, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी लायन्स हॉस्पीटल एवं मेटर्निटी होम, कोटा में क्रमशः दिनांक 1-7-92 एवं 30-6-92 से प्रतिनियुक्ति पर है।

(3) इन प्राइवेट नर्सिंग होम्स के नियन्त्रण के बारे के कोई नियमावली नहीं होने से शल्य चिकित्सा की सुविधा के बारे में अवगत कराया जाना सम्भव नहीं है।

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र पिड़ावा में चिकित्सा सुविधा

1228. श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र पिड़ावा में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय या पंचायत क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो ऐसे कितने और कौन-कौन से पंचायत क्षेत्र है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिन पंचायत मुख्यालयों या पंचायत क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा नहीं है वहां सरकार चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा के 8 पंचायत मुख्यालय/पंचायत क्षेत्र में चिकित्सा संस्था स्वीकृत नहीं है, सूची सदन की पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी नहीं।

जिन क्षेत्रों में चिकित्सा केन्द्र नहीं है उनमें पास के चिकित्सा केन्द्रों के माध्यम से चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही है।

भारत सरकार से वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर विसंगती को दूर करने की दृष्टि से जिन ग्रामों में उप केन्द्रों का अभाव है, उन ग्रामों के साथ-साथ उपकेन्द्र खोलने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें।)

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र लाडनूं के चिकित्सालयों में डाक्टर के रिक्त पद

1229. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में कौन-कौन से चिकित्सालयों में डाक्टरों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से कहां-कहां पर कितने-कितने डाक्टर के पद कब-कब से रिक्त हैं ?

(2) कस्बा लाडनूं के चिकित्सालय में किस-किस स्तर के डाक्टरों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनके विरुद्ध कौन-कौन से डाक्टर लगे हुये हैं ? क्या सरकार स्वीकृत पदों के अनुसार डाक्टरों की नियुक्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लाडनूं के चिकित्सालयों में डाक्टरों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण संलग्न है।

(2) कस्बा लाडनूं के चिकित्सालयों में डाक्टरों के स्वीकृत पद व कार्यरत चिकित्सकों का विवरण संलग्न है। स्वीकृत पदों

Page No.59

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री)

के अनुसार डाक्टरों के नियुक्ति करने की प्रक्रिया जारी है, विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से भरे जाने वाले पद 6 माह में तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित डाक्टरों की नियुक्ति माह अप्रेल, 1994 तक रिक्त पदों को भरना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-11 देखें।)

ग्राम भादासर तहसील सरदार शहर में नसबन्दी शिविर

1230. श्री नरेन्द्र बुडानिया (सरदार शहर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 16-2-1994 को ग्राम भादासर, तहसील सरदार शहर में नसबन्दी शिविर लगाया गया था? यदि हां, तो कितनी व किन-किन की नसबन्दी की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस शिविर में श्रीमती रुकमा पत्नी डूंगरराम ग्राम भादासर की नसबन्दी की गई? यदि हां, तो क्या वह गर्भवती थी?

(3) क्या यह भी सही है कि श्रीमती भीवाराम की नसबन्दी गर्भवती होने के कारण नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार डाक्टर के विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, दिनांक 16-2-94 को ग्राम भादासर तहसील सरदार शहर में नसबन्दी शिविर लगाया गया था, जिसमें 22 महिलाओं की नसबन्दी के आपरेशन किये गये। सूची संलग्न है।

(2) जी हां, इस शिविर में श्रीमती रुकमा पत्नि श्री डूंगरराम ग्राम भादासर की नसबन्दी की गई। श्रीमती रुकमा नसबन्दी आपरेशन के समय गर्भवती थी।

(3) हां, यह सही है। श्रीमती भीवाराम की नसबन्दी का आपरेशन निम्न कारणों से नहीं किया गया :—

1. वह गर्भवती थी।

2. इसकी फिलोपियन ट्यूब अत्यधिक मोटी व फ्राइबल थी जिससे रिंग लगाना बहुत मुश्किल व असम्भव था। अगर फिर भी यदि नसबन्दी करने की कोशिश की जाती तो अत्यधिक रक्तस्राव होने का खतरा था, जिससे मरीज के जीवन को खतरा होने की सम्भावना भी थी, इसलिए आपरेशन मरीज के हित में नहीं किया गया।

Page No.60

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री)

(1) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें ।)

प्राथमिक स्वास्थ्य व उपस्वास्थ्य केन्द्र

1231. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में वर्ष 1989-90 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उपस्वास्थ्य केन्द्र खोले गये थे ? यदि हां, तो नामावली सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि इनमें से कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र पुनः वर्ष 1990-91 में बन्द कर दिये गये थे ? यदि हां, तो उनके नाम एव कारण सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि उक्त केन्द्र बजट प्रावधान से अधिक खोलने के कारण बन्द किये गये थे ? यदि हां, तो वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94 में इनको प्राथमिकता नहीं देने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, नामावली सदन की पटल पर रख दी गयी है ।

(2) केवल ग्यारह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जो लक्ष्य के अतिरिक्त स्वीकृत किये गये थे, को निरस्त किया गया ।

नामों की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

(3) जी हां, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लक्ष्य से अधिक होने के कारण बन्द किये गये थे ।

1. उपादेयता के आधार को देखते हुए वित्तीय संसाधनों के अभाव में इन ग्रामों में पुनः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने बाबत अभी तक विचार किया जाना सम्भव नहीं हो सका ।

जिला धौलपुर के रैफरल अस्पताल

1232. श्री दलजीतसिंह (बाड़ी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला धौलपुर में कुल कितने रैफरल अस्पताल कहां-कहां स्थापित हैं ? सूची विधान सभा क्षेत्रवार सदन की पटल पर रखें ।

(2) क्या सरकार की नीति जनता को संवेदनशील प्रशासन प्रदान करने की है ? यदि हां, तो क्या गरीब ग्रामीण व शहरी जनता को स्वास्थ्य सेवायें पर्याप्त मात्रा में मुहैय्या कराना भी उक्त नीति में सम्मिलित है ? यदि हां, तो क्या सरकार

(श्री दलजीतसिंह)

बाड़ी विधान सभा क्षेत्र में संचालित रैफरल अस्पतालों को पर्याप्त समझती है ? यदि नहीं, तो सरकार उक्त क्षेत्र में कहां-कहां व कब तक पर्याप्त चिकित्सालय स्वीकृत करने का विचार रखती हैं ?

उत्तर

(1) जिला धौलपुर में तीन रैफरल अस्पताल निम्न स्थानों पर स्थापित हैं :—

1. बाड़ी, विधान सभा क्षेत्र बाड़ी

2. बसेड़ी, विधान सभा क्षेत्र बयाना

3. राजाखेड़ा, विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा।

(2) जी हां,

बाड़ी विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत समिति में कम से कम एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/रैफरल अस्पताल स्थापित किये जाने की दृष्टि से रैफरल अस्पतालों की संख्या पर्याप्त है इसलिये वर्ष 1994-95 में नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन होना नहीं पाया जाता।

अतारांकित प्रश्न संख्या 1233
(स्थगित)

अतारांकित प्रश्न संख्या 1234
(स्थगित)

कामवन (भरतपुर) पर्यटन स्थल का विकास

1235. **श्री तैय्यब हुसैन** (कामां) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भरतपुर जिले के कामां प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कामवन कामां पर्यटक दर्शनार्थ श्रद्धालु तीर्थ यात्रियों का आवागमन रहता है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार इस तीर्थ स्थल के लिए पड़ौसी राज्य उत्तरप्रदेश के मथुरा, गोवर्धन, बरसाना नन्दगांव आदि की तरह योजना बना रही है ?

(3) यदि हां, तो कब तक और किस-किस प्रकार से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(3) इसका प्रश्न ही नहीं है।

प्रदेश के गढ़ों व किलों पर व्यय

1236. **श्री नारायण सिंह** (दांतारामगढ़), **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) एवं डॉ. **श्री** हरिसिंह (फुलेरा) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री नारायणसिंह)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में विभिन्न गढ़ों एवं किलों पर राजकीय कोष से संधारण मरम्मत एवं विकास कार्यों पर वर्ष 1990-91 से 1993-94 में धनराशि व्यय की गयी है ? यदि हां, तो किस-किस गढ़ एवं किलों पर कितनी-कितनी राशि उक्त अवधि में व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या संस्कृति एवं प्राचीन धरोहर तथा कला पर राजकीय राशि व्यय करने का कोई निर्णय सरकार ने किया है ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि निजी गढ़ों और किलों पर राशि राज्य कोष से व्यय करने की कोई शर्तें निर्धारित की गई हैं ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 1990-91 से 1993-94 तक विभिन्न गढ़ों एवं किलों के विकास पर व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(2) राज्य की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा कलात्मक धरोहर को संरक्षण प्रदान करने के लिए राजस्थान धरोहर कोष की स्थापना की गयी है, जिसके नियमों का प्रारूप विचाराधीन है।

(3) जी नहीं। निजी गढ़ों, किलों पर राज्य कोष से व्यय करने की कोई शर्त राज्य सरकार ने निर्धारित नहीं की है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-13देखें।)

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र दानपुर की जवाहर रोजगार योजना

1237. श्री दलीचन्द (दानपुर) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र दानपुर की विभिन्न ग्राम पंचायतों में वर्ष 1991 से अब तक जवाहर रोजगार योजना प्रथम व द्वितीय में कितने-कितने कार्य स्वीकृत किये गये ? विवरण ग्रामवार व कार्यवार सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्रामवार कितने-कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं कितने-कितने कार्य बकाया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दानपुर की पंचायत समिति तलवाड़ा, बागीदौरा एवं पीपलखूंट की विभिन्न ग्राम पंचायतों में वर्ष 1991 से अब तक जवाहर रोजगार योजना में 1995 कार्य एवं जवाहर

(विशिष्ठ योजना संगठन राज्य मंत्री)

रोजगार योजना द्वितीय धारा में 83 कार्य स्वीकृत किये गये। ग्रामवार व कार्यवार विवरण सलग्न कर प्रस्तुत है।

(2) ग्रामवार पूर्ण एवं बकाया कार्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ट में प्रस्तुत है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

जिला जोधपुर में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

1238. **श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाडा): क्या विशिष्ठ योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विशिष्ठ योजना संगठन द्वारा वर्तमान में कौन-कौनसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास कार्य किया जाता है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जोधपुर जिले में कौन-कौन सी योजनाओं के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य गत वर्ष स्वीकृत किये गये हैं? किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत कौन-कौन से प्रस्ताव डी. आर. डी. ए. को प्राप्त हुये हैं? इन प्रस्तावों को स्वीकृत करने के क्या आधार व मानदण्ड हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विशिष्ठ योजना एवं एकीकृत ग्रामीण विभाग द्वारा वर्तमान में जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, जीवन धारा, इन्दिरा आवास, मरू विकास एवं सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, तीस-जिले तीस काम, अपना गांव अपना काम, निर्बन्ध राशि योजना, बंजर भूमि विकास व सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं के माध्यम से भूमि विकास एवं आद्रता-संरक्षण, जल संसाधन विकास, वनारोपण एवं चारागाह विकास, पशु पेयजल, फलोद्यान, मत्स्य पालन, शाला भवनों का निर्माण, आवास निर्माण, पंचायत भवनों व उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण, सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण, सामाजिक वानिकी कार्य, ग्रेवल सड़कों का निर्माण, सामुदायिक जलोत्थान, सिंचाई योजनाओं के सृजन आदि के विकास कार्य कराये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं भी क्रियान्वित की जा रही है।

(2) जोधपुर जिले में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल 1806 निर्माण कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे उनमें से योजनाओं के तहत सम्बन्धित वर्ष में निर्धारित दिशा निर्देशों एवं मापदण्डों जिनका विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है के आधार पर उपयुक्त पाये जाने पर 1619 प्रस्ताव स्वीकृत किये गये। योजनावार विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

पंचायत समिति डग में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम योजना

1239. श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : क्या विशिष्ठ योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) डग पंचायत समिति में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम योजना कब लागू की गई थी ? क्या वर्ष 1993 तक के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या इस योजना के अन्तर्गत जनता की भागीदारी के साथ कार्य करने का लक्ष्य रखा गया था या मात्र विभागीय कार्य करवाने थे ?

(3) क्या योजना को सुचारू रूप से चलाने एवं नियंत्रण हेतु पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) झालावाड़ की डग पंचायत समिति में बंजर भूमि विकास योजना वर्ष 1992 में लागू की गई थी भारत सरकार द्वारा राशि देरी से प्राप्त होने के कारण वर्ष 1993 तक के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी है ।

(2) जी नहीं । इस योजनान्तगर्त जनता की भागीदारी से कार्य करवाने का लक्ष्य नहीं रखा गया था । केवल विभागीय स्तर पर ही कार्य कराये जाने का प्रावधान था ।

(3) जी हां, स्टाफ का सृजन कर दिया गया है तथा कुछ पदों पर पदस्थापन कर दिया गया है ।

तहसील बीकानेर की हरिजन बस्तियां

1240. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार ने बीकानेर तहसील की हरिजन बस्तियों की पहचान की है ? यदि हां, तो किन-किन बस्तियों की ?

(2) उक्त हरिजन बस्तियों को अब तक विद्युतिकृत नहीं किये जाने के क्या कारण है एवं विभाग इस संबंध में क्या प्रयास कर रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां, पहचान की गयी बस्तियों की सूची परिशिष्ट (1) पर सलग्न है ।

(2) बीकानेर तहसील की हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण की योजना चालू है । इससे अन्तर्गत मार्च, 94 तक 47 हरिजन बस्तियां विद्युतीकृत हो चुकि हैं तथा शेष 26 हरिजन बस्तियां अगले वर्षो में विद्युतीकृत की जा रही है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें ।)

Page No.65

पशुपालन विभाग का गोपालन व एकीकृत योजना कार्यक्रम

1241. श्री प्रभूराम गरासिया (पिंडवाड़ा) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) जयपुर जिले में पशुपालन विभाग द्वारा गोपालन एवं एकीकृत योजना कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारम्भ किया गया ? यह योजना अन्य किस-किस जिले में लागू है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनान्तर्गत कर्मचारियों, गोपालकों, वाहन संधारण, दवाईयों, औजारों आदि मदों पर कितनी-कितनी रकम सरकार द्वारा स्वीकृत की गई ? वर्ष 1990 से 1992-93 तक कितनी राशि व्यय की तथा इस योजना से राजस्थान के कितने पशुपालकों को लाभान्वित किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर जिले में एकीकृत पशु विकास योजना एवं गोपालन कार्यक्रम वर्ष 1991 से प्रारम्भ किया गया है। योजना जयपुर संभाग में जयपुर, अलवर, भरतपुर, सीकर, दौसा जिलों में कार्यरत है।

(2) वर्ष 1992-93 में सहायतार्थ अनुदान दवाईयां, वेतन, यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता, कार्यालय व्यय औजारों आदि का कुल राशि रु. सात लाख चालीस हजार आवंटित की गई थी जिसमें से छः लाख अस्सी हजार रुपये व्यय किये गये। इस योजना से जयपुर जिले में वर्ष 92-93 में लगभग 60 हजार व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। मुख्यत: टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान चिकित्सा इत्यादि इत्यादि से।

जिला पशुपालन अधिकारी, जयपुर का जांच प्रकरण

1242. श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला पशुपालन अधिकारी जयपुर के पद पर अप्रेल 1986 से सितम्बर 1988 तक कौन अधिकारी नियुक्त था ?

(2) क्या इस अवधि का आडिट हुआ है ? यदि हां, तो जिलाधिकारी के विरुद्ध क्या आक्षेप थे और क्या इस अधिकारी के विरुद्ध जांच की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि इस अधिकारी के आडिट आक्षेपों में लिप्त होते हुये भी इसको जांच प्रशाखा का प्रभारी बना दिया ? यदि हां, तो क्यों और आपेक्ष में अथवा आडिट की प्राथमिक जांच में दोषी होते हुये भी इसको पदोन्नति क्यों दी गई ?

(4) क्या यह सही है कि आडिट पार्टी ने जांच रिपोर्ट अगस्त 1989 में विभाग

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

को प्रस्तुत की और उक्त अधिकारी को पदोन्नत करने के बाद जांच प्रकरण जनवरी, 1993 से प्रारम्भ किया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? इस प्रकार की कार्यवाही एवं विलम्ब के लिये कौन जिम्मेदार हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) अप्रेल, 1986 से सितम्बर, 1988 तक डा. एस. एम. सक्सेना जिला पशुपालन अधिकारी जयपुर के पद पर नियुक्त थे ।

(2) जी हां, इस अवधि का आडिट करवाया गया आडिट रिपोर्ट में जिला पशुपालन अधिकारी के विरूद्ध परिवेक्षण लापरवाही का आक्षेप लगाया गया था । परन्तु जांच के पश्चात यह आक्षेप सिद्ध नहीं हुआ ।

(3) जी हां । आक्षेप गंभीर नहीं होने के कारण तथा कोई प्रमाण नहीं होने के कारण इनको निदेशालय की जांच शाखा का प्रभारी बनाया गया जिसमें इस प्रकरण का कोई सम्बन्ध नहीं था । प्रमाण के अभाव में किसी भी व्यक्ति की पदोन्नति नहीं रोकी जा सकती है ।

(4) जी नहीं । इस प्रकरण की जांच प्रारम्भ में डा. वी. एस. मलिक संयुक्त निदेशक (प्रशासन) को दी गई थी । उनके जून-1990 में सेवानिवृत हो जाने के पश्चात डा. डी. एस. भण्डारी संयुक्त निदेशक (प्रशासन) (प्रोजेक्ट) को दी गई । डा. भण्डारी के निदेशक के पद का कार्य ग्रहण करने के कारण कार्य की अधिकता होने से यह जांच डा. आई. डी. माथुर तत्कालीन उप निदेशक (क्षेत्र जयपुर) को दे दी गई थी । डा. आई डी. माथुर के द्वारा जांच पूर्ण की जाकर निदेशक पशुपालन विभाग को प्रस्तुत की गई । जांच प्रकरण 1993 में नहीं, वर्ष 1992 में ही पूर्ण कर दिया गया था ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त नहीं हुई है:—

(1) श्री किशन मोटवानी एवं तीन अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर एवं राजसमन्द जिलों में पेयजल की गंभीर समस्या से जनता में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में ।

राज्य मे पेयजल की समस्या के सम्बन्ध मे कल दिनांक 4 अप्रेल, 1994 को व्यापक चर्चा हो चुकी है । उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नही है । अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं ।

(2) श्री हीरालाल (बामनवास) एवं 5 अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाईमाधोपुर जिले की तहसील बौंली के

(श्री अध्यक्ष)

ग्राम बन्धावल में सरसों के खलिहानों में हुए भीषण अग्निकाण्ड से पीडित काश्तकारों को राहत पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को दो मिनिट इस विषय पर बोलने की अनुमति होगी।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गयी है:—

(3) श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा बैराज की दायीं मुख्य नहर से निकाली गयी इटावा ई. बी. सी. व लक्ष्मीपुर डिस्ट्रीब्यूटरी के अन्तिम छोर तक पानी नहीं पहुंचने से किसानों की फसल के नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि कोटा बैराज से निकाली गयी दायीं मुख्य नहर से जिसके द्वारा कुल 3 लाख एकड से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जाती है, राजस्थान राज्य के अन्तिम क्षेत्र में कोटा से नहर पर 103 किलोमीटर की दूरी पर इटावा ब्रान्च (जिसे ई. बी. सी. भी कहा जाता है) निकलती है जिसके भी 65 किलोमीटर दूर पर टेल के गांव बागली, ककरावदा इत्यादि स्थित हैं। इसी प्रकार दायीं मुख्य नहर में 105 किलोमीटर में अयाना ब्रांच निकलती है। उससे भी लक्ष्मीपुर डिस्ट्रीब्यूटरी के 40 किलोमीटर क्षेत्र के अन्तिम छोर पर ग्राम डूंगरली एवं पसोद की भूमि है। यहां नहरें कच्ची हैं एवं मिट्टी की हैं, जिनकी लाइनिंग नहीं हुई है। इन कच्ची नहरों एवं माइनरों के लगभग 30-35 वर्ष पुरानी होने के कारण एवं क्षमता से अधिक सिंचाई करने के कारण पानी पहुंचाने में समय लगता है एवं अधिकतर अन्तिम छोर का कुछ क्षेत्र असिंचित रहता है।

इस वर्ष दायीं मुख्य नहर में नवम्बर मास में ही वीड-ग्रोथ होने के कारण लगभग 20 प्रतिशत पानी कम प्रवाहित हुआ एवं दिसम्बर माह से मार्च तक पूरे क्षेत्र में पानी की कमी रही जिसके कारण पानी पहुंचने में बहुत कठिनाई आयी फिर भी दोनों नहरों में गत वर्षों के लगभग बराबर ही पानी दिया गया है।

यहां यह भी वर्णित करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि टेल की समस्या मूल रूप से स्वयं कुछ कृषकों द्वारा ही उत्पन्न की जाती है जो काश्तकार नहर के ऊपरी हिस्से पर बैठे हैं, वे अक्सर बिना किसी प्रकार का अनुशासन निभाये पानी को व्यर्थ बहाते हैं अथवा बार-बार व अनुपात से अधिक पानी ले डालते हैं।

यह सही नहीं है कि प्रशासन द्वारा सिंचाई रिकार्ड का पिछले साल के बराबर बताने के लिए जिन क्षेत्रों में सिंचाई नहीं हुई है उनको सिंचित क्षेत्र में शामिल किया जा रहा है। जिन्हें पानी नहीं दिया गया

(श्री अध्यक्ष)

उनकी सिचाई दर्ज नहीं की गयी है और न ही कोई सिचाई शुल्क या कोई और राशि इनके नाम लिख दी गयी है। न तो ऐसा किया गया है और न ही ऐसा किया जाना प्रस्तावित है। जिन्होंने सिचाई हेतु पानी नहीं लिया उनके नाम कोई सिचांई कर की राशि नहीं लिखी जावेगी। उपरोक्त परिस्थितियों में कोई मुआवजा देने का नियमों में प्रावधान नहीं है।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव

(1) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुंझुनूं जिले की पंचायत समिति अलसीसर के ग्राम दिलोई में प्रशासक, ग्राम सेवक एवं विकास अधिकारी द्वारा गैरकानूनी रूप से गोचर भूमि के पट्टे दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सांगानेर थाना क्षेत्र में दिनांक 21-3-94 को सीमा शर्मा की कथित दहेज के कारण की गयी हत्या की जांच सी. बी. आई. से करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्रीमती इन्दिरा मायाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से सेवा निवृत राज्य कर्मचारियों को आयुर्वेदिक दवाओं को, एलोपैथिक दवाओं की भांति उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री शैलेन्द्र जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील दौसा के ग्राम बापी के खसरा नम्बर 309 की गैर मुमकिन भूमि पर अनधिकृत कब्जे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी, सदस्य, विधान सभा की ओर से अतिरिक्त तहसील बिजौलिया को पूर्ण तहसील का दर्जा दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री श्रवण कुमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम सुल्ताना शहर के ग्राम चौक में भरे, गन्दे पानी को ड्रेन बना कर निकलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से महिला एवं बाल विकास परियोजना, सागवाडा, जिला डूंगरपुर में कार्यरत एक जनजाति ड्राइवर को कागजी हेराफेरी द्वारा सेवा से निकाले जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री अमराराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से पुलिस निरीक्षक प्रमोशन केडर कोर्स 1993 का परिणाम एक वर्ष बाद भी घोषित नहीं करने से निरीक्षकों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।

(9) श्री राजेन्द्र गहलोत, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य वित्त निगम द्वारा दिये जा रहे ऋण में

(श्री अध्यक्ष)

अधिकारियों की कथित मिली-भगत से की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(10) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर एवं जयपुर जिले में खनिज विभाग के कई नाके बन्द किये जाने से करोड़ों रुपये की राजस्व हानि के सम्बन्ध में।

(11) श्री कन्हैयालाल पाटीदार, सदस्य, विधान सभा की ओर से चिड़ावा सोयत सड़क मार्ग की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री रामगोपाल बैरवा सदस्य, विधान सभा की ओर से वर्ष 1992-93 में शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र प्राप्त किये हुए विद्यार्थियों के परिणाम शिक्षा विभाग द्वारा घोषित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री हरिसिंह कुम्हेर, सदस्य, विधान सभा की ओर से कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र के कतिपय गांवों में पेयजल आपूर्ति हेतु स्वीकृत विभिन्न योजनाएं अधूरी रहने से ग्रामवासियों को हो रही पेयजल समस्या के सम्बन्ध में।

(14) श्री राकेश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र परबतसर के ग्राम गच्छीपुरा मे घनी आबादी के बीच में गन्दे पानी के नाले से उत्पन्न हुई स्थिति सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को पढ़ने की अनुमति होगी।

मेरे पास शून्य काल के लिए लगभग 70 माननीय सदस्यों की चिटें आयी हैं और मैं समझता हूं कि....

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : 295 पढ़े हुए मान लिये जाएं।

श्री अध्यक्ष : 295 पढ़े हुए क्यों मान लिये जाएं ? एक मेरा निवेदन और है कि इस शून्यकाल में जो प्रश्न उठाये जा रहे हैं उसमें से अधिकांश ऐसे हैं जो तात्कालिक नहीं हैं। या तो वह नियमित समस्याएं हैं जिसका अभी कोई तत्काल समाधान होने की सम्भावना नहीं है। केवल उल्लेख करने के लिए उल्लेख किये जा रहे हैं तो मैं समझता हूं अब आप बोलना ही चाहते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आप दो-दो मिनट में केवल उस समस्या की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करें, ज्यादा लम्बा भाषण नहीं दें। पहले श्री हीरालाल, बामनवास को एडजोर्नमेंट मोशन पर बोलने के लिए दो मिनट का....

अनेक माननीय सदस्य : हमारा नाम नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : सब का नाम आ जाएगा।

श्री किशन मोटवानी : (अजमेर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, उसमें मेरा

Page No.70

(श्री किशन मोटवानी)

एक पालिटिकल अप्रोच जो हुई है उस सन्दर्भ में भी है।

श्री अध्यक्ष : वह तो कल बहस हो गयी।

श्री किशन मोटवानी : सर उसमें नहीं तो इसी पर चूंकि एडजोर्नमेंट मोशन पर दो मिनिट बोलना चाहता हूं, ज्यादा नहीं।

श्री अध्यक्ष : अब आप देखिये, फिर वह नया चैप्टर खुल जायेगा। आप बाद में.......... (व्यवधान) श्री हीरालाल, बामनवास।

श्रीमती कमला (बैराठ) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो काश्तकारों के खलिहानों में आग लगने से उनका सारा उत्पादन जल गया है

श्री अध्यक्ष : वह उसी पर बोल रहे हैं।

श्रीमती कमला : उसको आपने रिजेक्ट कर दिया है। मेरा निवेदन है उसको आप राज्य सरकार को भेजेंगे तो उनको कोई मुआवजा मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : उसी पर बोलने की अनुमति दी है।

श्रीमती कमला : बोलने को तो कह दिया आपने लेकिन....

श्री अध्यक्ष : बोलने की अनुमति दी है।

श्रीमती कमला : राज्य सरकार को भी ...

श्री अध्यक्ष : वह तो भेजा ही है। मगर उनको तो अवसर दे दिया है। जवाब के लिए भेजा हुआ है, आया नहीं है मगर उनको बोलना है।

श्री हीरालाल (बामनवास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरी तहसील बौंली के ग्राम बन्धावल में पांच व्यक्तियों के खलिहान में सारी फसल जल जाने के सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने आज तक उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। उन लोगों के खाने-पीने और 12 माह का जो भी साधन था वह सारा खतम हो गया, एक ट्रेक्टर की ट्रोली जल गयी। मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा कि तुरन्त इसके जरिये सहायता दिलाने की कृपा करें। पूर्व में भी ग्राम सिवाड़ में आग लगने से 10 व्यक्तियों की फसल जल गयी उसके लिए सरकार ने, मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि मैं इसकी जानकारी ले कर के इस सदन मे घोषणा करूंगा।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आज तक घोषणा नहीं करी कि क्या उनको सहायता दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं। उनका तो 12 माह का सारा राशन खतम हो गया। 12 माह तक उधार ले कर के खा रहे हैं, कपड़ा लत्ता, डीजल, पानी सभी उनमें खर्च

(श्री हीरालाल)

हुआ जो सारा नष्ट हो गया। अतः मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि सरकार आज ही घोषणा करे कि उनको क्या सहायता देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रिछपाल सिंह।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा भी नाम था।

श्री अध्यक्ष : आपका आ जायेगा।

श्री परसादीलाल मीणा : पहले भी इस मामले को हमने उठाया था जब यह कहा था कि मैं जानकारी मंगवा कर इसमें मदद करूंगा। उनको अभी तक कोई सहायता नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष : जानकारी तो मंगवा ही रहा हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, हमारा भी नाम था ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जानकारी मंगा रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है। हमारे क्षेत्र में बरोज में भी इसी प्रकार घर जल गये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री रिछपाल सिंह जी ....(व्यवधान) श्री रिछपालसिंह जी को बोलने दीजिये। सबका मौका आने दीजिये ना।

श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान ग्राम कुचेरा जिला नागौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की तरफ ले जाना चाहता हूं। ग्राम कुचेरा 17 हजार की आबादी का गांव है और लम्बे समय से करीब डेढ़ साल से यहां महिला चिकित्सक नहीं है जिससे करीब एक लाख की आबादी प्रभावित होती है। आसपास के पचास गांव लगते हैं और महिला चिकित्सक है नहीं। आज महिलाओं को कोई भी बीमारी होती है, मजबूरी में उनको डाक्टर को दिखाना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि अविलम्ब वहां महिला चिकित्सक की नियुक्ति करावें। अस्पताल कुचेरा में एक्सरे मशीन लगी तब से ही खराब पड़ी है। आज तक वहां किसी ने एक्सरे मशीन का लाभ नहीं उठाया। एक एम्बुलेंस वहां है उसकी हालत यह है कि कोई मरीज जाए तो पहले लाओ बैटरी, फिर उस एम्बुलेंस को स्टार्ट करवाओ, डीजल की टंकी भरवाओ और फिर उस एम्बुलेंस में मरीज को ले जाने की व्यवस्था होती है। तो यह एम्बुलेंस की हालत है। एक्सरे मशीन बन्द पड़ी है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि कुचेरा गांव बड़ा कस्बा है और इसके आस-पास के पचास

(श्री रिछपाल सिंह)

गांव इसी हास्पिटल में आते हैं इसलिए इसकी व्यवस्था को सुधारा जाए और वहां लेडी डाक्टर की नियुक्ति की जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री धारीवाल।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : अध्यक्ष महोदय, चम्बल बेसिन के काश्तकारों में जो कर्जा है, सरकार ने भी ओ.एफ. डी. का करवाया है और यह ओ. एफ. डी. का काम पिछले कोई 15-20 सालों से चल रहा है और जितने भी मुख्य मंत्री बने, उन्होंने सबने ओ एफ. डी. का कर्जा माफ करने के लिए जगह-जगह पर भाषण दिये लेकिन आज तक उन काश्तकारों का कोई कर्जा माफ नहीं हुआ और बैंक का ब्याज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अभी एक सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए जब काश्तकारों ने बिजली मंत्रीजी के सामने शिकायत की तो उन्होंने यह कहा कि रकम मत चुकाओ, अगर बैंक का नोटिस आता है, वारण्ट या कुर्की आती है तो मेरे पास सीधे चले आओ, मैं मुख्य मंत्रीजी से मामला रुकवा दूंगा। मेरा अर्ज करना यह है कि बराबर इस तरीके में उन काश्तकारों के पास नोटिसेज आ रहे हैं और ब्याज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। मैं, यह पूछना चाहता हूं कि सरकार ने अगर यह घोषणा कर दी तो फिर यह नोटिसेज उनके पास क्यों आते हैं ? हर बार सरकार द्वारा उन काश्तकारों को असत्य आश्वासन देकर कि ओ. एफ. डी. का कर्जा माफ कर दिया गया, पैसा मत चुकाओ, उन पर और वजन लादा जा रहा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ करना है, अगर आपको कर्जा माफ करना है तो सदन में उसकी घोषणा की जाए और अगर कर्जा माफ आप नहीं कर सकते हैं तो वैसा कह दें। बहाना यह लिया जाता है कि केन्द्र सरकार पहले ब्याज माफ करे। तो केन्द्र सरकार से आज तक आपकी इस बारे में क्या बातचीत हुई है यह बताया जावे और इन काश्तकारों को रिलीफ दी जावे। जितने ओ एफ डी. के काम हुए हैं वह सब स्टेण्डर्ड काम हुए हैं। जहां पर तीन-तीन किलोमीटर लम्बे धोरे बनाये गये हैं, जिन खेतों में पानी लगता था ओ. एफ. डी. के कामों के बाद उनमें पानी नहीं लगता। जिन काश्तकारों की जमीनों में कुए थे वह री-अलाटमेंट में दूसरों को दे दिये गये। इस प्रकार की हजारों शिकायतें वहां पर मौजूद हैं, विद्यमान हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) : मेरे नाम की चर्चा हुई है....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आरोप नहीं है। गलत तो नहीं कहा है मैंने।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आपने बहुत अच्छे सेंस में कहा है और मैं आपको यह भी बता दूं कि आपका दर्द बहुत वाजिब है

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

लेकिन दर्द आपको बहुत देर मे उठा। जब आपकी सरकार थी, सो रहे थे, तब नहीं उठा। उसका और हमारा दर्द एक ही इसमें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सरकार पहली बार नहीं बनी है आपकी। तीसरी बार आपकी सरकार बनी है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, दर्द की दवा होनी चाहिये। आप कीजिये, चाहे कोई भी कीजिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मेरा यह निवेदन है कि उनकी भावना और मेरी भावना इसमें एक है। सरकार के बजट भाषण में भी मुख्य मंत्री ने यह लिखा हुआ है कि कैचमेंट की वसूली पर रोक लगा दी गयी है और····

श्री शांतिकुमार धारीवाल : और उसके बावजूद भी यह नोटिसेज आये हैं। यह नोटिसेज दो तीन रोज के अन्दर-अन्दर आये हैं। एक नहीं है कम से कम भी दस नोटिसेज हैं। आप देख लीजिये। दस नोटिसेज हैं और जिनकी तारीख····

श्री अध्यक्ष : अब यह कोटा हाउस तो मत बनाइये, इसे विधान सभा रहने दीजिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आप अब सुन तो लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप इनकी सुन लीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे वाले मामले में आपसे मदद चाहता हूं।

श्रीमती कमला (वैराठ) : अध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे पर मैं सिर्फ आपकी सूचना के लिए बताना चाहती हूं, आपने जो उल्लेख किया है कि पहले की सरकारों ने इस बाबत क्या किया। जैसे इंदिरा गांधी नहर के अन्दर खालों के पैसे माफ कराने के लिए व्यवस्था तैयार की गयी थी, उसी प्रकार से ओ. एफ. डी. वर्क्स के लिए भी बहुत समय से उनके माफ किये जाने के लिए कार्यवाही की गयी है और सारा मसविदा तैयार है। तो जैसे इंदिरा गांधी नहर के किसानों का कर्जा माफ किया गया है, उसी तरह से यह कर्जा भी आप माफ करा दें इसमें कहीं कोई आपत्तिजनक बात नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा महत्वपूर्ण मामला उठा रहा हूं जिसमें आपके प्रोटेक्शन की मुझे जरूरत है। झुंझुनू सीकर, चूरू और राजस्थान के दूसरे जिलों के ···

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इस मामले में मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते थे। कुछ कहना चाह रहे थे।

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, मंत्रीजी अधिकृत नहीं हैं इसमें कहने के लिए।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मेरे नाम की चर्चा हुई है....।

श्री अध्यक्ष : नहीं आपकी चर्चा हुई, खत्म बात। आप बहस में मत उलझिये, आप मंत्री हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : मैं जिस मामले को उठा रहा हूं उसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। झुंझुनूं, सीकर, चूरू, बीकानेर, गंगानगर और राजस्थान के दूसरे हिस्सों से, शहरों से, सैंकड़ों काश्तकारों के लड़कों ने दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक से बी. एड. का प्रशिक्षण प्राप्त कर बी. एड. की डिग्री हासिल कर ली। राजस्थान सरकार ने उस बी. एड. की डिग्री को मान्यता नहीं दी। जद्दोजहद के बाद यह मामला हाईकोर्ट में गया। राजस्थान उच्चतम न्यायालय ने इस डिग्री को मान्यता देकर राजस्थान सरकार को यह निर्देश दिया कि इस मामले में विचार करके इसको मान्यता दी जानी चाहिये। राजस्थान सरकार ने इसमें कोई कार्यवाही नहीं की। इस वजह से सैंकडों काश्तकारों के लड़के, जो राजस्थान के विभिन्न जिले के हैं, का भविष्य अंधकारमय हो गया है। यदि इसमें कोई कमी है तो राजस्थान सरकार को वैसा बताना चाहिये लड़कों को ताकि इसमें वह और पूर्ति करें अन्यथा जैसा हाईकोर्ट का निर्णय है उसके हिसाब से इनको मान्यता दिलवाने के अन्दर आप हमारी मदद करें, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री किशन मोटवानी।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अजमेर की जनता का साधुवाद करता हूं कि उसने अपनी चिन्ता को चिन्तन में परिवर्तित किया और एक अभूतपूर्व बन्द किया, शांतिपूर्वक किया। उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। मैं इसमें एक चिन्ता का विषय जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो जिले की इकाई है उन्होंने उसका समर्थन नहीं किया, विरोध किया इसलिए हमारी चिन्ता है। मैं एक बिन्दु, जो मेरे एडजोर्नमेंट मोशन में था, को इंगित करना चाहता हू, जो सोनगरा जी ने एक बैठक का यहां जिक्र किया था। उस बैठक के माध्यम से जो राजनीतिकरण किया गया है जिसमें जिले की कमेटियां बनायी गयी हैं, उसमें मैं कहना चाहता हूं बी. जे. पी. कमेटियां बनायी हैं। उससे मुझे चिन्ता नहीं है। नुकसान मुझे नहीं होगा। नुकसान अल्टीमेटली बी. जे. पी. के दोस्तों को होगा क्योंकि वह वितरण व्यवस्था ढंग की कर नहीं पायेंगे, मार वह खायेंगे। इसलिए उस पर चिन्तन करें। मैं आज विशेष उल्लेख के माध्यम से अजमेर की यातायात सम्बन्धी समस्या को उठाना चाहता हूं। गृह मंत्री मेघवाल जी यहां बैठे हैं, वे उससे परिचित हैं। व्यवस्था यह है कि इंदरकोट जाने के लिए, दरगाह जाने के

(श्री किशन मोटवानी)

लिए, लाखनकोटरी जाने के लिए जो भी यातायात जायेगा वह धान मण्डी पर रोक लिया जाएगा ।

धान मण्डी से इन्दरकोट का आखिरी छोर कोई डेढ़ किलोमीटर दूर पड़ता है । अब जो भी व्यक्ति, बच्चा हो, जच्चा हो, बीमार हो, सामान लेकर के आये तो उसका थ्री-व्हीलर जो है वह धान मण्डी पर रोक लिया जाएगा, उसको अपना सामान अपने सिर पर ले करके इंदरकोट तक जाना पड़ेगा । और रात को या दिन में कभी जच्चा को आवश्यकता पड़े, डाक्टर की आवश्यकता पड़े तो इंदरकोट वाले को निकल करके धान मण्डी पहले आना पड़ेगा फिर थ्री-व्हीलर उसको उपलब्ध होगा तब जाकर वह हॉस्पिटल जाएगी या अन्य जगह पर जाएगी । इस व्यवस्था से अत्यन्त हो असंतोष है । मेघवालजी, आप मेरी बात को समझ रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि किस तरह से वह अव्यवस्था है । उनका कहना यह है कि थ्री-व्हीलर जो है वह इंदरकोट तक जाता है वह दरगाह पर रूक जाता है । उसके रोक के लिए आप पुलिसवाला वहां पर रख सकते हैं । जैसे पुलिस का बंदोबस्त आपने धान मण्डी पर कर रखा है । रोकने का ऐसा बंदोबस्त आप दरगाह के समीप रख सकते हैं कि वहां पर कोई थ्री-व्हीलर खड़ा न हो । और थ्री-व्हीलर खड़ा हो तो इंदरकोट में खड़ा हो । सवारी उतार कर वहां खड़ा रहे, सवारी ले करके वह सीधा निकल जाए । यह व्यवस्था हमको समझ में नहीं आती है कि इन्दरकोट जाने वाले को या इन्दरकोट से आने वाले को पहले धान मण्डी आना पड़े वहां से थ्री-व्हीलर करे और फिर अपने गन्तव्य स्थान को जाए । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा आपके विभाग से सम्बन्धित है,....

आप यहां बैठे भी हैं इसमें कोई तुरन्त व्यवस्था करें । असन्तोष बढ़ रहा है ।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह, कुम्हेर ।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : श्रीमन्, मैं बहुत ही दुखी हृदय से सदन का और विशेषकर गृह मंत्रीजी का ध्यान कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जो समाजकंटकों का दबाव बढ़ रहा है, समाजकंटकों की गतिविधियां बढ़ रही हैं और उनसे जो अशांति पैदा हो रही है, जुर्म बढ़ रहे हैं उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं । श्रीमन्, पिछले एक साल के अन्दर इस क्षेत्र के अन्दर 11 मर्डर हुए हैं, 5 बलात्कार हुए हैं, 43 चोरियां हुई हैं, 15 नकबजनी हुई हैं, 5 लूटपाट की घटनाएं हुई है, एक डकैती डाली गयी है और बस चोरी की पांच घटनाएं हुई है । होली की पवित्र रात्रि को गांव चिमनी के अन्दर तीन व्यक्तियों का मर्डर हुआ, रोशन लुहार, उसका लड़का विजय लुहार और करणसिंह जाट इन तीनों की उत्तर प्रदेश के कुछ असामाजिक लोगों ने सरेआम गांव में आ करके गोली मारकर हत्या की । उसके बाद गांव से बाहर वह चले गये । इन सब मामलों की रिपोर्ट

(श्री हरिसिंह)

पुलिस थाने में हुई हैं, नामजद रिपोर्ट हुई है और इसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। श्रीमन्, यह सब पुलिस थाना प्रभारी, कुम्हेर की अकर्मण्यता और अक्षमता और कर्तव्यशून्यता का परिणाम है कि उस क्षेत्र के अन्दर लोगों में भय का वातावरण छाया हुआ है, लोगों के अन्दर अशांति पैदा हो रही है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि क्षेत्र में शांति करने के लिए आप कुछ कार्यवाही निश्चित रूप से ऐसी करें कि यह सब घटनाएं घटे नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवर सिंह।

श्री भंवर सिंह चौधरी (मेड़ता) : माननीय अध्यक्ष महोदय, गत शनिवार को माउण्ट आबू में गुरु शिखर के पास नागौर जिले की जे. के. सीमेण्ट फैक्ट्री द्वारा संचालित एक विद्यालय के मासूम बच्चों का एक्सीडेंट हुआ। इतना दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ कि दो सौ फुट नीची बस आकर गिरी और दो बच्चे और एक अध्यापक वहां मौत के घाट उतर गये। इसके बाद, राज्य सरकार की मैं प्रशंसा करता हूं, पशुपालन राज्य मंत्री श्री देवड़ा उस समय वहां पहुचे। घायलों को पहुचाने की व्यवस्था की। वहां के जन समुदाय ने भी धन संग्रह कर सहायतार्थ पैसा दिया। मेरा इस विषय को श्रीमन् के सामने और सदन के सामने रखने का एक ही विचार है कि बस जो भेजी गयी वह बहुत पुरानी थी, ओल्ड मोडल की थी। ड्राइवर के पास हिली जिसके पास डिफिकल्ट ट्रेक पर गाड़ी चलाने का लाइसेंस नहीं था। यह मैं लापरवाही नहीं कहता, यह जान बूझकर किया गया। क्योंकि उस स्कूल की मुख्य अध्यापिका जो एक कार में उनके साथ गयी वह अपनी जिन्दगी बचाने के लिए कामयाब हुई और इन मासूम बच्चों को मौत के मुंह में धकेल दिया। मैं प्रार्थना करता हूं गृह मंत्री महोदय से, इसको एक्सीडेंट नहीं मानें। यह जान बूझकर बच्चों को इस खटारा बस में बैठाकर मौत के मुंह में धकेलना था। इनकी आत्मा को भगवान शांति दे, माता-पिता को शक्ति दे। वह जिन्दगी भर मासूम बच्चों से महरूम हो गये। इस जे. के. सीमेण्ट के व्यवस्थापकों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने का मेरा आग्रह है।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जयपुर नगर निगम के अन्तर्गत एक दवाखाना कांजी हाउस चौकड़ी घाटगेट की पुरानी कोतवाली के रास्ते में स्थित है। इस दवाखाने में वर्तमान में 265 गायें हैं। श्रीमन्, प्रत्येक महीने 10 या 12 गायें मर जाती हैं कुव्यवस्था के कारण चारा है उसमें मिट्टी मिली हुई है। इसके अलावा टीन शेड है वह भी केवल 10-12 गायों के

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

लिए है, जबकि 3 सौ गायें खड़ी रहती हैं। श्रीमन्, 300 गायें एक साथ बैठ नहीं सकती। इतनी जगह की कमी है। इसके अलावा वहां पर न तो कोई सुबह से शाम तक डाक्टेर देखने आता है, न पशु चिकित्सक की व्यवस्था है, न ही पानी की सप्लाई के लिए कोई साधन है। अड़ोस-पड़ोस ने यह देखा है प्रतिमाह जिस प्रकार करीब 25-30 गायें मरती हैं और मैं जब खुद गया आज से चार दिन पहले तो मैंने तीन गायें मरी पड़ी हुई देखीं, दो दिन से उनको उठाया नहीं गया था और बहुत ही अव्यवस्था हो रही थी। इसके अलावा मेरा यह भी कहना है कि इनके लिए टीन शैड भी बनाया जाए।

माननीय मंत्री महोदय, खुद निरीक्षण करें क्योंकि यह पशु क्रूरता का मामला है। इसके समाधान के लिए मैं यह निवेदन करता हूं कि आप जाकर स्बेस्टॉस शीट की चारे की व्यवस्था करें। पशु चिकित्सक हो। इसके अलावा, माननीय मंत्री महोदय, वहां पर कोई फर्श नहीं है, न ही बारिश में कोई अच्छी जगह उनके बैठने के लिए है, उसके लिए भी किया जाए। आपने एक काला कानून बना रखा है, माननीय मंत्री महोदय, आज जो जयपुर की व्यवस्था है, यदि कोई गाय या कोई भी दूसरा जानवर पकड़ लिया जाता है तो लाख रुपया खर्च करने के बाद भी जयपुर नगर निगम सात दिन के अन्दर नहीं छोड़ता है....(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

सात दिन तक बंद रहना जरूरी है....

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह जी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : तो मैं माननीय मंत्री महोदय को कहूंगा कि सात दिन से पहले एक ही दिन में छोड़ने का प्रावधान रखें और यह काला कानून हटायें।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्षजी, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी मौजूद हैं, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए वह कृत संकल्प भी हैं और मैं भी उनकी मदद करना चाहता हूं। अध्यक्षजी, अभी विद्युत मण्डल द्वारा एक निर्धारित सीमा में एक पोल के कनेक्शन रिलीज किये गये। उसके कुछ मापदण्ड थे। मेरी कांस्टीट्यूएंसी में भी 51 एक पोल के कनेक्शन की लिस्ट बनी। शायद बाद में बनी। मुझे खेद है, बहुत पीड़ा होती है, माननीय अध्यक्षजी, कि जिन लोगों ने एक पोल का सर्वे किया था, लोड का उन्होंने सर्वे किया था, दूरी का सर्वे किया था और आज उनमें से आधे कनेक्शन वह यह कहकर रिफ्यूज कर रहे हैं कि तुम्हारा पोल, तुम्हारा कुआ, सौ मीटर से छह इन्च ज्यादा बढ़ गया है,एक फुट ज्यादा दूरी उसकी बढ़ गयी है।

माननीय अध्यक्षजी, लोड उसका बढ़ गया है तो 15 रोज के अन्दर कैसे तो लोड बढ़ा, कैसे उस कुएं की दूरी बढ़ी। यह उन लोगों के साथ में, काश्तकारों के

(श्री शिवनाथ सिंह)

साथ में अन्याय है और वह सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि उन लोगों से रुपया ऐंठे। इस बार विद्युत बोर्ड ने स्कीम की जो लिस्ट बनायी वह विधायकों को भी दी। हमें वह लिस्ट दी और हमने गलती से उस लिस्ट को पब्लिक के सामने आउट कर दिया। यदि वह आउट नहीं होती तो वह अपने चुपचाप किया करते थे, पर उस लिस्ट के आधार पर लोग आज तंग हो रहे हैं। लोगों से रुपये मांगे जा रहे हैं और जिनके वाजिब नम्बर थे उनको काटकर किसी न किसी बहाने से दूसरों को दिये जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्षजी, यही नहीं, जब ऊपर के अधिकारी के पास जाएं, मैं केस का रेफरेन्स देना चाहूंगा, हमारे सुपरिण्टेंडेंट इंजीनियर ने ए. ईन., गुढ़ा को आदेश दिया कि इस आदमी की सिक्योरिटी जब आपने डिमाण्ड नोट निकाल दिया तो जमा क्यों नहीं करते हो, उसकी पालना हो। यह सब ए. ईन. कार्यालय गुढ़ा में धांधलियां चल रही हैं, दूसरी जगह भी चल रही होंगी।

(12.30)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन।)

मैं मौके पर खुद गया हूं, लोगों से बात की, ए. ईन. आफिस में मैंने बात की। उन्होंने कहा, सर्वे हमने किया था बात सही है लेकिन सर्वे होने के बाद में अब दूरी बढ़ गयी। सौ मीटर से आधा मीटर दूरी बढ़ गयी, उसका वोल्टेज रेगूलेशन या क्या कहते हैं वह नहीं बैठता है। तो 15 दिन के अन्दर क्या उसमें हो गया है? उसके बाद में न वहां पर नया कनेक्शन दिया गया है, न कोई कुआं सरका है, न कोई पोल सरके हैं।

सभापति जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा राज्य सरकार से और खास तौर से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से कि इस मामले को देखें और खास तौर से मेरे गुढ़ा गोडजी का जो ए. ईन. आफिस है उसमें आप जांच करवायें। इस प्रकार के मामले मिलेंगे कि वह एक दर्दनाक स्थिति को पैदा करते हैं। इसलिए उसमें कुछ व्यवस्था करावें, इसकी जांच करवायें और जिन लोगों को लिस्ट आपने जारी कर दी है उन सब लोगों को उस लिस्ट के आधार पर कनेक्शन दिये जाएं। यह व्यवस्था करवायें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सभापति महोदया, वन पोल कनेक्शन में एक भी धांधली हुई हो, आप मुझे बतायें, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि एक्शन होगा। माननीय श्री हीरालाल विश्नोई का एक प्रश्न आया था उसमें 3 लोग सस्पैंड हो गये हैं। इसलिए जो भी गड़बड़ी की बात आयेगी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसकी तो कार्यवाही की जायेगी और वन पोल में तो अभी इस बार कोशिश कर रहे हैं कि दुगुना हो जाये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मान्यवर, वन पोल में मेरे यहां महुआ में एक भी फाइल स्वीकार नहीं की है और फाइल को दबाकर इन्जीनियर बैठा है। जो पैसा दे देता है उसकी फाइल स्वीकार करके वापस भेज देते हैं और अभी पिछली 31 तारीख उसने खुली छोड़ रखी है। इसकी व्यवस्था कराओ।

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदया, मेरे यहां पर ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजें आप। यह बहस नहीं है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : ऐसे व्यवस्था नहीं होगी, माननीय सदस्य। यदि आप मुझे लिख कर देते हैं तो आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि कोई गड़बड़ी है तो उसके खिलाफ़ कार्यवाही होगी ही होगी।

श्री रामस्वरूप : मेरे यहां वन पोल में 5 हजार रुपये खाये है उसका मैं प्रमाण दे सकता हूं यदि आप कार्यवाही करें तो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप : सभापति महोदया, 5 हजार रुपये वन पोल मे खाये है एक ही केस मे। माननीय मंत्री महोदय कह रहे है कि मुझे लिखकर दो। आपको लिखकर दूंगा, 5 हजार वन पोल में खाये हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य बिराजें। ठीक है आप बता देना उनको। आप लिखकर भेज दें। (व्यवधान) बिराजें आप। यह क्या तरीका है। (व्यवधान) आप लिखकर दे दें बाद में।

आपका अंकित नहीं हो।

श्री रामस्वरूप : × × ×

श्री सभापति : आप बिराजें।

श्री रामनारायण मीणा : सभापति महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में आरोप लगाया जा रहा है ...

श्री सभापति : किस की इजाजत से आरोप लगाया ? किस ने लगाया ? (व्यवधान) कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हैं। (व्यवधान) बिराजें। आप बिराजें, माननीय सदस्य। यह विषय बहस का नहीं है। कोई व्यक्तिगत जानकारी हो तो दे दें। श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : माननीय सभापति महोदया, माननीय उद्योग मंत्री और राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उद्योग मंत्री यहां बिराजमान हैं। नागौर में एक जमीन है खसरा नम्बर 326 और 328। यह 103 बीघा जमीन है

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

और राज्य सरकार के नाम से आज भी खातेदारी में दर्ज है। इस खातेदारी की मेरे पास नकल भी है, खतौनी की। उसमें इस साल में भी राज्य सरकार औद्योगिक क्षेत्र लिखा हुआ है। लेकिन वहां के सब-रजिस्ट्रार से मिलकर कुछ लोगों ने फर्जी रजिस्ट्री करा लीं। जब कि उस जमीन की खातेदार सरकार है और किसी तीसरे आदमी को खड़ा करके रजिस्ट्री करा ली और एक नहीं करीब 39 रजिस्ट्रियां करवा लीं और उसके बाद में माननीय श्री भंवरलाल जी के महकमे नगर परिषद से इजाज़त ले ली और कलक्टर ऑफिस में दरख्वास्त पेश करके ऋण भी स्वीकार करा लिया। हालांकि ऋण का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है लेकिन इस प्रकार फर्जी कार्यवाही करके सरकारी जमीन को हड़पने का षड़यंत्र किया गया है।

एक दो नहीं 39 रजिस्ट्रियां हुई हैं। बेचने वाले का सत्यापन किये बिना कैसे रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्रियां कर दीं जब कि कायदा यह है कि अगर एग्रीकल्चर लैण्ड है तो खतौनी देखे बिना वह रजिस्ट्री नहीं करता। बेचने वाला कौन है इस बात की वह तसल्ली करता है। लेकिन इस सब-रजिस्ट्रार ने सारी जमीन बिना कुछ देखे, कोई आदमी खड़ा होकर बेचने वाला बन गया और उसी के नाम से उसने रजिस्ट्री कर दी। नगरपालिका ने तत्काल उनको इजाजत दे दी और कलक्टर ऑफिस में ऋण के लिए प्रार्थना-पत्र दे दिया। इस प्रकार से यह 39 फाइलें आज कलक्टर ऑफिस में पड़ी हैं। यह 51 बीघा सरकारी जमीन को हड़पने की कार्यवाही की है। माननीय राजस्व मंत्री, माननीय उद्योग मंत्री और माननीय स्वायत्त शासन मंत्री, तीनों ही बिराजमान हैं, आप इसमें कोई कार्यवाही करें और सरकारी सम्पत्ति को हड़पने जा रहे हैं उसको बचायें।

श्री सभापति : श्री परसादीलाल मीणा।

श्री हरजीराम बुरडक : इसमें कुछ कहें। तीनों मंत्रियों में से कोई तो कहे कि इसमें कार्यवाही करेंगे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : रिकार्ड हो गया, देखेंगे। इस पर एबरप्टली क्या कहें ?

श्री हरजीराम बुरड़क : रिकार्ड तो हो गया लेकिन आप कुछ कहें तो सही।

श्री सभापति : श्री परसादीलाल मीणा।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : सभापति महोदया, गृह मंत्रीजी का मैं एक विशेष घटना की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। माननीय गृह मंत्रीजी, सवाई माधोपुर जिले के सपोटरा थाने के गांव गोठड़ा में 20-21 मार्च को एक 14-15 साल की लड़की को जबरदस्ती 5-6 गुण्डे उठाकर ले गये। उस लड़की की एफ. आई. आर. दर्ज करवा दी, मुलजिम नामजद कर दिये कि फलां गांव के फलां व्यक्ति ये।

(श्री परसादीलाल मीणा)

थाने में कोई कार्यवाही नहीं हुई। सारी तहसील की वहां मीटिंग हुई और मीटिंग होने के बाद जो निर्णय लिया वह बहुत खतरनाक है और कोई न कोई उस पर कार्यवाही होनी चाहिये। कानून और व्यवस्था भी उससे ग्रस्त व्यस्त हो सकती है।

तो मैं आपका विशेष ध्यान दिलाऊंगा, यह निर्णय हुआ है वहां कि अगर वह हमारी लड़की ले गये हैं तो गांव से किसी भी बिरादरी की कोई भी लड़की उठाकर ले आयेंगे। कल भी करीब पांच हजार लोगों ने सपोटरा थाने में तहसील पर धरना लगातार दिया है और धरना अभी भी जारी है वह कहते हैं कि यदि उस लड़की को बरामद नहीं किया गया, पुलिस ने तत्काल कोई कार्यवाही नहीं की तो सपोटरा में और सपोटरा थाने में कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है।

आप मेहरबानी करके उस लड़की को बरामद करने के लिए पुलिस को निर्देश दें। उसमें मुलजिम भी नामजद हैं, गांव भी नामजद है, कौन से गांव से उठाकर ले गये हैं। 20-21 मार्च से अब तक पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की और पूरे इलाके में इसके लिए रोष है। इस तरह किसी भी लड़की को कोई उठाकर ले जाएगा तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत ही खतरनाक मोड़ पर यह घटना जा रही है। आज सपोटरा से वहां के भूतपूर्व विधायक और दूसरे लोग आये थे और उन्होंने आपसे निवेदन करने के लिए कहा है कि सरकार ने या पुलिस ने अभी तक कोई हस्तक्षेप नहीं किया है।

आप मेहरबानी करके उसमें हस्तक्षेप करें। उस लड़की के साथ अन्याय हो रहा है और उसके साथ बलात्कार किया जा रहा है। उसको नग्न उठाकर ले गये हैं, उसको घसीटते हुए ले गये हैं। इस तरह की घटना यदि आपके राज में हो तो यह बहुत ही बुरी घटना है। यह बहुत ही खेद जनक घटना है। उन्होंने इसको इन शब्दों में कहा है कि 5-6 आदमी उसके साथ आज बलात्कार कर रहे हैं। 20-21 तारीख के बाद से आज तक पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की और सारे इलाके में उस घटना को लेकर रोष है। मेहरबानी करके आप डी. आई. जी. को या आई.जी. को निर्देश देकर उस लड़की को किसी भी हालत में है उसी हालत में बरामद किया जाए। यही मेरा आपसे निवेदन है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप कैसे खड़े हो गये? आप बिराजें। यह कोई बात नहीं।

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदया, इस मामले में माननीय मंत्री जी अपना बयान जरूर दें।

श्री सभापति : आपकी बात सदन में आ गयी।

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदया, बयान देना बहुत आवश्यक है। (व्यवधान)

श्री सभापति : बैठें, बैठें । (व्यवधान) मामले को मंत्री जी देखेंगे फिर बोलेंगे । वह जानकारी लेंगे तब बोलेंगे वह । बैठिये, बैठिये । आपने सूचना दी है वह बोलेंगे । श्री हीरालाल इन्दौरा ।

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदया, यह बहुत ही सैंसेटिव मामला है । (व्यवधान)

श्री सभापति : बात समझ में आ गयी । जानकारी लेंगे । आप बिराजें । आपने सूचना दे दी । बैठ जायें (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आज महिला के साथ अन्याय हो रहा है, बलात्कार हो रहा है ।

श्री सभापति : इस तरह से बोलने से क्या हो जाएगा । आपको सूचना मिल गयी है । (व्यवधान) । (व्यवस्था सूचक घंटी) सूचना हो गयी ।

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदया, आज नारी की इज्जत लुटी है ।

श्री सभापति : गृह मंत्री जी ने सुन लिया है । वह जानकारी देंगे तो बता देंगे ।

श्री रामस्वरूप : जानकारी की बात नहीं है ।

श्रीमती कमला : अगर जानकारी नहीं तो इतना ही बता दें कि··· (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आप तो जानती हैं यह शून्यकाल है, सूचना का प्रश्न है । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदया, नारी के साथ अन्याय हुआ है । (व्यवधान)

श्रीमती कमला : मंत्री महोदय को जितनी-सी जानकारी है उतनी सूचना दे दें ।

श्री राधेश्याम : मंत्री महोदय को बाध्य कर दो । आप मंत्री जी से जवाब नहीं दिलवाते । (व्यवधान)

श्रीमती कमला : देखिये, मंत्री महोदय को जितनी-सी जानकारी है उतनी सूचना दें तो सही कम से कम । यह बहुत विचित्र बात है । इसमें कोई उनकी तौहीन नहीं होती कि वे बता दें कि क्या कर रहे हैं ।

श्री सभापति : आप बिराजें एक बार ।

श्रीमती कमला : कल को उस इलाके में और भी कोई भयंकर घटना हो जाए····

श्री सभापति : आप अपने स्थान पर बिराजें । (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सभापति महोदया, आप गृह मंत्री जी को कहिये (व्यवधान)····गृह मंत्री महोदय यह व्यवस्था दें कि लड़की को शीघ्र से शीघ्र प्रस्तुत किया जाए ।

Page No.83

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) । माननीय सभापति महोदया, माननीय विधायकों द्वारा यहां पर दो मिनट के लिए बोलने की जो प्रक्रिया है उसके अन्तर्गत एक मसला उठाया गया। ये प्रकरण जिस तरह से अनुसन्धान होते हैं, जब तक मुझे पूर्णत: नोटिस नहीं हो तब तक यहां उस बारे में कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा। मैंने सुन लिया है। इस बारे में माननीय विधायक श्री पल्लीवाल जी का नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव भी आया है और नियम 131 में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी है। अगर आसन से व्यवस्था होगी तो इस बारे में····

श्री परसादीलाल मीणा : इतनी बड़ी घटना हो गयी, हम स्टेटमेंट चाहते हैं। इतनी बड़ी घटना हो गयी, 4-5 हजार आदमी इकट्ठा हैं। आप स्टेटमेंट दीजिये इस पर। आप कोई भी टाइम निश्चित करके····(व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : लड़की की हालत बहुत खराब हो चुकी है····

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : स्टेटमेंट आज शाम को दे सकते हो तो आज शाम को दे दीजिये।

श्रीमती कमला : हां, वायरलैस से मालूम कर लें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सात तारीख को दे दीजिये।

श्रीमती कमला : वायरलैस से पता कर लीजिए। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, शाम तक स्टेटमेंट दे दें।

श्री कैलाश मेघवाल : नियम 50 और 131 के बारे में भी सूचना प्राप्त हो चुकी है और यहां माननीय विधायकों का जो आक्रोश है इसके बारे में, वह भी मुझे जानकारी मिल चुकी है। मैं आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि पुलिस पूरी क्षमता से इस केस में कार्यवाही करेगी। आसन से जो भी व्यवस्था होगी उसके बारे में मैं····

श्री परसादीलाल मीणा : आप स्टेटमेंट की बात करें न····(व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : उस पर साइकिल मैकेनिक को तो गिरफ्तार कर लिया और मेन मुल्जिम है····

श्री सभापति : जानकारी ले लेना आप।

श्री कैलाश मेघवाल : अभी आप मेरे से क्या चाहते हैं? ····(व्यवधान)

श्रीमती कमला : सभापति महोदया, आप निर्देश दे दें, ऐसा वे कह रहे हैं। मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि आप निर्देश दे दें कि शाम को स्टेटमेंट दे दें।

श्री सभापति : देखिये, आपको यदि कुछ अपने आप में जानकारी है तो

(श्री सभापति)

दीजिए वरना जब आप जानकारी ले लें तब दे दें।

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने कहा कि इसमें पुलिस पूरी क्षमता से कार्यवाही करेगी, लेकिन सदन में अगर इस विषय को लाना है तो या तो ध्यान आकर्षित किया जाए या आसन स्टेटमेंट का आदेश दे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सात तारीख को स्टेटमेंट....(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आज दिलाओ, सात तारीख की क्या बात है? वह तो लोग मर जाएंगे, सात तारीख तक तो लोग मर जाएंगे वहां। आज पांच हजार आदमी सपोटरा तहसील पर इकट्ठा हैं, सात तारीख को क्या करेंगे आप? आज दीजिये शाम को स्टेटमेंट। आज शाम को स्टेटमेंट होना चाहिये।

(12.44)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें। एक बार बिराजें। रामनारायण जी बोल रहे हैं, बिराजें।....(व्यवधान) माननीय सदस्य, रामनारायण जी उसी पर बोल रहे हैं, आप बिराज जाएं।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि माननीय सदस्यों की इतनी बड़ी जानकारी है और वे अपनी जानकारी में सदन के अन्दर उठा रहे हैं करेक्टली और पूरे विश्वास के साथ। हजारों आदमी उस गांव में इकट्ठा हो रहे हैं, ला एण्ड आर्डर का सवाल पैदा हो रहा है। कोई अनहोनी घटना हो जाएगी तो उससे बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। वहां से सरकार के पास सूचना आयी हुई है, नियम 50 का नोटिस दिया हुआ है, नियम (131) में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिया हुआ है। सदन में हैण्ड टू हैण्ड, इतनी माननीय सदस्यों को जानकारी है उसके बाद, सरकार को वास्तविक स्थिति बता देनी चाहिये। उसमें कोई खास बात नहीं है बताने में। आप वायरलैस से मालूम करिये, शाम तक बता दीजिये। इसमें हमें दिक्कत थोड़े ही है।

श्री सभापति : आप बिराज जाइये, माननीय गृह मंत्री जी बोल रहे हैं। मैं आपको अवसर दूंगा।

श्री कैलाश मेघवाल : नियमों में अविकृत जानकारी के लिए अगर मेरा ध्यान आकर्षित किया जाता है तो उसके लिए मैं तैयार हूं।

श्री परसादीलाल मीणा : क्या बात है यह? आप नियमों की बात कर रहे हैं? वहां लोग मर जाएंगे....(व्यवधान)

श्री सभापति : आप एक एक करके, माननीय सदस्य, कुछ बात कहेंगे?

Page No.85

श्री परसादीलाल मीणा : ये कह रहे हैं कि नियम आड़े आ रहे हैं ...(व्यवधान) क्या नियम की बात है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : माननीय सदस्यों ने जो जानकारी दी है उस जानकारी के आधार पर तुरन्त ही सूचना प्राप्त करके माननीय सदन को जानकारी करा दी जाएगी।

श्री राजेन्द्र पारीक : कब तक करा दी जाएगी ? आज ही स्टेटमेंट दिलाइये आप इसमें।

श्री रामस्वरूप मीणा : आज ही दे दी जाएगी ?...

श्री सभापति : रामस्वरूप जी, बिराजें कृपया। जानकारी आने के बाद देख लेंगे और आपको बता देंगे। बताने के बाद जैसी व्यवस्था ...

श्री परसादीलाल मीणा : बात बताने की नहीं है, स्टेटमेंट की बात है। आप एक को बता देंगे, दो को बता देंगे, यह एक बहुत बड़ी घटना है (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने आपको कहा, हाउस में जानकारी देंगे। दूसरा, यह भी कह रहा हूं कि कानून और व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगड़े, इसका पूरा प्रबन्ध किया जाएगा।

श्री सभापति : श्री हीरालाल जी इन्दोरा।

श्री हीरालाल इन्दोरा (केसरीसिंहपुर): माननीय सभापति महोदय, एक मामला विभाग की निष्क्रियता और लापरवाही का आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं। माननीय कृषि मंत्री तो नहीं हैं, सभापति महोदय, 1989 में एक सड़क 9-जी से चूनावट गांव होती हुई दूसरी सड़क को जोड़ने वाली थी। सड़क की लम्बाई मात्र तीन किलोमीटर। 1989 में उस पर रोड़ी डाल दी गयी, काम शुरू कर दिया गया। फिर वह काम बन्द हो गया। लगातार छह महीने तक प्रयत्न करने के बाद एक महीना पहले विभाग ने फिर काम शुरू किया और आज मुझे सूचना मिली है कि ठेकेदार ने वहां काम फिर बन्द कर दिया। जिस गांव से वह सड़क निकलती है वह गांव मेरे निर्वाचन क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है। कस्बे के बराबर का गांव है। सड़क के ऊपर उस रास्ते में दोनों तरफ दुकानें हैं, वहां रोड़ी बिछा दी गयी है। साइकल, ट्रक, जीप कोई व्हीकल चल नहीं सकता। यहां तक दिक्कत है कि दुकानदार अपनी दुकान भी ढंग से नहीं खोल सकते। बरसात के दिनों में गांव में पानी भर जाता है काफी लम्बे समय यानी पांच साल से तीन किलोमीटर सड़क अधूरी पड़ी है। विभाग उसको बना नहीं रहा है। मैंने पहले भी कई बार यह कहा कि ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाए। लेकिन विपणन बोर्ड की लापरवाही की वजह से वह सड़क उसी ठेकेदार को दे दी जो बीच में छोड़कर चला गया था।

माननीय सभापति महोदय, आप से

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

आग्रह है कि इस तीन किलोमीटर सड़क को तुरन्त बनवाया जाए ताकि गांव में रहने वाले नागरिक और व्यापारी आराम से रहकर अपना काम कर सकें।

श्री सभापति : श्री हरिनारायण जी बैरवा।

श्री हरिनारायण (खण्डार) : सभापति महोदय, सवाई माधोपुर के खण्डार में बुखार का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि पूरा का पूरा एक कस्बा बुखार की चपेट में है। कई परिवारों का तो यह हाल है कि उसके पूरे के पूरे सदस्य ही बीमार हैं, उनको सम्भालने वाला भी कोई नहीं है। माननीय चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन है कि एक जांच दल भेजकर वहां पर दवाइयां पहुंचाए, उनका इलाज करवाए।

सभापति महोदय, साथ ही जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है उसमें चार पद रिक्त हैं वहां एक महिला डाक्टर और तीन डाक्टर जल्दी से जल्दी लगवायें ताकि वहां की समस्या हल हो सके। रिक्त पदों को जल्दी भरा जावे।

श्री सभापति : श्री अरूण सिंह जी।

श्री अरूण सिंह (डीग) : सभापति जी, मैं वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा। इनका ननिहाल सामई मेरे डीग क्षेत्र में है। यह वन गाय और नील गायों का सवाल है। यह जोधपुर में भी है, अजमेर में भी हैं और बाड़मेर में भी हैं। पूरे राजस्थान का सवाल है। पर मेरे क्षेत्र के 25 गांव प्रभावित होते हैं। दिन में किसान खेत में पानी देता है और रात को रखवाली करता है। इनके ही विभाग का यह माण्डेरा रूंघ है जिसमें कम से कम 500 से हजार तक वन गाय हैं। वन एक जंगली गाय होती है और ढाई हजार रोज या नील गाय हैं।

श्री सभापति : अंग्रेजी में क्या कहते है रोज को।

श्री अरूण सिंह : नील गाय रूबाल। रूबाल या रोज एक हिरण परिवार में हैं। गाय के परिवार में आता नहीं है, हिरण है। तो, सभापति जी, मैं भी एक वन्य जीवी प्राणी हूं, मेरा अनुरोध है वन मन्त्री से कि इन रोजों के लिए लाइसेन्स दिये जाए कि इनको मारा जाए क्योंकि गाय नहीं है, यह हिरण है। अब वन गायों का सवाल है, ये गायें खेतों को नष्ट करती हैं। यह रूंघ वन विभाग का है। जंगल है, खेत हैं, अखरोटों के पेड़ हैं वहां, पपीतों के पेड़ हैं वहां पर। वहां पर स्वेदशी बबूल हैं। मेरा वन मन्त्री से यही अनुरोध है कि चारों और एक बाउण्ड्री और दीवार बने। आपका ननिहाल है, आप घोषणा करें, मंत्री महोदय।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (वन मंत्री) : मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री सभापति : आप आवश्यक समझ रहे हैं तो जरूर दीजिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : हां, आवश्यक समझ रहा हूं। माननीय सदस्य का एक प्रश्न भी था, वह वन गायों का था। उसके बारे में तो मैंने लिखित में भी सूचना दे दी है कि आप वहां मजदूर उपलब्ध करा देंगे और डिपार्टमेंट से बजट हो जाएगा। 500 गाये हैं। यदि उनकी सहायता हुई तो इस एक ही वर्ष में उनकी समस्या हल हो जाएगी। रहा सवाल नील गाय का, तो नील गाय के लिये यह सेंट्रल एक्ट है और सेंट्रल एक्ट में हमको पावर नहीं है किसी जानवर को मारने देने का। उस सूची में सारे जानवर दर्ज हैं। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा है और उन्होंने यह संशोधन करके हमको हिदायत दी है कि नील गाय के बारे में यदि कोई परमिशन लेगा मारने की तो दे दें। यह पावर हमने डी.एफ.ओ. तक को दे दिये हैं। उनसे आप परमिशन वह गाय नहीं है वह हिरण जाति का पशु है। वह परमिशन ले लें वहां डी एफ.ओ. से। यह पावर....

श्री सभापति : उनको मारने के बजाय उनका कोई अभयारण्य बनाने की सोचे, मंत्री महोदय।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : वह अभयारण्य नहीं बन सकता। एक बहुत बड़ी प्राब्लम हो गयी है और यह केवल राजस्थान....(व्यवधान)

श्री सभापति : बिराजिये। इस पर लम्बी चर्चा हो जायेगी।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय सभापति महोदय, यह राजस्थान की नहीं है। कई प्रदेशों की समस्या है। अभी 18-19 तारीख को वन मंत्रियों का सम्मेलन है उसमें मैं यह प्रश्न उठाऊंगा।

श्री खेतसिंह राठौड : यह प्रश्न उठायेंगे, गायों को मारने का। शर्म आनी चाहिये आपको। और ब्राह्मण समाज आपको अलग कर देगा।

श्री सभापति : श्री रमाकान्त जी। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह : माननीय सभापति महोदय, इस नील गाय के बारे में....

श्री सभापति : माननीय गुलाब सिंहजी, नील गाय के बारे में कोई अब चर्चा नहीं हो रही है। श्री रमाकान्त जी।

श्री रमाकान्त (थानागाजी) : सभापति जी, मेरे क्षेत्र में गांव कैला में पिछले 10-12 वर्ष से एक डीजल पम्प लगा हुआ है। आप जानते हैं कि जब भी डीजल पम्प लगाया जाता है तो बाकायदा सर्वेक्षण होता है और किसी न किसी स्थान के लिये उसकी स्वीकृति होती है। उस प्रकार से यह डीजल पम्प कैला में बाकायदा सर्वेक्षण के बाद में स्वीकृत किया गया था

(श्री रमाकान्त)

जो 10-12 साल से चल रहा है। अब पम्प के मालिक के मुंह में कुछ ऐसा पानी आ गया कि यहां से हटा करके अच्छी बड़ी किसी रोड़ पर ले जाये तो ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। तो उसने एक साजिश रची। बाघ परियोजना, इंडियन ऑयल कम्पनी और वह मालिक, तीनों ने मिलकर के एक साजिश रच करके बाघ परियोजना के डायरेक्टर से एक चिट्ठी लिखवाई कि ये जो डीजल पम्प है यह हमारे बाघ परियोजना के पेरीफेरी का है, गांव के अन्दर है इसलिये इसको यहां से हटा दिया जाए। अब पर्यावरण की चिट्ठी आ जाए तो नेचरली इण्डियन ऑयल कम्पनी ने उसको हटाने की, स्थानान्तरण की स्वीकृति दे दी।

माननीय सभापति महोदय, यह डिजास्टरस परम्परा होगी। है कि उस बाघ परियोजना के चारों तरफ बानसूर तहसील है, थानागाजी तहसील है, लक्ष्मणगढ़ तहसील है और अलवर तहसील है, इस प्रकार के जो करीब 10 पम्प हैं, एक को हटाने के बाद में वे 10 के 10 पम्प हटा दिये जायेंगे। आज वह डीजल पम्प हटाया जायेगा तो कल कहा जायेगा कि पेरीफेरी में जितने गांव हैं उनकी बिजली बुझा दी जाए, फिर कहा जायेगा कि पेरीफेरी में जितने गांव हैं उनके वाटर वर्क्स बन्द कर दिये जाएं, फिर यह कहा जायेगा वहां स्कूल बन्द कर दिये जाए। इस बाघ परियोजना से सारे के सारे अलवर क्षेत्र को समाप्त करना चाहते हैं। इसी प्रकार से इसके अन्दर एक साजिश और है उस साजिश के पीछे क्या है, मैं उसका वर्णन नहीं करना चाहता कि इन तीनों ने कितनी बड़ी उसके अन्दर साजिश की है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का निदेशक को स्वयं अधिकार नहीं था कि इस तरह की भारत सरकार को, इण्डियन आयल कम्पनी को यह चिट्ठी लिख दे कि यहां से हटा दिया जाए।

मैं आपके द्वारा इण्डियन आयल कम्पनी और गवर्नमेंट आफ इण्डिया से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि यदि वहां पर उसको हटाने की कोशिश की तो वहां सारा का सारा जनमानस उबल पड़ेगा क्योंकि हजारों जो किसान हैं वे वहां से डीजल लेते हैं, अपनी खेती और ट्रेक्टर का काम करते हैं। बाघ परियोजना में साजिश के द्वारा और मैं कहता हूं भयंकर भ्रष्टाचार के द्वारा इस प्रकार की जो चीज की जा रही है उस पर तत्काल रोक लगायी जाए।

श्री सभापति : श्री रामनारायण जी मीणा। आप बोलिये। माननीय मंत्री जी कुछ कह रहे हैं।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : यदि बाघ परियोजना के डायरेक्टर ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है तो माननीय सदस्य मुझे लिखेंगे तो मैं इसकी जांच कराऊंगा।

श्री रमाकान्त : यह पत्र रहा, मेरे पास मोजूद है। माननीय सभापति जी, मैं आपको दे दूंगा। मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं माननीय मंत्री जी का कि जो उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है परन्तु पत्र मेरे पास मोजूद हैं, बाघ परियोजना का मोजूद है और इण्डियन आयल कम्पनी का मोजूद है।

श्री सभापति : धन्यवाद अर्पित करते हुए पत्र भी समर्पित कर दें। माननीय रामनारायणजी।

श्री रामनारायण (नैनवां) : माननीय सभापतिजी, मैं भेड़ ऊन विभाग के मंत्रीजी का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, एक फड़का रोग होता है जिसको शायद मंत्रीजी जानते हैं। नैनवां क्षेत्र में इस फड़का रोग का प्रकोप हुआ मार्च के महीने में 22 तारीख को, 21 तारीख को। उसके पहले भी कुछ मर रही थीं। वहां के जो भी भेड़पालक थे वे वहां एक स्कन्ध सहायक है नैनवां मे, हैडक्वार्टर पर नहीं रहते हैं, टोंक जिले में जहां कहीं भी वे रहते हैं, वे वहां रहते नहीं हैं, वहां गये उन्होंने पैसे मांगे। लोग परेशान हुए, इधर-उधर की शिकायतें कीं। इस दौरान कम से कम एक हजार भेड़ें मर गयीं। ऐसे स्कन्ध सहायक, जो पैसा मांगे टीके का, जिसकी ड्यूटी यह है, मैं मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहूंगा, एक तो कृपया उस स्कन्ध सहायक को आप नैनवां से हटाइये। दूसरा, जो भेड़ अब भी मर रही हैं, आपने जरूर कार्यवाही की होगी लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। हमने अलग से एक डिपार्टमेंट खोल रखा है, पूरी भेड़ों की सुरक्षा हो और रोग ज्यादा नहीं फैले और दुबारा से ज्यादा जकड़े, नहीं इसके लिए कृपया आप इसका जल्दी से इन्तजाम करें टीका लगाने का।

इसके साथ ही एक निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, कि जो ये भेड़ें हैं, अब तक भी भेड़ें मर रही हैं; क्या माननीय मंत्रीजी या सरकार इस बारे में सदन को आश्वस्त करेगी कि भेड़ों का मरना बन्द हो। इसके लिए कोई उचित कदम, ठोस कदम उठाकर एक पार्टी भेज दी जाए यहा से ताकि आइन्दा इस तरह का कोई रोग दुबारा जकड़े नहीं। ऐसा कोई आश्वासन दे सकेंगे ?

इसी के साथ आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री हीरालालजी मीणा।

श्री अर्जुनसिंह देवड़ा (राज्य मंत्री पशुपालन) : माननीय सदस्य ने अपनी बात बतायी है, मैंने इसके बारे में निर्देश दे दिये हैं। पार्टी भी भेज देंगे और जो भी सुविधाएं चाहिये आप मुझसे सम्पर्क करिये। विभाग की तरफ से हर तरह का सहयोग किया जाएगा।

श्री सभापति : श्री हीरालाल।

Page No.90

श्री हीरालाल (बामनवास) : माननीय सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से सवाई-माधोपुर जिले की पेयजल समस्या के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। सवाईमाधोपुर जिले में दो तारीख को एक जन-प्रतिनिधियों की मीटिंग बुलायी थी जिसमें अधिकारी सब लोग आये थे और हमसे कहा था कि आप अपने क्षेत्र की समस्या बताइये कि कौन-कौन से गांव में पीने के पानी की अधिक समस्या है और कौन-कौन से स्रोतों से उसको हल किया जा सकता है। तो हमारे सभी विधायक लोग वहां गये, उन्होंने बताया कि अभी तो एक विधान सभा क्षेत्र में मात्र 12 हैण्डपम्प आपको मिल सकते हैं।

तो मैं यह पूछना चाहता हूं सरकार से कि क्या 12 हैण्डपम्प एक विधान सभा क्षेत्र में लगाने से समस्या हल हो जायगी? और बाकी दूसरा है उसमें कहा गया कि हमारे पास और कोई पैसा नहीं है। यह 75 लाख रुपये उन्होंने रिपेयरिंग बजट दिखाया। अब रिपेयरिंग का पैसा अभी तक तो कर्मचारियों और ठेकेदार की जेब में जा रहा है। एक तरफ आप इसकी मरम्मत करवा रहे हैं और ठेकेदार पर चलने वाला कर्मचारी अपनी मर्जी आये वैसा सर्टिफिकेट दे दे, इतने पाइप लगे, इतने वह लग गयी। प्राइवेट खर्चा तो न ग्राम पंचायत के प्रशासन लिखाते हैं, न कोई और ग्रामवासियों से लिखाते हैं। सर्टिफिकेट देने वाला वहां कोई है नहीं। वहां का वही सर्टिफिकेट और वहीं पैसा। इससे समस्या बहुत खराब होने जा रही है पानी की।

श्री सभापति : ठीक करायेंगे, बिराजिये।

श्री हीरालाल : मैंने कहा, दिन भर उस पर चर्चा हुई। इस प्रकार सवाई-माधोपुर जिले में कई ग्रामों की कई तहसीलों में इस तरह की समस्या पैदा होने वाली है।

(13.00)

सरकार ध्यान दे, अगर उस समस्या को हल करना है तो पर्याप्त मात्रा में हैण्डपम्प चालू योजना के तहत जल्दी से जल्दी तैयार करवाये जाए। तब तो पानी इस समय में मिल सकेगा नहीं तो आपके भरोसे अब तक की योजनाओं के तहत पानी मिलने वाला नहीं है।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री हीरालाल : दूसरी मेरी यह बात है कि अकाल राहत कार्यों के बारे में…

श्री सभापति : अकाल पर नहीं, केवल एक ही बिन्दु पर बोल सकते हैं, आप केवल एक विषय पर ही बोल सकते हैं।

श्री हीरालाल : थोड़ी सी बात है, लम्बी बात नहीं है। सवाईमाधोपुर जिले के अन्दर अभी तक कोई अकाल राहत कार्य सेंक्शन नहीं किये गये हैं। सवाई-माधोपुर जिले में मानव दिवस प्रतिदिन श्रमिक संख्या 2200 रखी है, यानि पूरे

Page No.91

(श्री हीरालाल)

क्षेत्र में एक गांव के पीछे एक श्रमिक आता है, एक गांव में एक श्रमिक के काम करने पर क्या अकाल राहत की समस्या हल हो जाएगी ? मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि श्रमिकों की संख्या बढ़ायी जाए । कलक्टर कहते हैं कि मैंने 9 करोड़ रुपये की योजना अकाल राहत के सम्बन्ध में भेजी थी और मुझे मात्र एक करोड़ रुपया दिया गया है, मैं क्या करूंगा ? इसीलिए सरकार जितनी उनकी मांग है उस मांग के अनुसार धनराशि देकर पब्लिक को राहत पहुंचाये ।

श्री सभापति : धन्यवाद । 295-माननीय सदस्य पढ़ना चाहेंगे ?

अनेक माननीय सदस्य : पढ़े हुए माने जाए ।

श्री सभापति : 295 के प्रस्ताव सभी माननीय सदस्यों के पढ़े हुए मान लिए गये हैं । (व्यवधान)

(नियम 295 के प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

श्री रामस्वरूप मीणा : कल भी मान लिये गए थे, यह क्या बात है ? (व्यवधान)

श्री सभापति : आपको एक महीने में जवाब मिल जाएगा, आप बैठिये श्री रामस्वरूप जी । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री भीमराज भाटी, सदस्य, विधान सभा पाली शहर के बारे में ध्यानाकर्षण करेंगे.....(व्यवधान) हो जाएगा, 1 महीने में जवाब आ जाएगा । कृपया कभी-कभी सहयोग करें ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : हो गयी, एक ही बात है ।

श्री सभापति : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

पाली शहर में हत्या एवं लूट की घटनाएं

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पिछले दिनों 26 मार्च की रात्रि को सिरवी जाति की 70 वर्षीय बुढ़िया का कान काट लिया गया, उसके गले में छुरा भोंक दिया गया और अंगुलियां काट दी गयीं, 27 मार्च की रात को कुलथाना गांव के एक पटेल जाति के नौजवान और एक सन्त की, जो भी 28-30 साल का नौजवान था, उन दोनों की वहां पेट्रोल पम्प पर हत्या कर दी गयी और 28 तारीख की सुबह पाली में ही अलग-अलग बस्तियों से 5 बच्चियों को, छोटी-छोटी 3-3, 4-4 साल की बच्चियां, उनको भी उड़ाकर ले जाने का प्रयास किया गया, उसकी तरफ मैं माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय विधायक द्वारा पाली शहर में

Page No.92

(श्री कैलाश मेघवाल)

दिनांक 26 से 28 मार्च, 1994 के बीच घटित मार-पीट व चोरी की घटना, हत्या की घटना और बाल अपहरण की घटनाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

श्रीमती भूरी सिरवी के साथ दिनांक 26 व 27 मार्च, 1994 की मध्य रात्रि में हुई वारदात के विषय में दिनांक 27-3-94 को प्रातः 4 बजे अज्ञात व्यक्ति की टेली-फोन पर दी गयी सूचना पर पुलिस द्वारा तुरन्त घटनास्थल तथा बांगड़ अस्पताल जहां श्रीमती भूरी उपचार हेतु भर्ती थी, पहुच कर श्री भंवरलाल सिरवी की लिखित रिपोर्ट पर अभियोग संख्या 113/93 धारा 458 व 380 भा. दं सं. के अन्तर्गत थाना कोतवाली पर पंजीबद्ध किया गया। अपराधियों की तलाश के लिए नाकाबंदी की गयी और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गयी तथा आहत श्रीमती भूरी देवी का परीक्षण करवाया गया, जिसमें उसके कानों की लौं, जबड़े और अगुलियों पर चोट के निशान पाये गये। श्रीमती भूरी देवी 70 वर्षीया लकवा पीड़ित वृद्धा है और उसे कम दिखायी देने से अपराधियों को नहीं पहचान पाने के कारण अभियुक्तों का पता नहीं लग सका है, किन्तु अभियुक्तों की तलाश के लिए हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं तथा अनुसंधान जारी है।

जहां तक पैट्रोल पम्प पर हुई दो व्यक्तियों की हत्या का प्रश्न है, दिनांक 27-3-1994 को रात्रि के 12.15 बजे थाना केरला (पाली) पर वायरलैस पर मिली सूचना के आधार पर पुलिस तुरन्त घटनास्थल पर पहुंची और केवलराम चौधरी की लिखित रिपोर्ट के आधार पर अभियोग संख्या 24 धारा 147, 148, 149 व 302 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत थाना केरला पर अपराध पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान आरम्भ किया गया। लिखित रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि दिनांक 27-3-1994 की रात्रि के 7 बजे उक्त केवलराम चौधरी, हनुमानाराम, छगनलाल, गोविन्दलाल, परसाराम एवं हुक्मासिंह के साथ जीप द्वारा कुलथाना से केशवनगर पहुंचे और गोविन्दलाल की दुकान पर बैठे जब वह बातें कर रहे थे तो ओमसिंह, भूरसिंह हाजरसिंह, करणसिंह, बलवन्तसिंह और गोरधनसिंह ट्रक नम्बर आर.आर. क्यू 5411 में बैठकर घातक हथियारों से सशस्त्र होकर आये और परिवादी पार्टी के विषय में पूछा, जिसका उन्हें (परिवादी पार्टी को) पता चलने पर वह वापस कुलथाना न जाकर वायद जीप में डीजल भराने को रवाना हुए। जब वह वायद पहुंचे तो वहीं उक्त लोग भी उनके पीछे ट्रक से पहुंच गये तथा उन्होंने धारदार हथियारों से हमला कर हनुमानाराम व गोविन्दराम की हत्या कर दी। अनुसंधान कर अभियुक्त गोरधन, जो फरार है, के अतिरिक्त सभी अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया जा चुका है और आलाए कत्ल तथा उक्त ट्रक बरामद कर लिये गये हैं। अनुसंधान जारी है और अभियुक्त गोरधनसिंह को गिरफ्तार करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(श्री कैलाश मेघवाल)

जहां तक विधायक महोदय की भतीजी के अपहरण किये जाने का प्रश्न है, उक्त बच्ची डिम्पल, उम्र 4 साल खेलती हुई चैनाराम घोंची की दुकान पर बैठी मिली है और इस प्रकार उसके विरुद्ध अपराधारित होने का आक्षेप सत्य नहीं है, क्योंकि विधायकजी के पिताश्री ने ही ऐसा बताया है कि इनके छोटे भाई जयपुर में रहते हैं है वे वहां मिलने गये हुए थे तो वह बच्ची इधर-उधर भटक गयी और जब ढूंढा गया तो वह उस दुकान पर मिल गयी।

एक अन्य बाल अपहरण के विषय में वास्तविकता यह है कि दिनांक 28-3-1994 को थाना पाली पर टेलीफोन से एक फकीर द्वारा एक बच्ची को फरार कर ले जाते हुए पकड़े जाने की सूचना मिलने पर तुरन्त पुलिस अधिकारी, थाना पाली के मौके पर पहुंच कर श्री रतनलाल शर्मा की रिपोर्ट पर अभियोग सख्या 115 धारा 363 भा. दं. सख्या के अन्तर्गत पंजीबद्ध किया जाकर कथित फकीर श्री भवरसिंह को गिरफ्तार किया जाकर कार्यवाही कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अपहृत बच्ची रीतू को पकड़े जाने पर उक्त फकीर ने छोड़ दिया है।

पाली नगर में दिनांक 28-3-1994 को तीन अन्य बालिकाओं के अपहरण की अफवाह फैली थी, किन्तु अन्य किसी बालक/बालिका के अपहरण की घटना प्रकाश में नहीं आयी है और सौभाग्य से उक्त अफवाह केवल अफवाह बन कर ही रही है।

श्री भीमराज भाटी : माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले तो 26 मार्च की घटना के बारे में ध्यान दिलाना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में लिखा है कि उसके कान पर चोटों के निशान पाये गये हैं. चोटों के निशान नहीं है माननीय मंत्री महोदय, उस बूढ़ी औरत के जो लकवा से ग्रसित आप बता रहे हैं, उसका पूरा कान काट दिया गया और उसके कान में जो आभूषण थे वह छीन कर ले गये उसके गले में छुरा पैना दिया गया है चोटों के खाली निशान ही नहीं पाये गये हैं और जो अंगुलियां हैं उन अंगुलियों को भी काट दिया गया है। इसके पहले भी इसी तरह की 3 औरतों के साथ मारपीट की घटना पाली शहर में हुई है और उनमें से पहले भी कोई नहीं पकड़ा गया और इस मामले में भी कोई भी नहीं पकड़ा गया है। इससे पहले जो हादसा हुआ था उसमें भी कोई नहीं पकड़ा गया और दूसरा जो वायद पैट्रोल. पम्प का किस्सा है, आप इस जवाब में बता रहे हैं कि धारदार हथियारों से हमला किया और धारदार हथियारों की चोटों से हनुमानाराम और गोविन्दराम की हत्या कर दी।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपकी यह जो पुलिस है उस पुलिस ने धारदार हथियारों की जगह उन

(श्री भीमराज भाटी)

मुलजिमानों के कहने से एक मुड़ी हुई तलवार को बरामद किया है और वह मुड़ी हुई तलवार धारदार नहीं है। अगर उस सीलबन्द तलवार की अपनी तरफ से कोई जांच व्यवस्था हो सकती हो तो उस तलवार को खोलकर दिखा दीजिये, उस तलवार में जरा भी धार नहीं है। बिना धार वाली तलवार जान-बूझकर मुड़ी हुई बरामद की गयी है और असली हथियार अभी तक बरामद नहीं किये गये हैं और एक-दो मुलजिम अभी तक फरार हैं। इन 5-6 मुलजिमानों को गिरफ्तार करने के लिए तो मैं पुलिस अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं लेकिन पुलिस के जो नीचे के अधिकारी हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं। कि दीपावली के दूसरे दिन इसी जोगसिंह नामक अभियुक्त ने हनुमानाराम जिसकी अभी डैथ हुई है, के बड़े भाई, रामनारायण मोटर साइकिल पर सवार होकर जा रहे थे तो इसी ट्रक आर. आर. क्यू 5411 में इसी जोगसिंह ने उसको कुचलने की कोशिश की थी, उसकी पुलिस में रिपोर्ट की गयी थी, केरला थाने के अन्तर्गत, लेकिन उस रिपोर्ट में पुलिस ने कुछ भी कार्यवाही नहीं की और कार्यवाही नहीं करने की वजह से जोगसिंह और जोगसिंह के परिवार वालों की इतनी हिम्मत बढ़ी कि अपनी मूंछों पर ताव देते हुए उसने सरेआम होली के दिन और बायद पेट्रोल पम्प पर जो रोहित-जालौर के मार्ग पर स्थित है और इतना शान्त और पिछड़ा हुआ एरिया है, ऐसे शान्त एरिया में भी हत्या कर दी। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से चाहूंगा कि हथियार की जो बरामदगी की गयी है और जो बिना धार की तलवार बरामद की गयी है, उसके बारे में आप जांच करा लें, आपको स्वयं को पता चल जाएगा।

जहां तक बच्चियों के अपहरण का हिस्सा है, आपके जवाब में ही विरोधाभास है। आप कह रहे हैं कि मेरे पूजनीय पिताजी से यह पूछ लिया गया और यह कर लिया गया और मेरे पिताजी, उस दिन होली का त्यौहार था, मेरे पिताजी को तो उस दिन जब उस आदमी को पकड़ लिया गया और वह मुसलमान की वर्दी में था, हरी वर्दी में था और वहां पी. एच. ई. डी. में 10-20 हजार आदमी इकट्ठे हो गये थे, उनको वह खुले आम चैलेंज कर रहा था कि गली में तो कुत्ते भी शेर होते हैं और पुलिस वाले हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, हम तो बाबा फकीर हैं। पूरे दिन वह मुसलमान बना रहा और पूरे शहर में एक वातावरण सरचार्ज हो गया और जब शाम को लोगों ने, मैं तो खुद वहां पोस्टमार्टम कराने गया हुआ था बायद पेट्रोल पम्प पर, और पीछे से मेरे भाई की बच्ची को उड़ाया। आपने लिखा है कि एक औरत रोती हुई बच्ची को छोड़कर चली गयी, दो लाइन के बाद आप लिखते हैं कि बच्ची स्वयं खेलती हुई चली गयी और मेरे

(श्री भीमराज भाटी)

पिताजी को बीच में इसमें ले आये कि यह बात है।

मेरे पिताजी हमारी बिरादरी के चौधरी हैं तो हमारे घर में तो मेहमान वगैरह बैठे थे। उनसे कहा कि क्या बच्ची मिल गयी तो उन्होंने कहा, हां मिल गयी। क्या अब कोई तकलीफ है, उन्होंने कहा अब तो कोई तकलीफ नहीं है। उनसे दस्तखत करा लिये उसका रेफरेंस आप यहां दे रहे हैं और इस घटना को झूठी बता रहे हैं और मैं कहता हूं, मेरे भाई की बच्ची नहीं, मेरे ड्राइवर की बच्ची नहीं, एक आदमी जो मिला है उसकी बच्ची नहीं, इस तरह से पांच बच्चियां गायब हुई हैं उसी दिन और वह होली का त्यौहार था, उस दिन हमारे यहां बादशाह का मेला निकलता है, पाली में 5 बच्चियों को उड़ाने की घटना हुई। आज सुबह राष्ट्रदूत अखबार देख रहा था, अलवर में इसी तरह तीन बच्चियों के उड़ाने की घटना हुई और ये जो आदमी आपने पकड़ा है, वह दिन भर क्यों तो अपने आपको मुसलमान बताता रहा और जब शाम को उसके कपड़े खोलकर पुलिस वालों ने उसके साथ सख्ती की तब यह पता चला कि वह मुसलमान नहीं है, कोई हिन्दू है, भंवरसिंह नाम का, और वह इन्दौर से आया हुआ था।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है, खाली कभी-कभी आपस में बात होती रहे और आप बात करते भी रहते हैं कि मैं तो पेपर-जस्टिस दे सकता हूं लेकिन ये पेपर-जस्टिस आपके मातहत के कर्मचारी हैं वे पेपर-जस्टिस में आपको कभी ऊंचा ही नहीं होने देंगे, इसलिये जो हकीकत है, उस हकीकत की तह में जाने की कोशिश कीजिये। अगर इस तरह से बच्चियां गायब होती हैं, केवल पाली में पांच बच्चियां हुई, अभी आज सुबह के अखबार राष्ट्रदूत में था कि अलवर में इस तरह से तीन बच्चियों को उड़ाया गया और पुलिस अपनी कार्यवाही में लीपापोती करने के लिये, मैं आपको आज बताता हूं, जिस थाने की बात कर रहे हैं जिसके अन्दर यह मर्डर हुआ है और जहां यह तलवार बरामद की गयी है, उस थाने में होली के दिन 20 बावरी, एस.सी. के लोग आपस में झगड़े, उनके सिर रंग गये, वे बाली अस्पताल में आये और भर्ती हुये हैं और इस बात पर पुलिस ने कोई काग्निजेंस नहीं लिया, कुछ नहीं किया, दोनो पार्टियों से आपकी पुलिस पैसा खा गयी, इस थाने के लोग पैसा खा गये और एस. सी. के लोग, किसने किसको भड़काया कि वे लोग इस तरह से कर गये।

मैं एक और किस्सा बताता हूं आपको पाली का। पाली में एक ऐसी बहुत बड़ी गैंग आज की तारीख में काम कर रही है और मुझे खेद है कि उस गैंग में एक लड़की, 16-17 साल की नाबालिग बच्ची, सिरवियों की बच्ची जिसका नाम गीता है, उसको उठाकर ले गये, एक बहुत बड़ी गैंग है और उस गैंग में कई बच्चियां

(श्री भीमराज भाटी)

हैं, एक सीमा मेवाड़ा है, दूसरे कालेज के लड़के-लड़कियां हैं और एक गवर्नमेंट का आफिसर है। मुझे खेद है मन्त्री महोदय, उसमें जो बच्ची इन्वाल्व है वह भारतीय जनता पार्टी के किसी पदाधिकारी से सम्बन्धित है, उसके नजदीक की रिश्तेदार है और पुलिस सिर्फ इसलिये डर रही है, पुलिस हमको कहती है कि हम क्या कर सकते हैं ? अभी यह बच्ची इन्वाल्व है तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं और मुझे शर्म आती है, इस तरह की घटना घटने पर अगर उन बच्चियों का कोई गिरोह है तो कहीं ऐसा नहीं हो कि पाली में भी अजमेर जैसी गैंग काम कर रही हो और इसलिये पहले भी 2-3 बच्चियां उड़ाकर ले गये। अभी-अभी जो बच्ची ले गये गीता नाम की सिरवियों की, उसको कोई हिम्मतसिंह नाम का लडका है और न तो वह बच्ची लोकेट हो पा रही है और न वह लड़का लोकेट हो पा रहा है।

अतः मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से निवेदन है, आप यहां बिराजमान हैं और आपकी श्रद्धा और सहानुभूति भी छोटे तबके के लोगों के साथ है तो पुलिस में इस तरह का वातावरण और इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, उसमें आप मेहरबानी करके ज्यादा से ज्यादा, खाली पेपर-जस्टिस ही नहीं, जस्टिस मिल रहा है या नहीं, इसका भी आभास आप करायें।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री कैलाश मेघवाल : आदरणीय सभापति महोदय, माननीय विधायक ने अपराधों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के बारे में चिन्ता व्यक्त की है, उससे तो मैं सहमत हूं लेकिन ध्यानाकर्षण में तीन प्रकरणों के अलावा उन्होंने, पहले हुए प्रकरण और बाद में हुए प्रकरण और कई दूसरे प्रकरणों का उल्लेख किया है....

श्री सभापति : वे तो आपकी जानकारी के लिये है।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं कोशिश करूंगा कि उन सबमें पुलिस सख्ती से कार्यवाही करे और अच्छा अनुसंधान हो। जिस तरह के चोटों के निशान इसमें है, वे चोटें हैं और उन चोटों का मुआयना भी हो चुका है और जिस तरह से माननीय विधायक वर्णन कर रहे हैं उसी तरह की चोटें हैं, मेरे पास चोटों की रिपोर्ट है, उसमें अनुसंधान जारी है, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है।

जहां तक तलवार किस तरह की बरामद की गयी है, केवल एक मुलजिम गोरधन का पकड़ा जाना बाकी है। पहले कोई किस्सा जो माननीय सदस्य ने वर्णन किया है, उस बारे में दिखवा लूंगा लेकिन इसमें गोरधन सिंह पकड़ा जाए और जो आपने आब्जर्वेशन दिये हैं, सही हथियार नहीं पकड़ा जा रहा है तो इस बारे में पुलिस को निर्देश दिये जाएंगे कि सही-सही ढंग से इसमें तफ्तीश करें।

जहां तक आपकी भतीजी का सवाल

(श्री कैलाश मेघवाल)

है, माननीय सदस्य ग्रापके पिताजी ने जो बयान दिये हैं, उनके दस्तखत ही बयान है। अब इसको नहीं देखें, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि, क्योंकि वह जयपुर की रहने वाली है, 4 साल की बच्ची है, पाली गयी थी। वहां पर उनके पिताजी का कहना है कि खेलती-खेलती चली गयी, वह तो मिल गयी ग्रौर उनके पिताजी ने जो बयान दिये हैं, वह मैं ग्रापके सामने पढ़कर सुना सकता हूं। उसमें उन्होंने जो कहा है वह इनको भी मालूम है, इनके पिताजी हैं ग्रौर इनकी भतीजी है, जयपुर की रहने वाली है, 4 साल की बच्ची है।

दूसरी घटना ग्राप स्वयं कहते हैं, भंवरसिंह पकड़ा गया, ग्रब तीन घटनाएं ग्रौर व्यक्त की हैं। तीन बालिकाग्रों के नाम किस थाने में है? कोई शिकायत नहीं है। एक ग्रफवाह हुयी थी। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि तीनों बालिकाग्रों के नाम, बच्चियां उड़ाने की बात वह कह रहे हैं, उनके पिताग्रों के नाम ग्रभी बता दें, मैं वायरलैस पर पाली सूचना भेजूंगा कि ये तो नाम है इन बालिकाग्रों के ग्रौर ये नाम इनके पिताग्रों के हैं, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं होगा ग्रौर जिस तरह से ...

श्री भीमराज भाटी : सभापति महोदय, बच्चियां तो मिल गयी थी इसलिए फिर किसी ने एफ. ग्राई. ग्रार. लॉज नहीं करायी लेकिन पूरे शहर में यह चर्चा हो गयी कि इस तरह से पांच बच्चियां एक ही समय में एक ही शहर से, कैसी-कैसी बातें हैं, तो सब लोगों की मंशा यह थी कि जो ग्रादमी ग्रापका पकड़ा गया है, उसने क्यों तो दिन भर ग्रपने ग्रापको मुसलमान बताया ग्रौर क्यों पूरे शहर में वातावरण पैदा किया ...

श्री सभापति : उस ग्रादमी के बारे में जांच करिये।

श्री भीमराज भाटी : ग्रगर उसके साथ किसी दिन नहीं हो, पुलिस जिस तरह से इसको लाइटली बनाकर पेश कर रही है ग्रौर मैं हकीकत में कहता हूं, मुझे कोई ऐसी जरूरत नहीं है। मेरे भाई की बच्ची, वह इतनी छोटी है वह ग्रपने ग्राप जा ही नहीं सकती। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं, उस मोहल्ले में ग्राम ग्रादमी तो क्या, वह मोहल्ला ही इस तरह का है, काम्पेक्ट मोहल्ला है तो वहां तो कोई ग्रादमी ग्राकर ले जाए तो ही है, नहीं तो वह बच्ची ग्रपने ग्राप मूव कर ही नहीं सकती। वह तो इतनी छोटी बच्ची है, मतलब मेरे भाई की बच्ची इतनी छोटी है, ड्राइवर की बच्ची थी, वह भी तीन-साढ़े तीन साल की है ग्रौर तीन बच्चियों की रिपोर्ट लोगों ने इसलिए दर्ज नहीं करायी कि बच्चियां मिल गयी ग्रौर शहर में ग्रालरेडी वातावरण खराब हो गया था। 10,000 हजार ग्रादमी पी.एच.ई.डी. में इकट्ठे हो गये थे। वह तो उस ग्रादमी को छोड़ा नहीं, नहीं तो उस ग्रादमी की जान निकाल देते ग्रौर ग्रगर वास्तव में जान निकाल दी होती तो शहर में ग्रौर ज्यादा वातावरण खराब होता।

(श्री भीमराज भाटी)

यह तो अच्छा हुआ कि पी.एच.ई.डी. के आफिसर्स ने उस आदमी को अन्दर पकड़कर बन्द रखा, उसके साथ मारपीट नहीं होने दी और वह अपने आपको मुसलमान क्यों बताता रहा और फिर शाम को जब पता चला, तो वह कैसे हिन्दू निकला इसलिए लोगों में एक सस्पिशियन था कि ऐसा न हो कि कोई गैंग पाली में आयी हो और वह काम कर रही हो....

श्री सभापति : उस आदमी के बारे में जांच करा लें।

श्री भीमराज भाटी : और पीछे-पीछे अलवर में यह किस्सा हुआ है। आज सुबह ही पेपर में आया है, अलवर में तीन बच्चियां गायब हैं।

श्री सभापति : कुछ अफवाह है। बिराजिये। माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री कैलाश मेघवाल : वह तो मैंने निवेदन किया, जो वास्तविक स्थिति थी वह ही चर्चा मैंने कर दी है। एक रेफरेंस आपने दिया है पेपर-जस्टिस। यह एक ऐसी बात है, इसका कारण है, कई बार इन्वेस्टीगेशन के दौरान या मुकदमा चलता है उसके दौरान जिस तरह के साक्ष्य आते हैं, वे पेपर में आते हैं, उसको अब जब तक नेगेटिव नहीं किया जाए, उस पर कोई यह उम्मीद करें कि अलग से कोई चीज सब मामलों में होती है, इसलिए मैंने आपसे चर्चा में कहा था कि देखिये, कई बार पेपर-जस्टिस भी होता है, पेपर पर जो साक्ष्य है, पेपर पर जिस तरह की सामग्री है उसी के आधार पर फैसला होगा और उस पांइट को आपने इतना बढ़ाया-चढ़ाया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमे जाते हैं। वहां तो जो कागज में होता है उसी को देखा जाता है, इसलिए पेपर जस्टिस तो हमारी सारी इन्वेस्टीगेशन के, सारे ट्रायल्स का अल्टीमेट फल है इसलिए मैंने जिस तरह से इंटरप्रेट किया है, वह नहीं है।

श्री सभापति : धन्यवाद, चर्चा समाप्त हुई।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : नियम 131 के अन्तर्गत माननीय सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

मातृ कुण्डिया बांध से राशमी को पानी की उपलब्धि

श्री अर्जुनलाल जीनगर : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र के मेवाड़ के धार्मिक स्थल मातृकुण्डिया के अन्दर बने मेजा फीडर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस बांध का पानी राशमी की जनता को उपलब्ध हो।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : सभापति महोदय, प्रस्ताव मे वर्णित बिन्दुओं पर टिप्पणी निम्नानुसार है :–

(1) मेजा बांध के निर्माण के समय पूर्ण भराव क्षमता 3360 एम. सी. एफ. टी. थी जिसमें से उपयोगी क्षमता 3200 एमसीएफटी थी। उक्त क्षमता बांध में सिल्टिंग के कारण 2951 एमसीएफटी रह गयी है।

(2) मेजा बांध के भराव के द्वारा 46000 एकड़ सिंचित क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना एवं भीलवाड़ा शहर के पेयजल की आपूर्ति किये जाने का प्रावधान है।

(3) कोठारी नदी से मेजा बांध में पानी की आवक एवं आवक में कमी रही। आवक में कमी को देखते हुए मेजा फीडर परियोजना प्रस्तावित की गयी थी जिससे मेजा बांध की जलापूर्ति में हो रही कमी बनास नदी की जल आवक से पूरा किया जा सके। मातृकुण्डिया बांध से 58.2 किलोमीटर लम्बी 300 क्यूसेक क्षमता की मेजा फीडर परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 1990 में पूर्ण किया गया, जिस पर 2473 लाख रुपये खर्च किये गये। मेजा फीडर परियोजना मेजा बांध के पूर्ण होने के 33 वर्ष पश्चात् पूर्ण हुई है। इतनी लम्बी अवधि में श्रम एवं सामग्री की दरों में अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण दोनों की लागत की तुलना की जानी अपेक्षित नहीं है।

(4) मातृकुण्डिया बांध तथा मेजा फीडर परियोजना का मुख्य उद्देश्य मेजा बांध में कोठारी नदी की आवक में हुई कमी को बनास नदी की आवक से पूर्ति कर भीलवाड़ा जिले की 46000 एकड़ सिंचित क्षेत्र की भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना एवं भीलवाड़ा शहर की जल आपूर्ति किया जाना है। मेजा फीडर परियोजना के अन्तर्गत बने मातृकुण्डिया बांध का केचमेंट 1318 40 वर्गमील है जिसमें से चित्तौड़गढ़ (कपासन एवं राशमी तहसील) जिले का 75 वर्गमील एवं भीलवाड़ा जिले (गंगापुर तहसील) 107.2 वर्गमील एवं शेष 1138 वर्गमील राजसंमद जिले (आमेट, कुम्भलगढ, नाथद्वारा, राजसमंद तहसील) का आता है। अतः कुल जल आवक क्षेत्र (केचमेंट) में से लगभग 5 प्रतिशत पानी चित्तौड़गढ़ जिले से आता है। इस क्षेत्र की जनता की मांग पर मातृकुण्डिया बांध (भराव क्षमता 1789 एमसीएफटी) से वर्ष 1988 से प्रतिवर्ष उपलब्धता के अनुसार पानी कुओं के जलस्तर में बढ़ोत्तरी हेतु नदी में छोड़ा जाता रहा है।

मातृकुण्डिया बांध में पानी की आवक के अनुसार पानी नदी में छोड़ा जाता रहा है। नदी में छोड़े गये पानी से कुओं का जलस्तर बढ़ा है एवं सिंचित क्षेत्र रकबा 1989-90 में 6582 तथा वर्ष 1992-93 में 7935 हैक्टेयर बढ़ा है। क्षेत्र के कुओं में जलस्तर जो वर्ष 1980-81 से 1988-89 तक 3 से 30 मीटर था वह बढ़कर वर्ष 1992-93 में कमशः 5 से 27 मीटर हो गया है।

(श्री देवीसिंह भाटी)

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मातृकुण्डिया बांध बनने से राशमी क्षेत्र की जनता को पर्याप्त लाभ हुआ है तथा क्षेत्र की खुशहाली बढ़ी है।

(5) उपरोक्त विवरण के अनुसार मातृकुण्डिया बांध से राशमी क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है एवं कुओं के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है।

(6) (क) बनास नदी पर बनाये गये बांध के द्वारा राशमी क्षेत्र की क्षेत्रीय जनता को समुचित लाभ मिल रहा है।

(ख) मातृकुण्डिया बांध बनने से क्षेत्र में कुओं का जलस्तर बढ़ा है एवं सिंचित क्षेत्रफल भी बढ़ा है।

(ग) यह सही है कि राशमी क्षेत्र से बीसलपुर परियोजना बांध स्थल 200 किलोमीटर दूर है। बीसलपुर परियोजना के केचमेंट में बन रहे बांध सोमी- एवं भालोता की खेड़ी परियोजनाएं केचमेंट का आंकलन बीसलपुर-परियोजना में किया हुआ है अतः उनको पूर्ण करने का कार्यक्रम विभाग द्वारा प्रस्तावित है। सोमी परियोजना जमंन हैड से पूर्ण करना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त अन्य नये तालाब एवं एनीकट बनाये जाने के बारे में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा बीसलपुर बांध के केचमेंट में नये बांध एवं एनीकट्स का प्रतिबन्ध निर्देशित किये जाने से इस प्रकार के कोई नये कार्य प्रस्तावित किया जाना सम्भव नहीं है।

(7) राशमी क्षेत्र को बनास नदी में जल आवक के अनुरूप मातृकुण्डियां बांध में भराव के पश्चात् पानी दिया जाता रहा है। वर्तमान में सोमी एवं ओडवाडिया परियोजनाओं का निर्माण कार्य जमंन एड कार्यक्रम में प्रस्तावित है जिससे सिंचित क्षेत्र में विकास संभव है।

श्री अर्जुन लाल जीनगर : माननीय सभापति महोदय, जैसा कि सिंचाई मंत्री महोदय ने बताया कि राशमी क्षेत्र में कृषि भूमि इस बांध से बढ़ी है। क्या इस बांध से कोई नहर निकालकर राशमी क्षेत्र को कृषि योग्य भूमि को दी जाती है? क्या नदी में पानी छोड़ने से कुओं का जलस्तर बढ़ा है? आपके विभाग ने जो भी आंकड़े दिये हैं वे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरासर गलत है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि यह बांध मेजा बांध को बढ़ाने के लिये बनाया गया है और एक तरफ आप कह रहे हैं राशमी की खुशहाली बढ़ी है।

(श्री अर्जुनलाल जीनगर)

क्या आपने राशमी क्षेत्र की जनता को एक बूंद पानी भी दिया है ? जब आपने पानी ही नहीं दिया है तो खुशहाली किस तरह से बढ़ी है ।

माननीय सभापति महोदय, यह बात सही है कि कोठारी नदी पर भीलवाड़ा जिले में मेजा बांध बना हुआ है । उसमें कभी-कभी पानी की आवक कम होती है उसकी पूर्ति के लिये मेजा फीडर बांध मातृकुण्डिया में बनाया गया था परन्तु मेजा फीडर के अन्तर्गत यह रखा गया कि 400 एम.सी.एफटी पानी जो भीलवाड़ा के अन्तर्गत पेयजल की समस्या है उसको दिया जाए परन्तु सारा पानी मेजा डेम को दे दिया जाता है और एक बून्द पानी भी वहां पर बसने वाली जनता के लिये नहीं रखा जाता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि या तो 84 गांवों की 60 हजार जनता को दूसरे स्थान पर ले जाकर बसा दिया जाये या हमारे हक का पानी हमें दिलाया जाये । इस बांध की क्षमता 1789 एम.सी. एफटी है । नदी की आवक क्षमता 2810 एम.सी.एफटी है जबकि भीलवाड़ा शहर की 400 एम.सी.एफटी पानी की आवश्यकता है ।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र का पानी 24 2 किलोमीटर 300 क्यूसिक क्षमता वाली नहर बनाकर भीलवाड़ा में सारा पानी लिया जाता है और हमारी 60 हजार जनता का गला घोंट दिया गया है....(व्यवधान)....

श्री सभापति : माननीय सदस्य सुनें । इनकी अपने क्षेत्र की समस्या है आपकी अपने क्षेत्र की समस्या है । कहने दीजिये ।

श्री अर्जुन लाल जीनगर : मेरे क्षेत्र की जनता और वहां की कृषि योग्य भूमि प्यासी है । एक तरफ सरकार कह रही हैं कि कुओं का जल स्तर बढ़ा है जबकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कुओं का जल स्तर नीचे गिरा है और आज की यह हालत है । पहले यदि 24 घण्टे मोटर चलती थी तो आज मात्र 10 घण्टे मोटर चलती है । इस प्रकार की वहां हालत हो गयी है । जिस भूमि पर कपास और गन्ने की खेती होती थी यदि सरकार चाहे तो इस प्रकार के आंकड़े मंगाकर देखें कि आज हमारे क्षेत्र में कितने कपास और गन्ने की पैदावार हो रही है । गत 25 वर्षों से मेरे क्षेत्र की जनता का शोषण किया जा रहा है । ईश्वर प्रदत्त बनास नदी हमारा पालन करती थी लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार के सिंचाई मंत्री महोदय माननीय श्री रामप्रसाद लड्ढा ने हमारी सीता के समान बनास नदी का अपहरण किया है ।

श्री रतनलाल ताम्बी : नदी का ही अपहरण कर लिया है ।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : नदी के पानी का अपहरण किया है यानि नदी का

(श्री अर्जुनलाल जीनगर)

अपहरण हो गया है। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि हमारे क्षेत्र के अन्दर जो पानी मिलना चाहिए था वह हमें दिलाया जाए।

श्री सभापति : बिराजिये।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : अभी काफी बात है, पूरी कहनी पड़ेगी। इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की जनता का यह हक बन गया है कि हमारा पानी हमको दिलाया जाए, राशमी तहसील की कृषि योग्य भूमि के आंकड़े इस प्रकार हैं—

कुल भूमि-1 लाख 14 हजार एकड़,

कुल कृषि योग्य भूमि— 84 हजार एकड़।

सिंचित भूमि—19 हजार एकड़।

सभापति महोदय, इस प्रकार से स्पष्ट है कि 65 हजार एकड़ कृषि योग्य भूमि अब बेकार हो गयी है। पूर्व में 84 हजार एकड़ भूमि पर गन्ने की खेती होती थी लेकिन आज 65 हजार एकड कृषि योग्य भूमि बेकार पड़ी हुई है। मातृकुण्डिया डेम की भराव क्षमता 1780 एम. सी. एफटी. है जबकि उसकी आवक 2810 एम. सी. एफटी. है। अतः सभापति महोदय, 1100 एम.सी.एफटी. पानी अतिरिक्त आता है, उस 1100 एम.सी.एफटी. पानी को इस प्रकार से अलग-अलग किया जा सकता है उसमें 400 एम. सी. एफटी. पानी भीलवाड़ा को पेयजल के लिये दिया जाए, शेष 700 एम.सी.एफटी. पानी को बनास में प्रवाहित किया जाए जिसमे बीसलपुर के अन्दर बने, बीसलपुर परियोजना को उसकी आवक में बढ़ोतरी होगी। मातृकुण्डिया डेम की भराव क्षमता 1780 एम. सी. एफटी. है और इसी प्रकार से इस पानी का भी तीन प्रकार से आवंटन किया जा सकता है। 231 एम.सी.एफटी. पानी दरीबा माइन्स को दिया जाना चाहिये और वह वर्तमान में भी दिया जा रहा है। 600 एम. सी. एफटी. पानी का उपयोग बनास नदी हेतु पश्चिम की ओर बसे गांवों को सिंचाई हेतु उपलब्ध कराया जाए तथा 900 एम. सी. एफटी. पानी का उपयोग बनास नदी के पूर्व की ओर कृषि योग्य जो भूमि है, नयी कैनाल का निर्माण कराकर किया जाना चाहिये। मातृकुण्डिया बांध की समस्त समस्याओं के निराकरण हेतु सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग बुलाई जाए जिसमें इनका निराकरण हो सके तथा साथ ही मेरे क्षेत्र में बने दो बड़े बांध हैं, एक सोनी और दूसरा ओडवाड़ा, जो बीसलपुर के केचमेंट एरिया में नहीं आते है, उनको भी स्वीकृति दी जाये और उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाए ताकि मेरे क्षेत्र मे जो खुशहाली का आंकड़ा दिया गया है वह सम्भव हो सके। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री शांतिलाल जी खोईयाल।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमंद) . सभापति महोदय, यह मातृकुण्डिया, बांध बना हुआ तो चित्तौड़गढ़ जिले में है लेकिन जो पानी का बहाव क्षेत्र है वह राजसमंद जिले में है। और मेरे क्षेत्र की स्थिति ऐसी है कि हम दो पाटन में....

श्री सभापति : और पानी भीलवाड़ा में जाता है।

श्री रतनलाल ताम्बी : जयपुर, अजमेर आयेगा श्रीमन्।

श्री शांतिलाल खोईवाल : हां, वह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की दो तहसीलें हैं एक तो रेलमगरा और एक राजसमंद, राजसमंद से ऊपर नाथद्वारा तहसील में नन्दसमंद बांध बना हुआ है और रेलमगरा और राजसमंद तहसील के नीचे मातृकुण्डिया बांध बना हुआ है तो मेरे क्षेत्र की स्थिति ऐसी है कि जैसे हम दो पाटन में फंसे हुए हों और हमारा कोई हक नहीं है।

श्री सभापति : आप रास्ता बताइये।

श्री शांतिलाल खोईवाल : अब प्रश्न इस बात का है माननीय सभापति महोदय कि सारे का सारा पानी, बीच में आपने एनीकट निर्माण के लिए मना कर दिया। इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इस तरह के आदेश प्रसारित कर रखे हैं कि वहां पर किसी तरह के एनीकट का निर्माण न हो और डाउन स्ट्रीम से पानी का बहाव नहीं होने के कारण कुओं का जलस्तर नीचे चला गया। हिन्दुस्तान जिंक की माइन्स इतनी गहरी है कि सारे का सारा पानी रिसाव के माध्यम से खड्डों में चला जाता है और पेयजल के लिए उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में जो जमीन का ऊपरी पानी है वह तो बहकर निकल जाता है और जो जमीन के अन्दर का पानी है वह हिन्दुस्तान जिंक खींच लेती है।

ऐसी स्थिति में मेरा सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन है कि हम दो तहसीलों के जो लोग हैं उन लोगों की खैर-खब्ज करने के लिए, इनकी खुशहाली के लिए वहां के पानी के लिए हमें वहां पर एनीकट बनाने की इजाजत दी जाए, नहीं तो ऊपर से डाउन स्ट्रीम के कारण वहां पानी रूक जाता है नन्दसमंद में, तो वहां का पानी नहीं आ पाता और नीचे का पानी रोक रखा है। ऐसी स्थिति में हमारी स्थिति बड़ी दयनीय है और मैं चाहूंगा कि वहां पर हमें इस बीच में जो 60 किलोमीटर की दूरी है नन्दसमंद और मातृकुण्डिया में, इसके बीच में कहीं हमें कम से कम पांच फिट ऊंचा एनीकट बनाने की स्वीकृति प्रदान करें, ताकि उस क्षेत्र के लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। (धन्यवाद)

श्री सभापति : मंत्री महोदय।

श्री कालूलाल गुर्जर : एक केवल।

श्री सभापति : नो, नोट अलाउड। नहीं, बिलकुल नहीं, आपके कहीं आघात नहीं हो रहा है, बैठिये।

श्री कालूलाल गूजर : क्षेत्र का मामला है।

श्री सभापति : कोई मामला नहीं है, आप पर कुछ कहा नहीं है मंत्रीजी ने। बिराजिये। नहीं, नहीं अलाउ करूंगा। बिराज जाएं, नहीं अलाउ करूंगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : वह कह रहे हैं तो कहने दीजिये।

श्री सभापति : वह कह रहे हैं तो कह रहे हैं, मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। कृपया सुने। नो।

श्री रामपाल उपाध्याय : हमारे एरिया का मामला है।

श्री सभापति : नहीं-नहीं, आप लोगों को अलाउ नहीं करूंगा।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, मूल में मेजा बांध बनाया गया और उसकी मेन फीडर मेजा बांध की कोठारी नदी थी और कोठारी नदी में पानी की आवक कम होने की वजह से यह मेजा फीडर का निर्माण करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया और अब तो सभापति महोदय, परिस्थिति बिलकुल ही अलग है कि 1990 में इस फीडर का निर्माण पूर्ण कर दिया गया और इसके ऊपर काफी राशि भी खर्च कर दी गयी और इसी के ऊपर मेजा बांध वाले और आगे का सारा क्षेत्र डिपेन्डेन्ड है। अब माननीय सदस्य जो चिन्ता कर रहे हैं, ठीक है उनके साथ अन्याय हुआ होगा उस समय जो निर्णय लिया गया, लेकिन अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि सारा जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, जिनको हम पानी दे रहे थे उनको अब वापिस वंचित कर दें। इस बनास नदी के अन्दर पूर्व में भी पानी जैसे चलता था, वह वहां इस तरह भी था बीच में कहीं रोका भी नहीं जा रहा था और अब भी मैं सभापति महोदय, बताऊं आपको, इस मातृकुण्डिया बांध से 1988 में कुल आवक हुई 1065 एम. सी. एफटी और मेजा बांध का जो डाइवर्सन किया गया....

श्री सभापति : आप वर्तमान में जो स्थिति है उसमें कुछ चैन्ज कर रहे हैं?

श्री देवीसिंह भाटी : वह करने की स्थित नहीं है।

श्री सभापति नहीं है तो फिर बस, चर्चा समाप्त हुई।

श्री देवीसिंह भाटी : अब इसके उपरांत भी जो पानी बनास नदी में आगे छोड़ा गया है जिसके लिए मैंने पूर्व में भी निवेदन किया कि वहां का वाटर लेबल बढ़ा है और उसमें लगातार 1980 से लेकर जैसे 1990 में 2400 एम. सी. एफटी. छोड़ा गया, 1991 में 2050, 1992 में 1354, 1993 में 1779, यह पानी भी आगे चलता रहा है और जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया कि जहां 80-81 से 89-90 तक 330 मीटर का वाटर लेबल था वह वर्ष 92-93 में बढ़कर 527 मीटर हो गया।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : गलत है श्रीमन्।

श्री देवीसिंह भाटी : गलत तो खैर अब आपके होगा। या तो मेरे विभाग ने सूचना गलत दी है, तो आप इसकी मुझे सूचना दें, गलत उत्तर दिया है तो निश्चित तौर पर कार्यवाही मैं करूंगा और अब इसमें कुछ नया होना सम्भव नहीं है।

श्री सभापति : ठीक कह रहे हैं। चर्चा समाप्त हुई।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : एक सैकण्ड श्रीमन्।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बीस साल पहले दी गयी सुविधा कोई वापस नहीं ले सकते। आप विराज जाएं।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : तो श्रीमन्, एक काम किया जाए, सरकार से एक निवेदन करता हूं कि मेरी साठ हजार जो जनता है उनको कहीं दूसरी जगह बसा दिया जाए।

श्री देवीसिंह भाटी : बसा दिया न, जो केचमेंट में आये हैं।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : नहीं, केचमेंट है तो ये क्या करेंगेश्रीमन्।

श्री सभापति : आप बिराजिये। मेरी बात सुनें।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : नहीं, आज जहां 46 हजार एकड़ भूमि को भीलवाड़ा के अन्दर सिंचित कर रहे हैं जबकि मेरे वहां पर कितनी भूमि सिंचित योग्य है 84 हजार एकड़ और बेकार पड़ी है 65 हजार एकड़।

श्री देवीसिंह भाटी : यह तो हो चुका।

श्री सभापति : आप विवाद का विषय नही बनायें, आप पर कोई आघात नहीं हो रहा है।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : नहीं तो क्या करेंगे श्रीमन्। हमारा क्या दोष है, हमारी जनता का क्या दोष है। यह बताओ आप।

श्री देवीसिंह भाटी : आप सुझाव देना चाहें।

श्री सभापति : आप क्या चाहते हैं?

श्री अर्जुनलाल जीनगर : हम यह चाहते हैं कि हमें हमारा पानी मिले। यह चाहिए हमें तो, सीधी बात है श्रीमन्।

श्री देवीसिंह भाटी : वह तो निर्मित होकर सारा कुछ हो गया।

श्री सभापति : आप बिराज जाएं। आपकी बात आ गयी। आप बिराजें। आपने मंत्री महोदय को कह दिया।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : नहीं तो एक कमेटी का गठन करवाइये और यहां एक मीटिंग रखवाइये जिसमें निम्न आदमियों को रखा जाए।

श्री सभापति : पहले जवाब राज्य सरकार ने दिया है कि सारे एनीकट्स के बारे में यह कोई कमेटी गठित कर रहे हैं उसके सामने आप भी अपना पक्ष रखना। बिराजिये माननीय सदस्य।

श्री अर्जुनलाल जीनगर : धन्यवाद।

श्री समापति : चर्चा समाप्त हुई। श्री नाथूराम अहारी, श्री पूंजालाल गरासिया, श्री फतेहसिंह, श्री दयाराम परमार, श्री महावीर भगोरा, सदस्य, विधान सभा जनजाति क्षेत्र में सामूहिक लिफ्ट योजना के तहत जनजाति के काश्तकारों से ली जा रही दस प्रतिशत राशि से उत्पन स्थिति के सम्बन्ध में जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में सामूहिक लिफ्ट योजना के तहत काश्तकारों से दस प्रतिशत राशि की वसूली

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : माननीय समापति महोदय, मैं जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जो लिफ्ट योजनाएं बनती हैं उनमें काश्तकारों से दस प्रतिशत जो राशि ली जाती है वह नहीं लिये जाने के बारे में माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री समापति : मंत्री महोदय।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री) : समापति महोदय, जनजाति उपयोजना क्षेत्र एक पहाड़ी इलाका है, जिसमें काफी नाले हैं तथा इनमें हमेशा पानी बहता रहता है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण आदिवासियों की कृषि भूमि अधिकांशत: नालों के पास ऊंचे स्थानों पर है जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए ऐसे क्षेत्रों की कृषि भूमि में सिंचाई हेतु जलोत्थान सिंचाई योजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत नदी-नालों के पानी को ऊपर उठाकर खेतों तक पहुंचाया जाता है।

इस योजना की लागत क्षेत्रवार पृथक-पृथक आती है जो 3.00 लाख से 10.00 लाख रुपये तक हो सकती है। प्रत्येक परियोजना की लागत का 90 प्रतिशत व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है तथा शेष 10 प्रतिशत भाग लाभान्वितों से श्रम के रूप में कार्य करवाया जाता है। एक जलोत्थान सिंचाई योजना से लगभग 40 से 50 आदिवासी किसानों की भूमि को सिंचित किया जाता है जो लगभग 30 से 40 हैक्टेयर होती है। इस योजना से आदिवासियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने से कृषि पैदावार में वृद्धि होने के कारण उसकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि होती है।

प्रत्येक जिले के जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा जलोत्थान सिंचाई योजना के स्थानों का चयन करके उसकी अनुमानित लागत तैयार की जाती है। तत्पश्चात् इन तकनीकी अनुमानों के साथ जलोत्थान योजना के प्रस्ताव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा अनुमोदन/स्थानों के चयन को प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित पैटर्न के अनुसार जारी की जाती है।

इस योजना का क्रियान्वयन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा किया जाता है। जहां तक लिफ्ट सिंचाई का निर्माण गठित समिति द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के तकनीकी मार्गदर्शन

(श्री नन्दलाल मीणा)

में किया जाता है। परियोजना के संचालन एवं रख-रखाव का कार्य भी गठित समिति द्वारा किया जाता है।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत जलोत्थान सिंचाई हेतु वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक निम्नानुसार राशि आवंटित की गयी :–

1991-92 में 61.20 लाख का आबंटन था जिसकी तुलना में 54.68 लाख राशि का व्यय हुआ। 1992-93 में 54.17 लाख का आबंटन था इसके विपरीत 54.17 लाख का व्यय हुआ, इसी तरह 1993-94 में 60.00 लाख के मुकाबले 62.67 लाख का व्यय हुआ, परन्तु अध्यक्ष महोदय जो लक्ष्य निर्धारित थे वह वर्ष 1991-92 में 17 के मुकाबले 11 उपलब्धियां रहीं, 92-93 में 12 लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं के मुकाबले 7 ही बन पायी। इसी तरह 1993-94 का लक्ष्य 15 निर्धारित था, उसके मुकाबले में 6 ही बन सके।

जनजाति काश्तकारों की आर्थिक हालत दयनीय होने के कारण 10 प्रतिशत राशि नहीं दे पाने के कारण ऐसी योजनाओं की क्रियान्विति नहीं हो पाना बताया है। इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि 10 प्रतिशत राशि लाभान्वित कृषकों के श्रम हिस्से के रूप में देय होती है न कि नकद वसूल की जाती है।

अतः 10 प्रतिशत राशि जनजाति के कृषकों के द्वारा नहीं दिये जाने के कारण कई योजनाएं नहीं बन सकने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। जैसा कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में वर्णित है।

यहां यह उल्लेखनीय अवश्य है कि यदि श्रम के रूप में 10 प्रतिशत हिस्सा भी जनजाति के गरीब कृषकों से नहीं लिया जावे तो वे अपने उस श्रम से अर्जित धन से अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं, जिसकी परम आवश्यकता है और जो जनजाति विकास कार्यक्रम का मूल उद्देश्य भी है।

श्री सभापति : हो गयी आपकी बात ?

श्री नाथूराम अहारी : नहीं हुई श्रीमन्। मंत्रीजी ने यह इतनी-इतनी रकम हर वर्ष में खर्च हुई है, यह बताया है और श्रम से वसूल करने के लिए कहा है। श्रम यही पैसा है, जहां श्रम करने जाते हैं तो पैसे ही लेते हैं, वैसे ही थोड़े ही करते हैं। हमारी मांग है कि उस पूरी राशि का व्यय, पूरा का पूरा जनजाति उपयोजना की तरफ से किया जाए। जनजाति के काश्तकारों की दयनीय हालत है। जनजाति के मंत्री ने लिफ्ट योजना का जो प्रावधान था, उसमें आधी परियोजना जो नहीं बन पायी, और तो और इसका मूल कारण यह है कि वह 10 प्रतिशत राशि नहीं दे पाते थे और नहीं दे पाते हैं।

मैं इसलिए आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि इस

(श्री नाथूराम अहारी)

पूरी 10 प्रतिशत राशि, जो है, वह काश्तकारों से नहीं ली जाए और अगर ली जाएगी तो मैं समझता हूं कि काश्तकारों, जनजाति के काश्तकारों को जो व्यक्तिगत लाभ मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पायेगा।

श्रीमन्, उदयपुर डिविजन पहाड़ी प्रदेश है, पहाड़ी एरिया है। वहां नदी-नालों का पानी भयंकर रूप से बहकर चला जाता है। अपने चाहे अनावृष्टि हो या एक दो बरसात होती है तो भी काफी पानी चला जाता है तो यह 10 प्रतिशत राशि काश्तकारों से नहीं ली जाए, ताकि जनजाति के काश्तकारों को फायदा मिल सके, यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री सभापति : मंत्री महोदय।

श्री फतेहसिंह (कुशलगढ) : मैं थोड़ा सा····

श्री सभापति : आ गयी, एक ही बात है, बिराजें। मैं अलाऊ नहीं करूंगा, बिराजें।

श्री उदयलाल आंजना : मेरा एक सुझाव है।

श्री सभापति : आपका नहीं है, नहीं मैं सुझाव नहीं ले रहा हूं आप बिराजें, आवश्यकता पड़ी तो ले लूंगा।–

श्री फतेहसिंह : मंत्री महोदय मैंने····

श्री सभापति : मैं आपको बार-बार अलाऊ करता हूं। मैं नहीं कर रहा हूं, आपका नहीं है इसमें, बिराज जाएं।

श्री फतेहसिंह : मेरा नाम है इसके अन्दर, मेरा तो सुझाव यह है कि····

श्री सभापति : आप एक बार बिराजें।

श्री फतेहसिंह : जनजाति क्षेत्र में जितनी राशि खर्च होती है उसका 10 प्रतिशत पैसा माफ किया जाए, यह मेरा कहना है, मैंने दिया था तो आप बोलने नहीं देंगे क्या ?

श्री सभापति : मैं अलाऊ नहीं कर रहा हूं, आप बोले जा रहे हैं, आप बिराजें पहले। मैं नाम पुकार रहा हूं श्री पूंजालालजी आप क्या पूछना चाहते हैं, अब पूछिये आप। पूंजालालजी नहीं है। श्री फतेहसिंहजी अब आप पूछिए।

श्री फतेहसिंह : सभापति महोदय, मैं तो मंत्री महोदय से यही पूछना चाहता हूं कि जनजाति क्षेत्र में जो लिफ्ट लगायी जाती है, उसमें कुछ इलाका पहाड़ी इलाका है। उस इलाके में काफी नदियां डूंगरपुर, बांसवाड़ा में हैं और वहां पर लिफ्ट का जो लक्ष्य रखा जाता है उसके अन्दर 10 प्रतिशत वहां के आदिवासी गरीब किसान जो मजदूर के रूप में माने जाते हैं, उनसे पैसा वसूल किया जाता है। जब तक 10

(श्री फतेहसिंह)

प्रतिशत पैसा जमा नहीं होगा तब तक उस क्षेत्र में वह लिफ्ट लगेगी नहीं, तो मेरा तो मंत्री महोदय से यही निवेदन है कि ट्राइबल एरिया में जनजाति योजना के अन्तर्गत काफी धन आता है और यह 10 प्रतिशत पैसा अगर आप नहीं लेंगे और काश्तकारों को सब्सिडी के रूप में उसको मान लेंगे तो कई तरह की लिफ्ट लग सकती है और काफी छोटे किसानों को लाभ मिल सकता है और जो सूखी जमीन है, सिंचित होगी, उत्पादन बढ़ेगा और लोगों को लाभ मिलेगा, यह मेरा सुझाव है ।

श्री सभापति : श्री दयाराम परमार ।

श्री दयाराम परमार (खेरवाड़ा) : माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि ट्राइबल को जो 10 प्रतिशत पैसा देना है, वह पैसा नहीं देकर के श्रम के रूप में देना है । मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री सभापति : निवेदन नहीं पूछिए ।

श्री दयाराम परमार : आप इस तरह के कार्यक्रम में जो कार्य चलाते हैं वह 6 महीने, 8 महीने तक काम चलता रहता है और यदि वह आदमी 10 प्रतिशत का जो श्रम दान देना है, 6 महीने तक अपने काम में लगा रहे तो वह जीवन गुजारने के लिए, बाहर जाकर के अपना गुजारा, पेट भरने के लिये काम करता है, वह काम नहीं कर पाता है । आपके पास में करोड़ों रुपया है, तो फिर ट्राइबल की भलाई के लिए आपके पास में डिपार्टमेंट है तो इतनी आप मेहरबानी करके 10 प्रतिशत पैसा परियोजना के लिये जमा करा दो तो न तो आपका डिपार्टमेंट ★ खाली होना है, मेहरबानी करके इस पर विचार करके ..

श्री सभापति : श्री महावीर भगोरा । विराजे दयाराम जी, विराज जाएं। बात आ रही है ।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : माननीय सभापति महोदय, पानी की लिफ्ट योजना के बारे में यह हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है । मेरा निवेदन है कि इस जनजाति क्षेत्र में जो बड़ी नदियां हैं, उन पर डैम बने हुए हैं, उनमें बैकवाटर में जो पानी है उसको लिफ्ट कर लोगों के खेतों तक पहुंचाना है । हां यह रहा है कि लिफ्ट इरिगेशन स्कीमें हमारे यहां लागू होती हैं, उनमें से 25 प्रतिशत इरिगेशन स्कीमें बन्द हो गयी ।

इसके पीछे कारण यह है कि वहां का

★ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया ।

Page No.110

(श्री महावीर भगोरा)

जो गरीब आदिवासी किसान है उसका मैनेजमेंट, बिजली का पेमेण्ट है, वह इतना ओवर ड्यू हो गया कि वह पेमेण्ट नहीं कर पाता है। पेमेंट नहीं करने से वह लिफ्ट ईरिगेशन स्कीमें बन्द हो गयीं तो इसलिये हम जो 10 प्रतिशत की राशि है, वह टी. ए. डी. डिपार्टमेंट द्वारा चुकायी जाए, यह हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से रखा है।

श्री सभापति : श्री नन्दलाल मीणा।

श्री नन्दलाल मीणा : माननीय सभापति महोदय, इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को दो भागों में विभाजित करना पड़ेगा।

श्री सभापति : करिए।

श्री नन्दलाल मीणा : आप भी इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, जनजाति उपयोजना क्षेत्र और जनजाति यह दो ऐसे अभिकरण इसमें बनते है जिनसे जो पैसा अब तक इस इलाके में खर्च किया जाता रहा, इस आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ मिलता रहा और वास्तविक लाभ पाने वाले आदिवासी लाभ से वंचित रखे जाते रहे। मेरा इसमें केवल इतना निवेदन है, जो डूंगरपुर, कुशलगढ़, खेरवाड़ा और गोगुन्दा से चुनकर आने वाले माननीय सदस्य ने सवाल उठाये हैं, सवाल दस प्रतिशत का नहीं, सवाल इस बात का है कि इस आदिवासी इलाके में लिफ्ट की जो योजनाएं अब तक चल रही हैं उन योजनाओं में जो भी पैसा लगा है उसमें आदिवासी मूलत: लाभान्वित कम हुआ है।

इसलिए मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि किसी भी लिफ्ट स्कीम में पचास प्रतिशत से अधिक लाभान्वित होने वाले यदि आदिवासी समुदाय के लोग होंगे तो दस प्रतिशत पैसा उसको विशेष केन्द्रीय सहायता के माध्यम से जो जनजाति विकास विभाग के पास रहता है उसमें से खर्च किया जाए।

श्री सभापति : धन्यवाद। चर्चा समाप्त हुई। श्री बाबूलाल वर्मा, श्री गोपीचन्द जी, नियम 131 के अन्तर्गत समाज कल्याण मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

अनुसूचित जाति सहकारी निगम जयपुर में अन्धाधुन्ध खरीद

श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुसूचित जाति सहाकरी निगम के अधिकारियों द्वारा सरकारी मितव्ययता की घोषित नीति के विपरीत जो अन्धाधुन्ध और अनावश्यक व्यय किया जा रहा है उसके बारे में माननीय समाज कल्याण मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : सभापति महोदय, यह

(श्री मदन दिलावर)

पूर्णतया असत्य है कि राजस्थान अनुसूचित जाति विकास निगम में सरकार की मितव्ययता की घोषित नीति के विपरीत किसी प्रकार का कोई अन्धाधुन्ध एवं अनावश्यक व्यय किया जा रहा है।

यह भी असत्य है कि निगम की गाड़ियों एवं टेलीफोन का अधिकारियों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कार्यों में दुरुपयोग हो रहा है। जैसा कि स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति विकास निगम गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के आर्थिक उत्थान हेतु विभिन्न व्यक्तिगत, समग्र, सहकारी योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उत्थान से जोड़ता है एवं एतद् हेतु बनायी गयी योजनाओं को क्रियान्वित करता है जिसके लिए क्षेत्र में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों से सम्पर्क करने हेतु जाजम बैठक के आयोजन हेतु, सहकारी समितियां बनवाने हेतु सम्बन्धित क्षेत्र के बैंक अधिकारियों से सम्पर्क हेतु, टूलकिट की सामग्री के वितरण हेतु, संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों के निरीक्षण हेतु, यदि कोई शिकायत प्राप्त हो तो उस शिकायत की जांच हेतु तथा इसी प्रकार अन्य योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु निगम अधिकारियों को वाहन उपलब्ध करवाया जाता है।

इस प्रकार निगम के वाहन निगम की योजनाओं को त्वरित गति से क्रियान्वित करने के लिये ही उपयोग में लाये जा रहे हैं जिनका व्यक्तिगत उपयोग नहीं हो रहा है।

इसी प्रकार दूरभाष के उपयोग के सम्बन्ध में यह असत्य है कि निगम के टेलीफोन का उपयोग निगम के अधिकारियों के पारिवारिक व व्यक्तिगत उपयोग के लिए किया जा रहा है। अनुसूचित जाति विकास निगम के राजस्थान में तीस जिलों में अधिकारीगण व कर्मचारीगण हैं जिनके माध्यम से निगम की योजनाओं को जिला स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर तथा ग्राम स्तर पर क्रियान्वित किया जाता है तथा निगम स्तर से योजनाओं को त्वरित गति से क्रियान्वित करने हेतु जिला स्तर से क्रियान्वयन की प्रगति सूचना मंगवाने हेतु जिला स्तर, क्षेत्र स्तर, पंचायत स्तर तथा ग्राम स्तर के अधिकारियों से सहयोग लेने हेतु निगम के दूरभाष का उपयोग किया जाता है। जैसा कि विदित है कि दूरभाष के माध्यम से कमसे कम समय में उचित निर्देश प्रसारित किये जा सकते हैं तथा सूचनाएं मंगवायी जा सकती है जिस पर व्यय यदि व्यक्तिशः जिला स्तर से सूचनाएं मंगवायी जाए तथा डाक के द्वारा निर्देश प्रसारित किये जाएं तो तुलनात्मक दृष्टि से समय एवं धन की बचत करने वाला साधन है।

इस प्रकार दूरभाष पर जो भी व्यय किया गया है वह निगम योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु ही किया गया है।

(श्री मदन दिलावर)

यदि कोई कॉल व्यक्तिगत उपयोग हेतु की जाती है तो उसकी राशि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नियमानुसार जमा करवायी जाती है। जहां तक अधिकारियों द्वारा अर्दलियों के नाम पर फर्जी भुगतान उठाने का प्रश्न है यह भी सत्य नहीं है। अनुसूचित जाति विकास निगम के संचालक मण्डल की 14वीं बैठक के बिन्दु संख्या 14.9.6 में संचालक मंडल द्वारा निगम के प्रबन्ध ..

श्री सभापति : कितना विस्तृत है आपका जवाब ?

श्री मदन दिलावर : छोटा सा है। निदेशक एवं महाप्रबन्धक को अर्दली भत्ता भुगतान किये जाने हेतु सक्षम किया गया है। राज्य सरकार द्वारा उप शासन सचिव के स्तर के अधिकारियों को अर्दली भत्ता दिया जाता है। निगम में प्रबन्ध निदेशक एवं महाप्रबन्धक को आरम्भ में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी उपलब्ध करवाया गया था किन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी रखने के स्थान पर प्रबन्ध निदेशक को दो अर्दली तथा महाप्रबन्धक को एक अर्दली का भत्ता स्वीकृत किये जाने को निर्णय दिया गया। जिससे निगम की दैनिक वेतन-भोगी कर्मचारी के दायित्व की समस्या उत्पन्न नहीं हो। उक्त निर्णय के अनुरूप ही निगम के प्रबन्ध निदेशक एवं महाप्रबन्धक को अर्दली भत्ता दिया जा रहा है। जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी से अर्दली को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र भी नियमानुसार प्राप्त किया जाता है। अतः अर्दली के नाम पर किसी प्रकार का फर्जी भुगतान नहीं उठाया जा रहा है।

अन्य बिन्दु जो कि अधिकारियों के बंगलों पर जाने वाली पत्र पत्रिकाओं के भुगतान के सम्बन्ध में है। उक्त भुगतान निगम के कोष से किया जाता है। समाचार पत्र तथा पत्र पत्रिकाओं को क्रय करने के सम्बन्ध में संचालक मण्डल के द्वारा प्रतिवर्ष बजट निर्धारित किया जाता है तथा निगम के उप नियम संख्या 26 के पैरा 10 में प्रबन्ध निदेशक को यह शक्ति दी गयी है कि वह निगम के लिए, स्वयं के लिए तथा अधिकारीगण के लिए बजट की सीमा में रहते हुए समाचार पत्र उपलब्ध करवाने हेतु आदेश जारी कर सकता है तथा निगम में वर्तमान में अध्यक्ष, प्रबन्धक निदेशक, महा-प्रबन्ध तथा निगम में आने वाले समाचार पत्रों के लिए उक्त बजट के प्रावधान को ध्यान में रखते हुये

(श्री मदन दिलावर)

प्रबन्ध निदेशक द्वारा आदेश दिये जाते रहे है जिसका भुगतान करने से पूर्व उक्त अखबार तथा मैगजीन निगम के स्टाक रजिस्टर में दर्ज की जाती है तथा जिसका निस्तारण भी नियमानुसार किया जाता है। इस प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति विकास निगम विकास की विभिन्न योजनाओं से जुड़ा हुआ है तथा उक्त विकास के कार्य राजस्थान के पच्चास प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति के गांवों से लेकर उस गांव में भी किया जाता है जहां पर महज एक भी अनुसूचित जाति का परिवार रह रहा हो। उक्त गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्ति निगम से सामान्य रूप से सीधा सम्पर्क नहीं कर पाते हैं। किन्तु निगम की योजनाओं की....

श्री सभापति : संक्षिप्तीकरण करें।

श्री मदन दिलावर : संक्षिप्तीकरण तो नहीं, मैं जल्दी कर देता हूं। क्रियान्विति के सम्बन्ध में वे अपनी प्रतिक्रिया समाचार पत्रों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तथा साथ ही निगम भी अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं, उपलब्धि, प्रगति की सूचना सामान्यजन को देने हेतु समाचार पत्र का माध्यम अपनाता है। इस प्रकार निगम के अधिकारीगण के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि निगम की योजनाओं पर होने वाली जनप्रतिक्रिया, शिकायतों को देखें एवं उनके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें। अतः निगम के सीमित अधिकारियों को समाचार पत्र पत्रिकाएं उपलब्ध कराना आवश्यक हो जाता है, वह समाचार पत्र निगम द्वारा सम्पादित परिपेक्ष में महत्वपूर्ण संचार व फीड बैक का माध्यम है जिस पर किया जाने वाला व्यय बहुत कम है। अतः निगम की विकास की योजनाओं को समाचार पत्रों के माध्यम से गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को जोड़ने हेतु प्रबन्ध निदेशक द्वारा अध्यक्ष, महाप्रबन्धक, स्वयं के लिए तथा निगम के लिए समाचार पत्रों को मंगवाये जाने बाबत उचित समझते हुए सीमित अधिकारियों तक को समाचार पत्र/पत्रिकाएं उपलब्ध कराने हेतु आदेश प्रसारित किये गये हैं जिसका भुगतान निगम कोष से किया जाता है।

श्री सभापति : इतने लम्बे वक्तव्य के बाद आपको सवाल पूछना है ?

श्री बाबूलाल वर्मा : माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने जवाब दिया है, मैं जहां तक समझता हूं, मंत्री महोदय का जवाब जैसा कि उन्होंने बताया पूर्णतया असत्य है, मतलब इतना भ्रमित जवाब आपने दिया है। मैं मात्र चार या पांच चीजें आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा उसके बारे में मंत्री महोदय स्पष्टीकरण दें।

(14.00)

मैं आपके माध्यम से सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि 1992-93 में कुल योजना

(श्री बाबूलाल वर्मा)

व्यय और वाहनों के रख रखाव पर कितना खर्चा किया गया है ? इस वर्ष में कितनी जाजम बैठकें आयोजित की गयी, कितनी सहकारी समितियों का सम्मेलन किया गया एवं कितने गांवों को सम्बल योजनाओं के तहत लाभान्वित किया गया ? जैसा माननीय मंत्रीजी ने जवाब दिया है कि जो यात्रा व्यय हो रहा है उसका मूल कारण इस वजह से हो रहा है कृपया इसके सम्बन्ध में जानकारी दें कि कितना खर्चा इस वर्ष 1992-93 में इन्होंने किया ?

दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि वर्ष 1992-93 में विगत व्यय मिसलेनियस एक्सपेण्डीचर की कितनी राशि खर्च की गयी है ? यह राशि जो खर्च की गयी है यह पिछले पांच साल से 1988-89 का वर्ष था उसकी तुलना में कितने प्रतिशत अधिक वृद्धि इस राशि में की गयी है मिसलेनियस एक्सपेण्डीचर की एवं किस तरह का खर्चा किया गया है ? इसके बारे में मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा ।

तीसरी बात, जो मैंने आपके माध्यम से पूछी है । पत्र पत्रिकाओं, मनोरंजन...

श्री सभापति : यह बातें ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में उठायी थी ना आपने ।

श्री बाबूलाल वर्मा : जवाब मिला नहीं मेरे को । मेरे पास पूरे आंकड़ें हैं लेकिन मंत्री महोदय ने कहा कि होता ही नहीं है ।

श्री सभापति : आप ही वक्तव्य दे देते ।

श्री बाबूलाल वर्मा : वक्तव्य तो मंत्री महोदय देंगे ।

श्री जोगेश्वर गर्ग : कितना निगम का खर्चा है, कितना लम्बा चौड़ा वक्तव्य है तो इसलिये काफी लम्बा चौड़ा टाइम दीजिये इनको ।

श्री बाबूलाल वर्मा : यह निवेदन इतना वाजिब है कि आज इस निगम के बारे में चर्चा नहीं की तो इस निगम का जो मूल उद्देश्य है वह खत्म हो जाएगा ।

तीसरी बात, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि पत्र पत्रिकाएं, मनोरंजन, प्रचार-प्रसार पर जो राशि खर्च की गयी है, निगम का उद्देश्य है कि अनुसूचित जाति के विकास के लिए और उस वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए उसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार करें । मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि एक वर्ष के दौरान इन्होंने कितना तो एडवरटाइजमेंट्स पर पैसा खर्च किया, कितना उस वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिये पैसा खर्च किया ? जबकि इन्होंने लगभग एक करोड़ 87 हजार रुपये के आसपास इस व्यय पर खर्च किया है । मंत्री महोदय बतायें इस चीज को ।

एक दो बात और, आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में अर्दली के भुगतान के लिये मैंने

(श्री बाबूलाल वर्मा)

निवेदन किया था। अर्दली का भुगतान जो निगम से किया जा रहा है वह 1992-93 में कितना भुगतान किया गया ? राज्य सरकार के निर्देश है कि उप शासन सचिव के स्तर के अधिकारियों को ही अर्दली का भुगतान किया जा सकता है। तो निगम में कार्यरत महाप्रबन्धक है, क्या वह इस स्तर के अधिकारी हैं ? उनको उप शासन सचिव स्तर के अधिकारी के रूप में अर्दली का भुगतान किया जा सकता है ? उसके मामले में मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा।

एक चीज आपके माध्यम से और पूछना चाहूंगा कि जो अनुसूचित जाति विकास निगम है उसकी टोटल शेयर कैपिटल कितनी है ? इस शेयर कैपिटल का कितना पर्सेन्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेण्डीचर निगम कर सकता है ? इसके मामले में मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि 1992-93 में प्रशासनिक व्यय पर निगम द्वारा कितनी राशि खर्च की गयी, कितनी राशि खर्च होनी चाहिए थी एवं इस राशि को जो एक्सेस में खर्च की इसको मीट आउट कहां किया गया ? टोटल शेयर कैपिटल का जितना प्रतिशत खर्च करना चाहिए था अगर उससे एक्सेस किया है तो कौन से खाते में डेबिट करके पेमेण्ट किया है ? इसके बारे में मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहूंगा।

अन्त में, एक चीज और पूछना चाहूंगा कि वर्ष 1992-93 में सर्वे एण्ड प्रोजेक्ट्स पर कितनी राशि खर्च की गयी, कितने रुपये की योजनाएं निगम द्वारा बनायी गयी एवं पिछले वर्ष में कितनी ऋण राशि प्रदान की गयी ? मात्र 6-7 चीजें आपके माध्यम से जाननी चाही है। मेरे पास स्पष्ट आंकड़ें है। मंत्री महोदय इसका स्पष्ट जवाब दें।

श्री सभापति : श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : माननीय सभापति महोदय, किसी सन्त ने कहा है कि "राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट" उस बात को और किसी ने माना हो नहीं माना हो पर हमारे कार्पोरेशन के.... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : लूट लिया।

श्री जोगेश्वर गर्ग : आप जैसे लोगों के कारण ही यह हालत हुई है।.... (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, 1984 में निगम की स्थापना हुई। 10 साल हो गए, 10 साल में एन. एस. एफ. डी. सी. के माध्यम से चलने वाली योजनाएं पिछले दो साल से चल रही हैं। उन दो सालों के प्रश्नकाल में आंकड़े सामने आये, केवल 190 लोगों को लाभान्वित किया है। यह है इस कार्पोरेशन की पिछले 10 साल की उपलब्धि। इसके सिवाय क्या किया इस कार्पोरेशन ने ? कुछ साल दो साल के लिए

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

बी. एड., एस. टी. सी. के स्पेशल कोर्स चलाये थे वह भी बन्द कर दिये और वेल-फयर की ओर कोई भी गतिविधि पिछले 10 सालों में इन दो सालों में हुई उनको छोड़ कर कोई गतिविधि इस निगम की देखने को नहीं आयी। दूसरी तरफ निगम के खर्चे लगातार बढ़ते रहे। निगम के अन्य खर्चे तो बढ़े ही बढ़े साथ साथ दुर्भाग्य से निगम का अपना कोई नहीं और कुछ लोग वह होंगे बाकी सारे डेपुटेशन पर आते हैं और जो अधिकारी डेपुटेशन पर आये, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को या अपने मित्रों के चहेतों को आब्लाइज करके गये। किसी को पियोन बना दिया, किसी को ड्राइवर बना दिया, किसी को क्लर्क बना दिया। जो आया भर्ती करके चला गया, आवश्यकता थी या नहीं थी उसके बावजूद भर्ती किये गए। बोर्ड का निर्णय है कि आवश्यकता नही है लेकिन उसके बावजूद भर्ती किये गये। बोर्ड का निर्णय है कि टेम्परेरी लेना, डेली वेजेज पर, उसके बावजूद परमानेण्ट किये गए। बोर्ड का निर्णय है कि टेम्परेरी रखना उसके बावजूद परमानेण्ट किये गये। ऐसे उदाहरण मेरे पास है। निगम की अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति कितनी सहानुभूति होनी चाहिए निगम के अधिकारियों की वह भी कहीं नजर नहीं आती।

एक उदाहरण देना चाहूंगा निगम के कर्मचारी का। अजमेर में एक कर्मचारी था, क्लर्क था, वह बीमार था। लम्बे अर्से से बीमार होने के कारण निश्चित रूप से, स्वाभाविक रूप से जितनी उसकी सेवाएं होनी चाहिए थी वह नहीं दे पाता था। कुछ कमी रहती थी उसके काम में। उस अपराध में उसका बीमारी को नजर अन्दाज करके; अशोककुमार नाम था उसका और अनुसूचित जाति का था। अजमेर से उसको पाली ट्रान्सफर किया बीमारी की हालत में। उसके पिताजी रिटायर्ड थे उन्होने सोचा कि मेरे बच्चे का क्या होगा, कौन सम्भाल करेगा, उसके पिताजी उस सदमे से मर गए, उसके बावजूद उसका ट्रान्सफर निरस्त नहीं हुआ। उसके बाद यात्रा करते समय, पाली से अजमेर आते समय ट्रेन से वह गिर गया। ट्रेन से गिर कर उसके पैर कट गये उसके बावजूद उसकी ट्रान्सफर कैन्सिल नहीं हुई और उस स्थिति में वह मर गया और मरने के बाद राज्य सरकार की घोषित नीति है कि मृतक के आश्रित को नौकरी मिलनी चाहिए। उस बात को कई साल हो गये, मेरे ख्याल से तीन साल तो कम से कम हो गये, उस अशोक कुमार की पत्नी को या अन्य किसी को आज तक नौकरी नहीं मिली। यह हमारी सिम्पेथी, हमारी भावना है इस कार्पोरेशन के अधिकारियों की–अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के प्रति।

दूसरी तरफ एक उदाहरण और दूंगा। 1985 में एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ निगम की गाड़ी से। निगम का आफिसर गाड़ी चला रहा था, ड्राइवर नहीं।

Page No.117

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

आफिसर गाड़ी चला रहा था, अगला आदमी मर गया रोड़ पर। वह सवर्ण जाति का था, उसकी पत्नी को इमीजियेट हाथों हाथ पांच हजार रुपये कम्पनसेशन और कम्पनसेशन के बाद बोर्ड ने कह दिया कि यह पर्याप्त है उसके बावजूद बोर्ड ने उसको मेनुपुलेट करके उस महिला को टेम्परेरी नौकरी दी। एक्सीडेंट का केस कोर्ट में चला। कोर्ट का फैसला आया पांच साल बाद और फैसला यह आया कि मरने वाले की गलती थी चलाने वाले की नहीं थी। उसके बावजूद सभापति महोदय, उस महिला को परमानेण्ट किया। किसी विधवा को किया मुझे एतराज नहीं है, मेरी सहानुभूति है, उसके बावजूद उसका पति मरा है, अगला अपनी गलती से मरा है और सभापति महोदय, जो नौकरी दी गयी है परमानेन्ट, वह अनुसूचित जाति के कोटे में से दी गयी है जबकि आज तक उसने अनुसूचित जाति का होने का प्रमाण-पत्र तक प्रस्तुत नहीं किया है। यह बात भी कार्पोरेशन के रिकार्ड में है।

एक दो उदाहरण हालांकि विशेष सम्बन्धित नहीं है, सभापति महोदय, पर इसलिए मैं देना चाहता हूं कि सदन जान सके कि यह निगम जो अनुसूचित जाति के लोगों की भलाई के लिये चलाया जा रहा है उस निगम में काम करने वाले लोगों की अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति कैसी भावना है। यहां जो करोड़ों रुपया, पैसा आया वह अन्धाधुन्ध खर्च किया गया। माननीय सभापति महोदय, किस तरह से खर्च किया, मैं निवेदन करूं....

श्री सभापति : भाषण की अनुमति नहीं दूंगा। प्रश्न पूछिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग : यह निगम अपने आप में इतना बड़ा सवाल है, सभापति महोदय, उसका कोई जवाब मिल जाए तो हमको कोई सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं। सभापति महोदय, ऐसी स्थिति हो रही है कि बोलना आवश्यक है।

श्री सभापति : आप प्रश्न पूछिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग : मैं प्रश्न ही कर रहा हूं, सभापति महोदय। मैं यह जानना चाहता हूं, अभी इस से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि उसकी हिस्सा पूंजी का 4 पर्सेंट से ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। 20 पर्सेन्ट से ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो वह बाकी 16 पर्सेन्ट कहां से आ रहा है? (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया रामस्वरूप जी, सुनिये माननीय सदस्य।

श्री जोगेश्वर गर्ग : माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति के लोगों के विकास के लिए जो पैसा आता है उस पैसे को योजनाओं में खर्च नहीं किया जाता है और उसको बैंकों में जमा रख कर या

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

इधर-उधर जैसे आर.एम.ई.बी. को पैसा दे दिया, उस तरह से देकर उसके ब्याज में यह कार्पोरेशन अपना खर्चा चला रहा है। यह बहुत ही चिन्ताजनक स्थिति है। इस स्थिति को सुधारने के लिए माननीय मंत्री महोदय कुछ कर पायेंगे या नहीं, एक तो यह जानना चाहता हूं। दूसरी बात यह है, माननीय सभापति महोदय, कि कार्पोरेशन ने अपना पैसा लगाया है जे. डी. ए. में करीब 25 लाख रुपये ...

श्री सभापति : पुनरावृत्ति नहीं करें।

श्री जोगेश्वर गर्ग : 25 लाख रुपया जे. डी. ए. में लगाया है दुकानों के लिए, कियोस्क के लिए वह दुकानें आज तक नहीं मिली, दो साल हो गये उस बात को, 1992 का है। 1992 के मार्च और अप्रैल में वह पैसा जमा हुआ। आज तक भी दुकानें नहीं मिली। वह 25 लाख रुपया फालतू पड़ा है। इसी तरह से साढ़े 11,12 लाख रुपये खर्च करके नेहरू पैलेस में एक शोरूम खरीदा शोरूम चालू नहीं हुआ आज तक, दो साल से ज्यादा हो गए और उस शोरूम को चलाने के लिए दो कर्मचारियों की भर्ती कर दी गयी वह अभी तक तनख्वाह ले रहे हैं और वह शोरूम अब भी नहीं चल रहा है। यह 10-12 लाख रुपया फालतू अटका पड़ा है और इसका भी अभी तक कोई निस्तारण नहीं हुआ है। इस प्रकार के सैंकड़ों उदाहरण माननीय सभापति महोदय, इस कार्पोरेशन के बारे में मैं दे सकता हूं। कार्पोरेशन का एक नियम है कि कार्पोरेशन की कोई गाड़ी स्टेट की सीमा को पार नहीं करेगी। कार्पोरेशन की तीन गाड़ियां हैं।

श्री सभापति : इतनी लम्बी चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य। आज विधायी कार्य भी बहुत लम्बा है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : मैं यह जानना चाहता हूं कि इन तीन गाड़ियों में किसी ने दिल्ली तक की यात्रा कभी की है क्या? माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि नियम विरूद्ध था या नहीं।

श्री सभापति : आप बिराजें, अब मंत्रीजी जवाब देंगे।

श्री जोगेश्वर गर्ग : एक और अन्तिम बिन्दु, माननीय सभापति महोदय। 20 लाख रुपये खर्च हुए हैं पिछले 5 साल में गाड़ियों की खरीद और रख रखाव पर। मेरा निवेदन है, यदि किराये पर यह 3 गाड़ियां ली गयी होती तो उसका कितना खर्चा होता, तुलना करें और यदि वह सस्ता पड़ता हो तो निगम की गाड़ियां बेची जाएं और इससे सस्ते में किराये की गाड़ियां लेकर निगम को दी जाएं।

आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय। (व्यवधान) मैं अलाउ नहीं करूंगा मोदीजी।

(श्री सभापति)

(व्यवधान) जवाब आने दीजिए मंत्री जी का।

श्री हरिसिंह (महुवा) : पहले पूछ चुके हैं कि क्या निगम ने 3 करोड़ रुपया आर. एस. ई. बी. को लोन दिया है? यह सीधी सी बात है मंत्रीजी जवाब दीजिए।

श्री सभापति : हां, यह प्रश्न आ गया।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं, सभापति महोदय, यह निगम बनाया गया है अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के लाभ के लिए और अभी सवेरे मंत्रीजी ने जवाब दिया कि 1894 आवेदन-पत्र आये उनमें से 190 को लाभान्वित किया। अब आप अन्दाजा लगाइये इस निगम की क्या कार्यशैली है। किस प्रकार से यह कार्य करता है। क्या यह इन लोगों का भला कर पायेगा?

श्री सभापति : निगम पर चर्चा नहीं हो रही है माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल मोदी : चर्चा नहीं, मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूं कि आखिर यह कहा गलती है? इसकी आप मानीटरिंग, करिये, देखिये कि कितने लोग आवेदन कर रहे हैं।

श्री सभापति : बिराजो मोदी जी। मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं आपको।

श्री मोहनलाल मोदी : 190 को लाभ दे रहे हैं।

श्री सभापति : आप बिराज जाए मैं, इस तरह अलाउ नहीं कर रहा हूं।

श्री मोहनलाल मोदी : 20 करोड़ रुपया आर. एस. ई. बी. को लोन दे रहे हैं आप। आखिर यह क्या है?

श्री सभापति : इसका जवाब नहीं आयेगा, यह प्रश्न नहीं है, यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। बिराजें। (व्यवधान) मोहन लालजी मोदी मैं अलाउ नहीं करूंगा। बिराजिए। मैं आपको बाद में अलाउ करूंगा, बिराजें। हां, मैं समय दूंगा न, आप बैठिये।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण राज्य मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले माननीय सदस्य ने 1992-93 में वाहनों में कितना खर्चा हुआ, पत्रिकाओं और पैट्रोल पर कितना खर्चा हुआ, यह जानकारी चाही है। माननीय सदस्य को मैं बता रहा हूं माननीय सभापति महोदय, 1992-93 में चेयरमैन की जो गाड़ी है उस पर 22 हजार 850 रुपया पूरे साल का पैट्रोल का खर्चा है, मरम्मत का है 5277 रुपया, इस प्रकार से कुल मिलाकर 28,127 रुपया है पूरे साल का।

(श्री मदन दिलावर)

इसी प्रकार से, माननीय सभापति महोदय, प्रबन्ध निदेशक का पेंट्रोल का खर्चा 46 हजार····

श्री सभापति : अलग-अलग, मेरे पास समय नहीं है माननीय, आज बहुत लम्बा काम है इसलिए आप संक्षेप में जवाब दीजिए।

श्री मदन दिलावर : संक्षेप में दे रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, वाहन पर जो खर्चा हुआ है अध्यक्ष का 28127, प्रबन्ध निदेशक का इसमें मरम्मत और पेंट्रोल दोनों शामिल हैं 63,426 रुपये, महा प्रबन्धक का जो खर्चा हुआ है 1,04,488 रुपये। फिर माननीय सभापति महोदय, पत्र-पत्रिकाओं के खर्चे के बारे में चर्चा की गयी है। तो टोटल जो खर्चा है और पत्र-पत्रिकाओं पर 1750 रुपये महीने का खर्चा, कुल मिलाकर के 1750 रुपया पत्र-पत्रिकाओं का खर्चा है इसलिए (व्यवधान)

श्री सभापति : हां, बता रहे है।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, हां। निगम में पत्र-पत्रिकाएं जी. एम. के पास, एम. डी. के पास और अध्यक्ष के पास आती हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : यह प्रश्न में नहीं है माननीय सदस्य। फिल्म फेयर को या मैगजीन आती हैं क्या ? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अर्दली के बारे में भी माननीय सदस्य ने जानना चाहा है। माननीय सभापति महोदय, अर्दलियों के बारे में··· (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग : माननीय सभापति महोदय, गृहशोभा और फमिना जैसी पत्रिकाएं खरीदी जा रही है। निगम में उनका क्या उपयोग है, निगम की कार्यवाही में और निगम के सचालन में, उसकी गम्भीरता से जांच करवायी जाए, गाड़ियों की, इन सब खर्चों की।

श्री सभापति प्लीज बिराजिये। बीच में बाधा नहीं डालें। बिना मतलब हाथ ऊंचा नहीं करें। सुनिये मंत्री महोदय को।

श्री मदन दिलावर : मैंने वक्तव्य में भी बता दिया है, अर्दलियों का स्पष्ट कर दिया। कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं, पढ़ लें, इनके पास जवाब गया है।

इसी प्रकार से, माननीय सभापति महोदय, सम्बल योजना के बारे में चर्चा की गयी है। लगभग 4 हजार सम्बल योजना में, पहले तो छांटने में समय लगा होगा फिर उन लोगों से चर्चा की जा रही है। (व्यवधान)

श्री सभापति : करने में टाइम लगता है।

श्री मदन दिलावर : तो जाना आना होता है, माननीय सभापति महोदय, खर्चा तो स्वाभाविक है। (व्यवधान)

Page No.121

श्री सभापति : आप देख रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : इसी प्रकार से, माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जोगेश्वर जी गर्ग ने पूछा है कि बी. एड. और एस. टी. सी. क्यों बन्द की गयी। माननीय सभापति महोदय, मैं पहले भी आश्वासन दे चुका हूं कि बी. एड. और एस. टी. सी. प्रारम्भ करनी है और मैं तो यहां तक चाहता हूं कि जो मेल और फीमेल नर्स हैं उनकी भी ट्रेनिंग प्रारम्भ करनी है क्योंकि बहुत सारे टीचर्स की वेकेन्सी निकलने वाली हैं शिक्षा विभाग से और यह शिक्षा विभाग की आपत्ति की वजह से ही बन्द किया गया था हमारी तरफ से इसको बन्द नहीं किया गया।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, सारे प्रमुख सदस्यों ने जो प्रश्न पूछे हैं उसमें ही सारी कार्य संरचना पर आप देखें, देख कर कोई अगर बात नजर आती है तो आप माननीय सदस्यों से भी राय ले लें और इसमें सुधार कर लें।

श्री मदन दिलावर : ठीक है, माननीय सभापति महोदय, मैं सारा देख लूंगा।

एक माननीय सदस्य : और कम से कम इस हाउस की एक कमेटी बना कर जांच करवायें। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल वर्मा : मेरा तो अभी कोई भी जवाब नहीं आया, साहब।

श्री सभापति : हां, बिराजें, एक मिनट।

श्री बाबूलाल वर्मा : कोई जवाब ही नहीं आया।

श्री सभापति : आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में जो मुद्दे उठायें थे उसमें निगम के सारे कार्यकलापों पर जैसे निगम पर बहस होती है उस प्रकार चर्चा नहीं होगी। आज विधायी कार्य भी लिये जाने वाले हैं। आपने 5 प्रश्न पूछे थे उन प्रश्नों का जवाब माननीय मंत्री महोदय ने दिया है। माननीय जोगेश्वर जी गर्ग ने जो मुद्दे उठाये वे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के मुद्दे नहीं हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग : जांच करा ली जाए।

श्री सभापति : तो उस पर यह देखेंगे, जांच करेंगे इसलिए इस पर लम्बी चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा (व्यवधान) श्री जोगेश्वर जी गर्ग बिराजें।

श्री जोगेश्वर गर्ग : बहुत गम्भीर मुद्दा है। (व्यवधान)

श्री सभापति : एक, एक। बाबूलाल जी पूछ रहे हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री बाबूलाल वर्मा : माननीय मंत्री जी ने जैसा जवाब दिया है कि गाड़ी पर इतना खर्च किया गया है। मैं आपके माध्यम से सिर्फ यह जानकारी देना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, कि गाड़ियों

Page No.122

(श्री बाबूलाल वर्मा)

पर 3 लाख 14 हजार रुपये का एक साल के अन्दर खर्च किया गया। मात्र 3 गाड़ियां कार्पोरेशन में चल रही हैं उन पर, रख रखाव पर 7 लाख रुपये खर्च किये गये हैं। यह मैं आपके माध्यम से एक दो चीज निगम.... (व्यवधान).... माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया मैं एक चीज आपके माध्यम से जानना चाहूंगा (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज़।

श्री बाबूलाल वर्मा : विविध खर्च का जो बताया है, विविध खर्चा एक साल के अन्दर 13 लाख 42 हजार रुपया, वह किस हैड में दिया गया है ? कृपया इस चीज की जानकारी प्रस्तुत करें कि साढ़े 13 लाख रुपये किस चीज में खर्च किये गये ? एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, माननीय सभापति महोदय....

श्री सभापति : आर्डर-आर्डर, कृपया सुनिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : जांच करवायी जाए, सभापति महोदय।

श्री सभापति : करवा रहे हैं, बोलने तो दो आप।

श्री बाबूलाल वर्मा : माननीय सभापति महोदय, एक खास चीज, जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं वह सबसे बड़ी बात यह है कि जो निगम की शेयर कैपिटल है वह है 5 करोड़ 70 लाख रुपये, उसकी चार प्रतिशत राशि निगम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव व्यय में खर्च कर सकता है और वह राशि बनती है 22 लाख 80 हजार रुपये। 1992-93 में जो निगम द्वारा खर्चा किया गया वह एक करोड़ सात लाख 26 हजार रुपये किया गया। यह एक साल के अन्दर प्रशासनिक व्यय निगम ने खर्च किया। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच करवायें। सब से बड़ी बात....

श्री खेतसिंह राठौड़ : हाउस की कमेटी बना कर के जांच करवायी जाए। (व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप मीणा : उसमें एस. सी. और एस. टी. के लोगों को रखा जाए। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल वर्मा : सभापति महोदय, एक चीज और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो 80 लाख रुपये का गैप है, जो इन्होंने मीट आउट किया है। यह किस हैड में से मीट आउट किया ? क्योंकि या तो सेण्टर से असिस्टेंस आयी या जो डवलपमेंट के लिए शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए पैसा था उस पैसे को उन्होंने अपने प्रशासनिक व्यय में खर्च किया। इस पैसे की जांच करने के लिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ी इस निगम के अन्दर

(श्री बाबूलाल वर्मा)

अनियमितता चल रही है जिसका एक जीता-जागता छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा ।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, सुनिये ।

श्री सभापति : मैं सुन रहा हूं ।

श्री बाबूलाल वर्मा : माननीय सभापति महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि माननीय मन्त्रीजी ने बताया, जाजम बैठकें की जाती हैं, वहां समितियों का गठन करने के लिए विचार किया जाता है । झालावाड़ जिले में जब मैं पहली बैठक में उपस्थित हुआ तो वहां जो समाज कल्याण अधिकारी थे उनको अनुसूचित जाति विकास निगम की ए, बी, सी, डी, भी पता नहीं थी । उन्होंने एक रुपये का भी ऋण अनुसूचित जाति विकास के लिए नहीं वितरित किया ।

झालावाड़ जिले से माननीय विधायक महोदय श्री जगन्नाथ जी भी वहां थे, उस समय भी मैंने कहा, 1993-94 का वर्ष समाप्त हो रहा है कम से कम दस-बीस हजार रुपये का ऋण तो आप इस कार्पोरेशन के माध्यम से दो जो कि इसका मूल उद्देश्य है, लेकिन झालावाड़ जिले में एक रुपये का भी ऋण इस कार्पोरेशन के द्वारा नहीं दिया गया । समाज कल्याण अधिकारी जो कि इस निगम के मुख्य अधिकारी हैं उनको यहां तक पता नहीं है कि निगम की क्या योजना है । तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो निगम का मूल उद्देश्य है, करोड़ों रुपये का इन्वेस्टमेंट आज सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने कर रखा है उस निगम में कार्यरत काम करने वाले अधिकारी जो ऐसा अनाप-शनाप खर्चा कर रहे हैं इनकी न्यायिक जांच करवायी जाए और इस तरह की जांच समिति बना कर इसकी जांच करवायी जाए । मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं । .... (व्यवधान)....

श्री मदन दिलावर : मैं पूरा डिटेल जवाब दूंगा । .... (व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप मीणा : सारे मामलों की ...(व्यवधान) .... निकाल लूंगा मुझे बना दो चैयरमेन । ....(व्यवधान)....

श्री सभापति : मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं ।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, सारे सदन ने एस.सी. कार्पोरेशन के बारे में चिंता जतायी है, चिंता आवश्यक भी है, जतानी भी चाहिये परन्तु जब इतनी बात आयी है तो मैं पूरी डिटेल में जानकारी देना चाहता हूं माननीय सदस्यों को । ....(व्यवधान) ...

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : जांच की

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

बात को क्यों दबाते हो ? आप कहो कि जाँच करा देंगे । जिस तरह से जांच करायेंगे, इतने बड़े भ्रष्टाचार की आप लीपा-पोती करना चाहते हो, + + + (व्यवधान)....

श्री सभापति : कृपया सुनें ।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार की चिंता माननीय सदस्यों ने जतायी है, तो मैं यह उचित समझता हूं कि सब की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इन सारे मामलों की जांच करा ली जाएगी और दोषी के साथ कार्यवाही की जाएगी । ... (व्यवधान) ...

श्री ओगेश्वर गर्ग : किससे ?

श्री रामस्वरूप मीणा : जांच किससे करवायी जायेगी ?

श्री सभापति : कृपया बैठिये, बाबूलाल जी जवाब सुनें ।

एक माननीय सदस्य : फिर जांच में भी लीपापोती हो जाएगी ।

श्री सभापति : माननीय मोटवानीजी ।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय सदस्यों की कमेटी बनाकर के जांच करवायें आप ।

श्री किशन मोटवानी : सभापति महोदय, आप व्यवस्था दे कि किस तरह की इन्क्वायरी और किसी हाउस कमेटी से करवायें । वैसे तो मैं यह चाहता हूं कि....

श्री सभापति : हाउस कमेटी बार बार नहीं, ऐसे कामों में नहीं.... (व्यवधान)....

श्री रामस्वरूप मीणा : कोई कमेटी नहीं बनी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : सभापति महोदय, मैंने सब.... (व्यवधान)..

श्री सभापति : माननीय मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं, बिराजिये आप ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, अभी सदन में जिस प्रकार की चर्चा हुई, मैंने सारी सुनी है और इस चर्चा के आधार पर मैं स्वयं ही इसकी इन्क्वायरी करूंगा ।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई । सदन की मेज पर....

श्री मोहनलाल बारूपाल (जायल) : माननीय सभापति महोदय, मैं एक मिनट बोलूंगा ।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री सभापति : अब माननीय मुख्य मंत्री जी जांच कर रहे हैं, बिराजिये आप। ....(व्यवधान)....कविता क्या कह रहे हैं ? हां, बोलिये-बोलिये। .... (व्यवधान) .... कृपया, आर्डर प्लीज, सुनिये, माननीय सदस्य।

श्री मोहनलाल बारूपाल : सभापति महोदय, हमारे शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को आपने जो सुविधा दी है, वह तो ठीक है पर मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा हमारे लोगों को दारू पीना कुछ कम करवा दीजिये। इस विषय में मैं आपको, लोगों को दारू पीने की एक छोटी सी कविता सुना देता हूं। सभापति महोदय, दो साधू-महात्मा क्या कह रहे हैं कि--

"दारू दुःख का मूल है, क्यों पीता है अज्ञान,
खर्ची खोवे गांठ की बिगड़े बुद्धि और ज्ञान,
बल घटे बुद्धि घटे बिगड़े सभी शरीर,
आब घटे तन देह की बिगड़े ज्ञान गंभीर"।....

श्री सभापति : आप बिराजें, विषय में नहीं है। आप विषयान्तर हो रहे हैं, माननीय सदस्य, बिराजिये।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री ललितकिशोर चतुर्वेदीजी।

श्री मोहनलाल बारूपाल : हमारे को पूरी तो करने दो, सभापति महोदय।

श्री सभापति : मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं, विषयान्तर हो रहे हैं आप। ... (व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : आप भी पीते हैं क्या ? क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

सदन पटल पर रखे गये पत्रादि

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान स्टेट ब्रिज एण्ड कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड का 13 वां एवं 14वां वार्षिक प्रतिवेदन एव लेखे

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : सभापति महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उपधारा 3 का भाग (बी) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट ब्रिज एण्ड कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड, का 13 वां व 14 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति : याचिकाओं का उपस्थापना। श्री कालूलाल जी गुर्जर।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : सभापति महोदय, मैं; विधान सभा क्षेत्र माण्डल जिला भीलवाड़ा में सड़कों पर

Page No.126

(श्री कालू लालगुर्जर)

डामरीकरण कराने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं

(2) विधान सभा क्षेत्र माण्डल में पेयजल योजनाओं को पूर्ण कराने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं।

विधायी कार्य : विधेयक पर खण्डशः विचार

राजस्थान नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994

श्री सभापति : विधायी कार्य। राजस्थान नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994, खण्डशः विचार।

खण्ड—2, कोई संशोधन नहीं।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय सभापति महोदय, नगर पालिका के बिल पर सलेक्ट कमेटी बनी और सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट सदन में आ गयी तो आप जब खण्डवार जा रहे हैं तो मुझे सलेक्ट कमेटी की जो रिपोर्ट आयी है उसके ऊपर बोलना है।

श्री सभापति : आप जिस समय पारित हो उस समय बोलिये। खण्ड में कोई संशोधन नहीं है इसलिये इस समय नहीं बोल पायेंगे।

खण्ड—2, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड—2 स्वीकार किया गया।

खण्ड—3, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 प्रवर समिति द्वारा यथा संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड—3 यथा संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड—4 से 6, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 से 6 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड—4 से 6 स्वीकार किये गये।

खण्ड—7, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-7 प्रवर समिति द्वारा यथा संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड—7 यथा संशोधित रूप में स्वीकार किया गया

Page No.127

(श्री सभापति)

खण्ड—8 से 11 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड—8 से 11 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड —8 से 11 स्वीकार किये गये।

खण्ड–12, प्रभारी मंत्रीजी संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, खण्ड-12 में मेरा यह संशोधन प्रस्ताव है :

In sub-clause (b) of clause 12, between the words "shall be reserved for Women" and the punctuation mark. ".", as appearing at the end of clause (d) of sub-section (1B) of section 14 of the Act, the expression "in the first election held after the commencement of the Rajasthan Municipalities (Second Amendment) Act, 1994", be inserted.

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बोलना चाहेंगे इस खण्ड पर ?

श्री विष्णु मोदी : मैंने तो आपको व्यवस्था....

श्री सभापति : इस खण्ड पर, थर्ड रीडिंग पर आएगा....

प्रश्न यह है कि खण्ड-12 में जो संशोधन प्रस्ताव प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-12 यथासंशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड-12 यथासंशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-13 से 23 में कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 13 से 23 स्वीकार किये जाएं ?।

(स्वीकृत)

खण्ड-13 से 23 स्वीकार किये गये।

खण्ड 24 में कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खण्ड 24 प्रवर समिति द्वारा यथा संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

खण्ड-24 यथा संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

(श्री सभापति)

खण्ड 25 से 27 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-25 से 27 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड-25 से 27 स्वीकार किये गए।

खण्ड-28, प्रभारी मंत्रीजी संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : क्लाज 28 में संशोधन प्रस्ताव है मेरा।

In sub-clause (b) of clause 28, after clause (ii) of sub-section (5B) as being sought to be inserted in section 65 of the Act, the following new clause (iii) be inserted, namely:-

"(iii) for the purpose of reservation under sub-section (5A) each of the three categories of municipalities in the State shall be arranged and numbered in accordance with the Roman alphabet and the office of the Chairperson of the municipality so numbered as first, fourth, seventh and so on shall be allocated to women in the first election held after the commencement of the Rajasthan Municipalities (Second Amendment) Act, 1994 and as second, fifth, eighth and so on in the second election held after the commencement aforesaid. The allocation shall be rotated accordingly in all subsequent elections."

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड-28 में जो संशोधन प्रस्ताव प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है, उसको स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-28 यथासंशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड-28 यथासंशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-28 'क' कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खण्ड-28 'क' प्रवर समिति द्वारा यथाप्रस्तावित नवीन खण्ड के रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड-28 'क' नवीन खण्ड के रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-29, कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खण्ड-29 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड-29 स्वीकार किया गया।

(श्री सभापति)

खण्ड-30, कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खण्ड-30 प्रवर समिति द्वारा यथासंशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड-30 यथा संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 31, कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खण्ड-31 प्रवर समिति द्वारा यथासंशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड-31 यथासंशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 32 से 34 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खण्ड 32 से 34 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 32 से 34 स्वीकार किये गये।

खण्ड-35, कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खण्ड-35 प्रवर समिति द्वारा यथासंशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड-35 यथासंशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-36, कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खण्ड 36 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड-36 स्वीकार किया गया।

खण्ड-37, कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खण्ड-37 प्रवर समिति द्वारा यथासंशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड-37 यथासंशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-38 से 41, कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खण्ड-38 से 41 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड-38 से 41 स्वीकार किये गये।

खण्ड-42, प्रभारी मंत्रीजी संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय, खण्ड-42 में मेरा संशोधन प्रस्ताव निम्न प्रकार है :—

(श्री भवर लाल शर्मा)

In sub-clause (d) of clause 42, for the punctuation mark ";" appearing at the end of clause (a) of sub-section (4) of section 295 as being sought to be amended, the expression ";and" and for the expression ";and" appearing at the end of clause (b) of the sub-section aforesaid, the expression "."; and" be substituted and clause (c) of the sub-section aforesaid be omitted.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड-42 में जो संशोधन प्रस्ताव प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-42 यथा संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड-42 यथासंशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-43 से 44 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 43 से 44 तक स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड-43 व 44 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नामादि-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नामादि स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नामादि स्वीकार किये गये।

प्रभारी मंत्रीजी प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन), विधेयक, 1994 को यथा संशोधित रूप में पारित किया जाए ?

श्री सभापति : श्री विष्णु मोदी।

श्री रामनारायण चौधरी : यह अध्यक्ष महोदय की अनुमति के बिना पास नहीं हो सकता प्रस्ताव।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय सभापति महोदय, हमारे संविधान में अमेंडमेंट किया गया, उसमें मूल भावना यह थी कि नगरपालिकाओं को एक इस

(श्री विष्णु मोदी)

तरह की संस्था बना दी जाए कि वह प्रभावी रूप से काम कर सके। जो मूल भावना कांस्टीट्यूशन में रही, हमारी इस सरकार ने जो कानून बनाया है, उसमें वह मूल भावना ही लुप्त है। सरकार ने पहले सलेक्ट कमेटी को भेजा। लेकिन उसमें भी आधे-अधूरे मन से काम हुआ तथा जो कान्स्टीट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ है, उसकी मूल भावना इसमें समाप्त हो गयी। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इसमें इलेक्शन कमीशन को सारी अथारिटी दे दी लेकिन आपने इसमें कण्ट्राडिक्शन अभी रख लिया इलेक्टोरल रोल तैयार करने का, सारा काम करने का जो काम था वह इलेक्शन कमीशन को आपने दे दिया लेकिन आपने इसके खण्ड-24 को संशोधित नहीं किया। खण्ड-24 यह कहता है, Persons qualified for being Members. और सैक्शन 29 में आगे इन्होंने सारा लिखा है कि इसमें कैसे होगा। तो आपने एक जगह तो जो पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को थी वह आपने इलेक्शन कमीशन को दे दीं लेकिन दूसरी जगह आपने स्टेट गवर्नमेंट को ही रखा। तो यह आपने आप में एक कंट्राडिक्शन है।

इसके अलावा इसकी मूल भावना यह थी कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी हो और उसमें जो लोग नोलेजेबल हैं या एक्सपीरियंसड हैं उनको नामिनेटेड करेंगे। आपने इस अमेंडमेंट के द्वारा यह किया कि वह कोआप्ट करेंगे। मैं, सभापति महोदय, यहां आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, कि कोआप्शन नहीं किया है, नामिनेशन ....

श्री सभापति : हां, बोलिये।

श्री विष्णु मोदी : नहीं, आपकी गर्दन हिली........

श्री सभापति : मेरी गर्दन हिली, इसका आप क्या अर्थ लगा रहे हैं।

श्री विष्णु मोदी : क्योंकि आप भी कमेटी के मैम्बर थे तो जो मैंने इसमें देखा है, जो नामिनेटेड होने थे उसकी जगह आपने कर दिया कि बोर्ड के मैम्बर ही कोआप्ट करेंगे। कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट की भावना है कि जो एक्सपीरियंसड लोग हों, जो उस फील्ड के लोग हों, उनका नामिनेशन हो। अब कोआप्शन जब होगा तो उनकी आपने क्वालीफिकेशन नहीं रखी। फिर आपने यह कर दिया कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का मैम्बर भी इन्हीं में से होगा। तो अगर वह कोआप्टेड मैम्बर होगा तो उसको वोटिंग राइट भी होगा और कोआप्टेड मैम्बर नहीं होगा तो उसको वोटिंग राइट नहीं होगा, खाली नामिनेटेड मैम्बर होगा। यह जो मूल भावना कांस्टीट्यूशन की है........

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जहां तक मुझे याद है, आपके दल के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह संशोधन करने के लिए कहा था। बाकी प्रभारी

Page No.132

(श्री सभापति)

मंत्रीजी तो इस संशोधन के पक्ष में नहीं थे लेकिन प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने सामूहिक रूप से कहा था कि राज्य सरकार को अधिकार न देकर नगरपालिका को अधिकार दिये जाएं। उस रूप में, यथा स्थिति रूप में है।

श्री विष्णु मोदी : प्रतिपक्ष के लोग हों, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों लेकिन कांस्टीट्यूशन में जो लिखा है आप उससे थोड़े ही हट कर जाओगे। नगरपालिकाओं की जो आपने हालत बना रखी है और जहां तक आदरणीय भंवरलाल जी शर्मा का सवाल है, वह तो इसको गाजर मूली के जैसे समझते हैं, इसके अलावा नगरपालिका को समझते हैं नहीं। किस चेयरमैन को हटाना है, मर्जी आये जिसको हटा दिया मर्जी आये जिसको नहीं हटाया, इस तरह की जो व्यवस्थायें चल रही थीं..........

श्री शांतिकुमार धारीवाल : विजय नगर का क्या हुआ ?

श्री विष्णु मोदी : विजय नगर की तो बात इसके बाद में करेंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : पहले करो ना बात। विजय नगर की बात करो।

श्री विष्णु मोदी : पहले विजय नगर की बात दूं। आपने यह कहा था, मतलब इतनी गलत बयानी, मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि भंवरलाल जी शर्मा जो नम्बर टू कहलाते हैं और यह है कि भैरोंसिंह जी के बाद अगर कोई मुख्य मन्त्री बनेगा तो भंवरलाल जी शर्मा ही बनेंगे, उन जैसे व्यक्ति ने सैक्रेटरी साहब के सामने यह कहा कि मैं फाइल खेतसिंह जी राठौड़ और गुलाबसिंह जी शक्तावत को दे दूंगा और उसके बाद में आज तक फाइल नहीं दी, न यहां उन्होंने बयान ठीक दिया। मतलब आप चाहते क्या हैं ? माननीय सभापति महोदय, अगर नम्बर टू हैं तो He should behave like No. 2. But I don't know what is wrong with him.

श्री भंवरलाल शर्मा : I will let you know.

श्री विष्णु मोदी : नम्बर टू नहीं है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : I will let you know if you would want so. यह सारी आपकी बात जानकारी में है। आप इसे उठाना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री विष्णु मोदी : फाइल आज आप दे देंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : परन्तु आपको यह जानकारी है। माननीय खेतसिंहजी बिराजमान हैं, आपको सारी जानकारी होगी इनसे। तो आप यह काहे को

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कहते हैं कि मैंने यह नहीं किया, वह नहीं किया।

श्री विष्णु मोदी : उन्होंने यह कहा है कि उन्होंने मना कर दिया फाइल देने से।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह बैठे हैं ना यहां पर। अभी यहां बैठे हैं ना। पहले आप अमेंडमेंट पर बात करिये।

श्री विष्णु मोदी : तो, सभापति महोदय, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे प्रतिपक्ष के लोग हों, इसकी मूल भावना यह है कि इसमें जो आदमी नामिनेटेड हो, वह वो नामिनेटेड हो जिसको एक्सपीरियेंस हो।

(14.45)

(श्री रमाकांत शर्मा, सभापति, पदासीन।)

मूल भावना जो कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट की है इसके कंट्राडिक्शन में आपने कानून बनाया है। इसमें नामिनेट करने की बात कही गयी है, वह उन व्यक्तियों को नामिनेट करने की बात कही गयी है जिसको एक्सपीरियेंस हो, जो इस फील्ड में अपना महत्व रखते हों। और अगर कोआप्शन होगा तो उनको भी वोटिंग राइट होगा और नामिनेशन होगा तो उनको वोटिंग राइट नहीं होगा। तो मेरा मंत्री महोदय से है आपके माध्यम से यह निवेदन है कि जो मूल भावना हमारे कांस्टीट्यूशन की है उससे अलग हट कर आप कोई काम नहीं कर सकते और न आपको करना चाहिये।

दूसरी बात मुझे जो कहनी है वह यह है कि इसमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का आपने यह रख दिया कि जो चुने हुए आदमी है वही उसके चेयरमैन हों। मूल भावना यह है कि उस प्लानिंग कमेटी का चेयरमैन वह हो जो इस फील्ड में एक्सपर्टी रखता हो। कांस्टीट्यूशन में जो वर्ड लिखा है, वह यूजन लिखा है और आपने उसको कर दिया, among the elected members.

श्री किशन मोटवानी : आउट ऑफ दी मैम्बर्स वह कोआप्ट करेंगे उनको।

श्री विष्णु मोदी : उनको मैम्बर्स कोआप्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात कर रहा हूं मैं। आप तो मैम्बर्स पर आ गये। उस पर मेरा एतराज यह है कि आप उसका कोआप्शन नहीं कर सकते। कांस्टीट्यूशन आपको प्रोवाइड नहीं करता कोआप्शन करने के लिये। आप सिर्फ नामिनेटेड करें और उसके अन्दर काइटेरिया दिया गया है कि उसमें जो एक्सपीरियेंस रखते हों, उनको नामिनेट करें।

मेरी तीसरी आपत्ति यह है कि जो

(श्री विष्णु मोदी)

डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी हैं उसमें उन्होंने यह कर दिया कि जो मैम्बर्स हैं उनमें से ही उसका चेयरमैन होगा। क्योंकि मूल भावना उसकी यह है कि 'चूजन' वर्ड है। तो उसमें यह जो दोनों बातें हैं, आप कांस्टीट्यूशन के खिलाफ कानून बनाने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि आपने उसकी मूल भावना को ध्यान में नहीं रखा है।

एक आपने यह किया, पहला जो अविश्वास प्रस्ताव है उसके लिये इसमें दो साल का समय है, आपने घटा कर एक साल कर दिया। ठीक है, लेकिन फिर दुबारा जब अविश्वास प्रस्ताव उठा तो वहां फिर दो साल तो यह एनॉमली आप नहीं रख सकते। आप अगर पहले घटा कर दो साल को एक साल कर रहे हैं तो दूसरे में भी आपको एक साल करना होगा। यह नहीं तो फिर आपकी मूल भावना क्या है? पहली बार अविश्वास प्रस्ताव आये वह तो एक साल बाद में आये, दुबारा अगर अविश्वास प्रस्ताव आये तो दो साल बाद में आये। मैं यह समझता हूं कि आपको दोनों जगह एक ही समय सीमा रखनी है। आप अलग-अलग सीमाएं उसमें नहीं रखें। किसी में आप पहली बार अगर दो साल से घटा कर एक साल कर रहे हैं तो आपको दूसरे में भी एक साल करना होगा। दुबारा नहीं आये तो उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं है।

मंत्री महोदय से मेरा एक और निवेदन है कि 'स्टेट गवर्नमेंट' वर्ड इस कान्स्टीट्यूशन में कहीं नहीं है। इसमें हर जगह वर्ड 'गवर्नर' है और आपने हर जगह यहां लगाया है वह स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। इलेक्शन कमीशन को कौन प्रोवाइड करेगा स्टाफ, क्या।

(14.50)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन।)

करेगा, वह सब जगह स्टेट गवर्नमेंट आपने लिखा है जबकि कान्स्टीट्यूशन गवर्नर के लिये लिखता है।

अध्यक्ष महोदय, इसमें तीन चार बातें मुझे कहनी हैं कि जो हमारा संविधान संशोधन हुआ है उसकी मूल भावना का इस कानून में समावेश नहीं है। जो बातें, जो उनकी मंशा रही है वह इसमें नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि एक तो आप कोआप्शन अगेन्स्ट दी कान्स्टीट्यूशन कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का जो आप चेयर्मैन रखना चाह रहे हैं, वह अगेन्स्ट दी कान्स्टीट्यूशन रख रहे हैं। इसके अलावा आपने जो समय सीमा की है वह अनुरूप नहीं है और जहां जहां आपने स्टेट गवर्नमेंट वर्ड यूज किया है, इस कान्स्टीट्यूशन में हर जगह उसको गवर्नर कहा है। तो इन बातों पर आप ध्यान देंगे।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : पहले आप बोल लें, फिर

Page No.135

(श्री अध्यक्ष)

यह बोल लेंगे । आप जो भी बोलना चाहें, सबको बुलायेंगे ।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा): अध्यक्ष यह जो बिल हमारे आया है, उसमें कुछ बातों की ओर बहुत सक्षेप में संकेत करना चाहूंगा । पहला मेरा एतराज है कि आपने नॉमिनेशन का प्रावधान रखा है म्यूनिसिपैलिटीज में और उसकी संख्या आपने तीन रखी है लेकिन जो प्रोविजो लगाया है उसमें आपने रखा है कि 10 percent of the nuember of elected members of a Municipility whichever is less, या तो तीन हो या म्यूनिसिपैलिटी के मेम्बर का 10 पर्सेण्ट हो । अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने मेम्बर्स की सीमा 13 रखी है तो उसका 10 पर्सेण्ट एक-सवा आता है । नामिनेशन की भावना इसलिए रखी गई थी कि एक्सपर्ट की ओपीनियन म्यूनिसिपैलिटी में मिले और तीन मेम्बर की सख्या रखी लेकिन आपने उसका 10 पर्सेण्ट कर दिया । तो जिस म्यूनिसिपैलिटी की मेम्बर संख्या 13 होगी उसमें एक आदमी नामिनेटेड होगा । जो भावना संविधान संशोधन के द्वारा व्यक्त की गई थी, जो सदन की भावना थी यह उस भावना के अनुरूप नहीं है । शुरू में नामिनेशन का तीन का प्रावधान या तो तीन ही रखना चाहिए और संविधान संशोधन में भी यही भावना है । इसलिए जो 10 पर्सेंट रखा है यह उस भावना के विपरीत है, संशोधन के विपरीत है ।

अध्यक्ष जी, दूसरा निवेदन करना चाहूंगा कि फ्रेक्शन में यह आ गया कि आपका जहां फ्रेक्शन बनता हो 0.5 से कम हो, 1.5 से कम होता हो तो उसको एक ही माना जाएगा ।

तीसरा, माननीय अध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा, नयी म्यूनिसिपैलिटीज के चुनाव हुए और उसकी पांच साल की अवधि है । किसी का रणवश दो साल के बाद वह डिजोल्व हो गयी और उसकी जगह नयी म्यूनिसिपैलिटीज का चुनाव हो गया, आपने रखा है रिमेनिंग पीरियड उसका हो और उसके लिये रखी जायेगी । माननीय अध्यक्षजी, माननीय मंत्रीजी कहेंगे कि संविधान सशोधन में यह भावना है ।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज की डेमोक्रेसी इस प्रिंसिपल के खिलाफ है । पार्लियामेंट का मिड टर्म पोल होता है वह बचे हुए पीरियड के लिये नहीं होता है, फुल फाइव ईयर्स के लिये होता है । असेम्बली बीच में डिजोल्व होती है उसकी टर्म वह होती है । इसलिये म्यूनिसिपैलिटी की टर्म जो आपने रिमेनिंग पीरीयड के लिये रखी है वह उचित नहीं हैं । उसका भी पूरी टर्म होना चाहिये थी ।

माननीय अध्यक्षजी, इसी प्रकार मैं निवेदन करना चाहूंगा, नो कांफिडेंस का अभी माननीय सदस्य ने कहा, मैं उनसे इस बात के लिये सहमत हूं । पहले आपने दो साल का प्रावधान रखा था कि नो कांफिडेंस मोशन दो साल से पहले नहीं

(श्री शिवनाथसिंह)

आयेगा और उसको आपने एक साल का कर दिया। लेकिन सैकेण्ड नो कांफिडेंस मोशन है उसमें भी आपने दो साल का पीरियड रखा है वह भी एक साल का जो पहले था उसी हिसाब से होना चाहिये। दो साल का पीरियड आपने रखा है उसको मैं उचित नहीं मानता।

माननीय अध्यक्ष जी, खास बात है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की। आपने डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनायी है उसका कांस्टीट्यूशन बड़ा अजीब रखा गया है।

माननीय अध्यक्षजी, एक दो लाइन मैं निवेदन करना चाहूंगा। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी पूरे जिले का प्लान तैयार करेगी। पूरे जिले में पंचायत भी आ गयी, म्यूनिसिपैलिटी भी आ गयी। तैयार करें ठीक है, एक जगह काम हो लेकिन जो इलेक्शन है, उसका जो कांस्टीट्यूशन है, कांस्टीट्यूट की जाएगी वह, यह बड़ी एनामली है। उसमें जिला परिषद के इलेक्टेड मेम्बर्स और म्यूनिसिपैलिटीज के तमाम मेम्बर्स होंगे। हम म्यूनिसिपैलिटीज को जिला परिषद के इक्वेट नहीं कर सकते। पचायत समिति के मेम्बर्स होते यह सोचा जा सकता था। लेकिन जिला परिषद के इलेक्टेड मेम्बर्स और म्यूनिसिपैलिटी के तमाम इलेक्टेड मेम्बर्स रखे हैं जिनकी संख्या जिला परिषद के मेम्बर्स की संख्या से कहीं अधिक होगी और उस डिस्ट्रिक्ट का एरिया जो पंचायतों के नीचे आएगा, जिला परिषद के नीचे आयेगा वह एरियाज म्यूनिसिपैलिटी के एरिया से बहुत बड़ा है।

आपने उसमें एक प्रावधान रखा है कि उस रेश्यो से उनका इलेक्शन होगा। ठीक है, रेश्यो से इलेक्शन होगा। जो पंचायत का एरिया है उसके हिसाब से 4/5 आपने रखा है। जो एक भावना पंचायती राज कायम करने की थी, पंचायत समितियों बनाने की थी, जिला परिषद बनाने की थी उसको डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के कांस्टीट्यूशन से बिलकुल ही निराधार कर दिया। यह बात समझ में नहीं आती है। रूरल एरिया के साथ में यह बड़ा अन्याय होगा। यह ऐसा क्लाज है जो रूरल एरिया को डेमेज करने वाला है। जिस चतुराई से किसी भी हिसाब से जो इलेक्टोरल रोल रखा है, इलेक्शन के जो मेम्बर रखे हैं, जिनको इलेक्ट करने का राइट दिया है वह यह बहुत डिस्प्रेपोर्शनेट है। संख्या उधर ज्यादा है और उनके मेम्बर्स कम हैं। इसलिये इस ओर हमको ध्यान देना चाहिये। मेरे ख्याल से अब भी इसमें स्टेज है. माननीय मंत्रीजी, उसको आप ठीक करने की चेष्टा करें वरना मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि रूरल पाप्पूलेशन के साथ में इससे बड़ा अन्याय आप नहीं कर सकते।

इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी वाला है इसका

(श्री शिवनाथ सिंह)

आप रीकंसीडर कीजिये और इसके जो चुनने वाले मेम्बर्स हैं उनकी संख्या को ध्यान में रख कर इसमें थोड़ा संशोधन कीजिये,

श्री अध्यक्ष : श्री किशन मोटवानी।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : माननीय अध्यक्षजी, यह बिल कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद उसकी मंशा के अनुकूल यहां पेश किया गया है इस सन्दर्भ में मेरा यही निवेदन है कि हम इसका तजुर्बा अजमेर जिले से पूर्व में ही कर चुके हैं। कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट आने के बाद तुरन्त प्रभाव से अजमेर जिले में जब चुनाव नगर परिषद के हो रहे थे तो उसमें महिला कोटा, एस.सी., एस. टी. कोटा का समावेश कर हमने चुनाव करा लिया प्राय: करीब-करीब जो मन्तव्य इस कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इस एक्ट का बनता है उसके तहत हमने तजुर्बा किया है और अजमेर का तजुर्बा थोड़ा कटु तजुर्बा है। इसलिये प्रवर समिति को सौंपने से पूर्व जब यह एक्ट यहां सदन में आया था तब भी मैंने कहा था कि इसमें आप जो भी समावेश करना चाहते हो कर लो, जो भी अमेंडमेंट करना चाहें कर लें किन्तु इसकी मंशा की पूर्ति तब तक नहीं होगी जब तक हम इस इन्स्टीट्यूशन को इकानामिकली वायबल कैसे बनाया जाए उसके सुदृढ़ीकरण के कोई सुझाव नहीं देते हैं।

तब तक इसके मन्तव्य की कोई इसकी मंशा की पूर्ति नहीं होती। मैं समझता हूं जिस तरह से यह एक्ट इस सदन में पेश हुआ है उसमें उस चिन्ता का अभी भी समावेश नहीं है। अभी भी नगर परिषद को हर बात के लिये राज्य सरकार की ओर देखना पड़ेगा। चाहे हमारा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड भी हो जाए, उसकी बैठक भी हो जाए, उसमें निर्णय हो जाए, आखिर उसकी जो इकानामिकली पुट है उनकी पूर्ति के लिये पुनः राज्य सरकार की ओर देखना पड़ेगा।

जैसा कि राज्य सरकार की कई बार घोषणाएं भी हुई हैं, चुंगी को भी समाप्त करने की बात सोच रहे हैं। चुंगी भी समाप्त हो जायेगी तो फिर नगर परिषद की आय क्या होगी। या तो टोटेलिटी में यह माना जाये कि नगर परिषद का भी एक बजट हो जो यह सदन पास करे। उसकी आवश्यकता के अनुरूप में हम उसका बजट यहां पास करें और वह पैसा हम उनको उपलब्ध करायें ताकि जिस मंशा के साथ, जिस सेवा भावना के साथ इस इन्स्टीट्यूशन का गठन होता है वह सेवा कर सके।

आज मैं अजमेर के सन्दर्भ में निवेदन कर सकता हूं कि जिस तरह बोर्ड का गठन है, मैं उसका राजनीतिकरण नहीं करता, पुनः कह रहा हूं और बोर्ड जिसका है वह भंवरलाल जी से छिपा हुआ नहीं है, बोर्ड की नियमित बैठकें ही नहीं होती है। मैं कह रहा हूं 6-6 महीने तक नियमित बैठकें नहीं होती हैं। उस सन्दर्भ राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ? उनको नगण्य मान कर चलने दिया। अब यह स्वयं

(श्री किशन मोटवानी)

भंवरलाल जी जानें, क्यों कर क्या कारण है। जब नियमित बैठकें नहीं होती हैं तो यह प्रावधान है कि जहां जहां नियमित बैठकें न हों उसके खिलाफ नोटिस होगा, उसकी जवाबदेही होगी और कार्यवाही होगी।

आज तक एक भी नोटिस राज्य सरकार ने अजमेर की नगर परिषद् को नहीं दिया कि प्रावधान के अनुकूल आपने अपनी बैठकें क्यों नहीं की, आपने निर्णय क्यों नहीं किये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक हम इसकी इकानामिकली वायबिलिटी के संदर्भ में नहीं सोचेंगे, तब तक इस इन्स्टीट्यूशन का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको थोड़ा अजमेर के संदर्भ में यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज स्थिति क्या है। आज अजमेर शहर करीब करीब 7 लाख की आबादी का शहर है और उसका विस्तार अगर हम बीच सेण्टर से लें तो 6-7, 7-7 किलोमीटर तक विस्तार है।

(15.00)

किन्तु आज भी हरिजनों की नगरी वही की वही है जो आज से दस वर्ष पूर्व थी। आप स्वयं अन्दाज लगा सकते हैं कि जो नयी बस्तियां विकसित हैं वहां के लोग किस तरह से कचरे के ढेर में हैं, मैं कहना चाहता हूं, यह शब्द मैं यूज कर रहा हूं, उनके बीच में रहना पड़ रहा है। नयी बस्तियां जिनकी आज 50-50 हजार की पापूलेशन है वहां एक भी हरिजन नहीं है। एक हरिजन की नियुक्ति वहां पर नहीं है।

वहां एक हरिजन हफ्तों-हफ्तों, दसों दिन तक नहीं जाता है। आपके पास स्केविंजिंग गाड़ी एक भी नहीं है, नाइट साइल को उठाने की गाड़ी एक भी नहीं है। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि उस शहर का मंजर क्या होगा कि वह जो स्केविंजिंग के हण्डे हैं जो कच्ची तहारत है वह कहां ले जायेंगे। वह हरिजन महिला उसको नालियों में बहा देगी। यह मैं....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, सफाई कर्मचारी कहना चाहिये।

श्री किशन मोटवानी : क्या हो गया? मैं तो भाई वह नहीं हूं, बनखड़ नहीं हूं। भाई, क्या हो गया आपको?

श्री अध्यक्ष : यह कह रहे हैं हरिजन के बजाय सफाई कर्मचारी कहिये।

श्री किशन मोटवानी : अच्छा, हां सही है I stand to be corrected. सफाई कर्मचारी।

श्री अध्यक्ष : सुझाव बिलकुल ठीक दिया है।

श्री किशन मोटवानी : सुझाव बिलकुल माकूल है। सफाई कर्मचारी। मेरा शुद्धिकरण हो जाय, सफाई कर्मचारी

(श्री किशन मोटवानी)

मैं स्केविजिग की बात कह रहा था कि किस तरह का सुबह का मंजर वहां होता है। मैं उसका वर्णन करू, आप स्वयं समझदार यहां बैठे हैं कि किस तरह का सुबह का मंजर होता है। वहां सारे हण्डे नालियों में बहते हैं फिर बह करके वह सड़क पर आते हैं। तो किस तरह का मंजर होगा आप अंदाज लगा सकते हैं। वहां पर सारे शहर के लिये, भंवरलाल जी, मैं जो कह रहा हूं आप इसको नोट करिये, एक मिस्त्री है रिपेयरिग के लिये। रिपेयरिग के लिये एक मिस्त्री है, आपके जे. ईन. के लिये पेराफरनेलिया जरूरी है। एक्स. ईन. भी है, ए. ईन. है 2-2, 3-3 जे. ईन. भी है किन्तु मरम्मत करने वाला मिस्त्री सिर्फ एक हैं। आप उससे अंदाज लगाइये कि उनकी नालियों की मरम्मत कौन करेगा, उन सड़कों की मरम्मत कौन करेगा। इस तरह से सारी सड़कें टूटी हुई हैं, नालियां टूटी हुई हैं, सफाई के हिसाब से।

मैं निवेदन करता हूं, मैंने पूर्व में भी कहा है इस सदन में कि मुतवातिर, रोज हमारे शहर की सड़कें धुलती हैं पानी से नहीं, गन्दे पानी से, जो नाली बहती है जो रोज बहती है। वह उस सड़क पर बहता है। अब सड़क के रख-रखाव के लिये हमने नगर परिषद् से भार उठा करके पी. डबल्यू. डी. को दे दिया। लाखों रुपये वहां पर खर्च होते हैं उन सड़कों के रखरखाव के लिये और आपका पानी बहता है तो सारे पैसे उसमें व्यर्थ हो जाते हैं। हम इसलिए कई बार रूकवा देते हैं वह काम कि यह काम मत करिये जब तक नालियों का रखरखाव नहीं हो ढंग की व्यवस्था न हो तब तक उसको मत बनाइये। तो इस प्रकार की व्यवस्था है। मैंने इसका मजर इसलिए दिया कि जब तक हम इकानामिकली वायबल यूनिट नहीं बनायेंगे तब तक इसकी कोई सार्थकता नहीं होगी। इसलिए इसको पास कर दें किन्तु पास करने के बाद भी उसकी हालत वही की वही रहेगी।

धन्यवाद।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सर, एक अमेंडमेंट मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष : आप बोल रहे हैं? अमेंडमेंट हो या न हो, बोलिये आप। थर्ड रीडिग में बोलने का अधिकार है आपको।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली): अमेंडमेंट पर ही बोलता हूं, साहब। अध्यक्ष महोदय, संविधान में जो परिवर्तन आया उस परिवर्तन को देख करके इस एक्ट में जितने भी परिवर्तन किये गये हैं वह उसकी मंशा के विपरीत हैं। हर जगह सरकार ने यह कोशिश की है कि सारे के सारे अधिकार....

श्री भंवरलाल शर्मा : कमेटी में मेम्बर हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : क्या फरमा रहे हैं, सर ? क्या फरमा रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : आप तो मेम्बर हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह तो वोट आफ डिसेंट है, साहब।

एक माननीय सदस्य : On one point.

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक पाइण्ट पर है, वह पाइण्ट अभी तो बोला ही नहीं है, अभी तो चालू ही किया है मैंने।

श्री जगदीप धनखड़ : कमेटी की प्रोसिडिंग्स पर यहां डिस्कशन नहीं कर सकते।

श्री भंवरलाल शर्मा : He is a member of the committee इसमें क्या डिस्कशन करना।

श्री जगदीप धनखड़ : वहां तो बात हुई।....

श्री भंवरलाल शर्मा : He is a member of the Committee.

मैं तो इतना ही कह रहा हूं खाली। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपयोग तो कर सकते हो।....

श्री भंवरलाल शर्मा : He is a member of the committee.

इतना ही कहा है मैंने।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : तो मेरा अर्ज करना यह है कि संविधान की मंशा यह थी कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो और जितने भी इन्तजाम नगर पालिका को शहर में करने हैं वह इन्तजाम बेहतर तौर पर किये जायें लेकिन सरकार ने इस संविधान के संशोधन की आड़ लेते हुए सारे के सारे अधिकार अपने पास सीमित रखे, अपने हाथों में रखे। जगह-जगह इलेक्शन कमीशन का जिक्र आया लेकिन इलेक्शन कमीशन को इन्होंने सिर्फ इतना-सा अधिकार दिया कि वह मतदाता सूची तैयार करेगा और चुनाव करवायेगा। उस बात का क्या होगा कि वार्डों का सीमांकन कौन करेगा। असल दिक्कत तो आती है चुनावों के पहले जिससे कि पूरे के पूरे मतदाता पीड़ित रहते हैं। नगर परिषद् का एक मामूली ड्राफ्टमैन अपनी टेबल पर बैठ करके पूरे शहर के वार्डों का सीमांकन कर देता है और उसको मान लिया जाता है। ब्यूरोक्रेसी की यह हालत है! लॉ में प्रोवाइड है आपको आब्जेक्शन इन्वाइट करने पड़ेंगे। आप आब्जेक्शन इन्वाइट करते हैं लेकिन काम के बोझ की वजह से....

श्री अध्यक्ष : एक मैं अपनी जानकारी के लिये पूछना चाहता हूं कि असेम्बली और पार्लियामेंट का सीमांकन कौन करता है ? यह वैसे ही पूछ रहा हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इलेक्शन कमीशन करता है, साहब। डिलिमिटेशन कमीशन करता है। 1975 में हुआ था इसके बाद में आज तक नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : मतलब इलेक्शन कमीशन नहीं करता।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन जो हैं वह उसके चेयरमैन होते हैं और....

श्री अध्यक्ष : मतलब गवर्नमेंट आफ इण्डिया जो डिलिमिटेशन कमीशन अपाइन्ट करती है वह करता है? यही पूछ रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : और सुप्रीम कोर्ट के जज के स्टेटस का चेयरमैन होता है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, नहीं इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन उसका चेयरमैन होता है (व्यवधान) लेकिन इसमें मैम्बर आफ पार्लियामेंट नामिनेट होते हैं और 1975 से वह डिलिमिटेशन आज तक हुआ ही नहीं।

एक माननीय सदस्य : बिल इण्ट्रोड्यूस हुआ है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं, बिल तो पार्लियामेंट में इन्ट्रोड्यूस हो गया लेकिन उसके बाद में दो साल हो गये और राज्य सभा ने तो उसको पारित कर दिया लेकिन लोक सभा में नहीं पहुंचा। खैर, तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन यह है कि इन सारी विसंगतियों को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि शहर का डिलिमिटेशन कोई ऐसी एजेंसी के द्वारा करवाया जाए जिसका कि नगरपालिका से कोई ताल्लुक न हो वरना क्या होता कि वह जितने भी ड्राफ्टमैन हैं या सेनेटरी इंस्पेक्टर हैं, इनको नगरपालिका का प्रशासक या नगरपालिका का चेयरमैन ड्यूटीज अलोट करता है तो वह सीमांकन भी इस तरीके से करते हैं कि इन वार्डों के प्रभारी वह बन जाएं और वहां से ज्यादा से ज्याद भ्रष्टाचार से पैसा कमा लें इस तरह की आम शिकायतें हैं। मेरा अमेंडमेंट यह है कि स्टेट गवर्नमेंट के बजाय शब्द स्टेट इलेक्शन कमीशन आना चाहिये और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वह जिला निर्वाचन अधिकारी को यह अधिकार देगा कि वह नगरपालिका के स्टाफ के अलावा किसी दूसरी एजेंसी के द्वारा वार्ड का सीमांकन करवायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अपने हाथ में जो अधिकार ज्यादा से ज्यादा लिये हैं उसके दुष्परिणाम आज हर नगरपालिका को भुगतने पड़ रहे हैं और जब नगरपालिका भुगतती है, फाइनेंशियली लोस में जाती है तो उसका खामियाजा आम नागरिक को उठाना पड़ रहा है।

मैं कोटा का रहने वाला हूं। कोटा की नगर परिषद् की यह हालत है कि

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

5-6 साल पहले उस नगर परिषद् के करोड़ों रुपये बैंक में एफ. डी. के बतौर जमा थे लेकिन सरकार ने उसकी यह हालत कर दी हर चीज में इन्टरवीन करके. हर चीज में इस तरीके का दखल करके कि उसकी वित्तीय स्थिति आज यह रह गयी कि वहां पर तनख्वाह चुकाने का पैसा नहीं है। राजस्थान की सबसे मालदार म्यूनिसिपैलिटी, नगर परिषद्, कोटा कहलाती थी लेकिन उस परिषद् की यह हालत हो गयी कि विकास के कामों के लिये पैसा नहीं, तनख्वाह चुकाने के लिये पैसा नहीं और उसका सारा का सारा आरोप मैं राजस्थान सरकार और खास कर मंत्रीजी के ऊपर डालता हूं। 1993 में कुछ लोगों के द्वारा यह मांग उठायी गयी कि जयपुर की चुंगी और कोटा में ली जाने वाली चुंगी में बहुत फर्क है। जयपुर में तौले पर चुंगी ली जाती है और कोटा में पर्सेण्टेज के हिसाब से चुंगी ली जाती है। चूंकि कुछेक व्यापारियों के एक वर्ग को खुश करना था और उस वर्ग को खुश करने के लिये वहां इस तरीके से चुंगी की रेट्स राज्य सरकार ने आदेश देकरके निर्धारित कर दीं, जिससे आज कम से कम पांच-पांच छह-छह करोड़ रुपये का म्यूनिसिपैलिटी को हर साल नुकसान उठाना पड़ रहा है।

मैं आपके सामने वह फिगर्स रखना चाहता हूं। मंत्री महोदय, जरा ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण मसला है। एक नगर परिषद् मर रही है, आपके कामों की वजह से मर रही है, कृपया इसे सुधारें। 9 करोड़ रुपये के लगभग चुंगी वहां पर आया करती थी और आपके एक आदेश, जिसमें कि आपने वहां पर तोल पर चुंगी कर दी, का नतीजा यह हुआ कि वह चुंगी घट गयी और कम से कम तीन-चार करोड़ का फर्क पड़ गया। हर वर्ष क्योंकि उत्पादन के दाम बढ़ रहे हैं, हर चीज जो पिछली साल 100 रुपये की थी वह आज 110 रुपये की और 120 रुपये की हुई है तो उसी हिसाब से चुंगी बढ़नी चाहिये थी। चुंगी की आय कम से कम 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत हर नगरपालिका में बढ़ी है लेकिन कोटा नगर परिषद् की आय आपके आदेश के कारण गिरती चली गयी और नतीजा यह निकला कि सन् 1992-93 में वहां पर चुंगी, धर्मादा और प्रवेश शुल्क मिला कर आमदनी कुल मिलाकर आज से पहले जो 8 करोड़ थी वह 1993-94 में घट कर सिर्फ 7 करोड़ रह गयी जबकि बढ़ कर उसको 10 करोड़ हो जाना चाहिए था। आपके आदेशों से ही इलैक्ट्रिकल पार्ट्स पर आपने चुंगी कम की और उनको तौल पर कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, एक टी. वी. के सैट पर 400 रुपया चुंगी लगा करती थी। और सोच अगर यह भी होता कि चुंगी कम करने पर उपभोक्ताओं को फायदा हो रहा हो तो कोई एतराज की बात नहीं थी लेकिन उपभोक्ताओं को एक पैसे का फायदा

(श्री शान्तिकुमार धारीवाल)

नहीं हुआ। सारी चुंगी कम करवा कर तौल से चुंगी करवाकर सारा का सारा फायदा व्यापारी उठाकर ले गया और नागरिकों को कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए नागरिकों में इस बात का जबरदस्त असन्तोष हुआ। आज जब नागरिक वहां पर विकास के कामों की नगर परिषद् से मांग करते हैं तो नगर परिषद् वाले साफ तौर पर राज्य सरकार पर यह ब्लैम लगाते हैं कि यह राज्य सरकार के आदेशों की वजह से चुंगी कम हुई है। एक मशीन जो जे. के. सिन्थेटिक्स ने मंगवायी उस पर प्रतिशत पर जब चुंगी लगा करती थी तो 16 हजार रुपया चुंगी का नगर परिषद् को चुकाना पड़ता था और अब तौल पर कर दी गयी जिसके ऊपर अब सिर्फ उसको 26 रुपये चुंगी का चुकाना पड़ रहा है। टी. वी. सेट पर 400 रुपये चुंगी के चुकाने पड़ते थे आज सिर्फ 30 रूपये देने पड़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि रेफ्रिजरेटर कूलर, और कपड़ा, इलेक्ट्रानिक का दूसरा सामान यह सब क्या हर जगह तौल पर है ? आपने हर नगर पालिका में यह विसंगतियां वर्षों से पैदा कर रखी हैं ? कई जगह आपने प्रतिशत लगा रखा है, कई जगह आप तौल पर चुंगी लेते हैं। उस समय जब चुंगी आपने कोटा में कम की तो यह कह कर कम की थी कि जयपुर में इस प्रकार की चुंगी हैं इसलिए हम कोटा में कर रहे हैं। लेकिन बाद में आपने जयपुर में परिवर्तन कर दिया। जयपुर में आपने प्रतिशत पर चुंगी लगा दी और वहां पर आज भी तौल पर चुंगी है। करोड़ों रुपयों का नुकसान आपके इस आदेश से हुआ है। यह आपने महज वहां के उद्योगपतियों और बड़े-बड़े व्यापारियों को खुश करने के लिये किया है और उसका सीधा असर वहां के विकास कार्यों पर पड़ा है।

तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस प्रकार के अधिकार जो राज्य सरकार के पास धारा 140 में हैं इनको करटेल किया जाए। केन्द्रीकरण के बजाय विकेन्द्रीकरण किया जाए। जब आप इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, इलेक्टेड बोर्ड वहां पर बैठेगा तो फिर उसके कामों में आप दखल देने वाले होते कौन हैं ? एक नये पैसे की मदद आप करें नहीं, 10 रुपये से एक नया पैसा ज्यादा आप देते नहीं प्रत्येक व्यक्ति मदद में नगर पालिका को तो नगर पालिका स्वतन्त्र कहां रही ? आटोनामस बाडी कहां रही ? सारा का सारा संविधान संशोधन का जो सोच है उस सोच का ही आपने सत्यानाश कर दिया।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि मंत्री जी इस बारे में विचार करेंगे और राजस्थान में हर नगरपालिका पर वसूल की जाने वाली चूंगी एक जैसी हो और कहीं प्रतिशत, कहीं तौल इस प्रकार नहीं हो। अगर तौल का आइटम कोई भी

(श्री शान्तिकुमार धारीवाल)

जयपुर में है तो वह पूरे राजस्थान में लागू किया जाए। प्रतिशत से लेने वाली चुंगी है तो जिस आइटम की प्रतिशत से चुंगी ली जाती है वह पूरे राजस्थान में एक सा किया जाए और इसके साथ ही साथ जो प्रति व्यक्ति 10 रुपये आप नगरपालिका को ग्रान्ट इन एड देते हैं उसको भी बढ़ाया जाए।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका का बिल आया है। यह स्वर्गीय राजीव गांधी का स्वप्न था, उनका ही प्रस्ताव था और वे ही अपने जमाने में भारत के संविधान के अन्दर संशोधन लेकर आये। उन्होंने भारतवर्ष के हर हिस्से के, हर कोने के, जनप्रतिनिधियों से, प्रशासकों से, अधिकारियों से, सबसे मशविरा करके नगरपालिका और पंचायतों के सम्बन्ध में एक रूपरेखा अपने दिमाग में बनायी थी। उस रूपरेखा के हिसाब से उन्होंने अपने जमाने में ही भारत के संविधान में संशोधन प्रस्तावित किया था। खेद का विषय है, अध्यक्ष महोदय, कि वह उसको पार्लियामेंट से थ्रू नहीं करवा सके, स्वीकार नहीं करवा सके और वह संशोधन गिर गया। गिर जाने के बाद नयी सरकार आयी और नयी सरकार के आने के बाद भारत की संसद ने, पार्लियामेंट ने उस संविधान संशोधन बिल को पास किया तो यह एक राय से और जो कांग्रेस बनता है उस हिसाब से संशोधन को पास करवाया। यहां बड़ी गड़बड़ी हुई। संविधान के अन्दर पहले जो व्यवस्था की गयी थी उसमें, मान्यवर, यह था कि प्रत्येक चुनाव आम मतदाताओं के द्वारा होगा और चेयरमैन का चुनाव भी आम मतदाताओं से होगा और सरपंच, पंच, प्रधान और प्रमुख इनके चुनाव भी आम मतदाताओं से होंगे। नगरपालिकाओं के चेयरमैन, नगर परिषदों के चेयरमैन और कारपोरेशन्स के चेयरमैन का चुनाव भी आम मतदाताओं से रखा गया और जब संविधान के अन्दर उसको इंडायरेक्ट कर दिया। जो राजीव गांधी की कल्पना थी वह इससे पूरी नहीं होती। यह जो संशोधन आया है यह तो संविधान के अनुरूप ही है लेकिन मैं मेरी राय दर्ज करवाना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि वास्तविक सैल्फ गवर्नमेंट तभी होती कि आम मतदाता के द्वारा नगर पालिका का चेयरमैन और तमाम लोकल बाडीज के चेयरमैन चुने जाते। वह तो एक सैल्फ गवर्नमेंट होती। अब इनडायरेक्ट कुछ लोग मिल करके चुने लेते हैं तो वही आपाधापी, लेकर भागना, छिपना और कमरों में बन्द करना यह चीजें चलेंगी, तो सैल्फ गवर्नमेंट जो सिटीज को देना चाहते थे वह नहीं दे पायेंगे।

इस कानून के अन्दर मैंने देखा, मान्यवर, कि नगरपालिकाओं को, नगर परिषदों को कोई अधिकार नहीं हैं, सिवाय सफाई कर्मचारियों के नियुक्त करने और उनको

(श्री रामनारायण चौधरी)

हटाने के। हर काम सरकार के हाथ में है। वे अपनी चुंगी से आया हुआ पैसा, अपने टैक्स से आयी हुई आमदनी को खुद खर्च नहीं कर सकते। बजट बनायेंगे और वह सरकार से पास करवायेंगे। विधान सभा और पालियामेंट की तरह से ही सोचा गया था कि लोकल बाडीज भी इन्हीं के तरीके से होंगी, वह अपना टैक्स लगायेंगी, अपनी आमदनी के जरिये खुद खोजेंगी और बजट बनायेंगी, बजट को स्वयं खर्च करेंगी, और उस खर्च पर ऊपर का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।

आज विधान सभा के अन्दर ऊपर का कोई हस्तक्षेप नहीं है, पालियामेंट के अन्दर कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो यह नीचे की जो नगरपालिकाएं हैं, जो बिल हम पास करने जा रहे हैं, जो सैल्फ गवर्नमेंट हम देना चाहते हैं, मान्यवर, संविधान के डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स में जो क्लाज है कि सैल्फ गवर्नमेंट, सैल्फ गवर्नमेंट के मकसद को पूरा करने के लिये ही यह बिल लाया गया है लेकिन सेल्फ गवर्नमेंट के नाम पर धोखा है। नगरपालिकाओं को कोई अधिकार नहीं दिये गये हैं। सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करने के अलावा उनके पास कोई अधिकार नहीं हैं। यह किस तरह की सैल्फ गवर्नमेंट है? क्या इसमें परिवर्तन आया? ठीक है, संविधान में गारण्टी हो गयी कि आप भंग कर देंगे तो छह महीने में चुनाव करा देंगे। This is not self Government. छह महीने में चुनाव करवाने वाली एक बात आपने कह दी, इसमें गारण्टी कर दी लेकिन नगरपालिका और नगर परिषद सफाई कर्मचारी के अलावा एल. डी. सी., यू. डी. सी. आक्ट्राय का इन्स्पेक्टर या कोई भी अधिकारी—एक एक्जीक्यूटिव अफसर आपने अपने पास रखा, चलिये, वह आप रख लीजिये कि आपका एक प्रतिनिधि रहे और वह देख-भाल करे, लेकिन कोई भी कर्मचारी रख ही नहीं सकता।

सफाई कर्मचारियों को भी क्या रख लें, राजस्थान के सारे शहर सड़ रहे हैं। नगरपालिकाओं को आज भी सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की इजाजत राजस्थान सरकार से लेनी पड़ती है, यहां चक्कर काटो। एडमिनिस्ट्रेटर या चेयरमैन डी. एल. बी. के यहां चक्कर काटो, इंस्पेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर की खुशामद करो, उनको राजी करो और अपनी स्वीकृति ले जाओ। वास्तव में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति-अधिकारी भी आज राजस्थान सरकार है। इनडायरेक्ट रूप से नगर पालिकाओं के चेयरमैन, अधिकारी या प्रशासक तभी नियुक्तियां कर सकते हैं जब यहां से नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर चले जाएं कि इतने आदमियों को आप नियुक्त कर सकते हैं। तब वहां पर नियुक्ति होती है। तब तक वहां सड़ते रहो, कोई पूछने वाला, सुनने वाला नहीं। यह कैसी आप आटोनामी दे रहे हो?

(श्री रामनारायण चौधरी)

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि संविधान की मंशा से यह जो कानून आप लाये हैं इसमें, पहले वाला एक्ट लाने के बाद आपने कौनसी आटोनामी दे दी ? उनको कौनसी सैल्फ गवर्नमेंट दे दी, यह मेरी समझ में नहीं आता है।

प्लानिंग कमेटी की बात है, यह सब बेकार और वाहियात बात है। जब तक आप स्वशासन का अधिकार, स्वराज का अधिकार लोकल बाडी को नहीं देना चाहते हैं तो क्या चाटेंगे उस प्लानिंग कमेटी को। जो अपने यहां पर अपना एक आदमी नहीं रख सकता, अपना पैसा खर्च नहीं कर सकता, अपनी प्लानिंग नहीं बना सकता और उस हिसाब से अपने स्टाफ को नहीं नियुक्त कर सकता, कैसा राज है, मेरी तो कुछ समझ में आया नहीं।

अध्यक्ष महोदय, अगर आपके यह बात समझ में आ गयी और आप सन्तुष्ट हैं तो हम भी कह देंगे कि यह पास है, ठीक है। अन्यथा आप ही देख लीजिये कि यह जो लाये हैं कि छह महीने के भीतर चुनाव करा देंगे इसके अलावा कोई सैल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन, स्वराज मुझे इसमें कहीं भी नजर नहीं आता।

दूसरा, डिलिमिटेशन ! मान्यवर, विधान सभाओं और संसद के निर्वाचन क्षेत्रों का डिलिमिटेशन एक कमीशन करता है उसका चेयरमैन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से कम का नहीं होता है। या तो सिटिंग होता है या रिटायर्ड होता है। उसके मैम्बर कन्सन्र्ड विधान सभा में, मान्यवर, आप नामिनेट करते हैं, पार्लियामेंट के मैम्बर्स को वहां के स्पीकर नामिनेट करते हैं और कुछ को गवर्नमेंट आफ इण्डिया, राष्ट्रपति करते हैं। फिर वह डिलिमिटेशन होता है।

यहां पर, मान्यवर, सैल्फ गवर्नमेंट की यूनिट का डिलिमिटेशन कौन करेगा ? तहसीलदार या एस. डी. ओ. या कलक्टर से प्रस्ताव लेंगे और राजस्थान सरकार उसका डिलिमिटेशन कर देगी। डिलिमिटेशन हो जाएगा और वह सैल्फ गवर्नमेंट बन जाएगी। कैसा डिलिमिटेशन ? जहां संविधान के संशोधन के बाद संविधान की मंशा को पूरा करते हुए हम आज यह कानून बना रहे हैं, उस कानून में किस प्रकार से वार्डों का गठन होगा, वह बिलकुल सरकार की मर्जी पर छोड़ रखा है। सरकार की मर्जी आये उस प्रकार से उनका रिजर्वेशन करो। अदर बैकवर्ड कास्ट्स का किस प्रकार से करेंगे ? इसकी कोई जनसंख्या अवेलेबल नहीं है। कैसे करेंगे, इस सम्बन्ध में इस कानून में या सलैक्ट कमेटी ने भी कहीं कोई दिया हो, मेरे तो कोई ध्यान में आया नहीं है।

माननीय मंत्री जी बतायेंगे। उनकी संख्या ही नहीं है। शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स, इन दो के तो 1991 की सेंसस में आंकड़े हैं, हर गांववाइज आप उनको ले सकते हैं। सिटीज के

(श्री रामनारायण चौधरी)

अवेलेबल हैं, उनसे आप कर लेंगे। लेकिन अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज के बारे में, जो मर्दुमशुमारी हुई थी उसमें कोई जिक्र नहीं है। यह एक अलग स्थिति है।

जो कानून आया है, पास आप करवायेंगे, आपका बहुमत है। लेकिन जिस मंशा से राजीव जी गांधी ने नगरपालिकाओं के लिये एक ड्राफ्ट बिल अपने जमाने में रखा था उसमें भारी परिवर्तन हो गया, उसकी मंशा ही समाप्त हो गयी। जो कार्यक्रम और कल्पना उन्होंने बनायी थी वह एकदम परास्त कर दी गयी। इससे कोई भी राजस्थान का भला नहीं होगा, किसी भी नगर पालिका को कोई आटोनामी अतिरिक्त नहीं मिलेगी। शिड्यूल्ड कास्ट के पहले भी थे, ट्राइब के पहले भी थे, महिलाओं की सख्या और बढ़ जाएगी लेकिन महिलाएं, शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब के लोग क्या करेंगे? हुकूमत तो नौकर करेगा, एक्जीक्यूटिव करेगी, प्रशासन तन्त्र करेगा। हर निर्णय की अपील एस. डी. ओ. के पास हो जाएगी, वह स्टे दे देगा। कलक्टर के पास हो जाएगी। घूमते रहो, चक्कर काटते रहो।

मेरी राय है, मेरा दृढ़ मत है कि आप नगर पालिका क्षेत्र के लोगों को स्वशासन, स्वराज में भागीदार बनाना चाहते हैं तो आप सीधे उनको अधिकार दीजिये स्पष्ट कि उनमें किसी का कोई दखल न हो। इस कानून की मंशा के खिलाफ करते हैं तो अदालतें खुली पड़ी हैं, वे सजा पायेंगे। जनता के चुने हुए आदमी हैं, एक बार गलती करेंगे दुबारा परास्त हो जाएंगे। हम और आप कोई नहीं होते हैं उनको राय देने वाले। हम कोई बड़े नहीं हो गये हैं असेम्बली में आकर। पार्लियामेंट में जाकर कोई एम. पी. बड़ा नहीं हो गया, उसमें अधिक ज्ञान नहीं आ गया। मंत्री बन गया तो वह कोई हर मामले में सक्षम नहीं हो गया, योग्य नहीं हो गया।

आज जो नगर पालिका के चेयरमैन और मैम्बर हैं वे कल यहां असेम्बली में मैम्बर भी हो सकते हैं, और हुए भी हैं। वहां तो उनमें कोई योग्यता नहीं और यहां आकर हम सब तरह से सक्षम हो गये? हम चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं, मिनिस्टर भी बन सकते हैं, हमारी काबलियत में कोई कमी नहीं रहती, हम सर्वज्ञानी बन गये और हमारे से नीचे की यूनिट में जो बैठे हैं उनमें कोई ज्ञान नहीं, उनमें कोई सूझ नहीं? सबसे अधिक ज्ञानी वह है जो गांव में और शहर के मोहल्लों में बैठा है। सबसे अधिक उसको ज्ञान है, सबसे अधिक फैसला इन्साफ का वह कर सकता है। गांव का तो आयेगा तब बात करूंगा, शहर के आदमी को जो नगर पालिका क्षेत्र में है।

माननीय मंत्री महोदय, आप कुछ देना चाहते हैं तो दिल खोलकर दीजिये। आप दिल के किवाड़ों को बन्द मत करिये, दिल की गली को आप तंग मत बनाइये।

(श्री रामनारायण चौधरी)

खोलिये अपने दिल के किवाड़ों को। उनको आप दीजिये ताकि एक इतिहास बने, एक रिकार्ड बने कि राजस्थान की विधान सभा ने माननीय श्री हरिशंकर जी भाभड़ा की अध्यक्षता में, मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में और भंवरलाल जी के स्वायत्त शासन मंत्री काल में हम सब विधायकों के सहयोग से एक कानून बनाया था। वह आदर्श कानून बने और भारतवर्ष के दूसरे प्रदेश उसका अनुकरण करें।

इन शब्दों के साथ आपने मुझे टाइम दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री विश्नोई जी, आप बोल रहे हैं?

श्री राधेश्याम जी।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल की जो मंशा है, मैं भी अपने आपको इस बहस में सम्मिलित करते हुए सबसे पहले यह प्रार्थना करूंगा कि सफाई कर्मचारियों, जो नगर परिषदों में काम करते हैं, की आज से 15 साल पहले जो संख्या थी आज भी उनकी संख्या वही है जबकि शहर डबल से भी ज्यादा बढ़ गया है। भारी गन्दगी और कूड़ा शहरों में इतना हो चुका है कि किसी भी शहर में आप निकलने के काबिल नहीं। जहां से भी आप जाएंगे, नाक बन्द करके आपको जाना पड़ेगा। नाले-नालियां, सड़कें नगरपालिका की हालत को रो रही है। इसलिए नगरपालिकाओं को पूरे अधिकार दिये जाएं। हर बात की परमिशन जो गवर्नमेंट से ली जाती है, वह अंकुश समाप्त किया जाए। नगर परिषदें अपनी आय के स्रोत खुद पैदा करें, नगर परिषदों को अपनी आय को खर्च करने का अधिकार हो। जो अनुदान गवर्नमेंट ने देना है, वह बहुत कम है। उसको जैसे-जैसे जिसकी आवश्यकता हो उस नगर पालिका, नगर परिषद् को पूर्ण रूप से बढ़ाया जाए। साथ ही साथ जो कमिश्नर नगर पालिकाओं में कार्यरत हैं, मेरे को भी 2-3 बार मौका मिला है चेयरमैन बनने का, पार्षद बनने का, उपाध्यक्ष बनने का, मेरे ख्याल से एक भी नगर परिषद् ऐसी नहीं होगी जिसका कमिश्नर सुचारू रूप से कार्य कर रहा हो।

इसमें कम से कम आर. ए. एस कैडर का सैक्रेटरी या कमिश्नर होना चाहिये और उनकी पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिये। आज नगर परिषद का कमिश्नर मौज से बैठा रहता है। लोग टेलीफोन करते हैं, मिलते हैं उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। और कहते हैं हां, जी करवा देंगे, सब देखेंगे। क्योंकि सफाई कर्मचारी कम है, मेरे बस की बात नहीं है और हजारों की तादाद में कब्जे हो गये। 20-20, 50-50, 100-100 रुपये लेकर जमादार और इन्सपेक्टर कब्जा करवाते हैं। अच्छे-अच्छे शहरों की हालत बिलकुल खराब होती जा रही है। सड़कों के किनारे पर हजारों, लाखों कब्जे हो गये। उसके बाद दो साल, चार साल, पांच साल बाद उनको नोटिस देते हैं। जब बिजली के कनेक्शन

(श्री राधेश्याम)

हो जाते हैं, उनके एड्रेस पर उनको चिट्ठियां आने लग जाती हैं, पानी का कनेक्शन हो जाता है तब हम जागते हैं और फिर उनको तोड़ने की कार्यवाही करते हैं। क्यों नहीं हमें पहले ही जिम्मेदारी उन लोगों को सौंपनी चाहिये जो भ्रष्टाचार करके उस पर कब्जा करवाते हैं। जब पूरे पैसे उनको नहीं मिलते या दो, चार, पांच साल बाद प्लानिंग बना कर उन लोगों के नोटिस दिये जाते हैं। इस परम्परा को कौन खतम करेगा ?

इसके साथ-साथ चुंगी की इनकम की बात है। चुंगी की इनकम जितनी भी ट्रांसपोर्ट कम्पनीज हैं वे चुंगी वालों से मिल कर ट्रक अन्दर ले जाते हैं और ट्रांसपोर्ट कम्पनी चुंगी कटवाती है। जबकि चुंगी जिसका माल है उसको स्वयं कटवानी चाहिये। ऐसी प्रथा नहीं है, कहीं भी नहीं है। मैंने कई जगह देखा है, मैं कई सेमिनारों में गया हूं, कई शहरों में गया हूं, ट्रांसपोर्ट कम्पनी वाले करोड़ों रुपये उस चुंगी से आय करते हैं और नगर परिषदों को बड़ा भारी घाटा होता है और शहर की व्यवस्था बिल्कुल खराब होती है। इस तरफ भी माननीय मंत्री महोदय पूरी तरह ध्यान देंगे और देखेंगे कि चुंगी की आय जो है, हमेशा बढ़ने के बजाय घट रही है। जैसा मेरे से पूर्व में शांति धारीवाल ने और कई सदस्यों ने राय दी है कि चुंगी एक होनी चाहिये, सारे राजस्थान का एक शिड्यूल हो। ऐसा नहीं कि जयपुर में कुछ और है, कोटा में कुछ और है, श्री गंगानगर में कुछ और है अजमेर में कुछ और है। राजस्थान का स्वरूप एक होना चाहिये। छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, चुंगी एक तरह की होनी चाहिये।

मेरी आपके माध्यम से मंत्रीजी से प्रार्थना है कि इस मामले को बड़ी गम्भीरता से सोच कर एक नया इतिहास कायम करें और नगर परिषदों और नगरपालिकाओं को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दें ताकि वे स्वतन्त्र होकर अपनी बात कह सकें, सुन सकें और जिम्मेवारी निभा सकें। खास कर जो मैंने आर. ए. एस. आफिसर की बात की है कि कमिश्नर की जो नियुक्ति होती है, ई. ओ. की नियुक्ति होती है उसका कैडर ही ऐसा नहीं होता है। नगर परिषदों में उसको लगा दिया जाता है, उसको पता ही नहीं लगता। वह तो एक मिनट में राजा बन जाता है और बादशाह का ताज पहन कर बैठ जाता है, वह पब्लिक की बात नहीं सुनता।

इसलिये मेरी प्रार्थना है, किसी जिम्मेदार अधिकारी को लगायें और उसको जिम्मेदारी होनी चाहिये, यहां से आप एक लाइन डालो कि अगर ये-ये कार्य नहीं होंगे तो इसके लिये आप पर्सनल जिम्मेदार होंगे। फिर आप इसके रिजल्ट देखिये।

नगर परिषदों की वास्तव में जो हालत है, अध्यक्ष महोदय, आप खुद जाकर या मंत्रीजी जाकर अलग से छापा मारें, देखें तो मेरे ख्याल से आपको रोना आयेगा। कोई भी नगरपालिका या नगर परिषद् ऐसी नहीं है जो सुचारू रूप से चल रही है। यह हमारे लिये यहां बैठ

(श्री राधेश्याम)

कर बहुत ही चिन्ता का विषय है क्योंकि लोग जो चुन कर भेजते हैं उसको बहुत बड़ी उम्मीदें होती हैं। बिजली का काम करना पावर हाउस वालों का काम है। तो वे देखते हैं मैम्बर की तरफ, एम. एल. ए. को कहते हैं। एम. पी. का काम है पार्लियामेंट में कानून बनाना, एम. एल. ए. का काम है विधान सभा में कानून बनाना।

जैसे आज सामने चीज आयी, हम इस पर बोले लेकिन हमारे जो वहां के लोग हैं, जब भी आप चलोगे तो कोई नाली की बात करता है, कोई सड़क की बात करता है, कोई कूड़े के ढेर की बात करता है, कोई बिजली की बात करता है, कोई पानी की बात करता है। क्योंकि लोगों को यह मालूम नहीं, लोग यह कहते हैं, एम. एल. ए. बन गया., एम. पी. बन गया तो सारी जिम्मेदारी इनकी है। तो इस तरह से लोगों को भी पता चले, नगर पालिका के जो भी मैम्बर हों उनको इतना अधिकार हो और नगर परिषद् के पास इतना कार्य करने के लिये पैसा हो ताकि वे सुचारू रूप से हमारे शहरों का काम कर सकें।

यह राजस्थान अपने आप में हिन्दुस्तान के लिये मिसाल बने और जैसा मेरे पूर्व माननीय रामनारायणजी ने कहा, इनका सजेशन बहुत बढ़िया है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मंत्री महोदय ने उसको नोट भी किया है और मेरे ख्याल में पूरी तरह सुचारू रूप से देख कर उसको लागू करेंगे।

धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि नगर पालिका की आय बढ़ाने के लिये और उनको आर्थिक सहायता देने के लिये जो मूल उद्देश्य था कि वहीं की गवर्नमेंट बने, ऐसा लगे यही इसका एक प्रिएम्बल था इसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। जो चुंगी से इनकम है, वह नगर पालिका की बहुत कम है। बहुत समय तक जब इन संस्थाओं के इलेक्शन नहीं होते हैं तो इसमें भ्रष्टाचार जबरदस्त हो जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर नगर निगम जिसमें कि बहुत लम्बे समय से चुनाव नहीं हुए और जिसके कारण अधिकारी वर्ग ने कितने करोड़ों का घोटाला किया है उसका मैं बहुत ही संक्षेप में 2-3 मिनट लेकर आपको ब्यौरेवार वर्णन बता रहा हूं कि किस तरीके से पब्लिक फाइनेन्स का लोस किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शास्त्री नगर क्षेत्र में सौंखिया व राजोरिया को कम कीमत पर जमीनों का बेचान किया गया। आतिश मार्केट के पुराने दरवाजे के ऊपर निर्माण कार्य की अवधिकृत अनुमति प्रदान कर शहर की वास्तविक कला और सौन्दर्य को

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

नष्ट किया गया, साथ ही मनचाहे तरीके से निर्माण कराने की खुली छूट दी गयी, इसके अतिरिक्त नेशनल सिल्वर आर्ट्स को आमेर रोड में अनधिकृत निर्माण की अनुमति प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त जयपुर में बिचून हाउस, घी वालों के रास्ते में वाणिज्यिक निर्माण हेतु कामर्शियल काम्पलेक्स बना, उसके लिये अनधिकृत निर्माण की अनुमति दी गयी जो कि कम कीमत पर दी गयी जिससे 40 लाख रुपये का घाटा हुआ।

इसके अतिरिक्त, माननीय अध्यक्ष महोदय, आदर्श नगर में पंचवटी चौराहे के पास सरकारी भूमि का बेचान किया गया जो भी अनधिकृत था। इसके अलावा न्यायालयों की अवमानना की गयी और एक रघुनाथसिंह कर्मचारी के मामले में न्यायालय के आदेशों की अनदेखी की गयी। इसके अतिरिक्त अन्य कई स्थानों पर कामर्शियल अपार्टमेंट बनाने की खुली छूट दी गयी, कोई भी नियम तौर-तरीके थे वे ध्यान में नहीं रखे गये, अनियमितताएं की गयीं। इसके अलावा जमीनों के बेचान द्वारा अनधिकृत निर्माण को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में सरकारी जमीन, जे. डी. ए. की जमीन है, अवैध तरीके से काम मे ली गयी। उनका बेचान हुआ और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, अन्वेषण ब्यूरो में जांच चल रही है लेकिन उसकी कोई प्रगति अभी तक दिखायी नहीं दी है।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि ऐतिहासिक महत्व के परकोटे की ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया है और उसका रख-रखाव नहीं किया गया है। वहां पर भी एक कामर्शियल काम्पलेक्स बनाने की अनुमति दे दी गयी और वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ काम हो रहा है। इसके अलावा एक घटना और घटी, 1-9-93 से लेकर अभी तक 5, 6, 7 मंजिलों का निर्माण, सरकारी भूमियों पर निर्माण व हाई कोर्ट के आदेशों के उपरान्त भी परकोटे व उसके साथ निर्माण अनधिकृत किया जा रहा है जो कि नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से किया जा रहा है जिसमें कि सरासर अनदेखी हो रही है। यह बात जगजाहिर तौर पर हरेक को मालूम है।

इसके अतिरिक्त मेरा यह भी निवेदन है आखिर में कि शास्त्रीनगर में 800 वर्ग मीटर का एक भूखण्ड नर्सिंग होम बनाने के लिए कम दरों पर आवंटित किया गया था। इस मामले में शास्त्रीनगर में नागरिकों ने कांवटिया अस्पताल के निर्माण के अवसर पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय को उद्घाटन समारोह में ज्ञापन दिया था और उन्होंने बताया था कि इस भूखण्ड पर एक धर्मशाला बनायी जाए।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने मौके पर ही सभा में कहा था कि इस मामले में निगम के दस्तावेज मंगाकर देखूंगा लेकिन अभी तक न तो निगम के दस्तावेज मंगाये गये, न ही कोई जांच की गयी। इस भूखण्ड की नीलामी से नगर निगम को

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

करीब 60 लाख रुपये का नुकसान हुआ है और 60 लाख रुपये का पब्लिक फाइनेंस हुआ है। इस बारे में सरकार किसी भी तरह जागरूक नहीं है। इसकी नीलामी बन्द कमरे में बैठकर गुपचुप रूप से की गयी। अम्बाबाड़ी में एक व्यावसायिक केन्द्र का 1334 वर्ग मीटर का भूखण्ड निगम ने 1275 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से बेचा जबकि यहां पर पूर्व भूखण्डों की बिक्री 3 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से थी। इस तरह से 40 लाख रुपये का नुकसान पहुंचाया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि सरकार समय पर ही चुनाव कराये और इस तरह नोकरशाही के हवाले न तो नगर निगम और न ही छोटी-छोटी नगरपालिकाओं को सौंपे। यदि वास्तव में यह संवेदनशील सरकार है तो बहुत जल्दी चनाव करवाये जिससे कि जनता के प्रतिनिधि जनता की नुमाइन्दगी करें और भ्रष्ट प्रशासन का अन्त हो।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र गहलोत। इनको थर्ड रीडिंग पर बोलने का अधिकार है न।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से जोधपुर नगर निगम की अव्यवस्था और दयनीय स्थिति की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जोधपुर नगर निगम के अन्दर 1971 की जनसंख्या के आधार पर 2300 कर्मचारी थे, आज उन 2300 कर्मचारियों में से एक हजार कर्मचारी सेवानिवृत हो चुके हैं। उसके बाद शहर की सीमा बढ़ चुकी है और कर्मचारियों की संख्या अभी तक उतनी की उतनी है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर की चुंगी में पिछले एक साल में जबरदस्त अनियमितताएं हुई है जिसके अन्दर लाखों रुपये की हेरा-फेरी हुई है। इसके लिये माननीय मन्त्री जी को मैंने कई बार ज्ञापन दिये हैं। वहां पर जो आयुक्त और प्रशासक हैं उनसे पूछा जाए कि चुंगी में कमी किस कारण से हुई और उसकी जांच की जाए।

माननीय अध्यक्ष जी, एक निवेदन और करना चाहूंगा कि जोधपुर क्षेत्र के अन्दर गैर योजना क्षेत्र है जहां नगर सुधार न्यास भी काम नहीं कर रहा है और नगर निगम भी काम नहीं कर रहा है, उस सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय ऐसी व्यवस्था दें कि योजना क्षेत्र के अन्दर नगर सुधार न्यास को कार्य करना चाहिये और गैर योजना क्षेत्र के अन्दर नगर निगम को कार्य करना चाहिये। कई वर्षों से उस क्षेत्र में काम ही नहीं हो रहा है जिसके कारण से उस क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए, नागरिकों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वह सुविधाएं भी नहीं

Page No.153

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

मिल रही हैं। आज जोधपुर में सफाई कर्मचारियों की संख्या में कमी होने के कारण चारों तरफ कचरे और गन्दगी के ढेर पड़े हुए हैं, पुराने नालों की सफाई नहीं हो रही है, बरसात होने वाली है, सारा शहर गन्दगी से सड़ रहा है।

कल मेरा एक अतारांकित प्रश्न था जिसमें इन्होंने बताया, हमारे यहाँ फतहसागर और गुलाब सागर की नहरों की मरम्मत पर 9 लाख रुपये पिछले वर्ष में खर्च किये गये थे। 9 लाख रुपये के अन्दर आज स्थिति देखें तो उस स्थिति में एक भी पैसा उन पर खर्च नहीं किया गया है और उस प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि 9 लाख हमने खर्च किये हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उसकी जांच करें और जिस तरह से गलत तथ्य सदन में प्रस्तुत किये जा रहे हैं उसके खिलाफ जांच करें। जोधपुर के अन्दर जिस प्रकार की नगर निगम की हालत है उसको सुधारने के लिए मंत्री महोदय कोई व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : जो बिल विचारार्थ हमारे सामने प्रस्तुत है उसके कारण हम सबको मालूम हैं। संविधान से एक परिवर्तन हुआ और उस संविधान संशोधन के अनुरूप हमें भी कुछ संशोधन लाने पड़े। यह एक्ट 1959 में बना था। उसके बाद समय-समय पर जैसी जैसी आवश्यकता अनुभव की गयी इससे संशोधन होते रहे और मेरा यह मानना भी है कि यह बिल भी आखिरी संशोधन नहीं होगा, जैसी जैसी आवश्यता होगी इसमें संशोधन किये जा सकते हैं।

जैसे माननीय श्री रामनारायण जी ने कुछ सुझाव दिये, मैं इस बात से सहमत हूं कि नगरपालिकाओं की जो इस समय आर्थिक स्थिति है वह सुखद नहीं कही जा सकती है। उनके जो साधन हैं और जो अधिकार उनको टैक्स लगाने के हैं, क्योंकि चुनी हुई नगरपालिकाएं टैक्स लगाने में थोड़ा संकोच करती हैं, आप कई जगह यह देखेंगे कि गृह कर लगाने का अधिकार है लेकिन कई नगरपालिकाएं नहीं लगा पाती हैं, जो टैक्स पहले से लगे हुए हैं उनको वृद्धि करने का अधिकार है लेकिन वह वृद्धि भी नहीं कर सकती हैं और इसलिए इस संशोधन में एक क्लाज जोड़ा है कि इनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये वित्त आयोग का गठन किया जाय। वह वित्त आयोग गठित होगा उसका यह दायित्व होगा, उसका यह कार्य क्षेत्र रहेगा कि नगरपालिकाओं की आय कैसे इतनी हो जाय जिससे वह स्वयं जो कुछ उनका प्रशासकीय व्यय है उस पर भी खर्च कर दें और उसके बाद नगर के विकास में भी पैसा लगा सकें। यह दायित्व उनके पास चला जाएगा तो उसके बाद ऐसा विश्वास है कि नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति कुछ सुधर सकेगी।

मैं यह भी मानता हूं, जब तक राज कोष में से इनकी मदद नहीं की जाय तब

(श्री भंवरलाल शर्मा)

तक इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार बहुत ज्यादा हो जाय। ऐसी मेरी व्यक्तिगत मान्यता है कि नहीं होगा।

अब संविधान के अन्तर्गत हमने संशोधन किये हैं। इसमें कुछ आपत्तियां माननीय सदस्यों ने की हैं। पर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो संशोधन हमने किये हैं वह संविधान को ध्यान में रखकर हमें करने पड़े हैं, जो कुछ संविधान में संशोधन हुए हैं उन संशोधन को करना हमारे लिये करना अनिवार्य था और इसीलिए ये संशोधन अधिकांश इसके अनुरूप में हैं।

माननीय सदस्यों ने चिन्ता की कि इनके कार्य क्षेत्र को छीना गया है, इनको अधिकार कम दिये गये हैं और साथ ही यह भी बहस हुई कि पालिकाएं अपने क्षेत्र में कौन व्यक्ति ऐसे होंगे जिनका सहयोग, जिनका अनुभव, जिनका ज्ञान उस नगर पालिका के लिये लाभदायक होगा। हमने पहले यह व्यवस्था की थी कि राज्य सरकार उनका नामिनेशन करेगी। लेकिन जब यह विचार आया कि ये सरकार के हाथ में क्यों रहना चाहिये; नगरपालिका क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं वे वहां के रहने वालों को अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी योग्यता का उनको मालूम होगा वह किन लोगों का सहयोग लेकर नगर पालिकाएं ठीक चला सकते हैं यह काम सरकार क्यों करे, तो यह काम नगर पालिकाओं को ही दिया कि वे ही अपने हिसाब से जिनको ठीक समझती हैं, अपने मेम्बर्स चुन लेंगी, अपने मेम्बर रख लेंगी। फिर उसमें विरोध कर दिया कि यह काम सरकार के हाथ में रहना चाहिये था। एक तरफ हम यह बहस करते हैं कि यह जो अधिकार है, यह अधिकार नगरपालिकाओं को दिया जाए और जब नगरपालिकाओं को दिया तो कहते हैं कि सरकार में रहना चाहिये था, यह नामिनेशन सरकार करें।

मैं समझता हूं कि सरकार का करने का कोई अधिक लाभ इसलिए नहीं होगा कि पूरे राजस्थान में जो नगरपालिकाओं का क्षेत्र है उसका कैसे अन्दाज हो सकता है कि अमुक व्यक्ति उस नगरपालिका के लिये अपने ज्ञान का लाभ पहुंचा सकेगा। इसलिये यह काम उनको दिया गया है। माननीय सदस्य जो विरोध कर रहे हैं उसके पीछे यह भावना है। मैं अभी यह समझता हूं कि हमारा जो सदन है वह इस बात से सहमत होगा कि एक्सपर्ट्स को लेने का जो काम है यह नगरपालिकाओं के पास ही रहना चाहिये।

फिर एक प्रश्न यह आया कि इनकी संख्या अपने तीन से.... (व्यवधान)....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : इसी बात पर एक छोटा-सा सुझाव है। इकानामिक वायबिलिटी की बात जो अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही यह बहुत सही है और इसी पर चर्चा भी चल रही है, इसी पर बात भी कह रहे हैं, मेरा सुझाव है कि आबकारी विभाग से जो शराब का

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

ठेका होता है उसका 20 पर्सेण्ट इन सब को दे दें, पंचायतों को भी दे दें तो यह सुदृढ़ हो जाएंगी और इकनामिकली वायबल हो जाएंगी।

श्री खेतसिंह राठोड़ : सुझाव बहुत बढ़िया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : शराब देवें या पैसा देवें, मैं समझ नहीं रहा हूं। शराब की बात कहते हैं या पैसे की बात कह रहे हैं ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : आबकारी विभाग लेता है उसमें से 20 पर्सेण्ट जो ठेके का पैसा है उसका।

श्री परसादीलाल मीणा : यह इण्टरनेशनल मामला है।

श्री भंवरलाल शर्मा : ठीक है, यह आपका सुझाव है जब फाइनेंस कमीशन इसमें काम करेगा तो उस तक यह बात पहुंच जाएगी और वह ठीक समझेंगे तो यह फैसला कर सकते हैं, यह व्यवस्था कर सकते हैं।

नामिनेशन के लिये 3 और 10, यह संख्या तय की है। यह भी आपको ध्यान है कि संविधान में यह संशोधन किया है कि प्रत्येक नगरपालिका में कम से कम वार्ड होंगे वह 13 होंगे, 13 से अधिक हो सकते हैं लेकिन 13 से कम की कोई नगरपालिका नहीं होगी। उस 13 की नगरपालिका में बाहर से आप ज्यादा लोग ले लें तो फिर वह जो एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था रहती है उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है इसलिए 13 में एक पर्याप्त होगा और बाकी जितनी अधिक संख्या होगी उसके हिसाब से वह 10 पर्सेण्ट तक जा सकती है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह उचित है।

डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में आपने एक शंका प्रकट की है कि वह शहर वालों की हो जायेगी और इसलिए आपने जो संख्या तय की है उसका अनुपात ठीक नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस कमेटी का गठन संविधान के हिसाब से किया है और संविधान में जो संख्या तय की है उस संख्या के आधार पर ही हमने यह संख्या यहां तय की है। इसमें यह लिखा है.... ... (व्यवधान) हां, ठीक ही लिखा है वह ही.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 को यथासंशोधित रूप में पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 को यथासंशोधित रूप में पारित किया गया।

Page No.156

(श्री अध्यक्ष)

आधे घण्टे की चर्चा। श्री पूनमचन्दजी विश्नोई।

सूचना प्राप्ति प्रश्न

मुख्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन प्रश्न

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 157 और 158 के अन्तर्गत सदन के नेता माननीय मुख्य मन्त्रीजी के खिलाफ एक विशेषाधिकार हनन का प्रश्न मैंने दिया था और उसमें प्रस्ताव किया गया था कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी........

श्री अध्यक्ष : यह कुछ रिकार्ड नहीं होगा।

श्री जगदीप धनखड़ : XXX

श्री अध्यक्ष : आप सुन लीजिये मेरी बात, इसके पहले कि ये सब आप बोलें, रूल 255 देख लें You may invite another privilege against you.

श्री जगदीप धनखड़ : XXX

श्री अध्यक्ष : रूल 255 पहले, फिर पढ़िये, बोलिए। हां, 255 पढ़िये। उसको पढ़कर फिर बोलिये Nothing will come on record so far as the contents of the notice is concerned. It should not be published. यह कहीं प्रकाशित नहीं होगा। इस सम्बन्ध में आप 255 पढ़िये।

श्री जगदीप धनखड़ : "255. Circulation of notices and papers to members.

श्री अध्यक्ष : इसका प्रोविजो पढ़िये "Provided that a notice shall not be given... ...."

श्री जगदीप धनखड़ : You want me to read the proviso to this rule. मैंने इस रूल को पढ़ा।

श्री अध्यक्ष : हां, रूल पढ़िये "Provided that a notice shall not be given publicity by any one until it has been admitted and circulated to members :

Provided further that a notice of a question shall not be given publicity until the question is answered in the House."

X X X अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

इसकी लिमिटेशन देख लीजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : X X X

श्री अध्यक्ष : You can only ask me that you have given a notice, What is happening about it ? इससे आगे नहीं।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि I will invite a breach of privilege.

श्री अध्यक्ष : You may. You may nvite,

श्री जगदीप धनखड़ : आपने कहा, I may. मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा, आप यह कार्यवाही शुरू कीजिये। मुझे इस कार्यवाही के शुरू होने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप और हम सब नियमों से बन्धे हुए हैं। अगर मैंने विशेषाधिकार का हनन किया है certainly I will ...

श्री अध्यक्ष : नहीं इसीलिए....

श्री जगदीप धनखड़ : मैं किसी भी हालत में प्रोटेक्शन सीक नही करूंगा।

श्री अध्यक्ष : इसीलिए 255 को पढ़िये आप।

श्री जगदीप धनखड़ : 255 में लिखा है कि Nobody will circulate it.

श्री अध्यक्ष · Neither publish it.

श्री जगदीप धनखड़ : O. K.

श्री अध्यक्ष : तो it will not be published. It will not be recorded.

यह रिकार्ड में नहीं आयेगा, यह पब्लिशन हीं होगा, न प्रेस प्रकाशित करेगी।

श्री जगदीप धनखड़ : मैं विधान सभा में यदि इसको पढ़ूं और उससे ब्रीच आफ प्रिविलेज हो, मुझे समझ में नहीं आता, रूल 255 कहां बीच में आता है।

श्री अध्यक्ष : यह आता है बीच में कि मैं अलाउ नहीं करूंगा I will not allow breach of rule 255.

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, breach of privilege has to take precedence.

श्री अध्यक्ष : Yes, precedence only to ask me what is happening.

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

That is all. Unless I admit or I am in a position to reply your question. I am not in that position, कल आपने प्रिविलेज मोशन किया है It is being examined and after examination I will give my ruling. और उस समय आप पूछिये ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि ....(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : क्यों समय ले रहे हो, यह अलाउ कर ही नहीं रहे हैं । (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : कुछ तो आसन की बात ,मानो । माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री महावीर प्रसाद जैन : पाइंट आफ आर्डर ।

श्री अध्यक्ष : ये पाइंट आफ आर्डर उठा रहे हैं । हां, बोलिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, नियमों में यह प्रावधान है कि बिना अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति के नहीं बोला जा सकता और अध्यक्षीय व्यवस्था होने के बाद उसकी अवहेलना करते हैं, यह शिष्टाचार के विरुद्ध है और यह एक सदस्य के आचरण के विरुद्ध है । यह आचरण के बिलकुल विपरीत हैं और यह भी एक तरह से ब्रीच आफ प्रिविलेज है कि आसन की व्यवस्था के खिलाफ, उसके बाद यह बाध्य किया जाए या उसकी अवमानना की जाए । यह सवाल है ।

जहां तक ब्रीच आफ प्रिविलेज का सवाल है, उस पर आपने व्यवस्था दे दी । इसका न तो प्रकाशन किया जा सकता, न इस पर कोई चर्चा की जा सकती जब तक आपका विनिश्चय नहीं हो उस मामले में । मैंने भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ब्रीच आफ प्रिविलेज का नोटिस दिया है लेकिन मैं उसकी चर्चा इसलिये नहीं कर सकता कि जब तक आप अपना विनिश्चय नहीं दें तब तक उस पर चर्चा नहीं की जा सकती ।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, अगर आप इनका पाइंट आफ आर्डर तय करें तो मैं बैठ जाऊं और बाद में व्यवस्था दें तो मैं अपनी बात चालू रखूं ।

श्री अध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर रूल्स से सम्बन्धित है । रूल्स स्पेसिफिक हैं, आपने पढ़ लिया, मैंने भी पढ़ लिया । हाउस ने सुन लिया है ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप क्या बोलना चाहते हैं, वह बोलिये आप ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अत्यन्त गम्भीर मामले में....

श्री कालीचरण सराफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अलाउ कर दिया क्या इनको ? ये फिर कैसे बोल रहे हैं। अलाउ नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, मैं केवल एक क्वेश्चन, ओनली वन क्वेश्चन (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय ने अलाउ नहीं किया।

श्री जगदीप धनखड़ : You cannot cover it. You have no answer to this. आपके पास कोई जवाब नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ : अध्यक्ष महोदय, आपने अलाउ कर दिया क्या इनको ?

श्री अध्यक्ष : कुछ मत लिखिये। नोट टू बी रिकार्डेड। चलने दीजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : XXX

श्री कालीचरण सराफ : अध्यक्ष महोदय, इनको अलाउ कर दिया क्या आपने ? ये कैसे बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : कहां अलाउ कर दिया।

श्री कालीचरण सराफ : बिना अलाउ किये ये बोल नहीं सकते। कैसे बोल रहे हैं ? नहीं बोल सकते आप।

श्री जगदीप धनखड़ - XXX

श्री अध्यक्ष : आप अपने प्रिविलेज नोटिस के बारे में पूछना चाहते हैं कि क्या हो रहा है ? क्या हो रहा है, यही पूछना चाहते हैं ?

श्री जगदीप धनखड़ : XXX

श्री अध्यक्ष : नहीं, रिकार्ड पर नहीं आयेगी।

श्री जगदीप धनखड़ : XXX

श्री अध्यक्ष : This is all premature. यह प्री-मैच्योर है। आपका इस समय इसका उल्लेख करना प्री-मैच्योर है, वायोलेशन आफ रूल्स है, कृपया, please, bear with me.

श्री जगदीप धनखड़ : XXX

श्री अध्यक्ष : Precedence was only that you should have raised immediately after the question hour. This is the precedence. Not at any time. A breach of privilege, a question can be raised.... (व्यवधान) प्रिविलेज यहां है। कुछ रिकार्ड नहीं होगा सिवाय इसके कि मैं जब तक नहीं बोलू, कुछ नहीं रिकार्ड होगा। पहले मेरी बात सुनिये। You will have no right to say whatever you

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No.160

(श्री अध्यक्ष)

hare talked wlth me in the Chambe. This is all pre-mature. I do not allow.

आधे घंटे की चर्चा। श्री पूनम चन्द जी विश्नोई। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : XXX

श्री अध्यक्ष : श्री पूनम चन्द जी का नोट करें, और किसी का नोट नहीं करें।

श्री जगदीप धनखड़ : X X X

श्री अध्यक्ष : और कोई नोट मत करिये।

श्री जगदीप धनखड़ : X X X

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : X X X

श्री अध्यक्ष : नोट मत करिये। आप बैठिये, बैठिये। विराजिये आप। श्री पूनम चन्द जी विश्नोई।

श्री जगदीप धनखड़ :X X X

श्री पूनम चन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, शान्ति स्थापित तो होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मैं क्या शान्ति करूं। वह मानते ही नहीं हैं। Well, I cannot allow to violate the rules on the face, in the House, in the face of my ruling. You have no right. It is pre-mature. You should not have asked any question. Only the question which you can raise is what is happening, and that you have raised and I have told you that it is being examined. No, I am not going to allow a single word about it. I will not allow you to violate the rules. No, I am protecting the rules., I am protecting the traditions, I am protecting the dignity of the House. I am protecting your dignity, your dignity I am protecting. You being a legal luminary I expect that you must know the rules. You must know the rules. You must follow the rules. Thats all. No, I am not allowing. I will not allow. No, no.

(16.00)

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : यह कैसा पाइन्ट आफ

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

आर्डर है? यह पाइन्ट आफ डिसआर्डर है। नो पाइन्ट ऑफ आर्डर। (व्यवधान) हां, बोलिये। हां, सवाल पूछिये।.... (व्यवधान)....

श्री जगदीप धनखड : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि नियमों के अन्तर्गत आपने....

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर मेरा है।

श्री कालीचरण सराफ : आपने अलाउ ही नहीं किया। फिर बोलने लग गये। फिर बोलने लग गये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री कालीचरण सराफ : आपने अलाउ ही नहीं किया फिर बोलने लग गये। आपने अलाउ ही नहीं किया बोल कैसे रहे हैं, आप सीनियर मैम्बर हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री जगदीप धनखड़ : मैं माननीय अध्यक्ष महोदय की इजाजत से बोल रहा हूं, नियमानुसार बोल रहा हूं, नियमों के अन्तर्गत बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप सुनिये प्लीज। प्लीज हियर।

श्री हरिसिंह (महुआ) : वी. पी. सिंहजी आप क्या बोल रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : आप डोल रहे हैं और वे बोल रहे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : मैं आपका आभारी हूं कि नियमानुसार और नियमों के शिकंजे में आपने मुझे यह इजाजत दी है कि जो नियम 157 और 158 के अन्तर्गत सदन के नेता मुख्य मंत्री, श्री भैरोंसिंह जी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की सूचना जो मैंने आपको दी थी....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : सर, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : प्लीज, नो।

श्री रोहिताश्व : अध्यक्ष महोदय, यह अक्ल का अखाड़ा है या कुश्ती का अखाड़ा है?

श्री जगदीप धनखड : उस सूचना के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी जानना चाहूंगा, पूरे राजस्थान की जनता भी जानना चाहेगी....

श्री अध्यक्ष : ठीक है बैठिये।

श्री जगदीप धनखड़ : आपने उस सम्बन्ध में अब तक कौनसी कार्यवाही के लिये सरकार को बाध्य किया।

श्री अध्यक्ष : आपका जो नोटिस मुझे

(श्री अध्यक्ष)

कल मिला है उसको मैं लीगली एक्जामिन कर रहा हूं, उसको एक्सेप्ट करने के बारे में जितने भी रूल्स या पहले की रूलिंग्स हैं उन सबको एक्जामिन करने के बाद उस सम्बन्ध में जो आवश्यक मैटीरियल मुझे मंगाना है सब तरह से, आपसे भी जो लेना है, और से भी लेना है वह लेने के बाद अपना निर्णय दूंगा।

श्री पूनमचन्द जी विश्नोई। श्री पूनम चन्द जी विश्नोई।

श्री जगदीप धनखड़ : कब तक हो जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : जल्दी से जल्दी। जल्दी से जल्दी।

श्री जगदीप धनखड : एक-दो दिन में ?

श्री अध्यक्ष : अब कल तो छुट्टी है, जल्दी कर दूंगा।

श्री जगदीप धनखड : जल्दी कब, एक-दो दिन में ?

श्री अध्यक्ष : इस सैशन में दूंगा। माननीय विश्नोई जी। प्लीज।.... (व्यवधान)....

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरे ब्रीच आफ प्रिविलेज पर भी साथ में व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष : वह मेरे को अभी मिला नहीं है। वह मेरे ध्यान में अभी नहीं आया। आयेगा तो उसको भी देखूंगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्योंकि यह संसदीय आचरण के बिलकुल विपरीत है।

श्री अध्यक्ष : हां, ठीक है। आप बैठिये। No, No I do not allow. .. (व्यवधान)... आप बैठिये। श्री पूनम चन्द विश्नोई। हाफ एन आॅवर डिस्कशन।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा दो ही मिनट का है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, आपको एक मिनट भी नहीं मिलेगी। बैठिये आप।

श्री शांति कुमार धारीवाल : क्यों नहीं दे रहे हैं आप ?

श्री अध्यक्ष : प्लीज, प्लीज, प्लीज। श्री पूनमचन्द विश्नोई।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : क्या ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं पढ़ कर सुनाता हूं। अध्यक्ष महोदय, संसदीय इतिहास में ऊंची से ऊंची परम्पराएं बनाये रखने के लिये सदस्यों से आशा की जाती है कि वे सभा और सभा के बाहर आचरण में कुछ स्तर बनाये रखें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सब पढ़े-लिखे हैं और जानते हैं ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप पढ़े-लिखे हैं ? वह मैं जानता हूं कि आप पढ़े-लिखे हैं और माननीय जगदीप जी धनखड़ भी पढ़े-लिखे हैं उसके बावजूद भी उनके इस आचरण से सदन की अवमानना हुई है । जान-बूझकर करते हैं ।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये । प्लीज, नो, नो । नथिंग । बैठिये आप । माननीय पूनमचन्दजी विश्नोई ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैंने जो ब्रीच आफ प्रिविलेज का नोटिस दिया है, मैंने माननीय धनखड़जी के खिलाफ ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन मूव किया है उसमें व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये । माननीय विश्नोईजी ।

श्री शांतीकुमार धारीवाल : ब्रीच आफ प्रिविलेज के ये दोनों मामले अलग-अलग हैं आप दोनों मामलों को मिलाइये मत, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो मोशन मूव किया है उसमें व्यवस्था दें ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं, अब आपकी व्यवस्था नहीं होगी । पूनमचन्दजी को बोलने दीजिए ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक ही प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : नो, नो ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह अन्याय होगा, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मिस्टर घनश्याम ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक पाइंट आफ आर्डर है ।

श्री अध्यक्ष : देखिए, मैं न आपको अलाउ करूंगा, न आपको । आप भी बैठ जाइये ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा पाइंट आफ आर्डर है ।

श्री अध्यक्ष : No point of order. I don't allow any point of dis-order. There is no point of order. (interruptions) Let the House come in order. (interruptions) No, No. Please. I don't allow you.

श्री पूनमचन्द विश्नोई ।

आधे घण्टे की चर्चा

राज्य वन सेवा के अधिकारियों की भारतीय वन सेवा में पदोन्नति एवं नियुक्ति का अनुपात

(ता. प्र.सं. 691 दिनांक 29 मार्च, 1994)

श्री पूनमचन्द [redacted]बिश्नोई (फलोदी) : अध्यक्ष महोदय, 29 तारीख को प्रश्न संख्या 691 का राज्य सरकार ने यहां पर उत्तर दिया था। उत्तर गोलमाल था, उसमें कई तथ्यों को छिपाया गया और राजस्थान वन सेवा के अधिकारियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसकी ओर राजस्थान सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, इस उद्देश्य से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए मैंने प्रक्रिया के नियम 49 के अन्तर्गत यह आधा घण्टे की चर्चा उठायी है।

आल इण्डिया फोरेस्ट सर्विस का गठन 1966 में हुआ था। उससे पहले चीफ कंजर्वेटिव से लगा कर असिस्टेंट कंजरवेटर आफ फोरेस्ट के 4 बड़े पद थे वे राजस्थान के वन सेवा के अधिकारियों के हाथ में थे। खैर, जनहित में राजस्थान ने और भारत सरकार ने अखिल भारतीय वन सेवा स्थापित की और राजस्थान ने भी इसको स्वीकार किया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान और राजस्थान की वन सेवा के अधिकारियों के साथ अन्याय यह हो कि रहा है।

(16.06)

(श्री रमाकांत शर्मा, सभापति, पदासीन)

जैसा अनुपात राजस्थान वन सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के बीच में है वैसा अन्य किसी सेवा में नहीं है। जैसे राजस्थान प्रशासनिक सेवा और अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा का राजस्थान में अनुपात यदि एक आई.ए.एस. अधिकारी का है तो लगभग 3-3.1/2 अधिकारी राजस्थान प्रशासनिक सेवा के होंगे। उसी तरह से पुलिस सेवा के हैं उनका भी वही अनुपात है। लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान वन सेवा और अखिल भारतीय वन सेवा का अनुपात लगभग 1:1 है। एक अगर राजस्थान वन सेवा का अधिकारी है तो एक अखिल भारतीय वन सेवा का अधिकारी है। आप जानते हैं कि अखिल भारतीय सेवा के जितने भी अधिकारी होते हैं, उनको कुछ रियायतें दी हुई होती है, उनके कुछ नियम अलग होते हैं, कुछ समय के बाद में उनको सीनियर स्केल देना पड़ता है, थोड़े समय बाद में पदोन्नति देनी पड़ती है। इस तरह से इसमें हुआ क्या है कि यह बराबर है और यह प्रश्न उस वक्त उठा जब 1990 में 10 या 11 अखिल भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को राजस्थान भेजा। उस वक्त यहां पर कोई स्थान रिक्त नहीं था और उन 10 अधिकारियों को यदि यहां पर लगा दिया जाता तो राजस्थान वन सेवा के अधिकारी हैं वे कई तरह से बहुत एडवर्सली हिट होते थे इसलिए मना कर दिया। लेकिन भारत सरकार के दुबारा काफी जोर लगाने के कारण हमारे किन कारणों से क्या कमजोरी आ गयी कि उन 10-11 अधिकारियों को स्वीकार कर लिया।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

इस तरह की नीति और उनका इतना अधिक अनुपात होने का नतीजा यह हो रहा है कि राजस्थान वन सेवा का अधिकारी, जिसकी अपने जीवनकाल में एक ही पदोन्नति होती है, बाकी सब सेवाओं में कम से कम तीन पदोन्नतियां हैं उसकी एक पदोन्नति होती है और प्रथम पदोन्नति में 10 से 15 साल तक का समय लगता है, उसके बाद में वह डी. एफ. ओ. बनता है और अगर इण्डियन फोरेस्ट सर्विस में नहीं आता है तो डी. एफ. ओ. के तौर पर रिटायर हो जाता है।

राजस्थान की दूसरी जितनी राज्य स्तर की सेवाएं हैं उनमें चार श्रेणियां हैं, वेतन श्रृंखलाएं 4 हैं। जूनियर, सीनियर, सलेक्शन और सुपर टाइम। इनके केवल दो ही हैं, जूनियर और सीनियर। उनको जैसा मैंने अर्ज किया तीन पदोन्नति के अवसर हैं चाहे आई.पी.एस. हो, चाहे आर.ए.एस. हो, चाहे सर्विस अकाउण्ट्स के हों या दूसरी कोई भी राज्य स्तर की सेवा है उनको तीन अवसर हैं लेकिन इनको केवल एक ही है। और यही नहीं है, सभापति महोदय, एक बात और हो रही है कि जैसे डी.एफ.ओ. के पद हैं, रख तो छोड़े हैं 40-40 पद दोनों के, लेकिन वर्तमान में 8 पद राजस्थान वन सेवा के आल इण्डिया फोरेस्ट सर्विस वालों को दे रखे हैं क्योंकि उनको कुछ समय के बाद में ऊंची वेतन श्रृंखला देनी होती है। 3 पद जो राजस्थान वन सेवा के अधिकारियों से भरे जाने चाहिये थे उनको खाली करके उसके ऊपर भी आल इण्डिया फोरेस्ट सर्विस वालों को बैठा रखा है। कम से कम 15 पद हैं, 15 आई. एफ. एस. वाले केन्द्रीय सरकार के वहां डेपुटेशन पर जाने चाहिये, जो आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप आई.ए.एस. अफसर रहे हुए हैं, अपने यहां के चाहे आई. ए. एस. हों, चाहे आई. पी. एस. हो, सब का डेपुटेशन होता है, तो उसमें आधे भी डेपुटेशन पर नहीं हैं। नतीजा यह हो रहा है कि इनकी पदोन्नति रूक जाती है।

इसी तरह से दूसरे विभागों को राजस्थान फोरेस्ट सर्विस और इण्डियन फोरेस्ट सर्विस वाले को डेपुटेशन पर भेजना चाहिये तो राजस्थान सरकार के जो अलग-अलग विभाग हैं जैसे जिला परिषद् है या नहर विभाग है या दूसरा है, तीसरा है, उसमें भी लगभग 8 पद हैं जो खाली पड़े हैं और वहां नहीं भेजा है और वह इस विभाग के अन्दर हैं, जिसके कारण इनके रुकावट आ जाती है। तो मेरे कहने का आशय यह है कि यह एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है राज्य स्तर की सेवा के साथ और इसके अन्दर अनुपात, जो है, मेरे समझ में नहीं आया।

मेरा सुझाव है कि जैसे दूसरी सेवाओं में अनुपात है, राजस्थान वन सेवा के 70 हो तो 30 पद आल इण्डिया फोरेस्ट सर्विस के होने चाहिये। बहुत सी जो योजनाएं हैं, कई तरह की फोरेस्ट की हैं, फोरेस्टेशन की योजनाएं

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

नहरों के पास चल रही हैं, सड़कों के पास चल रही हैं, विदेशी सहायता से चल रही हैं तो उसके अन्दर भी सिवाय डी. एफ. ओ. के इनके कहीं कोई दूसरा रास्ता नहीं खुला हुआ है, कोई स्थान नहीं है, तो यह सब इस तरह के कई पद हैं उन पदों के ऊपर राजस्थान फोरेस्ट सर्विस के लोगों को लगाया जाना चाहिये, यह मेरा सुझाव है।

एक सुझाव यह भी दूंगा, यह बात नहीं है कि जो इण्डियन फोरेस्ट. सर्विस के लोग यहां पर लगे हुए हैं वह योग्य नहीं हैं या वह कोई ईमानदार नहीं हैं, ऐसा मेरा कोई सुझाव नहीं है लेकिन फिर भी इन दो सेवाओं के अन्दर आपस मे काफी कटुता चलती है और कुछ ऐतिहासिक कारणों से, कुछ गलत नीति के कारण आई. एफ. एस. के जो पद होने चाहिये थे राजस्थान वन सेवा के पास, वह उन्होंने अपने कब्जे कर रखे हैं तो कुदरती बात है, प्रिंसिपल चीफ कंजरवेटर आफ फोरेस्ट अगर फोरेस्ट सर्विस का अधिकारी होता है तो यह जो अभी गड़बड़ी और अन्याय चल रहा है, यह हमेशा चलता रहेगा इसलिए बहुत से अच्छे अफसर हैं फोरेस्ट सर्विस में, लेकिन मेरा सुझाव है कि यह पद किसी आई. ए. एस. को दिया जाए ताकि निष्पक्ष तरीके से इनके आपस में काम का बंटवारा किया जा सके। एक बड़ी पोस्ट है अतिरिक्त मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक। यही पोस्ट है एक जो बड़ी है, राजस्थान वन सर्विस वालों की और वह भी काफी अरसे से खाली पड़ी हुई है, वह पद भी उनको नहीं मिल रहा है।

इसी तरह से डी. एफ. ओ. के जितने पद हैं, चूंकि उनको एक ही पदोन्नति मिलती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि 75 प्रतिशत डी. एफ. ओ. के पद राजस्थान वन सेवा को दिये जाने चाहिए और 25 प्रतिशत आल इण्डिया फोरेस्ट सर्विस वालों को दिये जाने चाहिये। भविष्य में जो कोई भी नये पद सृजित किये जाए तो उसमें भी राजस्थान वन के अधिकारियों को 75 प्रतिशत और भारतीय वन सेवा को 25 प्रतिशत पद मिलने चाहिये। लेकिन यह तभी सम्भव हो सकेगा जब आप इस अनुपात को ठीक करेंगे। आश्चर्य हुआ मुझे भी, किस कारण से दोनों के बराबर-बराबर आपने कर दिये, आई. एफ. एस. वाले और आर. एफ. एस. वाले। बराबर होने से क्या है कि वह तो छोटी पोस्ट पर रह नहीं सकते, सैण्ट्रल के नियमों से प्रोटेक्टेड हैं तो उनको तो कुछ समय के बाद ऊंची पोस्ट देनी पड़ती है और यह गरीब उसमे वंचित रहते हैं। इसलिए मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस मामले को आप स्वयं देखें। अपने यहां पर कोई बहुत बड़े जंगल हों, यह बात नहीं है। अच्छे जंगल थे वह तो कट भी गये। अब तो क्या है कि दुबारा फोरेस्टेशन करने का सवाल है, चरागाह

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

विकास का सवाल है, प्लांटेशन का सवाल है। तो इसके अन्दर तो अपने यहां के स्थानीय अधिकारी हैं। इसमें ज्यादातर तो बाहर के होते हैं, बहुत कम राजस्थान के होते हैं और जैसा मैं कहता आया हूं कि अपने बहुत दुःखी हैं आयातित टेक्नोलोजी, बोरोड टेक्नोलोजी है। हर क्षेत्र के अन्दर इससे अपना बहुत नुकसान किया है और वनों के बारे में भी स्थानीय वृक्ष, झाड़ियां, घास, चरागाह विकास, इसके सम्बन्ध में मैं हमेशा कहता रहा हूं। तो यह तो यहां के स्थानीय अधिकारी ही होंगे वह ज्यादा अच्छी तरह से देखेंगे क्योंकि जो आल इण्डिया फोरेस्ट सर्विस में आ गया उनका रहन-सहन का स्टाइल ही कुछ दूसरा हो जाता है, सर्किट हाउस चाहिये, डाक बंगला चाहिये ठहरने को, लोगों के साथ रहें, जाए, स्थानीय समस्याओं को समझें इतना वह नहीं समझ सकते। इसलिए, मुख्य मंत्रीजी, मेरा निवेदन है कि आप इस सेवा के साथ न्याय कीजिये।

श्री सभापति : माननीय श्री राम नारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : सभापति महोदय, आधे घंटे की चर्चा इस प्रश्न पर करवाने के लिये मैं भी शामिल था। मान्यवर, बहुत स्पष्ट है कि एक इण्डियन फोरेस्ट सर्विस है, दूसरी राजस्थान फोरेस्ट सर्विस है। अखिल भारतीय वन सेवा और राजस्थान वन सेवा। तो यह सीधे ही भेदभाव नजर आता है कि आई. ए. एस. और आर. एस. एस; आई. पी. एस. और आर. पी. एस, इन दोनों में 1 : 3 का अनुपात और यहां बराबर-बराबर। एक आई. एफ. एस. का और एक आर. एफ. एस. का तो यह एक भेदभाव है और राजस्थान के लोगों को फोरेस्ट सर्विस में राजस्थान की सेवा करने के लिये कम मौका मिलेगा क्योंकि अधिकांश आर. एफ. एस. के अन्दर आने वाले लड़के, युवक राजस्थान के ही होंगे निश्चित ही और आई एफ. एस. में आने वाले अधिकांश युवक बाहर के होंगे।

हिन्दुस्तान के ही, लेकिन वह इस राजस्थान की भूमि के भूमिपुत्र नहीं होंगे, भारत के भूमिपुत्र हों, लेकिन राजस्थान की भूमि के भूमिपुत्र नहीं होंगे। तो राजस्थान के लोगों को, राजस्थान फोरेस्ट सर्विस को भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिये जितना कि आर.ए.एस. और आर.पी.एस. देना चाहिये देते हैं हम। आर.ए.एस. वालों को आप कितने प्रमोशन देते हैं? इसको सिर्फ एक प्रमोशन दे रखा है। आर.ए.एस. के लोगों को आप हेड आफ दी डिपार्टमेंट भी बनाते हैं उनको संतोष देने के लिये और यह राजस्थान फोरेस्ट सर्विस के आदमी बिना हैड आफ दी डिपार्टमेंट बने ही और डी.एफ.ओ. बन करके रिटायर हो जाते हैं। यह अभी तो हुए नहीं लेकिन हो जायेंगे, आज के जो नियम हैं, उस हिसाब से। मुख्य मंत्रीजी और वन

(श्री रामनारायण चौधरी)

मंत्री जी, खास तौर से यह आपके डी ओ, पी. का मामला है और मंत्रिमण्डल का नीतिगत यह प्रश्न है तो इसको समानान्तर एट पार लाने के लिये यह बिलकुल उचित प्रतीत होता है, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर विचार नहीं किया जाना चाहिये। अब यह बात सही है कि आई.एफ.एस. के लोग आयेंगे तो वह ऊंचे स्टेण्डर्ड के होंगे। आई ए.एस. के होंगे तो वह ऊंचे, यह सब है, इसमें दो राय नहीं कि उनकी काबलियत ज्यादा है।

लेकिन इनकी भी काबलियत है, जैसे आर.ए.एस. की काबलियत है, वैसे ही आर.एफ.एस. की भी है। आज आर. पी एस. की काबलियत है तो आर. एफ. एस. की भी है। तो इनकी काबलियत इनके हिसाब से है और इनकी काबलियत का फायदा उठाते हुए हम इनको प्रोत्साहन दें कि 1:3 रखा जाना चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्री जी।

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मन्त्री, विशिष्ट योजना संगठन एवं एकीकृत ग्रामीण विकास) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान वन सेवा में सहायक वन रक्षक व उप वन रक्षक के पद हैं। सहायक वन संरक्षक के पद पर 50 प्रतिशत पदोन्नति से व 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से नियुक्ति की जाती है। राजस्थान वन सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति हेतु सहायक वन रक्षक के पद से उप वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति के अवसर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त योग्यता रखने वाले उप वन संरक्षकों को भारतीय वन सेवा में भी पदोन्नति देय है।

उल्लेखनीय है कि भारतीय वन सेवा के 33.33 प्रतिशत पद राज्य वन सेवा के अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। राजस्थान वन सेवा का संवर्ग, पुनर्वीक्षण कैडर रिव्यू दिनांक 30-11-1993 को किया जा चुका है। उप वन संरक्षक व अन्य समकक्ष पदों की व्यावहारिक आवश्यकता का भी विभाग को ध्यान रखना पड़ता है तथा केवल इतने ही पद सृजित किये जाते हैं जितनी की आवश्यकता है। उप वन संरक्षक के पद पर भारतीय वन सेवा का व राजस्थान वन सेवा, दोनों ही सेवा के अधिकारी लगाये जाते हैं। दोनों सेवाओं के संवर्ग पद अलग-अलग हैं। कुछ परिस्थितियों में असंवर्ग पदों से भी अधिकारियों को लगाया जाता है।

जहां तक संवर्ग आकार के अनुपात का प्रश्न है, यह सही है कि यह अनुपात आर. ए. एस. एवं आई. ए. एस. तथा आर. पी. एस. एवं आई. पी. ऐस. में मोटे तौर पर 3 : 1, जबकि आर. एफ. एस., आई. एफ. एस. में मोटे तौर पर

(श्री अनंग कुमार जैन)

1.25 : 1 है। इस अनुपात में राज्य सेवा का संवर्ग छोटा होने की स्थिति में अखिल भारतीय सेवा में अधिक पदोन्नति के अवसर उपलब्ध हैं। राज्य सेवा के संवर्ग का आकार बढ़ाने से राज्य सेवा के अन्दर पदोन्नति के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकते हैं, परन्तु ऐसा तभी किया जा सकता है जबकि बढ़ाये जाने वाले पदों का व्यावहारिक फंक्शनल जस्टिफिकेशन हो।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसमें आपने कहा, वह आर. एफ. एस., आई.एफ.एस. में तो जा सकते हैं। उसका सवाल नहीं है। सवाल यह है कि आई.एफ.एस. में नहीं जाए। जैसे कोई आर.ए.एस. ही रह जाए या आर. पी.एस. ही रह जाए। तो उनको तो तीन अवसर उपलब्ध है मतलब तीन प्रमोशन तो वह पाता ही है और चार वेतन श्रृंखला पाता आया है। अगर इंडियन फोरेस्ट सर्विस में वह सलेक्ट हो गया तो वह ठीक है। लेकिन यह फर्क जो नहीं होता है, आपने यह बात छिपा दी, जो आर.एफ.एस. रहे उसको केवल एक है। बता दीजिये, इससे ज्यादा है क्या? और आर. पी. एस. का और आर.ए.एस. का कितने हैं? उनको वेतन श्रृंखला चार है और पदोन्नति के अवसर तीन हैं। इनको सिर्फ एक है।

श्री सभापति : मंत्री महोदय।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय सभापति महोदय, इसके आर. एफ. एस. वालों को श्री आई.एफ. एस. में जाने के बाद फिर आगे भी पदोन्नति के अवसर हैं। पहले उनको डी.सी.एफ. लगाया जाता है। डी.सी.एफ. के बाद सी.एफ. लगाया जाता है और सी. एफ. के बाद उनको सी.सी.एफ. लगाया जाता है और उसके बाद पी.सी.सी.एफ. भी यदि उनका नम्बर आता है तो बन सकते हैं।

श्री सभापति : प्रश्न तो दूसरा है, जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब दीजिये।

श्री अनंग कुमार जैन : वर्तमान में आर.एफ.एस. के तीन अधिकारी....

श्री पूनमचंद विश्नोई : आप सवाल समझे नहीं, मंत्री महोदय।

श्री सभापति : फिर दुबारा सुन लीजिये सवाल को।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप सवाल समझे नहीं। मेरा कहने का आशय यह है कि वह अगर राज्य वन सेवा में होता है और उधर राज्य पुलिस सेवा में होता है तो वह राज्य पुलिस सेवा का होते हुए भी उसको पदोन्नति होती है, एडिशनल एस. पी. तक वह पहुंच जाता है लेकिन इधर ऐसा नहीं है। इधर सिर्फ डी. एफ ओ. ही है। अगर वह आई. एफ. एस. में सलेक्ट हो जाए तो अलग बात है, फिर तो ऊंचाई तक पहुंच जाता है। तो उस तरह तो वह आई. जी. तक पहुंच जाते हैं आर. पी. एस.

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

वाले और इसी तरह से आर. ए. एस. वालों को तीन उपलब्ध हैं। और चार वेतन श्रृंखलाएं हैं। इनकी वेतन श्रृंखलाएं दो हैं और प्रमोशन एक है, इसको क्लेराफाई करो ना, उनका दुःखड़ा तो यह है।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय सभापति महोदय, यह तो सही है कि आर. पी. एस. और आर. ए. एस. वालों को तीन मौके पदोन्नति के मिलते हैं। वह आर.पी.एस. से डी. वाई. एस. पी. होते हैं, वह एडिशनल एस. पी. बनते हैं और उसके बाद वह यदि आई. पी. एस. में आ जाते हैं तो उनको पूरे चांसेज रहते हैं। इसमें आर. एफ. एस. के बाद जब डी. सी. एफ. लगता है और डी. सी. एफ. के बाद यदि आई. एफ. एस. में वह आते हैं तो उनको आगे पदोन्नति का चांस मिलता है।

दूसरा, माननीय सभापति महोदय, इसमें पदों का जो प्रश्न है तो पदोन्नति के चांसेज तो आर. पी. एस. और आर. ए. ऐस. के अन्दर एक चांस इनको ज्यादा और इनको एक चांस कम है लेकिन इनका जो संवर्ग हैं और जितने पद हमारे पास राजस्थान वन सेवा के अन्दर हैं, उन पदों के हिसाब से यह राजस्थान वन सेवा और भारतीय वन सेवा दोनों के अधिकारियों का जो अनुपात है, वह 40 और 43 है। उस हिसाब से ही उनकी पदोन्नति की जाती है। जैसा पूर्व में माननीय सदस्य ने फरमाया कि इनका कभी अतिक्रमण किया जाता है और आर. एफ. एस. की पोस्टों पर आई. एफ. एस. को लगा दिया जाता है या आर. एफ. एस. वालों के पदोन्नति के चांसेज ब्लाक कर दिये जाते हैं तो ऐसा कभी नहीं किया जाता है। कभी ...

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैं उदाहरण देऊंगा आपको। अभी हुआ है।

श्री अनंग कुमार जैन : मैं निवेदन कर दूं, अभी भी 30-11-1993 को जब कैडर रिव्यू किया गया तो आर. ऐफ. एस. के 13 पद नये सृजित किये गये। 13 पदों की और इसमें वृद्धि हुई। 1966 के अन्दर आर. एफ. एस. के कुल 10 पद थे। आज इनके 43 पद हो गये हैं। तो बढ़ोतरी बराबर उनकी हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, जब 10 पद से आज उनके 43 पद हो गये, तो ऐसे नहीं कहा जा सकता कि आर.एफ. एस. वालों के प्रमोशन के चांसेज को कहीं ब्लाक किया जा रहा है या उनके प्रमोशन के चांसेज मे कहीं अवरोध आ रहा है। निश्चित रूप से जब-जब भी उनके प्रमोशन के चांस होते हैं, उनको प्रमोशन दिया जाता है और इन पदों पर भी राज्य सरकार हमेशा ध्यान रखती है आर. एफ. ऐस. के जो अधिकारी हैं, उनके इण्टेरेस्ट कहीं मारा नहीं जाए, उनके अधिकारों पर हनन नहीं हो। तो समय-समय पर कैडर

(श्री अनंग कुमार जैन)

रिव्यू किया जाता है और इनके पदों में भी वृद्धि की जाती है।

जैसा मैंने निवेदन किया कि अभी नवम्बर, 1993 के अन्दर उनके 13 पद और बढ़ाये गये हैं तो अब 43 पद इनके हो गये। तो 10 से 43 पद इनके हो गये जबकि आई. एफ. एस. वालों के उस वक्त ज्यादा पद थे लेकिन उनके पदों में उतनी वृद्धि नहीं हुई। इसलिए मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार उनके जो प्रमोशन के चांसेज है, अवसर हैं, उनके बारे में पूर्ण रूप से सजग है और समय-समय पर विचार करती रहती है।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय सभापतिजी, मेरा मुख्य मन्त्री जी से निवेदन यह है कि पदोन्नति एक बात है और उनकी पे स्केल्स टाइम टू टाइम रिवाइज्ड होती रहती है उसी स्टेट सर्विस की, चाहे वह आर. पी. एस. है, चाहे वह आर. ए. एस. है। फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य बिश्नोई जी यह बात कह रहे हैं कि आपकी स्टेट सर्विस है, इन दोनों में पदोन्नति के दो-दो चांसेस हैं और उसके बाद पे स्केल्स और जो इनका ग्रेड है, वह ग्रेड अपग्रेड होता है, करीबन तीन और चार दफा हो जाता है जबकि यहां पर एक दफा उसकी पदोन्नति होती है और न अलग-अलग ग्रेड हैं। यह जो एनामली है, जो राजस्थान की फोरेस्ट सर्विस है, उस एनामली को आप दूसरी स्टेट सर्विसेज के एट पार लाने के लिये इसके औचित्य आप ठीक समझते हैं या नहीं समझते हैं और डिपार्टमेंट आफ पर्सनल की क्या राय है इसमें और आपकी स्वयं की इसमें क्या राय है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : सभापति महोदय, यह व्यवस्था 1967 से चल रही है। बार-बार इसका रिव्यू भी होता रहा है और लेटेस्ट रिव्यू नवम्बर, 1993 में हुआ है। यह बात आपकी सही है कि इनके प्रमोशन एवेन्यूज आर. पी. एस. और आर. ए. एस. के बराबर नहीं हैं, इसको मैं छिपाने की बात नहीं कर रहा हूं। अब यह हो सकता है कि नहीं हो सकता, मैं आज के दिन नहीं कह सकता। आल इण्डिया सर्विस बनते समय हमारा क्या कमिटमेंट था, कैडर स्ट्रेन्थ कितनी थी, आई. एफ. एस. के कितने आदमी लेने थे और हमारी स्टेट सर्विसेज के कितने आदमियों को प्रमोशन मिलना था। जो नियम बने हुए है उनके हिसाब से तो किसी प्रकार की कोई प्रमोशन या नियुक्ति के मामले में राजस्थान सर्विस के लोगों की अवहेलना नहीं की गयी है लेकिन यह एवेन्यूज की जो बात आप कह रहे हैं या पे स्केल के मामले में कह रहे हैं, मुझे भी इसमें कुछ अन्तर लगता है। आज इसका मैं कुछ उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं कि सरकार इसमें क्या कर सकती है।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

श्री रामनारायण चौधरी : आपका विचार करने का इरादा तो है ना ?

श्री सभापति : विचार करेंगे न, कह तो दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप जैसे आदमी बोल रहे हैं तो विचार कैसे नहीं करूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : Will Government will examine this question ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : Certainly, we will.

श्री परसराम मदेरणा : The Government should examine this question. If there is an anomaly, that should be rectified.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले की सरकार ने भी कुछ किया है। वह बिलकुल सही है, कर सकता हूं या नहीं कर सकता हू आज के दिन कोई कमिट नहीं करता। क्योंकि आल इण्डिया सर्विस के.कैडर से आई. एफ. एस. को लेने के सम्बन्ध में हमारा क्या भारत सरकार से समझौता हुआ था, किस प्रकार से 1967 में नोटिफिकेशन निकला, उसके बाद में कैडर रिव्यू हुआ उसमें किस प्रकार से विचार किया गया और अब तक पिछले बीस वर्षों में या 15 वर्षों में यह इश्यू नोटिस में क्यों नहीं आया उन सब चीजों को देख कर ही मैं कुछ अपनी राय दे सकता हूं, बिना देखे राय नहीं दे सकता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : सहानुभूति तो है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सहानुभूति आपके प्रति है, पूनमचन्द जी बिश्नोई ने कहा उनके प्रति मेरी सहानुभूति है ऐसी क्या बात है।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। माननीय श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत।

जयपुर पोलिस्पिन लिमिटेड रिंगस के श्रमिकों द्वारा अतिरिक्त समय किये गये कार्यों का भुगतान

(ता. प्र. सं. 727 दिनांक 30 मार्च, 1994)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्री माधोपुर) : माननीय सभापति महोदय, श्रम विभाग से सम्बन्धित दिनांक 2-3-94 के प्रश्न संख्या 24 के सम्बन्ध में मैं निवेदन कर रहा हूं। प्रश्न के उत्तर में कुछ तथ्यों को छिपाया गया है, कुछ तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है और प्रश्न की भावना स्पष्ट नहीं है और जिन लोगों के हकों पर कुठाराघात किया गया है उनको न्याय नहीं मिल पाया है इस उद्देश्य से मैंने आसन से निवेदन किया और आसन ने कृपा करके आधे घण्टे की चर्चा में इसे सम्मिलित किया है।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में जयपुर पोलिस्पिन के नाम से एक बहुत बड़ी फैक्टरी है जिसके मजदूरों को मिल मालिकों द्वारा शोषण करते हुए बोनस आधा दिया जाता है, ओवर टाइम आधा दिया जाता है। ओवर टाइम के मामले में हालांकि सूची प्रस्तुत की गयी है। पिछले पांच वर्षों का रिकार्ड मैंने मांगा था जिसमें यह दर्शाया गया है कि 77,27,282/- रुपये का बोनस का पेमेंट हुआ है। मेरी सूचना के अनुसार इसके साथ दूसरा पहलू यह भी सम्मिलित है कि उन मजदूरों को 77,27,282 रुपये का पेमेंट नहीं किया गया है, आधी रकम का पेमेंट किया गया है। इतनी रकम का पेमेंट रोकने में मिल मालिक ने गड़बड़ी की है। यह स्थिति केवल पांच वर्षों की है जबकि उस फैक्टरी को लगे 12 साल हो गये। 1982 से लेकर आज तक गरीब मजदूरों का जिस प्रकार से शोषण किया गया है मिल मालिक द्वारा, दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि हमारे राजस्थान का श्रम विभाग ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबा होकर उस मिल मालिक के एम्पलाई की तरह से काम कर रहा है। यह जब विधान सभा का प्रश्न गया श्रम विभाग में और फैक्टरी तक पहुंचा, मैं विश्वास के साथ, निश्चित जानकारी के साथ निवेदन करता हूं कि पिछले 15 दिन से रात भर काम हो रहा है, रजिस्टर बदले जा रहे हैं। लेबर विभाग के अधिकारी किसी तरह फंस नहीं जाएं सारे मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की जा रही है।

आपको ताज्जुब होगा जब हाजरी होती है तो खाली कागज पर रिपोर्ट तैयार करते हैं। कहीं रजिस्टर में इसको मेन्टेन नहीं करते और पेमेंट के बाद कागज दो नम्बर में रखे जाते हैं। जब प्रश्न गया, लेबर डिपार्टमेंट के लोग उलझने की स्थिति में आये तो सारे रिकार्ड को बदला गया। ऐसी स्थिति में जो जवाब आये हैं बड़ी अजीब तरह के हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, गणतन्त्र दिवस को, 26 जनवरी को जब पूरा हिन्दुस्तान राष्ट्रीय पर्व मना रहा होता है उस दिन उस मिल के मजदूरों को मजबूर किया जाता है कि उनको काम करना पड़ेगा। होली के दूसरे दिन जब पूरे देश भर का मजदूर धूलण्डी खेलता है, दीपावली को जब पूरे देश का मजदूर दीपावली मनाता है, गरीब से अमीर तक उस गरीब मजदूर को मजबूर किया जाता है कि वह दीपावली नहीं मनाये अपने घर में बैठ कर और उस सेठ के लिये वहां बैठ करके ओवर टाइम करने के लिये उसको मजबूर किया जाता है। गांधी जयन्ती के दिन मजबूर किया है, धार्मिक त्यौहारों के दिन मजबूर किया जाता है और उसके बाद उसका शोषण ऊपर से किया जाता है ऐसी स्थितियां हैं। जब प्रश्न गया, फंसने लगे तो गोलमोल जवाब देने की दृष्टि से जवाब दे डाला, लाइम प्रोसेसिंग इण्डस्ट्री है इसलिए इसको चालू रखना पड़ता है।

सभापति महोदय, मेरी मान्यता यह है कि ऐसी लाइम प्रोसेसिंग इण्डस्ट्री नहीं

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

है जिससे मजबूर किया जाए कि मजदूर मजबूरी के अन्दर वहां आ करके काम करें। वहां केवल धागा बनता है और धागा बनाना यदि छुट्टी के दिन बन्द कर दिया जाए तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मजबूर को किस प्रकार से परेशान करके उसका शोषण करते हैं यह मैं आपके माध्यम से सदन के और सरकार के सामने लाना चाहता हूं।

सभापति महोदय, इन सारे तथ्यों को प्रश्न के माध्यम से जब पूछा गया। माननीय मन्त्री महोदय ने जवाब दिया, लेकिन जवाब वही दिया जो सरकारी अफसर बना कर के लाते हैं। यदि इसकी गर्त में जाते और असलियत तक पहुंचते, यदि इसकी जांच कराते तो वस्तु स्थिति सामने आती। आज जिन परिस्थितियों में मैं सवाल कर रहा हूं, निश्चित रूप से रिकार्ड बदला गया है। निश्चित रूप से रात भर बैठ करके विभाग के अधिकारियों ने अपनी गर्दन निकालने की कोशिश करके सेठ को प्रोटेक्ट किया है। लेकिन उसके बाद भी मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं, खास तौर से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी यदि इसकी जांच होती है तो सारे तथ्य सामने आयेंगे।

सभापति महोदय, ओवर टाइम की हाजरी के रजिस्टर का पता नहीं है। हाजरी उसमें चेन्ज करने में माहिर हैं, लेबर डिपार्टमेंट का कोई कण्ट्रोल नहीं है। ऐसी स्थिति में उस मजदूर को कैसे न्याय मिलेगा। इसकी गुहार मैं आपके माध्यम से सरकार से करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, जो काम सीखने वाला आता है, 120 दिन तक उसको लर्नर रखते हैं। पहले 15 रुपये दिया करते थे अब उसके 17 रुपये कर दिये हैं किन्तु उस लर्नर से भी ओवर टाइम करा लिया जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वह लर्नर है तो ट्रेण्ड नहीं है और यदि ट्रेण्ड नहीं है तो ओवर टाइम का वास्ता नहीं है। ओवर टाइम तभी होना चाहिये जब वह ट्रेण्ड हो गया है। इस प्रकार से इस स्तर तक उसका शोषण किया जाता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं आज इस फैक्टरी में कम से कम 90% मजदूर परमानेंट होना चाहिए जबकि शोषण करने के उद्देश्य से पचास प्रतिशत परमानेंट नहीं किये गये हैं। उसका केवल मात्र एक ही कारण है कि किस प्रकार से उनका शोषण हो। केवल एक बदली पास दिया जाता है, उस बदली पास से जिस दिन मर्जी हो बुला लिया, जिस दिन मर्जी निकाल दिया। न यूनियन का दबाव मानते हैं, न सरकार का दबाव मानते हैं और लेबर डिपार्टमेंट के दबाव का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता क्योंकि सेठ की पैरोल पर उसके कर्मचारी वहां बैठे हैं। मन्थली जाती है, सभापति महोदय, फिक्स बंधी हुई है। इसके आधार पर किस तरह से न्याय

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

मिलेगा इसकी गुहार मुझे आपसे करनी है।

मुझे आपसे निवेदन करना है कि जिस प्रकार से पिछले दिनों में हेराफेरी की गयी है यदि इसकी जांच आप करवाना चाहते हैं तो सारे तथ्य सामने आयेंगे और करोड़ों में जा करके लेबर के साथ जो शोषण किया गया है उसका भण्डाफोड़ होगा। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं जांच करायें आप तो किसी उच्च अधिकारी से जांच करायें और इन तथ्यों को सामने रख करके जांच करायें कि प्रोडक्शन कितना हुआ। यदि प्रोडक्शन जितना हुआ है उससे कम लेबर को यूनिट मिली है तो सारी पोल सामने आ जायेगी। कितनी बिजली खर्च हुई, हालांकि बिजली में बड़ी जबरदस्त चोरी है, बिजली के मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा उसके लिए अलग से करें, बिजली कितनी खर्च की गयी, उसको प्रोडक्शन करने के लिए कितने मजदूरों से कितना घण्टा काम लिया इस तथ्य को सामने रखेंगे तो वस्तुस्थिति सारी सामने आ जाएगी।

आज एक्साइज वसूल होती है, हालांकि एक्साइज की भी सारी चोरी की गयी है लेकिन उसके बावजूद भी यदि एक्साइज को रिकार्ड पर लिया जाए, एक्साइज के आधार पर यदि आप तथ्यों की जांच करायेंगे तो वस्तुस्थिति आपके सामने आयेगी। यदि मजदूरों का शोषण रोकना चाहते हैं और गरीब को गणेश मानने वाली सरकार उसका अन्याय दूर करने की कल्पना करती है तो सारे तथ्यों की जांच के लिए मंत्रीजी आगे आयें और एक समयावधि में जांच करायें, एक उच्च स्तरीय कमेटी से जांच करायें और उन्हीं सारी वस्तु स्थितियों के आधार पर जांच में यदि दोषी पाया जाता है तो ओनर के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिये। ऐसी स्थितियां कानून की हैं लेकिन उन सारी कानून की स्थितियों को रोक कर रखा जाता है। पिछले 12 वर्ष का रिकार्ड यदि जांच किया जाएगा, आमूलचूक परिवर्तन आयेगा, हलचल आयेगी। आज परेशानी पैदा हो रही है, पूरा का पूरा मैनेजमेंट घबराया हुआ है केवल मात्र एक पांच साल के प्रश्न के आधार पर। जांच का अभी तक कहीं सवाल पैदा नहीं हुआ है। यदि जांच हो गयी तो इस प्रकार के तथ्य आयेंगे जो चौंकाने वाले होंगे। सदन के सामने जांच करके यदि रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तो पोल खुलेगी और ऐसा नहीं है, सभापति महोदय, कि केवल यह एक ही मिल है ऐसी, ऐसी मिल राजस्थान में बहुत मिलेंगी जिनके अन्दर इस प्रकार का अत्याचार किया गया है। खास तौर से टेक्सटाइल मिल्स इस तरह की हैं जिनमें इस तरह का अत्याचार होता है और उस अत्याचार को एक संयोजित तरीके से एक षड्यन्त्र रच करके हमारा श्रम विभाग पूरा प्रोटेक्शन देता है। श्रम विभाग के प्रोटेक्शन के साथ-साथ राजस्थान की टेक्सटाइल मिलों की, मजदूरों के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यन्त्र करने वाले सेठों

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

की यूनियन है। उस यूनियन से सरकार भी मोटा चन्दा लेती रही है और बहुत बड़ा दबाव उनका रहा है इसके चलते इस प्रकार की जांच कमेटियां नहीं होती।

इसी के साथ में मेरा एक अन्य प्रश्न भी था जिसमें मैंने कोई सूचना वहां की मांगी राजस्थान की। राजस्थान की इतनी बड़ी इण्डस्ट्रीज हैं जिनके बारे में आप सोच ही नहीं सकते इतने बड़े घपले हैं वह भी असेम्बली क्वेश्चन के माध्यम से सामने आये। तो इस प्रकार के शोषण, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा करके मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्रीजी सदन को आश्वस्त करें कि सारे मामले की जांच 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में उच्च स्तर की करायेंगे और जो लोग इसमें शामिल हैं उनकी प्रोडक्शन को बेस बना करके जांच करें। उसके बाद सारे तथ्यों की स्थिति सामने आयेगी और उन लोगों को इस बात के लिये प्रताड़ना भी मिलेगी और गरीब के साथ जो अन्याय और शोषण हो रहा है उस पर रोक भी लगेगी। पिछले दिनों जब असेम्बली का प्रश्न गया है उसके बाद से आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि मजदूरों को बुला बुला करके कहा गया है कि आप इस मामले में चुप रहें, हम आपको कम्पनसेट करेंगे और आने वाले टाइम में छुट्टियां भी नहीं काटेंगे। और जो छुट्टियों के अन्दर पहले रोक लगी रहती थी, हमारे यहां अभी एक बहुत बड़ा धार्मिक मेला था, मजदूरों से बिना बात किये मैनेजमेंट ने उनकी छुट्टी करके यह दिखाया कि पहले हमारी गलती होती थी।

आज मजदूर भी चेता है। त्राहि-त्राहि कर रहा है। लेकिन मजदूर के गले में फन्दा है उसको केवल डेली वेजेज का पास देकर के जब मर्जी आना चाहें आयें, बदली पास के आधार पर जब मर्जी चाहे निकाल दें। उस बन्दिश से न वह बोल पाता है, न उसको न्याय मिल पाता है।

इसलिए आपके माध्यम से मैं उम्मीद करता हूं और खास तौर से मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि सारे तथ्यों की जानकारी सदन को देंगे, जांच पूरी करवायेंगे, जांच का कमिटमेंट करेंगे, दोषी लोगों को सजा देंगे और जांच के आधार पर, एक्साइज के आधार पर, प्रोडक्शन के आधार पर जांच होने के बाद जितना पेमेंट बकाया रहा है यह पांच वर्ष का 77 लाख 27 हजार रुपया बकाया रहा है लेबर का, यह पेमेंट वापस करवायेंगे और 12 साल का पूरा पेमेंट कराने की व्यवस्था करेंगे। मुझे आपसे यही निवेदन करना है।

धन्यवाद।

श्री नन्दलाल मीणा (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय सभापति महोदय, विधान सभा के तारांकित प्रश्न 727 दिनांक 30 मार्च, 1994 के सन्दर्भ में माननीय सदस्य ने

(श्री नन्दलाल मीणा)

मैसर्स जयपुर पोलिस्पिन लिमिटेड, रींगस के सम्बन्ध में प्रश्न के उत्तर में उक्त कारखाने में गत पांच वर्षों से दिये गये ओवर टाइम के भुगतान तथा श्रमिकों द्वारा राष्ट्रीय त्योहारों पर किये गये कार्य के ओवर टाइम के भुगतान का विवरण प्रस्तुत किया गया था। जिसके सम्बन्ध में यह बताया गया है कि निम्न बिन्दुओं का उत्तर स्पष्ट नहीं है। ओवर टाइम का भुगतान दुगुनी रेट पर किया जाना था जबकि सिंगल रेट पर किया गया। गणतन्त्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर ओवर टाइम इन्कार किया जाना गम्भीर अपराध है। श्रम विभाग इस सम्बन्ध में कर्मचारियों एवं मिल मालिकों की मिलीभगत के कारण श्रमिकों का शोषण रोकने में असमर्थ रहा है तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

सभापति महोदय, यह तीन चार सवाल माननीय सदस्य ने प्रश्न के जरिये उठाये थे। इस पर मेरा निवेदन यह है कि जहां तक दुगुनी रेट के भुगतान का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में प्रश्न में अलग से नहीं पूछा गया था। लगभग दो सौ से तीन सौ श्रमिकों का प्रतिदिन का पांच वर्ष का विवरण हजारों पृष्ठों में होने से दिया जाना व्यावहारिक नहीं था। इस सम्बन्ध में, सभापति महोदय, मुख्यालय से टीम भेजी जाकर सम्बन्धित रिकार्ड की पुनः जांच करायी गयी। जिसमें पुनः निम्नलिखित तथ्य सामने आये हैं।

फैक्टरी पर ओवर टाइम भुगतान का जो रिकार्ड रखा गया है उसके अनुसार गत पांच वर्षों में दुगुनी दर से भुगतान करना दर्शाया गया है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय पर्व जैसे गणतन्त्र दिवस, स्वतन्त्रता दिवस पर ओवर टाइम के लिये अवकाश के वेतन के अतिरिक्त दुगुनी दर से ओवर टाइम का भुगतान भी करना दर्शाया गया है। ओवर टाइम के भुगतान के सम्बन्ध में कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 49 के अनुसार किसी भी श्रमिक से एक दिन में 9 घण्टे से अधिक तथा सप्ताह में 48 घण्टे से अधिक कार्य करना ओवर टाइम की परिभाषा में आता है जिसका भुगतान दुगुनी दर से किये जाने का प्रावधान है इसके अतिरिक्त फैक्टरी द्वारा औद्योगिक नियोजन अधिनियम, 1946 के प्रावधानों के अन्तर्गत राष्ट्रीय दिवस पर कार्य करवाये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। सभापति महोदय, स्थायी आदेश के प्रावधान इस प्रकार हैं—

"Every workman shall work overtime whenever he is required to work whether in continuation of the work or on weekly or a public national holiday or on any other occasion at the direction of the management, subject to the provisions of the Factories Act. This workman, so called, shall be paid overtime, wages in accordance with the law. Also, in case, he is required to

(श्री नन्दलाल मीणा)

work on paid holiday, he shall be allowed substitute holiday."

जो रिकार्ड कारखाना मालिकों की ओर से प्रस्तुत किया गया है उसके अनुसार प्रत्येक श्रमिक को चार घण्टे प्रतिदिन के हिसाब से ओवर टाइम करना बताया गया है। नियमानुसार प्रत्येक श्रमिक को ओवर टाइम स्लिप जारी की जानी चाहिये थी, जो जारी नहीं की गयी तथा ओवर टाइम का रिकार्ड निर्धारित प्रोफार्मा में नहीं रखा गया लेकिन भुगतान शीट के अन्दर चार-चार घंटे का ओवर टाइम दर्शाते हुए दुगुनी दर से भुगतान करना बताया गया है। प्रत्येक श्रमिक को चार-चार घंटे कार्य करना ही दर्शाया गया है तथा राष्ट्रीय पर्व के दिवसों पर भी चार-चार घंटे ही कार्य करना बताया गया है। ऐसा होना साधारणतया सही प्रतीत नहीं होता है तथा सन्देह पैदा करता है क्योंकि राजस्थान कारखाना नियम, 1951 के तहत 82-सी के अनुसार श्रमिक के ओवर टाइम की अवधि का स्लिप में डुप्लीकेट में अंकित करते हुए मैनेजर या प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर करना तथा एक प्रति श्रमिक को दिये जाने का प्रावधान है।

इस ओवर टाइम का प्रत्येक माह के अन्त में निर्धारित प्रपत्र में कम्प्यूट किया जाकर भुगतान किये जाने का प्रावधान है जबकि फैक्टरी में इस प्रकार की न तो स्लिपें जारी की गयी हैं, न ही निर्धारित प्रोफार्मा में मासिक विवरण तैयार किया गया है तथा भुगतान भी मासिक नहीं किया जाकर उसी दिन या उसके दूसरे दिन करना बताया है जिस दिन ओवर टाइम किया जाता है।

यह सारे तथ्य सन्देह पैदा करते हैं कि भुगतान को दुगुनी रेट से बताने के लिए इस प्रकार चार-चार घण्टे इन्द्राज किया गया है। इसी प्रकार से ओवर टाइम का भुगतान दुगुनी दर से नहीं करने की यद्यपि कोई शिकायत श्रमिकों की ओर से या श्रमिक संगठनों की ओर से प्राप्त नहीं हुई है किन्तु वेतन भुगतान अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत दुगनी दर से भुगतान नहीं होने के सम्बन्ध में दावा सम्बन्धित कारखाना निरीक्षक श्रमिक या श्रमिक संगठनों द्वारा वेतन भुगतान अधिनियम के तहत सम्बन्धित अथॉरिटी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है जिसके पेश करने की मियाद एक वर्ष है। श्रमिक एवं उनकी यूनियन द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 सी (2) के अन्तर्गत भी दावा सीधा श्रमिक न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है जिसके लिये कोई मियाद निर्धारित नहीं है।

सभापति महोदय, जहां तक राष्ट्रीय पर्व जैसे गणतन्त्र दिवस पर कार्य करने का प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्व पर कार्य नहीं कराने का कारखाना अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है और ना ही राज्य में किसी अन्य कानून में यह दण्डनीय अपराध है। संस्था का वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स

(श्री नन्दलाल मीणा)

प्रशासन, जयपुर द्वारा गत पांच वर्षों में क्रमशः दिनांक 30 अक्टूबर, 1988, 24 अप्रैल, 1990, 10 मई, 1991, 28 मई, 1992, 19 अप्रैल, 1993, 2 मार्च, 1994 को निरीक्षण किया गया है। इन निरीक्षणों में ओवर टाइम के सम्बन्ध में कोई आक्षेप टिप्पणी अंकित नहीं है क्योंकि श्रमिक संगठनों की ओर से कोई शिकायत इस बाबत नहीं उठायी गयी है। अतः इन बिन्दुओं पर ध्यान नहीं दिया गया। साधारणतया ओवर टाइम के बारे में जब कोई शिकायत प्राप्त होती है तभी इस सम्बन्ध में जांच की जाती है।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : सभापति महोदय, बड़े दुःख की बात है सरकार केवल इसी में टाल देना चाहती है कि श्रमिक संघों ने शिकायत नहीं की। विधान सभा के पटल पर इतने गम्भीर आरोप लगने के बाद भी मंत्रीजी यदि इसी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं कि श्रमिक संघों ने शिकायत नहीं की इसलिए जांच नहीं की, तो यह बड़ा दुर्भाग्य है।

दूसरा, अभी सदन में माननीय मंत्रीजो ने स्वीकार किया है कि सिलपें डुप्लीकेट नहीं बनीं, शीट्स नहीं बनीं, रजिस्टर मेन्टेन नहीं हुआ। यही तो घपले का कारण है, मैं और क्या कह रहा हूं। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि यह सारी शीट्स नहीं बनीं, सिलपें नहीं बनीं, खाली कागज पर रिकार्ड तैयार किया गया और उसके बाद रिकार्ड को प्रश्न जाने के बाद बदल दिया गया है, रिकार्ड चेन्ज किया गया है जिससे कि सबूत ना पकड़ में आवे। मैं आरोप लगा रहा हूं खुले में कि रिकार्ड चेन्ज करने के बावजूद भी जांच आप कराइये और प्रोडक्शन के आधार पर देखिये कि इतने प्रोडक्शन के लिये कितने घंटे काम होना चाहिये था। प्रोडक्शन यदि ज्यादा आता है, श्रमिकों का लेबर का पीरियड है वह कम आता है तो स्पष्ट हो जाएगा। आप एक्साइज को देखिये कितनी एक्साइज जमा करानी पड़ी है उस एक्साइज के आधार के ऊपर इतने घंटे श्रमिकों से काम लिया गया है। रिकार्ड में चाहे कुछ भी किया गया हो। सभापति महोदय, मुझे तो यहां तक भी जानकारी है कि पेंसिल से लिखा जाता है आठ घंटे और उसके बाद दस्तखत करा कर पेमेंट किया जाता है मजदूर को और उसके बाद उसको रबड़ से मिटा करके चार घंटे किया जाता है। यह सारा रिकार्ड देख लें।

लेकिन यह रिकार्ड चेन्ज करने की घटना घटी है और, मैं कह रहा हूं 15 दिन तक रोजाना आपके लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी और इंस्पेक्टर बैठ कर रिकार्ड चेन्ज करा रहे हैं तभी तो जांच करने की आवश्यकता महसूस की गयी है। इसलिए केवल मात्र यह कह दिया जाए सदन में कि मजदूर संगठनों ने मांग नहीं की इसलिए जांच नहीं कर सकते तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। आखिर मेरे क्षेत्र का प्रश्न है और मजदूरों ने मुझे आकर बताया

(श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत)

है, उनका प्रतिनिधित्व करते हुए सदन के सामने मैंने यह गुहार की है।

मंत्रीजी, इस प्रकार से टालने की आवश्यकता नहीं है। आप स्पष्ट जांच का आश्वासन दीजिये अन्यथा मुझे इस बात को मानने को मजबूर होना पड़ेगा कि जिस प्रकार से विभाग मिला हुआ है आप भी यदि लीपापोती करते हैं तो आप भी उस+++ हैं, मुझे यह कहने में संकोच नहीं होगा वरना आपको जांच की स्पष्ट घोषणा करनी चाहिये।

श्री नन्दलाल मीणा : सभापति महोदय, माननीय सदस्य मेरे....

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : जांच करा दीजिये....(व्यवधान)....

श्री सभापति : बोल रहे हैं माननीय मंत्रीजी, सुन लीजिये न।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : इसमें लम्बी बात की आवश्यकता नहीं है, सभापति महोदय, केवल जांच की मांग करता हूं और जांच भी इनके अधिकारी ही करेंगे।....

श्री सभापति : बिराजिये-बिराजिये, मंत्रीजी कह रहे हैं कुछ।

श्री नन्दलाल मीणा : माननीय सदस्य, जिस विधान सभा क्षेत्र से चुन कर के मैं आता हूं, जिस....(व्यवधान)....

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : +++ बावजूद भी इनको बचाने की कोशिश करते हैं।....

श्री सभापति : आप सुनिये तो सही।

श्री नन्दलाल मीणा : से मैं आता हूं.... (व्यवधान)... यह आरोप लगाया कि मैं मैनेजमेंट से मिला हुआ हूं ....मैं समझता हूं....

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी को सुनिये आप। माननीय मंत्रीजी। हां, जांच करा रहे हैं न।

श्री नन्दलाल मीणा : माननीय सभापति महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने मुझ पर आरोप लगाया कि मंत्री महोदय मैनेजमेंट से मिले हुए हैं....

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : यदि आप जांच को टालने की कोशिश करेंगे तो मुझे मजबूर होना पड़ेगा यह कहने के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस वर्ग से मैं आता

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री नन्दलाल मीणा)

हूं, जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं चुन कर आता हूं यदि मेरा सम्बन्ध अब तक मैनेजमेंट से रहा होता तो मैं....(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : यदि आप जांच नहीं करवाते हो तो यही साबित होता है कि आप मामले को दबाना चाहते हो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजिये, वह यही तो कह रहे हैं। सुनिये तो सही, वह जांच के बारे में ही तो कह रहे हैं। और क्या चाहते हैं आप ? वही कह रहे हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : आज जरूरत इस बात की है, सभापति महोदय, कि उन मजदूरों के साथ न्याय हो परन्तु, सभापति महोदय, मजदूरों के नाम पर विधान सभा में और विधान सभा के बाहर अगर रोटियां सेकी जाएं, उसको बरदास्त कहां तक किया जा सकता है।(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : सभापति महोदय, मैंने मेरे अधिकारों के अनुरूप आवश्यकता समझ करके यह मांग की है और यदि....

एक माननीय सदस्य : रोटियां तो आप सेक रहे हैं (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय खेतसिंहजी कुछ कह रहे हैं। (व्यवधान) बिराजिये, माननीय सदस्य, मुख्य सचेतक महोदय कुछ कह रहे हैं। (व्यवधान) आर्डर प्लीज। आपके मुख्य सचेतक महोदयजी कुछ कह रहे हैं, बिराजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारे फ्रीडम आफ एक्स. प्रेशन के राइट का हनन हो रहा है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : +++रोटियां आप सेक रहे हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : मैं उस गरीब काश्तकार से मिला हुआ हूं, उस गरीब मजदूर से मिला हुआ हूं....(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : गरीब का शोषण कर रहे हैं। (व्यवधान) और आप अपने स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : ये थोथी बातें हैं (व्यवधान)

श्री सभापति: आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री नन्दलाल मीणा : और मुख्य मन्त्री जी ने यह....

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

Page No.182

श्री सभापति . बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री नन्दलाल मीणा : ...उन गरीबों के लिये, उन मजदूरों के लिये भारतीय जनता पार्टी ढाल बन कर खड़ी... (व्यवधान) मजदूरों का हित करना हमारा ध्येय है, हमारी पार्टी का ध्येय है और अब तक मैनेजमेंट को आपने मजदूरों के विरूद्ध खड़ा किया।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : .. तो वह जांच की घोषणा करते और सारे तथ्यों को सामने लाते। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्री खेतसिंहजी।

श्री नन्दलाल मीणा : यह पहला अवसर है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजदूरों की संरक्षक बन करके और उनके हितों की रक्षा के लिये.... (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : और सेठ भी भारतीय जनता पार्टी का ही होने की वजह से आप उसकी तरफदारी करते हो।

श्री हरीसिंह (महुआ) : सेठ भी भारतीय जनता पार्टी का है। (व्यवधान आपने उससे चन्दा लिया है चुनावों के लिये।

श्री सभापति : माननीय खेतसिंह जी, कुछ कहना चाहते हैं क्या आप ? नहीं। चर्चा समाप्त। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : आपको बात भी यदि हम नहीं कह सकते, सभापति महोदय, तो ....

एक माननीय सदस्य : बैठो आप।

श्री सभापति : बैठ जाइये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, मेरा तो इतना ही नम्र निवेदन है कि इन्होंने जो हालात बताये हैं और जो फैक्ट्स बताये हैं उससे यह साबित होता है कि कुछ गड़बड़ी जरूर है। जांच करवा लीजिये। बस इतनी-सी बात है।

श्री सभापति : जांच करवा रहे हैं न।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : आश्वासन कहां दे रहे हैं ?

श्री सभापति : दिया न आपने आश्वासन। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड : अच्छे अधिकारी से निष्पक्ष (व्यवधान) जांच करवा लीजिये।

श्री सभापति : आपने सुना नहीं। आप उस वक्त बोल रहे थे, उन्होंने....

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : किस तरह से जांच करायेंगे ? केवल लेबर इंस्पेक्टर को भेज कर जांच करवा लेंगे।

श्री सभापति : नहीं-नहीं, कायदे की जांच करायेंगे। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : सभापति महोदय, इस मामले में मैं स्वयं जांच करूंगा, यदि मुझे किसी प्रकार की शंका हुई तो निश्चित रूप से उस अधिकारी के खिलाफ और उसके बारे में कार्यवाही की जाएगी।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई। माननीय श्री नाथूसिंह जी।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : स्वयं काहे की जांच करेंगे, सभापति महोदय। रिकार्ड देख लेंगे यहां बैठ कर, रिकार्ड में तो हेरा फेरी हुई है। मौके पर भेज करके एक्साइज देखिये, कितना वसूल हुआ।

श्री सभापति : मंत्री जी, स्वयं जांच करेंगे। (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : कितना वसूल हुआ, उसके आधार पर जांच करवाइये।

श्री सभापति : और उच्च अधिकारियों की मदद से जांच करेंगे।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : मंत्री जी क्या देख लेंगे ?

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, मंत्री जी को कौनसे कानून में अधिकार है जांच करने का ?

श्री सभापति : कर सकते हैं।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मंत्री जी क्या जांच कर लेंगे ? मंत्री जी केवल रिकार्ड देखेंगे, रिकार्ड हेरा-फेरी का मिलेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : जांच तो करवा सकते हैं।

श्री सभापति : आप जांच चाहते थे, जांच करवा रहे हैं। अब विराजिये। माननीय मंत्री जी।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : आप प्रोडक्शन देखिये, कितना हुआ है, एक्साइज देखिये, कितना वसूल हुआ है।

विधायी कार्य

विधेयक का पुर : स्थापन

राजस्थान पंचायती राज विधेयक, 1994

श्री सभापति : माननीय पंचायत मंत्री जी, विधेयक प्रस्तुत कीजिये।

श्री नाथूसिंह (राज्य मंत्री, पंचायती राज) : माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान पंचायती राज विधेयक, 1994 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

(17.00)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज विधेयक, 1994

(श्री सभापति)

को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई ।

प्रभारी मंत्री जी ।

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान पंचायती राज विधेयक, 1994 को पुर:स्थापित करता हूं ।

श्री सभापति : सदन की बैठक....

श्री परसादीलाल मीणा : कैसे, सभापति महोदय, स्टेटमेंट आयेगा होम मिनिस्टर साहब का । टाइम तो बढ़ाओ आप पहले ।

श्रीसभापति : बढ़वा देंगे, बढ़ जायेगा । अपने आप आ जाएगा प्रस्ताव ।

माननीय मंत्री जी ।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन : (मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, सदन का समय दस मिनट के लिये बढ़ाया जाए ।

श्री सभापति : क्या आज्ञा है सदन की ?

(स्वीकृत)

सदन का समय दस मिनट के लिये बढ़ाया जाता है ।

श्री हरीसिंह (महुआ) : आधा घण्टा ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जरूरत होगी तो बढ़ा देंगे ।

शासकीय वक्तव्य

गुड्डी बाई, निवासी सपोटरा का अपहरण

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, दिनांक 21-3-94 को रात्रि को गुड्डी बाई के चाचा जिराज पुत्र श्री शियाराम मीणा निवासी बगुला का बास, थाना गंगापुर द्वारा मौखिक रूप से यह सूचना दी गई कि गुड्डी की शादी करीब नौ-दस माह पूर्व श्री विजय पुत्र काना मीणा निवासी खण्डीप, थाना वजीरपुर के साथ की गई थी पिछले 10-12 दिन से गुड्डी अपने पीहर आई हुई थी । परसों दिन के 10-11 बजे जब वह कपड़े सिलवाने जा रही थी तो रास्ते में कैलाश पुत्र शंकर मीणा, बृजलाल, कमलसिंह राजपूत, मंगती ब्राह्मण, प्रकाश मीणा ने गुड्डी को जबरन पकड़ कर मोटर साइकिल पर बैठा कर कहीं ले गये । गुड्डी की काफी तलाश की गयी लेकिन अभी तक गुड्डी का कोई पता नहीं है । उपरोक्त सूचना के आधार पर थाना सपोटरा पर अपराध संख्या 43/94 अन्तर्गत धारा 363, 366

(श्री कैलाश मेघवाल)

भारतीय दण्ड संहित व धारा 3, 5 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज कियाजाकर अन्वेषण वृत अधिकारी कैला देवी द्वारा प्रारम्भ किया गया। अनुसंधान के दौरान पुलिस दल की कई टुकड़ियां गठित की गयीं और गुड्डी बाई तथा अभियुक्तों की तलाश करने के भरसक प्रयत्न किये गये। दिनांक 29-3-94 को अभियुक्त काडु उर्फ सैयद पुत्र नूरखां फकीर, निवासी गंगापुर को तथा श्री बृजलाल को आज साक्षी के आधार पर गिरफ्तार किया गया है और अभियुक्त कमलसिंह व मंगती से अनुसंधान किया जा रहा है।

पुलिस के भरसक प्रयत्न के बावजूद भी गुड्डी बाई तथा शेष अभियुक्तों को तलाश नहीं किया जा सका है। पुलिस द्वारा उन्हें खोजने हेतु अभी भी पूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं। अनुसंधान के दौरान यह पाया गया है कि अपहृत गुड्डी की शादी विजय पुत्र काना मीणा से होने के पूर्व उसकी सगाई कैलाश मीणा अभियुक्त के साथ हुई थी। पूर्व में गुड्डी बाई के चाचा एवं ताऊ द्वारा विरोध किये जाने पर कैलाश मीणा के साथ सगाई टूट कर उसकी शादी विजय पुत्र काना मीणा के साथ कर दी गई थी।

इस सम्बन्ध में मीणा समाज के तीन चार सौ लोगों की एक बैठक ग्राम खण्डीप तहसील सपोटरा में होली से एक दिन पहले हुई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया कि यदि गुड्डी को शीघ्र बरामद नहीं किया गया और अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो मीणा समाज के लोग अपने स्तर पर सीधी कार्यवाही करेंगे।

इसके बाद 3-4-94 को श्रीमती गुड्डी के चाचा श्री भंवरपालसिंह, भूतपूर्व प्रधान की अध्यक्षता में करीब तीन सौ मीणा समुदाय के लोगों की बैठक हुई जिसमें सीधी कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। दिनांक 4-4-94 से तहसील सपोटरा के बाहर मीणा समाज द्वारा क्रमिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज 21 व्यक्ति क्रमिक धरने पर बैठे हुए हैं तथा सपोटरा बन्द है। मीणा समाज के बैठक में लिये गये निर्णय और उत्पन्न स्थिति के प्रति पुलिस जागरूक है तथा स्थिति पर नियंत्रण रखने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

यह सही नहीं है कि घटना के बाद ग्राम एकट व बगदिया खाली हो गये हैं तथा अब तक के अनुसंधान से ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं हुए हैं कि गुड्डी बाई के साथ मारपीट की गई हो। वृत्त अधिकारी कैला देवी द्वारा गुड्डी बाई तथा शेष अभियुक्तों को तलाश करने हेतु पुलिस दल गठित किये गये हैं जो उन्हें तलाश करने के लिये लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। एडिशनल एस. पी., डीवाई. एस. पी., एस. डी. एम. और तहसीलदार, यह सभी सपोटरा में कानून व व्यवस्था कायम करने के लिये निगरानी रखे हुए हैं और वहीं पर कैम्प किये हुए हैं।

Page No.186

श्री परसादीलाल मीणा : सभापति महोदय, जैसा कि माननीय मंत्रीजी ने स्टेटमेंट दिया कि 20 तारीख को अपहरण हुआ, 29 तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई तो मैं, गृह मंत्रीजी, आपसे पूछना चाहता हूं कि 29 तारीख तक आपकी पुलिस क्या करती रही ? गुड्डी बाई का जैसे अब आपने यह कह दिया कि हमने फोर्स कर दी, पुलिस दल गठित कर दिये, आपके लिये कोई असम्भव बात है क्या, गुड्डीबाई बरामद नहीं हो सकती है ? आपने कैलाश को गिरफ्तार नहीं किया। हो सकता है, गृह मंत्रीजी, उनको पुलिस का प्रोटेक्शन हो, उनको राजनैतिक प्रोटेक्शन हो। यह सारे समाज का मामला है, एक गांव से दूसरा गांव फस जायेगा, वहां से लड़की उठा कर वे ले जायेंगे, इधर की बात उधर हो जाएगी। आदमी भी मर सकते हैं, ला एण्ड आर्डर की स्थिति खराब हो सकती है।

आपके स्तर पर या पुलिस के स्तर पर यह काम ज्यादा कठिन नहीं है। आपके स्थानीय एम. एल. ए. को इन्वाल्ड करिये वहां, आप उनको कहिये कि यह लड़की आप लाइये, वह एक दिन में लड़की लाकर दे देगा तथ्य सारा यह है। आपकी पुलिस को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री परसादीलाल मीणा : जो लड़का ले गया है वह आपके एम. एल. ए. का भांजा है। अगर एम. एल. ए. को आप कह दो क्यों पुलिस को परेशान करते हो, उनसे कह दो जाकर वह लड़की को ले आये। दस दिन तक पुलिस ने कार्यवाही नहीं की। उसी का कारण है कि उनकी इतनी हिम्मत हो गयी कि वह गांव में से सरेआम दिन दहाड़े लड़की को उठा कर ले गये। क्या कानून है, क्या पुलिस है आपकी ? 29 तारीख तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। (व्यवधान) सपोटरा के स्थानीय एम. एल. ए. हैं (व्यवधान) रंगजी मीणा हैं न। आप उनको कह दीजिये, मेहरबानी करके, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, पूरी सरकार को हाथ जोड़ते हैं। एम. एल. ए. को आप हमारी तरफ से निवेदन कर दीजियें।

इस मसले को आप अपने स्तर पर सुलझा कर लड़की जिसकी हैं उनके सुपुर्द करिये। नहीं तो यह बहुत बड़ा मामला मीणा समाज में हो जाएगा और सरकार को निपटने के लिये गोलियां भी चलानी पड़ेंगी और वे लड़की को ले जाकर रहेंगे। खण्डीप गांव बहुत बड़ा गांव है, सारा मीणों का गांव है, सारी तहसील सपोटरा पर चढ़ जायेगी, सपोटरा उधर आ जाएगा और स्थिति खराब हो जायेगी। वह आपके एम. एल. ए. का भांजा है, आप अगर चाहें तो एक दिन में वह लड़की आ सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है। पुलिस ने कार्यवाही इसलिए नहीं की उसमें क्योंकि वह एम. एल. ए. का भांजा था। राजनैतिक सरक्षण था। नहीं तो वह

(श्री परसादीलाल मीणा)

'लड़की उठा कर ले जाएगा ? इससे बड़ी कानून व्यवस्था क्या खराब होगी। आप उस थानेदार को हटा दीजिये आप उन अधिकारियों को हटा दीजिये जिन्होंने कार्यवाही अब तक नहीं की।

ठीक है, अब आपकी निगाह में मामला आया है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने निर्देश दिये हैं, मैं मान रहा हूं। पर, गृह मंत्रीजी यह विभाग तो आपके पास है, इसमें एडजोर्नमेंट मोशन आया, हरीशजी ने रखा उसके बाद आपने क्या कार्यवाही की, आपकी पुलिस ने क्या कार्यवाही की उनको गिरफ्तार करने के लिये ? कैलाश को आप गिरफ्तार करिये। हम यह चाह रहे हैं कि गुड्डी बाई को जहां से उठाया है वहां पर बरामद करने के लिये आप कब तक कार्यवाही करेंगे ? एक लड़की का मामला पहले आया था, मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने यह कह दिया था हाउस में कि मैं लड़की को 15 दिन में बरामद करवा दूंगा और मुलजिमों को गिरफ्तार करवाऊंगा। वह लड़की 14 दिन में बरामद हो गयी और वह लड़की दूसरी जगह भेजी है फिर।

आप कहिये कि कितने दिन में उस लड़की को घरवालों को सुपुर्द कर देंगे, मैं यह चाह रहा हूं, जिससे वहां असन्तोष नहीं फैले। जिससे वहां पर कोई ऐसी कार्यवाही नहीं हो कि पुलिस को गोलियां चलानी पड़ें और लोग आपस में लड़ें। आप बताइये कि कब तक उस लड़की को बरामद करने की आपकी पुलिस को आपको इन्फार्मेशन दी है। आप यह करिये कि जो थानेदार वहां पर तैनात है उस को हटा दीजिये। उस थानेदार की मिली भगत है। उस थानेदार के रहते हुए लड़की वहां पर नहीं आ सकती है। उनको बहुत बड़ा राजनैतिक संरक्षण है। यह एक महिला का मामला है, एक समाज का मामला है। महिला को उठा कर इस तरह कोई भी ले जायेगा। सरेआम उठा कर ले गये गांव में से अपने खेत में काम करती हुई को। उसके साथ बलात्कार किया जा रहा है, उसके साथ अन्याय किया जा रहा है। आज 15 दिन हो गये, कितनी शर्म की बात है अपने लिये कि पुलिस लड़की को नहीं ला सकी। क्या महिलाओं का संरक्षण करेंगे आप ? किसी की भी लड़की को कोई उठा कर ले जाएगा।

मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, गृह मंत्रीजी, आप उस थानेदार को हटाइये, उन पुलिसकर्मियों को हटाइये जो कैलाश के साथ दारू पीते हैं और वहां पर, उठते बैठते हैं। उनको राजनैतिक संरक्षण है। आप वहां पर आपके एम. एल. ए. को भी कहिये। यह बहुत बड़ा एक जघन्य अपराध है। इसके लिये वह पुलिस की मदद करें, प्रशासन की मदद करें तो यह कोई बड़ा मामला नहीं है कि यह सुलटेगा नहीं। मेरी आपसे यही विनती है कि जो, 15-16 साल की लड़की है उसके साथ कैसे कैसे

(श्री परसादीलाल मीणा)

जघन्य अपराध हो रहे होंगे'। उसको जब ले गये तो वहां भैंसें आ रही थी भुण्ड में उन भैंसों के लिपट गयी, सींगों के लिपट गयी, उसके कपड़े उतर गये। सारा बदन खराब हो गया। तब भी वे ले गये मोटर साइकिलों पर बैठा कर। मेरे को तो यह तरस आता है, गृह मंत्रीजी, आप पर कि 20 तारीख के बाद एडजोर्नमेंट मोशन लगाया उसके बाद आपने यह सूचना अध्यक्षजी को भी 24 घंटे में नहीं भेजी कि हमने इसमें यह कार्यवाही की है। कायदा यह है कि एडजोर्नमेंट मोशन का? आप 24 घंटे में सूचना भेजें। हमको अब तक सूचना नहीं मिली। आप कि इसमें कहिये आप कब तक उसको बरामत कर उसके घरवालों को सुपुर्द करेंगे।

श्री सभापति : समय का ध्यान रखियें, आपको उत्तर भी प्राप्त करने का है। (व्यवधान) आप विराजिये, एक-एक करके मैं सब को समय दे रहा हूं। आप बोल चुके, मैं नही बढ़वा सकता समय। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : उसके साथ बलात्कार हुआ है, उसका अपहरण हुआ है और यहां समय की बात हो रही है। आप कहिये सरकारी मुख्य सचेतक को कि वह समय बढ़ायें।

श्री सभापति : सचेतक महोदय, सुन रहे हैं, आप बिराजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : मैं प्रस्ताव करता हूं सदन का समय कार्यवाही खतम न हो तब तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : आप बिराजिये। अभी समय है कृपया बिराजिए आप।

श्री परसादीलाल मीणा : तो बढ़ाइये समय।

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : समय बढ़ाने के लिये क्यों नहीं कह रहे हैं?

श्री सभापति : आप बिराजिये, कृपया इनको बोलने दीजिये।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मंत्री) : सभापति महोदय, इस मामले में पुलिस सतर्क है, पूरी कोशिश कर रही है कि इसको बरामद किया जाए। यहां भाषण देकर इस प्रकार का एक वातावरण न बनायें जिसके कारण से बरामगी में जो हम आशा करते हैं कि जल्दी ही सफल हो जायेंगे उस प्रकार की स्थिति पैदा न हो। काफी है इतना, बहुत है। (व्यवधान) आप बैठो, बैठो।

श्री सभापति : सुनिये, मुख्य मंत्रीजी बोल रहे हैं।

Page No.189

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह मान कर चलो कि लड़की को बरामद करने की कोशिश में हमारी तरफ से कोई कसर नहीं रहेगी। इतना मैं कह सकता हूं। (व्यवधान) तारीख कोई दी जाती है क्या ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : तारीख तो निश्चित कर दो।

श्री सभापति : आश्वासन प्राप्त हो गया। सदन की बैठक दिनांक 7 अप्रैल के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.06 बजे, गुरुवार, 7 अप्रैल 1994 के 11.00 बजे के तक लिये स्थगित हुई।

परिशिष्ट—1

तारांकित प्रश्न संख्या 784 का विवरण

राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम लि.,
नेहरू सहकार भवन, भवानीसिंह मार्ग, जयपुर

एन. एस. एफ. डी. सी. ऋण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनायें

क्र.सं.	परियोजना का नाम	प्रति इकाई लागत (रु. में)
1.	डेयरी विकास (2 भैंस)	35,000
2.	थ्री-व्हीलर व्हीकल	
	क—ऑटोरिक्शा	82,000
	ख—विक्रम (8 सीटर टेम्पो)	1,06,000
	ग—12 सीटर टेम्पो	1,30,000
3.	फोटो कॉपीयर	1,07,000
4.	ऊंटगाड़ी/बैलगाड़ी	28,000
5.	वासरमैन लाउण्ड्री	50,000
6.	वुडन मेट्रियल कन्सट्रेक्शन	46,000
7.	आयल मिल	2,05,600
8.	मोडर्न हेयर कटिंग सैलून	50,000
9.	टाईपिंग इन्स्टीट्यूट	42,060
10.	सुअर पालन	40,000
11.	जेम कटिंग एवं पालिसिंग	40,000
12.	साईकिल (हायरिंग एवं रिपेरिंग) सोप	18,000
13.	ट्रेक्टर	2,00,000
14.	ट्रेक्टर मय ट्रोली	2,40,000

परिशिष्ट "ख"

एन. एस. एफ. डी. सी. में प्राप्त आवेदन पत्र एवं स्वीकृत आवेदन पत्रों का विवरण

जिले का नाम	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या				स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या				ऋण वितरित आवेदकों की संख्या			जिलों को कमी-पूर्ति हेतु लौटाये	निम्न स्तर पर लम्बित	
	91-92	92-93	93-94	योग	91-92	92-93	93-94	योग	92-93	93-94	योग		स्वीकृति स्तर पर	जांच की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. अजमेर	....	24	21	45	....	....	13	13	....	11	11	19	9	4
2. भीलवाड़ा	....	....	17	17	....	....	....	....	....	....	....	....	4	13
3. नागौर	....	17	78	95	....	....	20	20	....	13	13	8	16	51
4. चुरू	....	....	105	105	....	....	24	24	....	23	23	78	....	3
5. गंगानगर	....	30	91	171	....	80	65	145	....	76	76	20	....	6
6. जयपुर	....	31	383	414	....	....	71	71	....	25	25	277	8	58
7. अलवर	3	28	17	48	....	1	4	5	1	....	1	42	....	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8. भरतपुर	....	51	....	51	...	51	....	51	20	....	20	....	....	....
9. जोधपुर	....	3	31	34	....	....	....	....	....	....	....	7	9	18
10. कोटा	....	23	201	224	....	....	25	25	....	10	10	91	66	42
11. स. माधोपुर	....	....	80	80	....	....	24	24	....	....	...	42	14	....
12. टोंक	....	1	1	2	....	....	...	....	....	....	....	1	....	1
13. बीकानेर	....	105	52	157	....	105	....	105	....	....	....	26	26	....
14. धौलपुर	....	....	15	15	....	....	....	....	....	....	....	13	....	2
15 झुन्झुनू	....	12	27	39	....	....	1	1	....	1	1	33	....	5
16 सीकर	....	10	16	26	....	....	3	3	....	....	....	10	6	7
17. बाड़मेर	....	4	22	26	....	....	1	1	1	1	....	2	12	11
18. जैसलमेर	....	....	7	7	....	....	1	1	....	....	....	6	....	....
19. पाली	....	5	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
20. जालोर	....	....	51	51	....	....	....	....	....	....	....	11	12	28

Page No.193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21. सिरोही	...	....	5	5	....	....	....	....	....	....	....	5	—	....
22. बून्दी	....	....	5	5	....	....	....	....	....	....	....	3	....	2
23. झालावाड़	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
24. उदयपुर	140	55	18	213	....	8	11	19	8	....	8	191	1	2
25. बांसवाड़ा	....	2	2	4	....	....	....	....	....	....	....	2	....	2
26. चित्तौड़गढ़	....	....	9	9	....	....	....	....	....	....	....	8	1	....
27. डूंगरपुर	....	....	3	3	....	....	....	....	....	....	....	3	....	....
28. दौसा	....	6	....	6	....	....	1	1	....	1	1	3	....	2
29. बारां	....	3	14	17	....	....	1	1	....	....	....	....	2	14
30. राजसंमद	....	4	21	25	....	....	....	....	....	....	....	25	....	....
योग	143	459	1292	1894	...	246	264	510	30	160	190	296	186	272

परिशिष्ट 'ग'

निगम द्वारा ऋण वितरण एवं वसूली गयी राशि तथा बकाया ऋण की सूची

क्र. सं.	जिला	योजना	स्वीकृत ऋण एवं अनुदान (रु.)	वितरित ऋण एवं अनुदान (रु)	अवशेष ऋण एवं अनुदान (रु.)	वसूली ऋण+ब्याज (रु.)	वसूली का वितरण पर प्रतिशत	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	चूरू	डेयरी	6,63,250/-	6,30,000/-	33,250/-	....	....	
2.	चुरु	थ्री व्हीलर	3,12,000/-	2,88,500/-	23,500/-	....	....	
3.	सीकर	8 सीटर टैम्पो	2,02,000/-	88,500/-	1,13,500/-	....	....	
4.	उदयपुर	12 सीटर टैम्पो	9,92,232/-	8,90,232/-	1,01,768/-	76,508/-	8.59	
5.	कोटा	8 सीटर टैम्पो	9,86,000/-	8,82,720/-	1,03,280/-	....	....	
6.	अजमेर	थ्री व्हीलर	13,05,000/-	9,57,000/-	3,48,000/-	....	....	
7.	नागौर	8 सीटर टैम्पो	10,36,000/-	9,49,000/-	87,000/-	....	....	
8.	बाड़मेर	12 सीटर टैम्पो	1,24,000/-	1,18,030/-	5,970/-	4,000/-	3.38	
9.	दौसा	थ्री व्हीलर	95,000/-	95,000/-	....	....	....	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	अलवर	12 सीटर टैम्पो	1,10,000/-	1,10,000/-	....	13,000/-	11.81	
11.	झुन्झुनू	थ्री व्हीलर	78,000/-	78,000/-	....	1,405/-	1.80	
12.	भरतपुर	डेयरी	7,00,000/-	3,98,339/-	3,01,661/-	....	....	
13.	जयपुर	आटो रिक्शा	4,68,000/-	3,12,000/-	1,56 000/-	1,405/-	0.45	
14.	,,	विक्रम ,,	2,02,000/-	2'00.246/-	1,754/-	18,450/-	9.21	
15.	,,	जैम कटिंग	2,44,000/-	2,44,000/-	....	....	....	
16.	,,	वुडन फर्नीचर	1,26,000/-	1,26,000/-	.. .	....	....	
17.	,,	फाईवर ग्लास	1,60,000/-	1,30.000/-	30,000/-	....	....	
18.	,,	फोटोकापियर	2,88,900/-	....	2,88,900/-	....	....	
19.	,,	डेयरी	9,01,000/-	7,27,000/-	1,74,000/-	22,577/-	3.10	
20.	बीकानेर	डेयरी	2,45,000/-	1,87,705/-	57,295/-	....	....	
21.	श्रीगंगानगर	डेयरी	27,05,500/-	12,46,743/-	14,58,757/-	73,000/-	5.85	
	योग		1,19,43,650/-	86,59,015/-	32,84,635/-	2,10,345/-	2.4292	

परिशिष्ट—2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

सोमावती नदी (सीकर) पर बांध निर्माण

786. श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सोमावती नदी (सीकर) पर कोई बांध बनाने की योजना विचाराधीन है ? इस योजना पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ?

(2) क्या सोमावती नदी के जल प्रवाह से रेवासा नमक उद्योग को भारी नुकसान पहुंचता है ? यदि हां, तो सरकार इसकी रोकथाम के क्या उपाय करने जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। इस योजना पर अब तक 2.80 लाख रुपये खर्च किये गये हैं।

(2) सोमावती बांध के निर्माण के पश्चात् नदी में बहकर आने वाली बालू मिट्टी बांध के भराव क्षेत्र में ही रूक जावेगी। इससे रेवासा नमक उद्योग को हो रहे नुकसान की रोकथाम सम्भव हो सकेगी।

जिला जयपुर में स्वीकृत अकाल राहत कार्य

787. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले में वर्तमान में अब तक अकाल राहत योजनान्तर्गत कितने कार्य स्वीकृत किये गये हैं ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अकाल राहत योजनान्तर्गत भी निर्माण कार्य में व्यय की जाने वाली राशि में सामग्री एवं श्रम का अनुपात 60:40 का रखा गया है ? यदि हां, तो इस अनुपात में क्या पक्के कार्य करवाना सम्भव है ?

(3) क्या यह सही है कि इस अनुपात से पक्के कार्य करवाना सम्भव नहीं है ? ऐसी स्थिति में क्या सरकार इस अनुपात को बदलने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में वर्तमान में अब

(अकाल सहायता राज्य मंत्री)

तक "राहत कार्य—1994" के अन्तर्गत 225 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। तहसीलवार सूची सदन की पटल पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट-"क")

(2) जी नहीं। सामग्री एवं श्रम का अनुपात 40:60 रखा गया है। यह अनुपात हर कार्य के लिए न होकर सारे जिले में खर्च होने वाली राशि पर होता है। किसी जगह किसी कार्य पर सामग्री पर अधिक व्यय व किसी जगह कम व्यय हो सकता है, लेकिन सामग्री पर व्यय पूर्ण जिले के लिये 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये। इस अनुपात में पक्के कार्य कराया जाना सम्भव है। कुशल श्रमिकों की मजदूरी भी श्रम में शामिल करने के निर्देश दिये गये है जो पूर्व में सामग्री में सम्मलित होती थी।

(3) जी नहीं। बिन्दु न. 2 के जवाब में वर्णित स्थिति के कारण।

स्वीकृत अकाल राहत कार्य वर्ष 1994 के अन्तर्गत जिला जयपुर की स्थिति एक दृष्टि में

क्रम संख्या	नाम तहसील	कुल स्वीकृत कार्य				राहत योजना 1994 के अन्तर्गत स्वीकृत राशि			कुल मानव दिवस	अधिकतम श्रमिकों की संख्या जो नियोजित किये जा सकेंगे	वर्तमान में कार्यरत श्रमिकों की संख्या
		सार्व. नि. विभाग	सिचाई विभाग	पचायत समिति	योग	श्रम हेतु	सामग्री हेतु	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	जयपुर	—	—	6	6	1,87500	125000	312500	12500	125	—
2.	चाकसू	3	2	12	17	2070000	1312000	3382000	138000	1213	836
3.	बस्सी	6	—	12	18	1911300	1274200	3185500	127420	1110	764
4.	आमेर	6	1	27	34	2304600	1536400	3841000	153640	1380	925
5.	जमवारामगढ़	9	—	36	45	2821100	1852400	4673500	186940	1661	914
6.	चौमूं	7	—	3	10	1519800	1013200	2533000	101320	853	459
7.	सांभर	8	1	4	13	2175900	1450600	3626500	145060	1260	1114
8.	फागी	18	8	13	39	4632900	3058600	7691500	307160	2680	1606
9.	दूदू	2	4	9	15	1084500	643000	1727500	72300	758	600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	कोटपूतली	7	2	11	20	975300	582400	1557700	65180	591	163
11.	विराटनगर	4	1	3	8	648600	432400	1081000	43240	399	182
	योग	70	19	136	225	20331500	13280200	33611700	1352760	12030	5637

नोट—1. तहसील सांगानेर व तहसील शाहपुरा प्रभावग्रस्त नहीं होने के कारण अकाल राहत स्वीकृत नहीं किये गये हैं।

2. जो कार्य वर्तमान में चालू नहीं है उनके कारणों में फसल कटाई का समय होने की वजह से श्रमिक नहीं मिलेगा, मार्क पर खड़ी फसल होनां या भूमि सम्बन्धी अन्य विवाद तथा कार्य अन्य एजेन्सियों द्वारा पूर्ण कराने आदि हैं।

ह.

जिला कलक्टर, जयपुर

जिला बूंदी के विद्यालयों में रिक्त पद

788. **श्री ओमप्रकाश शर्मा** (बूंदी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले के हायर सैकेण्डरी, सैकेण्डरी स्कूलों में अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से एवं कब से तथा सरकार इन पदों को कब तक भरने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि अध्यापकों की कमी के कारण विद्यार्थियों को पढ़ाई का नुकसान हो रहा है ? यदि हां, तो जिन अधिकारियों ने यह रिक्त पद नहीं भरे, क्या सरकार उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी-हां।

रिक्त पद निम्नानुसार हैं—

व्याख्याता	वरिष्ठ-अध्यापक	तृतीय वेतन श्रृंखला
32	00	02

कहां-कहां एवं कब से रिक्त हैं कि सूची सदन के पटल पर रख दी गयी हैं।

(2) प्रथम वेतन श्रृंखला के व्याख्याताओं के रिक्त पद लोक सेवा आयोग अथवा विभागीय चयन समिति से भरे नहीं जा सके। परन्तु छात्रों के अध्ययन में हानि न हो इसके लिये विभाग द्वारा सेवा-निवृत योग्यताधारी अध्यापकों को 100/- रु. प्रतिदिन के मानदेय पर रखकर पढ़ाने की वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है। ऐसे 9 व्यक्तियों को बूंदी जिले में लगाया गया। शेष विषयों के लिये विद्यालयों में कार्यरत योग्यताधारी अध्यापकों को पढ़ाने हेतु लगातार वैकल्पिक व्यवस्था की गयी।

बून्दी जिले में हा. सै./सैकण्डरी विद्यालयों में रिक्त पदों की सूची

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	रिक्त पद	विषय	कब से
1	2	3	4	5
1.	रा.सी.मा वि. हिण्डोली	व्याख्याता—3	इतिहास—1	10/92
			हिन्दी—1	2/93
			ना. शास्त्र—1	2/93
2.	,, काप्रेन	व्याख्याता—1	चित्रकला—1	7/93
3.	,, बरूधन	व्याख्याता—2	भौतिक विज्ञान—1	7/93
			रा. विज्ञान—1	7/93
4.	,, लाखेरी	व्याख्याता—3	इतिहास—1	7/93
			हिन्दी—1	7/93
			अंग्रेजी—1	7/93
5.	,, बाँसी	व्याख्याता—1	इतिहास—1	3/92
6.	,, अलोद	व्याख्याता—1	इतिहास—1	7/93

1	2		3	4	5
7.	रा.सी.मा.वि	नैनवां	व्याख्याता—4	राजस्थानी—1	7/93
				इतिहास—1	11/90
				रा. वि.—1	7/90
				चित्रकला—1	7/90
8.	,,	अलोद	व्याख्याता—1	उर्दू—1	3/92
9.	,,	देई	व्याख्याता—3	हिन्दी—1	7/93
				इतिहास—1	7/93
				कृषि—1	7/93
10.	,,	इन्द्रगढ़	व्याख्याता—1	चित्रकला—1	1/94
11.	रा.सी.बा.उ.मा.वि. बून्दी		व्याख्याता—5	जी. वि.—1	7/93
				संगीत—1	7/93
				गृह विज्ञान—1	7/93
				हिन्दी स्टेनो—1	7/93
				पु. वि.—1	7/93
12.	,,	लाखेरी	व्याख्याता—3	अंग्रेजी—3	7/93
13.	,,	के. पाटन	व्याख्याता—4	हिन्दी—2	7/93
				संस्कृत—1	7/93
				ना. शास्त्र—1	7/93

1	2	3	4	5	
14.	रा.मा.वि. मोतीपुरा	व. अ.—1	जी. वि.—1	2/94	पदस्थापन
15.	,, अरनोठा	व. अ.—1	जी. वि.—1	9/93	किया जा
16.	,, ठीकरदा	व. अ.—1	गणित—1	2/94	चुका है।
17.	रा.बा.मा.वि. कान्प्रेन	अध्यापक—1	सामान्य—1	7/93	
18.	रा.बा.मा.वि. नैनवां	अध्यापक—1	सामान्य—1	7/93	

राजस्थान नर्सेज एसोसियेशन के साथ हुए समझौते की क्रियान्वित

789. **श्री जगतारसिंह (श्री करणपुर)** एवं **श्री रघुवीर सिंह (सराडा)**:- क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार का अक्टूबर, 1993 में राजस्थान नर्सेज एसोसियेशम के साथ कोई लिखित समझौता हुआ था ? यदि हां, तो समझौते एवं आश्वासनों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समझौते व आश्वासनों की क्रियान्विति में विलम्ब होने के क्या कारण हैं तथा इसके लिये कौन उत्तरदायी है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

राज्य सरकार एवं राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ हुई वार्ता के विवरण की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) उक्त वार्ता के दौरान किये गये निर्णयों की क्रियान्विति में कोई बिलम्ब विभागीय स्तर पर नहीं हुआ । विधान सभा चुनाव के दौरान स्थानन्तरण पर प्रतिबन्ध होने के कारण नर्सिग संवर्ग के पदोन्नति आदेश चुनाव कार्य पूर्ण होने के पश्चात् प्रसारित किये गये ।

राजस्थान सरकार

चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा एवं प. क. निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

——

आज दिनांक 15-10-1993 को माननीय प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कक्ष में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ हुई वार्ता का विवरण—

वार्ता में निम्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श हुआ एवं निर्णय लिये गये—

1. पदोन्नति:— निर्णय लिया गया है कि जिन संवर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति की जानी है उनका वार्षिक कार्य मूल्यांकन के अभाव में गोपनीय अनुभाग से

विभागीय जांच की टिप्पणी प्राप्त कर तदर्थ पदोन्नति वर्तमान वरिष्ठता सूचियों के आधार पर भेजी जाय । इसमें ऐसे कर्मचारी जिनको पूर्व में पदोन्नति दी गयी थी अथवा जो पदोन्नति से वंचित रह गये हैं उनके प्राप्त प्रतिवेदनों पर विचार कर उन्हें भी सम्मिलित कर लिया जाय तथा फिर भी कुछ प्रतिशत पद प्रत्येक संवर्ग में रिक्त रख लिये जावें ताकि बाद में आने वाले प्रतिवेदनों पर विचार कर उनको भी पदोन्नति का लाभ दिया जा सके। जिन पदों को प्राथमिकता के आधार पर पदोन्नति से भरा जाना है उनमें नर्सिग अधीक्षक श्रेणी प्रथम, नर्सिग अधीक्षक श्रेणी-2, नर्स श्रेणी-प्रथम, एवं ब्लाक सैक्टर सुपरवाईजर प्रमुख हैं। इस प्रकार से पदोन्नति के आदेश जारी करने के लिए 7 दिन का कार्य दिवस का समय निश्चित किया गया है । यह पद्धति एक बार के लिए ही लागू होगी तथा भविष्य में ए. पी. आर. के आधार पर ही पदोन्नति दी जावेगी ।

1 ए. 3 जून, 1902 से पूर्व की ए. एन. एम. को स्टाफ नर्स के पद पर पदोन्नति के मामले में स्टाफ नर्स के रिक्त पदों में से 25 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति हेतु पूर्व नियमों के अनुसार संशोधन कर विचार किया जावेगा । यह प्रावधान अगर स्वीकृत हुआ तो नियमों में संशोधन की तिथि से भविष्य में होने वाली रिक्तियों पर ही लागू होगा ।

2\. आठवीं कक्षा उत्तीर्ण प्रसाविकाओं को महिला स्वास्थ्य दर्शिका के पद पर पदोन्नति हेतु विभाग द्वारा अलग से 6 माह का प्रशिक्षण देकर उनको महिला स्वास्थ्य दर्शिका के रिक्त पदों पर पदोन्नति करने हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति हेतु भिजवाये जावेंगे ।

3\. जिला जन स्वास्थ्य नर्स के सीधी भर्ती के 14 पदों को भरवाने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को रिक्वीजेशन निदेशालय स्तर से भिजवाया जावेगा ।

3.ए. उप केन्द्रों पर कार्यरत पार्ट टाईम वर्कर को जो 50 रुपये प्रति माह दिया जाता है उसे 75 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जायेगा ।

4 सभी नर्सिग कर्मचारियों को मैस भत्ता पुलिस कर्मियों के अनुरूप देने के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये जायेंगे ।

5. नर्सिंग प्रशिक्षणार्थियों का स्टाईफण्ड बढ़ाने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जायेंगे इनमें यह देखने की बात है कि प्रशिक्षणार्थी कक्षायें अटेन्ड करने के पश्चात् लगातार 8 घण्टे ड्यूटी भी करते हैं यह जांच की जावे और बढ़ोतरी हेतु औचित्यपूर्ण प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये जायेंगे।

6. नर्सेज को दी जाने वाली वर्दी की निर्धारित सिलिंग 877 रु. में से सूती वर्दी की सिलाई सहित देय राशि के बाद यदि पैसा बचता है तो नर्सिंग कर्मचारियों को दी जाने वाली गर्म जर्सी /कार्डिगन जिसके लिये 150/– रु. का भुगतान किया जाता है को बढ़ाकर 250/– रु. करने के प्रस्ताव भिजवाये जायें, किन्तु किसी भी अवस्था में वर्दी की वर्तमान सिलिंग राशि जो 877 रु. हैं से अधिक न हो। नर्सिंग कर्मचारियों को दी जाने वाली वर्दी का रंग एवं पैटर्न में परिवर्तन हेतु निदेशालय स्तर पर कमेटी का गठन किया जाए जिसमें एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जावे।

7. ग्रामीण भत्ता :--इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि यह मांग निर्वाचित सरकार के समक्ष रखना उचित होगा।

8. वेतन विसंगति एवं उससे सम्बन्धी अन्य मामलों में एसोसिएशन महासंघ के द्वारा वेतन विसंगति समिति के समक्ष अपने प्रस्ताव रखें जिस पर वित्त विभाग विचार कर निर्णय करेगा।

9. पदोन्नति के पद और बढ़ाने के संबंध में एसोसिएशन जो अपने प्रस्ताव बनाकर देगी उन पर विचार किया जायेगा।

10. जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में भौतिक सुविधायें उपलब्ध कराने संबंधी मांग पर निर्णय लिया गया कि निदेशक पहले इन स्कूलों के वर्तमान स्थिति का जायजा लेने के लिए एक कमेटी का गठन करेंगे जो इसमें सुधार हेतु अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी जिस पर पर फेस्ड मेनर में विचार किया जायेगा।

11. जनरल नर्सिंग का नया पाठ्यक्रम लागू करने के संबंध में निर्णय लिया गया कि इस वर्ष की विभागीय वित्तीय मांगों में इसको सम्मिलित किया जाये ताकि बी.एफ.सी. की मीटिंग में इसे स्वीकृत कराया जा सके।

12. नर्सिंग अधीक्षक श्रेणी-प्रथम तथा द्वितीय को प्रशासनिक कार्यों में प्रशिक्षण

कराने हेतु हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान इन्सटीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (रीपा) में प्रशिक्षण दिलाने हेतु कार्यवाही की जावे ।

13. जनरल नर्सिंग छात्रों के प्रशिक्षण सम्बन्धी नियमों में सुधार हेतु डा. एन. एम. सिंघवी, अतिरिक्त निदेशक, पूर्व प्रसारित दिशा निर्देशों की प्रति लेकर मा. प्रमुख शासन सचिव से इसमें सुधार हेतु वार्ता करेंगे ।

14. राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में कौंसिल की मीटिंग शीघ्र आयोजित की जावेगी तथा पूर्णकालीक रजिस्ट्रार की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति प्रसारित कर शीघ्र भरने की जायेगी ।

15. राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में राज. नर्सिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधि को शामिल करने के संबंध में प्रेसीडेन्ट राज. नर्सिंग कौंसिल अपने प्रस्ताव भिजवायेगें ।

16. मा. उच्च न्यायालय में चल रहे मेल नर्स के कोर्ट केसेज के सम्बन्ध में अति. निदेशक, (प्रशा.) एक वास्तविक रिपोर्ट बनाकर मा. प्रमुख शासन सचिव को प्रस्तुत करेंगे ।

17. राज्य में नये कालेज आफ नर्सिंग शुरू करने के सम्बन्ध में औचित्य पूर्ण प्रस्ताव मय वित्तीय भार के साथ राज्य सरकार को भिजवायेगें ।

18. संयुक्त निदेशक (नर्सिंग) उप निदेशक (नर्सिंग) एवं डी सी. एन. एस. के कार्यों एवं प्रशासनिक दायित्व देने के सम्बन्ध में निदेशक अपने स्तर से कार्यवाही करेंगे ।

19 ए. एन. एम. ट्रेनिंग स्कूल बन्द किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार का निर्णय प्राप्त होने की दिशा में वर्तमान स्टाफ को समायोजन करने की कार्यवाही की जावेगी ।

20. निदेशालय के सभी पदों को पूर्णतया वरिष्ठता के आधार पर भरने सम्बन्धी कार्यवाही निदेशक अपने स्तर से करेंगे ।

21. कालेज आफ नर्सिंग की मांगों के सम्बन्ध में अलग से मीटिंग बुलाकर बात की जावेगी।

ह0
प्रति. निदेशक (प्रशा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज. जयपुर

ग्राम केला तहसील लूणकरणसर में पशु चिकित्सक का रिक्त पद

790. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्राम केला तहसील लूणकरणसर के पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक का पद रिक्त है ? यदि हां, तो सरकार उक्त पद पर कब तक नियुक्ति देने का विचार रखती ?

उत्तर

जी नहीं, केला में पद स्थापित पशु चिकित्सक अध्ययन अवकाश पर प्रस्थान किये हुए हैं, इसलिए यह पद भरने के पश्चात भी चिकित्सक की सेवा उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

तारांकित प्रश्न संख्या 791

(स्थगित)

जिला बांसवाड़ा में करवाये गये कार्यों पर व्यय

792. **श्री फतेहसिंह** (कुशलगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बांसवाड़ा जिले में गत वर्ष विभाग द्वारा कितने कार्य शुरू किये गये थे ? कार्यवार श्रम व सामग्री पर किये गये भुगतान की राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 92-93 में जीवन धारा के अन्तर्गत 20 कार्य तथा अप्रेल 93 में जे. आर. वाई. द्वितीय (अकाल) के अन्तर्गत 37 कार्य शुरू किये गये थे। इन कार्यों के निर्माण में श्रम व सामग्री पर किये गये व्यय का कार्यवार विवरण परिशिष्ट "अ" एवं "ब" में संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

रायपुर क्षेत्र की "रामा घोरा' लिफ्ट योजना

793. **श्री रामपाल उपाध्याय** (सहाड़ा) : क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या विगत वर्षों में रायपुर (भीलवाड़ा) तहसील क्षेत्र में "रामा घोरा" लिफ्ट योजना का कार्य अकाल राहत के तहत सम्पादित हुआ था ? यदि हां, तो पूरी योजना का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है ?

(2) इस योजना का कार्य किस एजेन्सी द्वारा सम्पादित हुआ और कितनी राशि खर्च हुई ?

(3) क्या सरकार इस योजना के शेष कार्य को इसी वर्ष पूर्व सम्पादन करने वाली एजेंसी से सम्पादित करवाकर सम्बन्धित लोगों को लाभान्वित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) "रामाघोरा" का कार्य अकाल राहत के अन्तर्गत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से वर्ष 1986 से 1989 तक एवं 1992-93 में जवाहर रोजगार योजना (द्वितीय) जो उस वर्ष अकाल राहत कार्यों का नाम था) के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया था । "रामाघोरा" बनाने का कार्य 70 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है । "रामाघोरा" लिफ्ट योजना के अन्य कार्य, जैसे बिजली की लाइन डालना, मोटरों का लगाना तथा पम्प हाऊस का निर्माण करना एवं कुये को पाइप लाइन से टंकी तक जोड़ना आदि कार्य, अभी तक स्वीकृत नहीं हुए हैं ।

(2) "रामाघोरा" का कार्य सिंचाई विभाग के माध्यम से किया गया था जिस पर 14.42 लाख रुपये व्यय हुए हैं ।

(3) लिफ्ट सम्बन्धी कार्य की स्वीकृति जारी नहीं हुई है । "रामाघोरा" का कार्य 70 प्रतिशत हो चुका है । धोरे के शेष कार्य की लागत 5.70 लाख रुपये है । यदि कार्य राज्य सरकार द्वारा राहत कार्यों के लिए निर्धारित मार्ग दर्शिका के अन्तर्गत आता है तो इसे स्वीकृत किया जा सकेगा ।

विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के पद

794. **श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी** (माण्डलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कितने-कितने अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं ?

(2) क्या इन विद्यालयों में स्वीकृत स्टाफ में समानता है ? यदि नहीं, तो जिन विद्यालयों में चार अध्यापकों का स्टाफ है

Page No.210

(श्री बद्री प्रसाद गुरूजी)

क्या सरकार आठ कक्षाओं के लिए उन्हें पर्याप्त मानती है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में आठ अध्यापकों का स्टाफ नियुक्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) स्वीकृत पदों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(2) जी नहीं । कक्षा खण्डों के अनुपात में शिक्षकों की उपलब्धता हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर पदों का पुनः आवंटन छात्र-संख्या एवं कक्षा खण्डों के अनुपात में किया जा सकेगा ।

माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत पदों का विवरण

क्र.सं.	नाम विद्यालय	स्वीकृत पद II ग्रेड	III ग्रेड
1	2	3	4
1.	रा. उ. प्रा. विद्यालय सरथला	1	6
2.	,, ,, सराणा	1	6
3.	,, ,, सलावटिया	1	8
4.	,, ,, राणाजी का गुढ़ा	1	6
5.	,, ,, तिलस्वा	1	6
6.	,, ,, थलकला	1	4
7.	,, ,, बडोदा	1	5

1	2			3	4
8	रा उ.प्रा.विद्यालय		माजीसा का खेड़ा	1	4
9.	,,	,,	धारोली	1	6
10.	,,	,,	बोड़ का खेड़ा	1	4
11.	,,	,,	बीकरण	1	4
12.	,,	,,	बिजोलीया	1	11
13.	,,	,,	धामणिया	1	6
14.	,,	,,	धाकड़ खेड़ी	1	8
15.	,,	,,	गणेशपुरा	1	6
16.	,,	,,	जलिन्द्री	1	6
17.	,,	,,	मझोला	1	4
18.	,,	,,	जसमूली का खेड़ा	1	5
19.	,,	,,	कल्याणपुरा	1	5
20.	,,	,,	खेराड़िया	1	5
21.	,,	,,	मालका खेड़ा	1	5
22.	,,	,,	मागटला	1	6
23.	,,	,,	उमाजी का खेड़ा	1	7
24.	,,	,,	राजगढ़	1	4
25.	,,	,,	खाबरोल	1	6
26.	,,	,,	सूरास	1	5
27.	,,	,,	श्री नगर	1	5
28.	,,	,,	जालिया	1	5
29.	,,	,,	सदारामजी का खेड़ा	1	5

Page No.212

1	2	3	4
30.	रा.उ.प्रा. विद्यालय भोपतपुरा	1	5
31.	,, ,, गोपालपुरा	1	5
32.	,, ,, विक्रमपुरा	1	5
33.	,, ,, तलहटी माण्डलगढ़	1	15
34.	,, ,, गेणोली	1	3
35.	,, ,, होडा	1	8
36.	,, ,, मोहनपुरा	1	5
37.	,, ,, खटवाडा	1	7
38.	,, ,, बावडिया	1	6
39,	,, ,, बडला	1	7
40.	,, ,, बेगा का खेड़ा	1	6
41.	,, ,, गेदलिना	1	6
42.	,, , रेणवास	1	5
43.	,, ,, जितयाभाफी	1	5
44.	,, ,, जित्राका खेडा	1	4
45.	,, ,, कुडी	1	5
46.	,, ,, किशनगढ	1	5
47.	रा बालिका उ. प्रा. वि. काछोला	1	6
48,	,, ,, बिगोद	1	7
49.	,, ,, महुआ	1	2
50.	,, ,, तलहटी मांडलगढ़	1	9

1	2	3	4
51.	रा.बालिका उ.प्रा. वि. खेराड़िया	1	3
52.	,, ,, मानपुरा	1	6
53.	,, ,, लाडपुरा	1	5
54.	,, ,, सिमेली	1	5
55.	,, ,, भोजवा	1	6
56.	,, ,, चांदजी की खेडी	1	5
57.	,, ,, आबाला	1	7

विधान सभा क्षेत्र रेवदर के चिकित्सालयों में एक्सरे मशीन

795. **श्री जयन्ति लाल कोली (रेवदर) :** क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) रेवदर विधान सभा क्षेत्र के कितने राजकीय चिकित्सालयों में एक्स-रे मशीन स्वीकृत है ? उनमें से कितनी उपलब्ध करवायी जा चुकी है ?

(2) इन मशीनों का संचालन करने हेतु कितने तकनीकी कर्मचारी नियुक्त है ?

(3) इनके लिए प्रतिवर्ष कितनी एक्स-रे प्लेटें सरकार द्वारा दी जाती है ?

(4) इनमें से कितनी मशीनें वर्तमान में वास्तव में उपयोग में आ रही है ?

उत्तर

(1) रेवदर विधान सभा क्षेत्र में स्थित राजकीय चिकित्सालय रेवदर में एक्स-रे मशीन स्वीकृत है जो उपलब्ध करा दी गयी है।

(2) उक्त मशीन के संचालन हेतु एक रेडियो-ग्राफर का पद सृजित है।

(3) मशीन चालू होने पर मांग एवं आवश्यकता के अनुसार एक्स-रे प्लेटें उपलब्ध करायी जा सकेंगी।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री)

(4) राजकीय चिकित्सालय, रेवदर हेतु एक्स-रे मशीन वित्तीय वर्ष 1993-94 में क्रय की गयी है, जिसे स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है।

मदर डेयरी दिल्ली में बकाया

796. **श्री रेवत राम पंवार** (नोखा): क्या डेयरी विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दिनांक 31 मार्च, 1992 को मदर डेयरी, दिल्ली में उरमूल बीकानेर को कितनी राशि लेनी बकाया थी ?

(2) वर्ष 1992-93 तथा वर्ष 1993-94 में मदर डेयरी दिल्ली को कितना दूध किस-किस भाव पर बेचा गया ? विक्रय किए गए दूध की कुल कितनी कीमत मदर डेयरी दिल्ली से उरमूल बीकानेर को प्राप्त होनी थी ? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) दिनांक 31 जनवरी, 1994 को मदर डेयरी से आर.सी.डी.एफ. लिमिटेड के माध्यम से कितना रुपया उरमूल बीकानेर को मिला तथा कितना रुपया मिलना शेष है ? मदर डेयरी दिल्ली से बकाया राशि की वसूली के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही हैं ? यदि नहीं तो क्यों ? यदि हां, तो बकाया राशि कब तक उरमूल डेयरी बीकानेर को प्राप्त हो जायेगी ?

उत्तर

(1) दिनांक 31 मार्च, 1992 को मदर डेयरी, दिल्ली से उरमूल, बीकानेर को राशि रुपये 22, 28, 332 व 85 पैसे बकाया थी, जो दिनांक 8 अप्रेल, 1992 को प्राप्त हो गयी थी।

(2) वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 (माह जनवरी, 94 तक) उरमूल, बीकानेर द्वारा मदर डेयरी, दिल्ली को भेजे गये दूध की मात्रा एवं कीमत का माहवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। विक्रय मूल्य का माहवार विवरण परिशिष्ट "ख" पर सलग्न है।

(3) दिनांक 1 अप्रेल, 1993 से 31 जनवरी, 1994 तक मदर डेयरी, दिल्ली से आर. सी. डी. एफ. के माध्यम से उरमूल, बीकानेर को कुल रुपये 7,24,23,976 का भुगतान किया गया है। मदर डेयरी से उरमूल, बीकानेर को 31 जनवरी, 1994 तक कोई राशि मिलना शेष नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

परिशिष्ट "क"

वर्ष 1992--93 एवं 1993--94 (जनवरी, 94 तक) में उरमूल, बीकानेर द्वारा दिल्ली डेयरी (मदर डेयरी एवं डी. एम. एस.) को भेजे गये दूध की मात्रा एवं कीमत का माहवार विवरण

क. सं.	माह	मदर डेयरी को भेजे गये दूध की मात्रा (कि. ग्राम में)	दिल्ली दुग्ध वितरण योजना को भेजे गये दूध की मात्रा (कि. ग्राम में)	मदर डेयरी से प्राप्त राशि (रुपये में)	दिल्ली दुग्ध वितरण योजना से प्राप्त राशि (रुपये में)	उरमूल बीकानेर को की गयी भुगतान राशि (रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1992--93						
1.	अप्रैल, 92	12,68,335	1,92,120	82,06,375.41	10,82,952.00	92,89,327.41
2.	मई, 92	12,72,214	78,690	77,84,513.50	5,13,743.00	82,98,256.50
3.	जून, 92	10,06,515	1,16,600	64,78,189.27	8,38,990 00	68,97,701.58
4.	जुलाई, 92	3,01,475	—	21,60,518.31	—	20,28,146.72
5.	अगस्त, 92	21,550	—	1,45,445.60	—	1,43,882.86

1	2	3	4	5	6	7
6.	सितम्बर, 92	—	—	—	—	—
7.	अक्टूबर, 92	—	—	—	—	—
8.	नवम्बर, 92	3,01,335	—	19,20,529.87	—	19,06,021.11
9.	दिसम्बर, 92	7,73,380	28,120	46,33,875.08	1,73,854.00	47,85,318.69
10.	जनवरी, 93	10,04,320	—	47,25,427.48	—	47,14,300.00
11.	फरवरी, 93	10,43,285	—	49,89,294.25	—	40,61,491.00
12.	मार्च, 93	12,56,440	82,400	58,08,685.08	5,16,813.00	61,65,195.00
	कुल	82,48,849	4,97,930	4,68,52,853.85	31,26,352.06(×)	4,82,89,640.87

कुल सचय कोष = 16,89,564 98 रुपये

(X) वर्ष के अन्त के समायोजन

घटाईये–	1. सर्विस चार्ज—	4,99,792.06
	2. पैनल्टी इत्यादि	9,45,786.89
		14,45,578.96
संचय कोष की शेष राशि अंश पूंजी हेतु रुपये		2,43,986.03

क्र. सं.	माह	मदर डेयरी को भेजे गये दूध की मात्रा (कि. ग्राम में)	दिल्ली दुग्ध वितरण योजना को भेजे गये दूध की मात्रा (कि. ग्राम में)	मदर डेयरी से प्राप्त राशि (रुपये में)	दिल्ली दुग्ध वितरण योजना से प्राप्त राशि (रुपये में)	उरमूल बीकानेर को की गयी भुगतान राशि (रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1993–94 (जनवरी, 94)						
1.	अप्रैल, 93	14,33,200	2,22,720	83,77,278.60	8,66,445.81	93,50,590.00

1	2	3	4	5	6	7
2.	मई, 93	11,53,960	2,31,180	72,26,774.85	28,49,155.94	86,94,398.00
3.	जून, 93	10,04,815	2,91,230	63,21,293.81	24,05,180.00	81,59,822.00
4.	जुलाई, 93	12,48,870	2,85,440	79,94,711.08	23,29,833.14	99,29,365.00
5.	अगस्त, 93	7,22,560	6,42,560	35,88,678.00	42,50,349.40	77,35,549.00
6	सितम्बर, 93	11,03,615	—	45,72,354.72	—	45,28,494 00
7.	अक्टूबर, 93	10,59,100	—	42,17,975.48	—	41,69,068.00
8.	नवम्बर, 93	7,18,150	—	82,42,458.08	—	39,49,409.00
9.	दिसम्बर, 93	16,20,255	—	42,39,800.00	—	70,72,642.00
10.	जनवरी, 94	16,80,275	—	87,93,586.71	—	88,34,639.00
	कुल	1,17,448.00	16,73,130	6,35,74,912.33	1,28,00,964.29	7,24,23,976.00
	कुल संचय कोष			39,51,900.62		

समायोजन के प्रावधान

1.	सर्विस चार्ज	7,60,093.00
2.	यातायात व्यय संघ को (अक्टूबर, 93 से दिसम्बर, 93) संचय कोष में से देय	2,17,744.00
3.	उरमूल, बीकानेर के साथ किये गये खातों का समामेलन विवरण के अनुसार डेयरी फैडरेशन को देय है का समायोजन समाधान विवरण संलग्न है।	24,53,136.68
	संचय कोष दिनांक, 16-2-94	5,20,926.94

परिशिष्ट "ख"

दिल्ली डेयरीज (मदर डेयरी एवं डी. एम. एस.) द्वारा देय विक्रय मूल्य का माहवार विवरण

क्र.सं.	माह	गाय के दूध का मूल्य (प्रति किलो) रुपये में 4% फेट एवं 8.5% एस.एन.एफ. का दूध	स्किम दूध का मूल्य (प्रति किलो) रुपये में 9% एस.एन. एफ. का दूध
1	2	3	4
1.	अप्रैल, 92	7.17	4.45
2.	मई, 92	7.17	4.45
3.	जून, 92	7.17	....
4.	जुलाई, 92	7.17	....
5.	अगस्त, 92	6.70	....
6,	सितम्बर, 92	6.70	....
7.	अक्टूबर, 92	6.70	....
8.	नवम्बर, 92	6.23	....
9.	दिसम्बर, 92	6,23	....
10.	जनवरी 93	5.85	....
11.	फरवरी, 93	5.85	3.87
12.	मार्च, 93	6.32	....
13.	अप्रैल, 93	6.32	4:16
14.	मई, 93	6.78	....
15.	जून, 93	6.78	4.45

1	2	3	4
16.	जुलाई, 93	6.78	....
17.	अगस्त, 93	6.78	4.45
18.	सितम्बर, 93	6.32	4.16
19	अक्टूबर, 93	6.32	4.16
20.	नवम्बर, 93	5.85	3.87
21.	दिसम्बर, 93	5.85	3.87
22.	जनवरी, 94	5.57	
23.	फरवरी, 94	5.57	
24	मार्च, 94	6.00	

खनिज फ्लोस्पार खनन क्षेत्र का खनिज विकास निगम को आवण्टन

797. **श्रीमती सूर्यकांता व्यास** (जोधपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जालोर जिले के चाटवाड़ा गांव के पास खनिज फ्लोस्पार के खनन हेतु राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम ने आवेदन किया हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र के निकट ही उक्त निगम द्वारा फ्लोस्पार के खनन हेतु सरकार द्वारा आवंटित क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि निगम द्वारा आवेदित क्षेत्र को निगम को न देकर अन्य निजी व्यक्तियों को देने के आदेश खनिज अभियन्ता, सिरोही द्वारा किये गये हैं, जबकि निगम बार-बार इस क्षेत्र को आवंटित करने की प्रार्थना करता रहा है ?

(4) क्या यह क्षेत्र सरकार निगम को आवंटित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। खनि अभियन्ता, सिरोही को प्रधान खनिज फ्लोरस्पार के खनन पट्टे स्वीकार करने का अधिकार नहीं है। वास्तविकता यह है कि निगम ने क्षेत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 22-11-90 को प्रस्तुत किया। जबकि उक्त तिथि के पूर्व ही क्षेत्र का अधिकांश भाग श्रीमती चन्दनबाला मोदी के पक्ष में दिनांक 16-10-89 को एवं श्री अरुण कुमार सक्सेना के पक्ष में दिनांक 12-10-1989 को पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र स्वीकृत हो चुका था। नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अन्य आवेदक के पक्ष में स्वीकृत क्षेत्र रद्द कर निगम को दिया जा सके।

(4) निगम को नियमानुसार अनुदान हेतु रिक्त क्षेत्र ही दिया जा सकता है, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न के भाग —1 में वर्णित निगम द्वारा आवेदित क्षेत्र पूर्व में अन्य को स्वीकृत क्षेत्र में से कम करने के बाद रिक्त क्षेत्र न्यूनतम सीमा से कम होने के कारण विभागीय नीति के अनुसार सामान्यत: स्वीकृति योग्य नहीं रहता। फिर भी मामला विचाराधीन है।

ओराई बांध (बेगूं) की डूब में आई भूमि का मुआवजा प्रकरण

798. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ओराई बांध (बेगूं) का निर्माण कार्य कब पूर्ण हुआ था ?

(2) किस-किस गांव की कितनी-कितनी भूमि डूब में आई थी व किस-किस को कब-कब कितना-कितना मुआवजा दे दिया गया ?

(3) क्या यह सही है कि इस बांध की डूब में आये सभी गांव माडा के गांव थे ?

(4) क्या इन माडा के गांवों के सभी ग्रामीणों को मुआवजा दे दिया है ? यदि नहीं, तो किस-किस को कितना-कितना मुआवजा देना कब से शेष है और अब तक नहीं चुकाने का कौन दोषी है ? दोषी व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(5) सरकार बकाया मुआवजा राशि का भुगतान कब तक करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) ओराई बांध का निर्माण कार्य सन् 1975 में पूर्ण हुआ था।

(सिचाई मन्त्री)

(2) ग्रामवार डूब में आई भूमि का कुछ मुगतान दिसम्बर, 1963 में किया गया जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। मुआवजे का शेष भुगतान मार्च, 1994 में किया गया जिसका विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी हां।

(4) जी हां, सभी ग्रामीणों को मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता।

परिशिष्ट—अ

ओराई बांध के डूब क्षेत्र में आयी भूमि व मुआवजे की राशि का विवरण

क्रमांक	गांव का नाम	काश्तकार का नाम	डूब में गई भूमि बीघा	डूब में गई भूमि बिश्वा	मुआवजे की राशि	मुआवजा भुगतान की तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पाटकला	श्री कजोड़ पिता देवा ओड	7	9	....	....	जमीन के बदले जमीन दी गयी।
2.	,,	श्री किशना पिता माना ओड	7	18	....	....	,, ,,
3.	,,	श्री कजोड पिता देवा 1/2			273/-	7-12-63	....
		किशन पिता माना ओड 1/2	—	4			
4.	,,	श्री कैसा पिता जोधा ओड	6	12	....	....	जमीन के बदले जमीन दी गयी।
5.	,,	श्री कैसा पिता जोधा 1/3 माना पिता जोधा 1/3 छीतर पिता लक्ष्मण 1/3	—	4	481/-	7-12.63	....

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	पाटकला	श्री गुमानसिंह पिता मोतीसिंह राजपूत	11	3	....	....	जमीन के बदले जमीन दी गयी।
7.	,,	श्री गोकल पिता माना मोड	11	17	....	....	,, ,,
8.	,,	श्री गोरीलाल पिता खुमानसिंह गूजर पुत्र उदयलाल देवीलाल, रघुनाथ	7	7	....	....	,, ,,
9.	,,	श्री खुमानसिंह 1/2 चुन्नीलाल पिता चतुर्भुज घावाई	—	7	1262/-	7-12-63	....
10.	,,	श्री चुन्नीलाल पिता चतुर्भुज घाबाई फोत मु. नोर्जी बेवा चुन्नीलाल	6	·18	....	....	जमीन के बदले जमीन दी गयी।
11.	,,	श्री गुलाब पिता केसा भील 1/2 जोधा पिता भेरा भील 1/1	—	8	335/-	7-12-63	....
12.	,,	श्री छीतर पिता लक्ष्मण कलाल	17	·16	....	....	जमीन के बदले जमीन दी गयी।
13.	,,	श्री प्रतापसिंह पिता गरवरसिंह गूजर घाबाई	5	1	....	....	जमीन के बदले जमीन दी गयी।

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	पाटकला	श्री जोधा पिता भैरू भील	8	14	....	....	जमीन के बदले जमीन दी गयी ।
15.	,,	श्री प्रतापसिंह पिता गरवरसिंह 1/2 श्री हजारीलाल पिता खुमानसिंह गूजर 1/2	—	11	1120/-	7-12-63	....
16.	,,	श्री प्रतापसिंह पिता गरवरसिंह 1/4 चुन्नीलाल पिता चतुर्भुज 1/4 गोगीलाल पिता खुमानसिंह 1/4 हजारीलाल पिता खुमानसिंह 1/4	86	1	....	....	जमीन के बदले जमीन दी गयी ।
17.	,,	श्री भागीरथ पिता माना ओड	7	15	....	....	,, ,,
18.	,,	श्री भागीरथ पिता माना 1/2 गोकल पिता माना 1/2	..	5	328/-	7-12-63	....
19.	,,	श्री माना पिता जयराम ओड किशना पिता जयराम ओड	12	11	....	....	जमीन के बदले जमीन दी गयी ।
20.	,,	श्री माना पिता जोधा ओड	7	4	....	....	,, ,,
21.	,,	श्री हजारी पिता माना ओड पुत्र पेमा, नारायण, देवी	9	1	....	....	,, ,,

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	पाटकला	श्री हजारी पिता माना भोड 1/2 छीतर पिता लक्ष्मण कलाल 1/2	....	5	495/-	7-12-63	....
23.	,,	श्री हजारी लाल पिता खुमानसिंह धाबाई	7	2	....	....	जमीन के बदले जमीन दी गयी।
24.	,,	श्री हीरा पिता मिठ्ठू भोड	8	2	....	....	,, ,,
25.	,,	श्री हीरा पिता मिठ्ठू भोड 1/2 गुमान सिंह पिता मोती सिंह	—	5	175/-	7-12-63	....
		कुल योग :-	231		4469/-		
1.	छोटीपाट	श्री छोगा पिता माना 1/3 नन्दा पिता उदा, एकलिंग पिता उदा 1/3 नारायण पिता देवा भील 1/3	—	2	896/-	7-12-63	....
2.	,,	श्री रूपा पिता चन्दा भील पुत्र कूका	10	16	....	....	जमीन के बदले जमीन दी गयी।

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	छोटी पाट	श्री रतना पिता मेवा भील	4	4	361/-	7-12-63	....
4.	,,	श्री रूपा पिता नन्दा, नारायण पिता देवा भील	—	4	289/-	7-12-63	....
5.	,,	श्री हरजीवा पिता मोती भील फोत काना सोराम पिता हरजी	19	4	....	....	जमीन के बदले जमीन दी गयी।
6.	,,	श्री गोपी पिता वक्ता भील	1	7	....	....	,, ,,
		कुल योग :-	35	17	1546/-		
1.	सालबिया	श्री चतरा पिता प्यारा भील	13	6	....	....	जमीन के बदले जमीन दी गयी।
2.	,,	श्री चुन्नीया पिता हीरा भील	6	12	....	....	,, ,,
		कुल योग :-	19	18	....	....	

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	रामपूरिया	श्री घीसा पिता मजा मील	3	5	....	....	जमीन के बदले जमीन दी गयी ।
2.	,,	श्री मेरू पिता मजा मील	1	5	....	....	,, ,,
3.	,,	श्री माना पिता कोडू मील	7	9	....	....	,, ,,
4.	,,	श्री नन्दा पिता ग्राशा मील 1/3 बालू पिता ग्राशा मील 1/3 तुलशा पिता ग्राशा मील 1/3	14	1	....	....	,, ,,
		कुल योग :-	26	....	....	....	
1.	ग्रामजरिया	श्री घीसा पिता घन्ना मील मु. काशी बेवा घीसा	7	17	1195/-	7-12-62	....
2.	,,	श्री ठाकरी पिता घन्ना मील	7	5	....	....	जमीन के बदले जमीन दी गयी ।

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	ग्रामजरिया	श्रीमति भोली वेवा कालिया मील	4	9	....	....	जमीन के बदले जमीन दी गई
4.	,,	श्री मोमा पिता तुलशा मील	5	89	....	....	,, ,,
		कुल योग :-	25	....	1195/-	....	

परिशिष्ट "अ" का एबस्ट्रैक्ट

ओराई बांध के डूब-क्षेत्र में आई भूमि व मुआवजे की राशि का विवरण

क्रमांक	गांव का नाम	डूब में गई भूमि बीघा	बिस्वा	मुआवजे की राशि रुपयों में	मुआवजा भुगतान की तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	पाटकला	231	....	4469	7-12-63	
2.	छोटी पाट	35	17	1546	7-12-63	
3.	सालरिया	19	18	....	....	जमीन के बतले जमीन दी गयी।
4.	रामपुरिया	26	....	....	7-12-63	,,
5.	आमजरिया	25	....	1195	,,	
	कुल योग :—	337	15	7210		

परिशिष्ट "ब"

ओराई गांव के डूब क्षेत्र में आयी भूमि व मुआवजे की राशि का विवरण

क्रमांक	गांव का नाम	काश्तकार का नाम	डूब में गई भूमि बीघा	बिस्वा	मुआवजे की राशि	मुआवजा भुगतान की तिथि	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पाटकला	श्री गुलाब पिता केसा भील	5	4	10340/-	15-3-94	
2.	पाटकला	ठाकुरजी का स्थान देह पुजारी दौलतदास	3	17	9487/-	15-3-94	
3.	पाटकला	देव नारायणजी का स्थान देह चुन्नीलाल पिता चतुर्भुज	2	2	3052/-	15-3-94	
4.	पाटकला	हनुमानजी का स्थान पुजारी दौलतदास पुत्र देवादास	1	4	1980/-	15-3-94	
		योग :-	12	7	24859/-		

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	छोटीपार्ट पार्ट खुर्द	श्री एकलिंग पिता उदा मील	2	8	5810/-	15-3-94	
2.	छोटीपार्ट पार्ट खुर्द	श्री छोगा पिता माना मील	9	18	22660/-	15-3-94	
3.	छोटीपार्ट पार्ट खुर्द	श्री नन्दा पिता उदा मील	1	15	4591/-	15-3-94	
4.	छोटीपार्ट पार्ट खुर्द	श्री तेजा पिता केला मील	15	—	29315/-	15-3-94	
5.	छोटीपार्ट पार्ट खुर्द	श्री नन्दा, एकलिंग पिता उदाभील	7	12	15565/-	15-3-94	
6.	छोटीपार्ट पार्ट खुर्द	श्री नारायण पिता देवा मील	16	6	38060/-	15-3-94	
7.	छोटीपार्ट पार्ट खुर्द	श्री नोला पिता साला मील	1	19	4537/-	15-3-94	
8.	छोटीपार्ट पाट खुर्द	श्री प्रताप पिता मजा मील	11	1	33852/-	15-3-94	
9.	छोटीपार्ट पार्ट खुर्द	श्री मैरा पिता परथा मील	2	17	15922/-	15-3-94	
		योग :–	68	8	170112/-		
1.	सालरीया	श्री दयाराम पिता मारमल मील	1	11	2557/-	15-3-94	

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	सालरीया	श्री नन्दा पिता माना भील	1	15	2887/-	15-3-94	
3.	सालरीया	श्री प्यारा पिता नन्दा भील	8	2	15675/-	15-3-94	
4.	सालरीया	श्री चन्ता पिता प्यारा भील	13	2	25465/-	15-3-94	
		योग :–	24	10	46584/-		
1.	रामपुरिया	श्री दयाराम पिता मारमल भील	15	3	31652/-	15-3-94	
2.	रामपुरिया	श्री नन्दा पिता उदा भील	15	8	33275/-	15-3-94	
3.	रामपुरिया	श्री प्यारा पिता गुला भील	11	4	21450/-	15-3-94	
4.	रामपुरिया	श्री प्यारा पिता मजा भील	16	17	33632/-	15-3-94	
		योग :–	58	12	120009/-		

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ग्रामजरीया	श्री आलिया पिता किशना मील	2	16	7700/-	15-3-94	
2.	ग्रामजरीया	श्री कोडिया पिता लाला मील	9	16	25685/-	15-3-94	
3.	ग्रामजरीया	श्री चुन्नीया पिता टेका मील	3	8	8250/-	15-3-94	
4.	ग्रामजरीया	श्री देवा पिता गोकल मील	6	9	495/-	15-3-94	
5.	ग्रामजरीया	श्री देवा पिता गोकल मील	6	3	16912/-	15-3-94	
6.	ग्रामजरीया	श्री देवा पिता मेरू मील	2	15	7562/-	15-3-94	
7.	ग्रामजरीया	श्री देवा पिता किशना मील	2	2	3465/-	15-3-94	
8.	ग्रामजरीया	श्री नन्दा पिता माना मील	5	3	8497/-	15-3-94	
9.	ग्रामजरीया	श्री प्यारा पिता घीसा मील	3	18	10725/-	15-3-94	
10.	ग्रामजरीया	श्री पेमा पिता नाथु मील	6	19	18507/-	15-3-94	
11.	ग्रामजरीया	श्री भजा पिता पेमा मील	9	10	25850/-	15-3-94	
12.	ग्रामजरीया	श्री मजा पिता नानू भील	3	17	10587/-	15-3-94	

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	ग्रामजरीया	श्री मोडा भजा भील	3	12	8855/-	15-3-94	
		योग :–	66	8	153090/-		
		कुल योग :–	230	5	514655/-		

परबतसर क्षेत्र में हुए अग्निकाण्डों से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता

799. **श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर): क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

तहसील क्षेत्र परबतसर में गत 3 वर्षों में कितने अग्निकांड हुये हैं? कितने व्यक्तियों को राहत पहुंचाई गई है एवं कितने लोगों को राहत पहुंचाना शेष है? जिन लोगों को राहत नहीं पहुंचाई गई है उन्हें सरकार द्वारा राहत कब तक देने का विचार है? राहत के रूप में अग्नि पीड़ितों को कितनी राशि दी जाने का प्रावधान है? क्या यह राशि पर्याप्त है? राहत राशि कितने दिनों में देने का प्रावधान है?

उत्तर

गत 3 वर्षों में तहसील परबतसर में 73 अग्निकांड हुए, जिनमें 132 परिवार प्रभावित हुए हैं। 60 परिवारों को नकद सहायता राशि 72,538/- रु. दी गयी है। 21 व्यक्तियों के लिए झोंपड़ी बीमा योजना के अन्तर्गत सहायता की सिफारिश की गयी है व शेष 51 व्यक्तियों के मामले उपयुक्त न पाए जाने के कारण अस्वीकृत कर दिये।

सहायता विभाग के पत्र क्रमांक एफ-14 (1) सग्रा/अग्नि/89/9424-53 दिनांक 26-6-91 व पत्र क्रमांक एफ 14(1) सग्रा/अग्नि/1991-92/12128-80दिनांक 20-5-92 के अन्तर्गत अग्निकांड होने पर सहायता राशि देय होती है। आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट-"अ" पर है।

अग्निकांड में देय सहायता राशि में दिनांक 20-5-92 के पत्र द्वारा ही वृद्धि की गयी है। इसमें फिलहाल और बढ़ोतरी किया जाना प्रस्तावित नहीं है। सहायता नियमों में सहायता राशि उपलब्ध कराने की निश्चित अवधि निर्धारित नहीं की गयी है, किन्तु ऐसे मामलों में जल्दी से जल्दी पीड़ित व्यक्तियों को सहायता राशि देने की कोशिश की जाती है।

सहायता शीघ्र मिल सके इस कारण राज्य सरकार ने नियमानुसार सहायता स्वीकृत कर वितरित करने के लिए सभी जिला कलक्टरों को अग्निकांड मद में 25,000/-, 25,000/- रुपये की राशि एडवान्स के रूप में आबंटित की जा रही है। इस राशि का ज्यों-ज्यों व्यय किया जाएगा, प्रस्ताव प्राप्त होने पर सहायता विभाग द्वारा पुनर्भरण किया जाएगा जिससे कि यह राशि 25,000/- हर वक्त उपलब्ध रहे।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
(RELIEF DEPARTMENT)

From :

The Relief Secretary,
Government of Rajasthan,
JAIPUR.

To :

All Collectors,
Rajasthan,

No. F 14 (I) RC/Fire/89/94 24-53 Jaipur, Dated 26-6-91

Sub.-Instructions for the grant of relief to sufferers of fire incidents.

Government has been receiving a number of requests for grant of relief to persons who have lost their property owing to natural calamities like accidental fires.

Different principles in different type of cases are being followed in dealing with cases of fire incidents, but one thing must be kept in mind that the government does not accept the responsibility of granting compensation fot the loss of property caused by fire. As the guardian of the public purse, Government is obliged to provide relief absolutely necessary to meet immediate requirements for food and shelter. The extent of loss is not the criterion for such relief. If the sufferer is still in a position to maintain himself and those directly dependent upon him, there is no cases for grant of relief.

On receipt of information about any outbreak of fire the local officers should visit the site and take immediate steps to

assess the gravity of the calamity. After that they should make arrangements for relief that are necessary on the spot immediately such as:-

1. Arranging for shelter for the homeless;
2. Arranging for fodder for the cattle of those sufferers whose fodder has been destroyed;
3. Arranging free food for persons who have been left with no means to purchase the same; and
4. Arranging to the fire sufferers employment as labour in the local works run by the Government agencies.

After taking the preliminary steps as mentioned above, the Tehsildar should prepare a statement of the damages caused to the families in the following proforma.

Village : Tehsil : Date of Occurrance :

Sub Division : District :

S.No.	Name of the head of the family, with [illegible] r of family member and caste	Value of belonging damaged or destroyed by the incident in rupees. Crop/cattle	Building	Other house belongings.	Total estimated loss	Financial position of the sufferers including details of property, land, etc.

The Tehsildar will then draw up a comprchensive report about the incident (giving a rough sketch of place of occurrence) detailing the cause of the incident, and the immediate relief provided to the sufferers. Any special features of the incident, such as, loss of lives to cattle or human being etc, should be specially mentioned in the report The report should then be submitted by the Tehsildar to the Sub-Divisional Officer concerned as expeditiously as possible. The Sub-Divisional Officer, in turn, will forward the receipt immediately to the collector with his ownobservations and remarks, if he has any to make.

If the incident is of a very serious nature, the Collector should visit the spot on receipt of first information and send a report to the Divisional Commissioner.

The District Officer may use their personal (moral) influence to secure as much help as possible from philanthrophic private organigation and individuals by way of cash, kind or material, in order to render immediate relief to the sufferers and also to reduce the Government grani to the minimum Relief may also be organised through the Hut Insurance Scheme being operated by the Oriental Insurance Company in all districts of Rajasthan. The guidelines in this respect are enclosed herewith for necessary action.

RELIEF SECRETARY

GUIDANCE REGARDING GRANT OF RELIEF TO FIRE SUFFERERS

The inherent idea of thesed guidelines is to help the poor and therefore it must be clearly understood that the Government does not accept responsibilty of granting compensation for the loss caused by clamities. The object of granting relief is merely to meet immediate requirement of food and shelter.

1. These guidelines are in supersession of all the previous orders issued by this department from time to time.

2. The sufferer will be required to submit on application to Tehsildar in the prescribed form as given in Appendix-I to seek relief.

3. As the relief is to be provided to the weaker section of the society, therefore, the income of the sufferer including that of his family members should not exceed Rs. 10,000/- per annum from all sources

4. On receipt of the application the Tehsildar will make necessary investigation and will forward his recommendation to the Collector through the S. D. O. concerned.

5. The collector may sanction relief at the following soale :—

(A) For food and provisional shelter = Rs. 150/- per member of the family subject to maximum limit of Rs. 1000/- for the family.

(B) For damage to house, if covered under Hut Insurance Scheme, the relief will be provided as per norms of Hut Insurance, Scheme. Otherwise relief to ths extent of 1/6 the of the total loss subject to the limit of Rs. 1000/- may be sanctioned. Provided the annual income of the family from all sources does not exceed Rs. 10,000/-.

(C) For loss of cattle, relief at the following rates may be awareded :—

(i) Buffalow/Cow/Bullock and Camel @ Rs. 750/- per Animal.

(ii) Goat/Sheep etc. @ Rs. 250/- animal.

(D) Losses for general house-hold belongings including grain/fodder and other bolangings subject to a maximum limit of Rs. 500/- for each house-hold.

6. For losses/injuries to human life :—

(i) Death of a member of family	Rs. 10,000/-
(ii) Permanent incapacitation whether of earning or non-earning member of family.	Rs. 5000/-
(iii) Temporary incapacitation....	Rs. 1,000/-
(iv) Grevious hurt short of incapacitation	Rs. 500/-

7. In case relief has already been provided from the C. M.'s relief fund, than amount is to be deducted from the total relief granted.

8. The persons rendered homeless and who are in need of employment to earn their livelihood should as for as possible be given employment on the locacl works under the various Govt. agencies.

9. Medical team be directed to visit spot of fire incident and firstaid be provided immediately.

10. At the commencement of each financialy ear allotment of funds for this purpose for each district will be made by the Relief Department. The expenditure will be booked to the following Head :—

2245—दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत

02—बाढ़ चक्रवात आदि हेतु राहत
800—अन्य व्यय
(iv) —अग्नि सहायता

11. In cases of serious nature, where special measures by the Government are considered necessary, the collector should make an immediate report to the Relief Secretary/Chief Secretary and also send a report to the Divisional Commissioner who in turn will send it to the Relief Secretary/Chief secretary with his recommendations.

RELIEF SECRETARY

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
(RELIEF DEPARTMENT)

No. F. 14(1)RC/Fire/91-92/12128-80 Jaipur, Dated 20-5-92

To,

ALL COLLACTORS,
RAJASTHAN.

Sub : Instructions for the grant of Relief to sufferers of fire incidents.

Sir,

I am directed to say that instructions for the grant of relief to sufferers fire incidents were issued vide this department letter No. F. 14(1)RC/Fire/89/8424-53 dated 26-6-91. The scale of financial assistance indicated in the guidlins attached thereto :—

The following ammendments are made in the scale of financial

assistance to the fire sufferers as given in the guidelinesissued with this department letter dated 26-6-91 with the immediate affect :—

(a) In para 5(a) of the guidelines for ration and immediate relief, the financial assistance is raised form Rs. 150/- per person to Rs. 200/- per person. The maximum financial assistance of Rs. 1000/- per family will, However, continue.

(b) In para 5 (b) for damage to house, the present income ceiling is raised from Rs. 10,000/- per annum to Rs. 11,000/- per annum, as per poverty line of Rs. 11,000/-.

This issue with the concurence Finance Department vide their I. D. No. 1733-FD (Exp-1) dated 5th May, 1992.

Yours faithfully,
Secretary to the Govt.
Relief deptt.

पश्चिमी राजस्थान सीमा विकास समिति. जैसलमेर द्वारा संचालित छात्रावास

800. **श्री भगवानदास** डोसी (चौहटन): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) क्या यह सही है कि पश्चिमी राजस्थान विकास समिति, जैसलमेर (राजस्थान) के तत्वावधान में शिक्षा विभाग राजस्थान की सहायता से बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर में सीमावर्ती छात्रों की सुविधाओं के लिए तीन छात्रावास वर्ष 1991-92 से चलाये जा रहे हैं ?

(2) वर्ष 1991-92 में छात्रावासों को संचालन हेतु सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि इनके छात्र को केवल 90/- रुपये प्रतिमाह सहायता दी गयी जबकि अन्य छात्रावासों में 250/- रुपये प्रतिमाह प्रति छात्रवृत्ति दी जा रही है ?

(4) क्या यह सही है कि पश्चिमी राजस्थान सीमा विकास समिति, जैसलमेर द्वारा अपने छात्रावासों के लिए प्रति छात्र दी जाने वाली अनुदान राशि बढ़ाने के

(श्री भगवानदास डोसी)

लिए सरकार को बार-बार प्रार्थना पत्र दिए गए हैं ?

(5) क्या यह सही है कि अनुदान राशि न बढ़ाये जाने पर तीनों छात्रावास बन्द हो गये ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त छात्रों के लिए अनुदान राशि बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो इन छात्रावासों को चालू कराने के लिए सरकार क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान सीमा विकास समिति, जैसलमेर द्वारा निम्न स्थानों पर पूर्व में खोले गये छात्रावास वर्तमान में नहीं चलाये जा रहे है 1. बीकानेर, 2. जैसलमेर एवं 3. बाड़मेर ।

(2) संस्था द्वारा छात्रावासों का अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण वर्ष 91-92 से अनुदान नहीं दिया गया है ।

(3) इस संस्था के छात्रावासों को शिक्षा विभाग द्वारा 90/- रु प्रति छात्र, प्रतिमाह के हिसाब से सहायता स्वीकृत है । समाज कल्याण विभाग द्वारा उनके अधीन चल रहे छात्रावासों को 250/- रुपये प्रति छात्र, प्रतिमाह सहायता स्वीकृत की जाती है ।

(4) संस्था समिति द्वारा छात्रावास चालू किये जाने पर छात्रावास सहायता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में गुणावगुण के आधार पर कार्यवाही किया जाना संभव है ।

(5) संस्था के छात्रावास अनुदान राशि न बढ़ाये जाने से बन्द नहीं हुए है । संस्था का बीकानेर छात्रावास वर्ष, 1965 से जैसलमेर वर्ष, 1991 से तथा बाड़मेर छात्रावास (छात्रा) वर्ष, 1979 से तथा बाड़मेर छात्रावास (छात्र) वर्ष, 1992 से बन्द है । संस्था द्वारा छात्रावास चालू करने पर अनुदान वृद्धि के सम्बन्ध में पूर्ण परीक्षणोपरान्त आवश्यक निर्णय लिया जा सकेगा । छात्रावासों को चालू किया जाना प्रबन्ध समिति के प्रबन्धकों पर निर्भर है । यदि संस्था इन्हें चालू करती है तो राज्य सरकार नियमानुसार सहायता प्रदान करेगी ।

चिकित्सकों/अधिकारियों को पदोन्नतियों के लम्बित प्रकरण

801. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) चिकित्सकों को किस-किस स्तर की पदोन्नति डी. पी. सी. की कार्यवाही नहीं होने के कारण नहीं हो सकी है ? अब उन्हें कब तक पदोन्नत कर दिया जायेगा ?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(2) निदेशालय के किस-किस स्तर के अधिकारियों की पदोन्नति होनी शेष है ? इन्हें अब कब तक पदोन्नत कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) निम्नांकित संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु डी. पी. सी. आयोजित की जानी शेष है:—

1. अतिरिक्त निदेशक : वर्ष 1992-93 (जनरल केडर) एक पद ।

2. उप निदेशक/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/उप नियंत्रक/उप अधीक्षक, वर्ष 1990-91, 91-92, 92-93 व 93-94 वर्षों की ।

3. वरिष्ठ विशेषज्ञ (विभिन्न विशेषताओं में) वर्ष 1991-92 व आगे के वर्षों की ।

4. राज्य कुष्ठ रोग अधिकारी वर्ष, 1988-89 एक पद ।

5. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी वर्ष, 1989-90 एवं आगे के वर्षों की ।

6. जोनल लेप्रोसी आफिसर वर्ष, 1982-83 तीन पद, 83-84 एक पद वर्ष, 84-85 तीन पद ।

इन पदों को शीघ्र ही पदोन्नति के द्वारा भर दिया जाएगा ।

(2) निदेशालय स्तर के अतिरिक्त निदेशक, उप-निदेशक, राज्य कुष्ठ रोग अधिकारी के पद की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जानी शेष है । इन पदों को शीघ्र ही पदोन्नति के द्वारा भर दिया जाएगा ।

केकड़ी एवं भिनाय विधान सभा क्षेत्रों में पशु औषधालय/सब सेन्टर

802. श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) केकड़ी एवं भिनाय विधान सभा क्षेत्र में कितने पशु औषधालय एवं सेंटर किन-किन ग्रामों में खुले हुए हैं तथा वहां पर स्टाफ में कितने-कितने पद स्वीकृत हैं एवं स्वीकृत पदों में से कितने पद कब से रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) पशु औषधालय एवं सेंटर खोलने के क्या मापदण्ड हैं ? क्या मानदण्डानुसार केकड़ी एवं भिनाय विधान सभा क्षेत्र में सुविधाएं उपलब्ध करवायी जा रही है ।

उत्तर

(1) भिनाय विधान सभा क्षेत्रमें चार चिकित्सालय एवं तीन औषधालय कार्यरत हैं । केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में

((पशुपालन राज्य मन्त्री)

आठ पशु चिकित्सालय, तीन औषधालय एवं दो उप केन्द्र स्थापित हैं। सूची संलग्न है।

(2) पशु औषधालय एवं सेन्टर खोलने के लिये मापदण्डों में पशुओं की संख्या, पूर्व में कार्यरत चिकित्सालय/औषधालयों की दूरी जो कम से कम 10-15 किलोमीटर का अन्तर होना चाहिये, डाकघर, सड़क इत्यादि तथा ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या का भी ध्यान रखा जाता है। मापदण्डों के अनुसार एवं बजट आवंटन के आधार पर उपयुक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवायी हुई है।

मिनाय/केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत पशु चिकित्सालय/पशु औषधालय एवं संस्थाओं में स्वीकृत तथा रिक्त पदों का विवरण।

क्रम सं.	संस्था का नाम	स्वीकृत पद			रिक्त पद		
		वी.ए.एस.	वी.व.	प.ध.स.	वी.ए.एस.	वी.ए.	प.ध.स.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पशु चिकित्सालय, मिनाय	1	....	2	....	....	1
2.	,, ,, बान्दनवाड़ा	1	1	1	....	....	....
3.	,, ,, सराना	1	1	1	....	....	....
4.	,, ,, देवलियाकला	1	....	2	....	....	....
5.	पशु औषधालय बोराड़ा	....	1	1	....	....	....
6.	,, ,, ग्राकोड़िया	....	1	1	....	....	....
7.	,, ,, कासीर	....	1	1	....	....	....
1.	पशु चिकित्सालय, केकड़ी	1	....	2	....	....	....
2.	,, ,, सरवाड	1	1	1	....	....	....
3.	,, ,, बघेरा	1	1	1	....	....	....
4.	,, ,, देवगांव	1	1	1	....	....	....

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	पशु चिकित्सालय सांवर	1	....	1	....	....	....
6.	,, ,, कादेड़ा	1	....	1	....	....	....
7.	,, ,, नांगोला	1	....	1	....	....	....
8. ,,	,, बाजटा	1	....	2	....	....	....
9.	पशु औषधालय, गठियानी	....	1	1	....	....	....
10.	,, ,, बिसुन्दरी	....	1	1	....	....	....
11.	,, ,, प्रान्हेड़ा	....	1	1	....	....	....

विभागीय जांच विभाग में अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु लम्बित प्रकरण

803. **श्री महेन्द्र मीणा** (सिकराय) एवं **गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विभागीय जांच विभाग में कितने प्रकरण जांच पूर्ण होने के पश्चात् अग्रिम अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु लम्बित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस विभाग में कितने प्रकरण जांच हेतु प्रस्तुत किये गये परन्तु अभी तक जांच अधिकारी की नियुक्ति अपेक्षित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) कितने प्रकरण ऐसे हैं जिनमें जांच के आदेश हो चुके है, परन्तु जांच अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के बावजूद प्रस्तुत नहीं की गई है ?

उत्तर

(1) 95 प्रकरणों में जांच अधिकारियों को जांच रिपोर्ट्स प्राप्त हो चुकी हैं, जिन पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कर निर्णय लिया जाना है, विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) कुल 237 प्रकरणों में सम्बन्धित नियम अर्थात् अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम 8/10 एवं राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16के अन्तर्गत आरोपपत्र/आरोप विवरण पत्र जारी हो चुके हैं। इन प्रकरणों में आरोपितों के लिखित अभिकथन प्राप्त हो जाने पर उनका परीक्षण किया जाकर जांच अधिकारी की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना है। विवरण परिशिष्ट "ख" सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(3) 169 प्रकरणों में जांच अधिकारियों ने निर्धारित समयावधि में अपना जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

जिला पाली के पुराने एनीकट्स का पुनर्निर्माण

804. **श्री खंगारसिंह चौधरी** (खारची): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले में पुराने एनीकट सिंचाई विभाग व अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बनवाये गये थे ?

(2) यदि, हां तो क्या सरकार इन अपूर्ण एनीकट्स को ठीक कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । राहत मद के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के अनुसार सम्बन्धित जिला कलक्टर द्वारा स्वीकृति जारी करने पर इन अपूर्ण एनीकट्स को पूर्ण कराना सम्भव हो सकेगा । इस सम्बन्ध में राहत विभाग द्वारा दिशा निर्देश सभी जिला कलक्टर्स को जारी कर दिये हैं ।

पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक विद्यालय

805. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) एवं **श्री हरिसिंह** (महुआ) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—:

(1) राजस्थान में ऐसे कितने ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं जिनमें उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं ? पंचायत समिति वार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) पंचायत समितिवार उपलब्ध सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(2) वर्ष 1994-95 में 1000 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का लक्ष्य रखा गया है । विद्यालय क्रमोन्नत करते समय उन ग्राम पंचायत मुख्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनमें उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

मोजमाबाद (दूदू) में मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र

806. **श्री बाबूलाल** (दूदू) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ग्राम मोजमाबाद तहसील दूदू जिला जयपुर में किसी दानदाता ने मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र खोलने हेतु कोई भवन बनाकर दिया है ? यदि हां, तो कब व इस पर कितनी लागत आयी है ?

(2) क्या सरकार ने इस भवन में मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र चलाने की स्वीकृति दे दी है ? यदि हां, तो कब एवं नहीं, तो क्यों ? अब सरकार इसकी क्रियान्विति के सम्बन्ध में क्या कदम उठाने जा रही है ?

उत्तर

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोजमाबाद के अहाते में जन सहयोग से भवन निर्माण वर्ष, 1984 में रु. 86,000 की लागत से कराना बताया गया है ।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राज्य मंत्री)

(2) जी नहीं, वर्तमान में मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र खोलने की कोई योजना नहीं है क्योंकि इस हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं है ।

कोष एवं लेखा विभाग में लेखाकारों एवं सहायक लेखाधिकारियों की अनियमित पदोन्नति प्रकरण

807. **श्री रामेश्वर भारद्वाज** (किशनपोल) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या वित्त विभाग द्वारा कोष एवं लेखा विभाग में लेखाकारों एवं सहायक लेखाधिकारियों के पदों पर हुई अनियमित पदोन्नतियों के क्रम में महाधिवक्ता राजस्थान, जयपुर से राय/सलाह मांगी गई थी ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या महाधिवक्ता राजस्थान सरकार से राय प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो क्या ? प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या महाधिवक्ता राजस्थान सरकार से इस पदोन्नति प्रकरण में पुनः राय मांगी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । नियम सम्बन्धी संशय बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने हेतु महाधिवक्ता राजस्थान जयपुर से राय/सलाह मांगी गयी थी ।

(2) जी हां, प्रति संलग्न है ।

(3) जी हां, कुछ संशय बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने हेतु महाधिवक्ता राजस्थाग, जयपुर से पुनः राय मांगी गयी है ।

भाग 2 की प्रति

1. The queries in relation to the Rule 9 of the Rajasthan Subordinate Accounts Service Rule 1963 is answered as under :—

The promotion.on the post of Accountant were made from two sources that is by promotion, by direct recruitment.

From the year 1975 to 1980 posts of Accountant were filled.

However, Jr. Accountants were not eleigible for promotion, therefore, 131 direct recruitment were made.

D. P. C. met from filling vacant posts of Accountants. As per ratio of 67 : 33 only 131 posts were available for direct ricruits, 262 posts were, available for promotion quota and in fact all 262 promotions were made.

(A) The 131 direct recruitment made in 1979-80 on account of non-availability of eligible candidates in promotion quota upto 1979-80 should be treated recruted for the year 1979-80 and deserves to be treated senior to 262 promotor for the year 1980 that is on or after 1-1-80.

(B) On account of non-availability of eligible candidates in promotion quota for upto the year 1979-80 D. P. C. was entitled to take into consideration the unfilled vacancies for promotion in the year 1980 (that is from 1-1-80) and there seems no justification to distrub the position of the year 1980 as regard promoter, direct recruit is concerned.

(C) It has been stated that upto 1-1-80, 793 posts were filled in the year 1980, 392 posts were filled but the appointments already made upto 1980 now requier no change However, the ratio f 1 : 2 will have to be maintained on total strength of 1186 posts and incase the ratio is disputed the same will have to be corrected from the year 1981-82 through D. P. C. selections as per cycle. On the Harmonious construction of the rule 9 (c) there is no apparent contradiction and the ratio of 1 : 2 will have to be maintained on total strngth.

(D) As per rule vacancies for the year 1981-82 should be filled on the basis of total number of sanctioned posts on that date i. e. 1265 by maintains the prescribed ratio of 1 : 2 and soon for subsequent years.

(E) The vacant post of direct recruitment can only be filled as per procedure prescribed in Part-IV rule 16 of the RSAS rule 1963 and after life of reserve list appointment cannot be made from 'B' list.

(F) From 1-4-89 the ratio of recruitment was changed from 1 : 2 to 1 :4 thus recruitment on the vacant post from 1-4-89 should be on total sanctioned strength, because the vacancies of earlier year will have to be filled by maintaining the ratio of 1 : 2 and vacancies accured from 1-4-89 to 31-3-90 will have to be filled in the ratio of 1 : 4 and so on for subsequent years.

(G) From the year 1989-90 to onwards the recruitment ratio was 1 : 4 and if the yearwise vacancies as per determination was not filled than only matter can be reviewed.

(4) If any person was benefited by such promotions than reversion can be made.

(i) Rule 9 (i) a is as under :—

"Subject to the provisions of there rules, the appointing authority shall determine on 1st April every year the actual number of vacancies accuring during the financial Year."

Thus the vacancies as on 1st April of every Year anticipated vacancies during the financial Year will have to be taken into consideration while making the zone of consideration.

After dictating the above opinion I was apprised about the order of Hon'ble Mr, Justice Singhvi. In view of this judgment the stay order will not continue in operate & same judgment would be

eaually applicable on promotion on the post of Accountants as well.

Sd/-

(S. M. MEHTA)

20-1-93

Advocate General Rajasthan

विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के बांध व एनीकट्स

808. श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कितने बांध व एनीकट हैं जिन पर कार्य अभी पूरा होना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में कहां-कहां नए बांध व एनीकट का कार्य शुरू करने की योजना है?

(3) सिगला बांध, करड़ाला बांध, मदनगज स्थित हमीर सागर तालाब एवं अंराई तालाब के विकास की क्या योजना है?

उत्तर

(1) किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में अपूर्ण बांध व एनीकट्स की सूची संलग्न है।

(2) किशनगढ़ क्षेत्र में फिलहाल नये बांध अथवा एनीकट का कोई निर्माण कार्य प्रस्तावित नहीं है।

(3) सिगला बांध (रूपनगढ़ योजना) का कार्य लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। आर. डी. O से 2750 मीटर के शेष रहे कार्य की निविदाएं स्वीकृत की जा चुकी है तथा यह कार्य वर्ष 94-95 में पूर्ण कर लिया जाएगा। करड़ाला लघु सिचाई परियोजना का प्रतिवेदन एवं तखमीना प्रशासनिक स्वीकृति हेतु बनाया जा रहा है। हमीर सागर तालाब एवं अंराई तालाब के विकास की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

अपूर्ण कार्यों की सूची

(अ) योजना मद के अन्तर्गत नये निर्माणाधीन कार्य—

1. रूपनगढ़ बांध

(ब) टूटे हुए तालाब—

1. कोडिया सागर अँराई
2. जवाहर सागर सिरोंज
3. गणेश सागर कटमूरा
4. भवानी सागर कटमूरा
5. लाम्बा सागर सरगांव

(स) क्षतिग्रस्त तालाब—

1. सुरखेली सागर अँराई
2. सुखसागर सिरोंज
3. किशन सागर गागून्दा
4. राम सागर रामपुरा
5. तिलोनिया तालाब
6. धोबी घाटा तालाब बान्दर सिन्दरी
7. उम्मेद सागर नोहरिया
8. राम सरोवर बान्दर सिन्दरी
9. खातोलाई बान्दर सिन्दरी
10. जय सागर डीडवाड़ा
11. करनी सागर रारी
12. नया तालाब बरनी
13. राय सागर टिकावड़ा
14. जोड़ला सागर काचरिया

टोडाभीम एवं नादोती क्षेत्र के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

809. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार की वर्ष 1993-94 में उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों को सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की योजना है ? यदि हां, तो इस हेतु क्या प्राथमिकताएं तय की गयी है ?

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत तहसील टोडाभीम एवं नादोती (जिला सवाई-माधापुर) में कुल कितने विद्यालय क्रमोन्नत किये जाने की योजना है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार कन्या शालाओं को क्रमोन्नत करना चाहती है ? यदि हां, तो

(श्री रामस्वरूप)

नादोती तहसील गुढा चन्द्रजी एवं टोडाभीम कन्याशालाओं को सरकार कब तक क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1993-94 हेतु निर्धारित लक्ष्य पूरे हो चुके हैं। अतः 93-94 में विद्यालय क्रमोन्नत किए जाने का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(2) क्षेत्रीय मांग, विद्यालय भवन, विद्यालय की कुल छात्र संख्या एवं अन्तिम कक्षा की छात्र संख्या एवं निकटस्थ उपलब्ध शिक्षा व्यवस्था आदि बिन्दुओं एवं गुणावगुण के आधार पर प्राप्त प्रस्तावों पर सरकार वित्तीय सीमा को ध्यान में रखकर निर्णय लेती है।

(3) वर्ष 1994-95 हेतु क्रमोन्नति प्रस्ताव आमन्त्रित किये गये हैं, टोडाभीम एवं नादोती के क्रमोन्नति के प्रस्ताव प्राप्त होने पर सरकार गुणावगुण एवं वित्तीय सीमा में शाला की क्रमोन्नति पर विचार कर सकेगी।

जुणदा एव राजपुरा (रेलमगरा) पंचायत मुख्यालयों पर सब-सेन्टर्स की स्थापना

810. **श्री शांतिलाल खोईवाल** (राजसमन्द)--क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

क्या रेलमगरा तहसील के जुणदा एवं राजपुरा पंचायत मुख्यालयों पर जहां चिकित्सा सुविधा नहीं है विभाग का सब सेन्टर खोलने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

ग्रामीण क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केन्द्र भारत सरकार की स्वीकृति पर खोले जाते हैं। वर्ष, 1989-90 के पश्चात् भारत सरकार ने उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की स्वीकृति नहीं दी है। उप केन्द्र खोलने हेतु भारत सरकार द्वारा वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाने पर अन्य स्थानों के साथ इस पर भी उपादेयता के आधार पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

परिशिष्ट–3

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1200 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

क्र. संख्या	ठेकेदारों का नाम	ठेके की प्रथम तारीख	ठेके की द्वितीय तारीख
1	2	3	4
1.	श्री लीलाराम	दिसम्बर, 90	29 जनवरी, 92
2.	,, बोधूराम	जनवरी, 91	29 जनवरी, 92
3.	,, नीलमसिंह	जनवरी, 91	29 जून, 92
4.	,, रामस्वरूप	फरवरी, 91	29 जुलाई, 92
5.	,, बंशीधर	24 नवम्बर, 90	29 जून, 92
6.	,, भवरलाल	दिसम्बर, 90	29 जून, 92
7.	,, बनवारी	दिसम्बर, 90	29 जून, 92
8.	,, जगमाल	24 नवम्बर, 90	29 जून, 92
9.	,, छीतरमल	,,	,,

1	2	3	4
10.	श्री ए. सी. सी. लि.	....	30 अगस्त, 1991
11.	,, कानाराम	दिसम्बर, 90	29 जुन, 92
12.	,, बीरबल	जनवरी, 91	22 सितम्बर, 92

नोट—एरिया के विभाजन के लिए यह प्रावधान है कि खान प्रबन्धक द्वारा क्षेत्र का विभाजन, कार्य की मात्रा खान में मिनरल की क्वालिटी को देखकर किया जाता है जो परिस्थितियों अनुसार बदलता रहता है।

परिशिष्ट "ख"

क्र. सं.	ठेकेदार का नाम	उत्पादन (90-91) मै. टन	उत्पादन (91-92) मै. टन	उत्पादन (92-93) मै. टन	उत्पादन (93-94 फर. तक) मै. टन
1	2	3	4	5	6
1.	श्री जगमाल	3605.91	17180.950	19310.490	10738.450

1	2	3	4	5	6
2.	श्री वंशीधर	3214.25	15931.805	3605.695	11396.245
3.	श्री छीतरमल	2489.709	10469.900	10429.650	13180.120
4.	श्री बनवारीलाल	4152.93	5219.560	6827.690	17733.630
5.	श्री भंवरलाल	12.60	6746.510	10991.503	10625.290
6.	श्री लीलाराम	3659.34	13535.050	48716.282	49674.355
7.	श्री कानाराम	993.81	8833.970	29347.185	26969.990
8.	श्री बीरबल	422.52	2137.410	....	....
9.	श्री बाबूराम	1772.55	5950.500	6618.310	12918.950
10.	श्री नीलमसिंह	968.60	3120.630	3767.060	8477.500
11.	श्री रामस्वरूप	405.00	4291.450	18138.990	25517.610
12.	ऐ. सी. सी. लि.	....	....	18642.520	21390.330
योग--		21697.219	93417.825	176395.375	219622.470

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1201 की सूची)

परिशिष्ट "क"

क्षेत्र	खनिज का नाम	वर्ष 93-94 (राशि)	वर्ष 92-93 (राशि)
1. खाटू	पट्टीकातला, मेसेनरी स्टोन	18.00,100/- रुपये	10,37,101/- रुपये
2. खजवाना	मेसेनरी स्टोन	76,100/- रुपये	....
3. रूण	मेसेनरी स्टोन	18,000/- रुपये	....
4. हरसौर	मेसेनरी स्टोन	16,301/- रुपये	....
5. बालिया	मेसेनरी स्टोन	15,000/- रुपये	....
6. नागौर तहसील	बजरी	2,600/- रुपये	....
7. जायल तहसील	बजरी	6,000/- रुपये	....
8. डीडवाना तहसील	बजरी	2,400/- रुपये	....
9. लाडनूं तहसील	बजरी	1,200/- रुपये	....
10. मेहता तहसील	बजरी	76,601/- रुपये	....
11. डेगाना तहसील	बजरी	40,600/- रुपये	....

....

परिशिष्ठ "ख"

क्र. सं.	क्षेत्र	खनिज
1.	खजवाना	मेसेनरी स्टोन
2.	रूण	"
3.	हुरसौर	"
4.	बालिया	"
5.	नागौर तहसील	बजरी
6.	जायल तहसील	"
7.	डीडवाना तहसील	"
8.	लाडनूं तहसील	"
9.	मेड़ता तहसील	"
10.	डेगाना तहसील	"

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1202 का विवरण)

यमुना नदी पर स्थित ताले वाला हैड से चूरू एवं झुंझुनूं जिलों में सिंचाई के लिए पानी लाने हेतु एक फीजिबिलटी रिपोर्ट तैयार कर वर्ष 1975 में केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत की गई थी। जिसमें चूरू जिले के 1.49 लाख हैक्टेयर एवं झुंझुनूं जिले के 0.30 लाख हैक्टेयर (कुल 1.79 लाख हैक्टेयर) क्षेत्र (सी. सी. ए.) में लिफ्ट (लगभग 15 मीटर) द्वारा सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित था जिसके लिए पानी की आवश्यकता लगभग एक एम. ए. एफ. आंकी गई थी।

इस जल को लाने के लिए दो Alternative मार्ग प्रस्तावित किये गये थे- एक हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू लिफ्ट स्कीम के द्वारा एवं दूसरी वेस्टर्न यमुना केनाल तथा उसकी हाँसी ब्रांच द्वारा। केन्द्र सरकार से अभी तक इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं हुआ है।

Page No.264

परिशिष्ट–6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1209 का विवरण)

क्र. सं.	नाम उ. प्रा. वि.	चश्रेक. का पद स्वीकृत है या नहीं	कार्यरत चश्रेक. का नाम
1	2	3	4
1.	उ. प्रा. वि. स्टेशन मंडल	है	1. श्री सोहनलाल तडबा
			2. ,, अजीज खां पठान
2.	" न. मंडल	है	श्री पन्नालाल माली
3.	" मेवा	है	" रामेश्वरलाल शर्मा
			" भगवानलाल
4.	' शिवपुर	है	" जगदीश चन्द्र शर्मा
		है	" हीरासिंह रावत
5.	" आलमास	है	" गोविन्दलाल माली
6.	" जोरावरपुरा	है	" भंवरलाल शर्मा
7.	" भीमडियास	है	" ओंकारलाल
8.	" भभापा	है	" गिरधारीलाल
9.	" रामपुरिया	है	" भागचन्द कोली
10.	" भामदला	नहीं	—
11.	' गड्डू	"	—
12.	" बावड़ी	"	—
13.	" बावलास	"	—
14.	" भेदपुरा	"	—
15.	" बांसेड़	"	—

1	2	3	4	5
16.	उ.प्रा.वि.	प्रावंड़िया	नहीं	—
17.	"	चिमेश्वर	"	—
18.	"	चौहानों की कमेटी	"	—
19.	"	दहीमथा	"	—
20.	"	युमाला	"	—
21.	"	गांजूपा	"	—
22.	"	सेंगास	"	—
23.	"	गोविन्दपुरा	"	—
24.	"	घोड़ास	"	—
25.	"	हिसनियां	"	—
26.	"	कबराड़िया	"	—
27.	"	करेड़ा	"	—
28.	"	केरिया	"	—
29.	"	कीड़िमाल	"	—
30.	"	लादूवास	"	—
31.	"	सुरास	"	—
32.	"	टहूंका	"	—
33.	"	गोपालद्वारा, मांडल	"	—
34.	उ प्रा वि (बा)	भगवानपुरा	है	श्री बाबूराम खटीक
35.	"	भादू	है	" लालचन्द सेन
36.	"	गुरला	है	" भंवरलाल
37.	"	कारोई	है	" नंदकीराम
38.	"	मालोला	नहीं	—
39.	"	बेमाली	नहीं	—
40.	"	मेजा	नहीं	—

परिशिष्ट–7

परिशिष्ट—1

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1210 का विवरण)

जयपुर स्थित कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों का विवरण जिन्हें 15 से 30 वर्ष हो गये हैं--

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	वर्तमान धारित पद व उस पर कार्यारम्भ	क. लि./व. लि./कार्या. सहा./कार्या. अधी. के पदों पर कार्यरत रहते हुए जयपुर में कुल सेवा
1.	श्री राधेश्याम गुप्ता	कार्यालय अधीक्षक 8-12-1993	35 वर्ष
2.	" नानगराम	कार्यालय अधीक्षक 4-12-93	27 वर्ष
5.	" गागनदास अलवानी	कार्यालय सहायक 8-11-90	27 वर्ष
4.	" बाबूलाल शर्मा (प्रथम)	वरिष्ठ लिपिक 28-1-88	22 वर्ष
5.	" भगवान दास थावानी	वरिष्ठ लिपिक 30-8-84	20 वर्ष

Page No.267

परिशिष्ट–"2"

जयपुर स्थित कार्यालयों में स्थानान्तरण चाहने वाले कर्मचारियों का विवरण जिन्हें 5 से 10 वर्ष बाहर रहते हुए हो गये––

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	वर्तमान धारित पद व उस पर कार्यारम्भ तिथि	क. लि./व. लि./कार्या. सहा./कार्या. अधी. के पदों पर जयपुर से बाहर रहते हुये
1.	श्री चिरंजीलाल शर्मा	वरिष्ठ लिपिक 4-7-92	6 वर्ष
2.	,, मेघसिंघ शर्मा	वरिष्ठ लिपिक 12-6-90	5 वर्ष
3.	,, अमरसिंह किरार	वरिष्ठ लिपिक 13-6-90	9 वर्ष
4.	,, गयाप्रसाद अग्रवाल	वरिष्ठ लिपिक 9-12-87	12 वर्ष
5.	,, कालीचरण शर्मा	वरिष्ठ लिपिक 1-7-89	11 वर्ष
6.	,, कैलाशचन्द्र राय	कार्यालय सहायक 1-6-90	19 वर्ष

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1217 का विवरण)

निम्न विद्यालयों में उर्दू विषय चल रहा है :—

1. रा. सी. उ. मा. वि. मोती कटला, जयपुर
2. ,, मांणक चौक, जयपुर
3. रा. मा. वि. पहाड़गंज, जयपुर
4. रा. उ. मा. वि. दरबार, जनपुर
5. ,, मनोहरपुर
6. ,, सांभरलेक
7. रा. बा. उ. मा. वि. महाराजा, जयपुर
8. ,, कमला नेहरू, जयपुर
9. रा. बा. मा. वि. पानो का दरीबा, जयपुर
10. रा. बा. मा. वि. गंगापोल, जयपुर
11. रा. बा. मा. वि. रेल्वे स्टेशन, जयपुर

प्रा. वि. एवं उ. प्रा. वि. :—

1. रा. बा. उ. प्रा. वि. हरिजन बस्ती, जयपुर
2. रा. बा. प्रा. वि. पानो का दरीबा, जयपुर
3. रा. बा. प्रा. वि. नवीन पानों का दरीबा. जयपुर
4. रा. बा. प्रा. वि. मोती कटला, जयपुर
5. रा. उ. प्रा. वि. महावतान, जयपुर
6. ,, महाराजाबेसिक
7. ,, दवाबखाना
8. ,, शीतलनिवास
9. ,, द्वारकापुरी

10. रा प्रा वि. पहाड़गंज
11. रा प्रा वि. आजादनगर
12. रा प्रा वि. निलगरान
13. रा प्रा वि. पन्नीगरान
14. रा प्रा वि. सिलावटान
15. रा प्रा वि. मोलानासाहब
16. रा प्रा वि. नाहरवाड़ा
17. रा प्रा वि. मेहरान
18. रा प्रा वि. कमनीगरान
19. रा प्रा वि. वन बिहार
20. रा प्रा वि. मस्जिद सांभरियान
21. रा प्रा वि. कायमखानीयां
22. रा प्रा वि. तोपखाना देश
23. रा प्रा वि. बेसिक माडल
24. रा प्रा वि. व्यापारियान
25. रा प्रा वि. जालुपुरा
26. रा प्रा वि. हसनपुरा बनजारा

परिशिष्ट—9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1222 का विवरण)

रेफरल अस्पताल माण्डल में स्वीकृत चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ का विवरण

क्र.सं.	नाम पद	पद संख्या
1.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	3
2.	चिकित्सा अधिकारी	1
3.	मेलनर्स श्रेणी प्रथम	1
4.	मेलनर्स श्रेणी द्वितीय	4
5,	स्टाफ नर्स	1
6.	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1
7.	रेडियोग्राफर	1
8.	लेब. टैक्नीशियन	1
9.	वरिष्ठ लिपिक	1
10.	कनिष्ठ लिपिक	1
11.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5
12.	हरिजन	1

परिशिष्ट—10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1228 का विवरण)

विधान सभा क्षेत्र पिड़ावा में निम्न पंचायत मुख्यालय अथवा पंचायत क्षेत्र में चिकित्सा केन्द्र उपलब्ध नहीं हैं की सूची :—

1. रामपुरिया
2. दाता
3. करवाड़ी
4. खेराना
5. नोलाई
6. रमायदलपत
7. सोयला
8. पिपलिया

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1229 का विवरण)

क्र. सं.	संस्थान का नाम	पद का नाम	स्वीकृत पद सं.	कार्यरत	रिक्त	पद रिक्त होने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1.	राजकीय चिकित्सालय, लाडनूं	1. कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	1	....	....
		2. कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	....	1	13-2-94 से
		3. कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशुरोग)	1	1	....	....
		4. कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्रीरोग)	2	1	1	14-8-93 से
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1	....	....
		दन्त चिकित्सक	1	1	....	....
2.	नेत्र चिकित्सालय, लाडनूं	1. कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र)	1	1	....	...
3.	ब्लाक प्रा. स्वा. केन्द्र, जसवन्तगढ़	1. चिकित्सा अधिकारी	1	....	1	25-1-94 से
		2. व. चि. अधिकारी	1	1	....	....
4.	प्रा. स्वा. केन्द्र, मीठडी (लाडनूं)	1. चिकित्सा अधिकारी	2	1	1	01-2-94 से

1	2	3	4	5	6	7
	5. प्रा. स्वा. केन्द्र, लैंडी	1. चिकित्सा अधिकारी	1	1	....	....
	6. प्रा. स्वा. के. बालसंमद	1. चिकित्सा अधिकारी	1	....	1	24-5-93 से त्याग पत्र देने से
	7. प्रा. स्वा. केन्द्र, निम्बोओवा	1. चिकित्सा अधिकारी	1	1	....	....
	8. प्रा स्वा. केन्द्र, बल्दू	1. चिकित्सा अधिकारी	1	1	....	....
		योग	16	11	5	

कस्बा लाडनू के चिकित्सालय में विभिन्न स्तर के चिकित्सकों के स्वीकृत पद एवं इनके विरूद्ध कार्यरत चिकित्सकों का विवरण :

क्र. सं.	पद का नाम	पद पर कार्यरत चिकित्सक	पद के विरूद्ध कार्यरत चिकित्सक	पद विरूद्ध कार्य करने की तिथि
1.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1 डा. वी. एस. घोडावत	....	....
2.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1 रिक्त	....	....
3.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु)	1	डा. बी. एस. राठोड	8-91 से
4.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र)	1 डा. जी. बी. माथुर	....	....
5.	कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी)	1 डा. रश्मी राजवंशी	....	....
6.	वरिष्ठ चिकित्साधिकारी	1	डा. ज्योतिसना राठोड़	6-91 से
7.	दन्त चिकित्सक	1	डा. अशोकसिंह	8-91 से

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1230 की सूची)

सूची महिला नसबन्दी आपरेशन कैम्प भादासर, दिनांक 16-2-94

क्र. सं.	केश कार्ड संख्या	नाम पत्नी/पति	जाति	उम्र	गांव
1	2	3	4	5	6
1.	648	श्रीमती गोरा/रूपाराम	मेघवाल	30	आसासर (राजशहर)
2.	649	श्रीमती गिन्नी/देवोदान	चारण	25	आसासर (राजशहर)
3.	650	श्रीमती मादूकंवर/तेजबानसिंह	राजपूत	25	आसासर (राजशहर)
4.	651	श्रीमती लिछमा/भगवानाराम	जाट	25	बेजासर (राजशहर)
5.	652	श्रीमती भंवरी/पोखरराम	जाट	29	भादासर (राजशहर)
6.	653	श्रीमती बिमला/गोविन्दराम	सुथार	30	भादासर (राजशहर)
7.	654	श्रीमती तारादेवी/गंगाजल	शर्मा	24	भादासर (राजशहर)

1	2	3	4	5	6
8.	655	श्रीमती रूकमा/डूंगरराम	सुथार	27	मादासर (राजशहर)
9.	656	श्रीमती भंवरी/सत्यनारायण	शर्मा	30	मादासर (राजशहर)
10.	657	श्रीमती गोमती/रखराम	जाट	28	रामसीसर (राजशहर)
11.	658	श्रीमती बिरमा/बिरजूसिंह	राजपूत	28	बेजासर (राजशहर)
12.	659	श्रीमती भगवती/तेजाराम	बावरी	26	बेजासर (राजशहर)
13.	660	श्रीमती रेवती/ज्ञानाराम	बावरी	32	बेजासर (राजशहर)
14.	661	श्रीमती सावित्री/दूलाराम	गिवारिया	28	मादासर दिखनादा (राजशहर)
15.	662	श्रीमती ईमरती/बेगाराम	मेघवाल	28	भ्रासासर (राजशहर)
16.	663	श्रीमती सुन्दरीदेवी/भीमाराम	मेघवाल	26	भ्रासासर (राजशहर)
17.	664	श्रीमती हेमा/छोटूराम	मेघवाल	32	भ्रासासर (राजशहर)
18.	665	श्रीमती सुखी/पुरखाराम	मेघवाल	32	भ्रासासर (राजशहर)
19.	666	श्रीमती नारायणी/बन्नाराम	मेघवाल	30	भ्रासासर (राजशहर)

1	2	3	4	5	6
20.	667	श्रीमती गीता/प्रभुराम	रायका	32	राजलवाड़ा (राजशहर)
21.	668	श्रीमती किशना/गोपालराम	रायका	30	राजलवाड़ा (राजशहर)
22.	669	श्रीमती गुड्डी/संतूराम	शर्मा	28	मादासर उत्तरार्द्ध (राजशहर)

ह./–
चिकित्सा अधिकारी अध्यक्ष

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1236 का विवरण)

पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 1990-91 से 1993-94 तक विभिन्न गढ़ों एवं किलों के विकास कार्यों पर व्यय की गयी राशि का विवरण।

क्र.सं.	कार्य का नाम	व्यय की गयी राशि (रुपये लाखों में)
1.	आमेर का विकास	34.30
2.	शेरगढ़ किला/धौलपुर में विकास	2.91
3.	भीम बुर्ज बून्दी पर फ्लड लाइटिंग	3.48
4.	चित्तौड़गढ़ में विकास	23.12
5.	नाहरगढ़ पर विकास	11.59
6.	सज्जनगढ़ किला, उदयपुर पर फ्लड लाइटिंग	8.13

परिशिष्ट–14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 1240 का विवरण)

बीकानेर जिले की तहसील बीकानेर की हरिजन बस्तियों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	हरिजन बस्ती	ग्राम पंचायत
1	2	3	4
1.	बच्छासर	1. हरिजन बस्ती	कोलासर
2.	मेघासर	2. हरिजन बस्ती	कोलासर
3.	कोलासर	3. हरिजन बस्ती	कोलासर
4.	सुजानदेसर	4. मेघवाल बस्ती	सुजानदेसर
5.	करीमसर	5. मेघवाल बस्ती	करीमसर
6.	सेरेरा	6. सेरेरा बस्ती	सेरेरा
7.	हेमेरा	7. हेमेरा बस्ती	सेरेरा
8.	ग्रासेरा	8. ग्रासेरा	सेरेरा

1	2	3	4
9.	केसरदेसरजाटान	9. मेघवाल हरिजन बस्ती	केसरदेसरजाटान
		10. नायकान	केसरदेसरजाटान
		11. सांसियान	केसरदेसरजाटान
10.	केसरदेसरकेहरान	12. मेघवाल बस्ती	केसरदेसरजाटान
11.	केसर देसर गंगूरान	13. नायकान	केसरदेसरजाटान
		14. सांसियान	केसरदेसरजाटान
		15. मेघवाल बस्ती	केसरदेसरजाटान
12.	गीगसर	16. हरिजन बस्ती	कालासर
13.	घोलेरा न. 1,2,	17. हरिजन बस्ती	कालासर
14.	कालासर	18. हरिजन बस्ती लखूसर	कालासर
15.	लखूसर	19. हरिजन बस्ती लखूसर	बीकानेर
16.	जालवाली	20. हरिजन बस्ती लखूसर	कालासर
17.	सवाईसर	21. हरिजन बस्ती अगूणावास मेघवाल	सीथल
18.	सीथल	22. हरिजन बस्ती मेघवाल सांसी	

1	2	3	4
19.	मूंडसर	23. हरिजन बस्ती उत्तरादावान मेघवाल सांसी हरिजन बस्ती दिसवाड़ावास	मूंडसर
		24. मेघवाल	मूंडसर
20.	सूरतसिंहपुरा	25. हरिजन बस्ती मेघवाल सांसी	मूंडसर
21.	नैवोका वास	26. हरिजन बस्ती मेघवाल सांसी	रिड़मलसर पुरोहितान
22.	हिम्मतसर	27. ,, मेघवालनायक	,, ,,
23.	रिड़मलसर पुरोहितान	28. ,, मेघवालनायक सांसी	,, ,,
24.	रिड़मलसर सिपाहियान	29. ,, मेघवालनायक	,, ,,
25.	जोधासर डेली	30. ,, मेघवाल	अमरपुरा
26.	अमरपुरा	31. ,, नायक	,,
		32. ,, मेघवाल	,,
	रामसर छोटा	33. ,, चक 1 बीडी	,,
27.	जोधासर डेली	34. ,, मेघवाल	,,

1	2	3	4
28.	सम्मेवाला	35. हरिजन बस्ती मेघवाल	अमरपुरा
29.	मानीपुरा	36. ,, मेघवाल	,,
		37. ,, मेघवाल नायक	,,
30.	रामड़ा	38. मेघवालों की बस्ती	,,
		39. चक 2 डी. श्रो.	,,
31.	मालासर	40. हरिजन बस्ती मालासर	मालासर
32.	गैरसर	41. ,, गैरसर	,,
33.	मोलानिया	42. ,, मोलानिया	,,
34.	डाडूसर	43. ,, डाडूसर	,,
35.	कतरियासर	44. ,, कतरियासर	,,
		45. ,, जसवाकपुरा	,,
36.	लाडेरा	46. ,, लाडेरा	,,
37.	जगदेववाला	47. ,, जगदेववाला	,,
38.	करनीसर वीकान	48. ,, करनीसर	,,
39.	बम्बा	49. ,, बम्बा	,,

1	2	3	4
40.	गाढ़वाला	50. हरिजन बस्ती मेघवाल	गाढ़वाला
		51. ,, सांसियान	,,
		52. ,, नायक	,,
41.	किलचू	53. ,, मेघवाल	,,
42.	किलचू देवाटर्न	54. ,, नायक	,,
		55. ,, मेघवाल	,,
		56. ,, सांसी	,,
43.	जोडवीड कोटडों	57. ,, मेघवाल	,,
44.	बरसिंहसर	58. ,, बरसिंहसर	बरसिंहसर
45.	उदयरामसर	59. ,, रैगर बस्ती	उदयरामसर
		60. ,, मेघवास	,,
		61. ,, प्राथुणावास	,,

1	2	3			4
46.	नायासर	62.	हरि. ब.	वार्ड न. 1 हरिजन मोहल्ला नायासर	
		63.	,,	वार्ड 1 नायक मेघवाल	,,
		64.	,,	गावरियावास वार्ड न. 2	,,
		65.	,,	वार्ड न. 1	,,
		66.	,,	वार्ड न. 3	,,
		67.	,,	मोहल्ला सुखाराम	,,
		68.	,,	वार्ड न. 4	,,
		69.	,,	वार्ड न. 4 कंजर	,,
		70.	,,	मेघवाल वार्ड न. 5	,,
		71.	,,	वार्ड न. 6 मेघवाल	,,
		72.	,,	वार्ड न. 9 ,,	,,
		73.	,,	वार्ड न. 10 ,,	,,
		74.	,,	वार्ड न. 13 ,,	,,

1	2	3	4
		75. हरि.ब. वार्ड न. 14 मेघवाल	नायासर
		76. ,, वार्ड न. 15 ,,	,,
		77. ,, कोढनायकान	,,
		78. ,, बगीची वार्ड न. 14	,,
		79. ,, बगीची वार्ड न. 15	,,
		80. ,, व.वा. 15 पं. के पास	,,
47.	वम्वलू	81. हरिजन बस्ती वम्वलू	वम्वलू
		82. हरिजन बस्ती मेघवाल	वम्वलू
48.	नगासर	83. हरिजन बस्ती नगासर	वम्वलू
49.	बासील्हण बरदान	84. हरिजन बस्ती मेघवाल	वम्वलू
50.	पनपालसर	85. हरिजन बस्ती पनपालसर	वम्वलू
51.	करनीसर	86. हरिजन बस्ती करनीसर	करनीसर
52.	वरजू	87. हरिजन बस्ती वरजू	करनीसर
53.	मोतीगढ़	88. हरिजन बस्ती मांगलियान	करनीसर
		89. हरिजन बस्ती हरैलान	करनीसर

1	2	3	4
54.	सीमासर पंचकोल	90. हरिजन बस्ती सीमासर	करनीसर
55.	काकासर	91. हरिजन बस्ती काकासर	करनीसर
56.	सूरासर	92. हरिजन बस्ती सूरासर	करनीसर
57.	वान्देरेवाला	93. हरिजन बस्ती बान्दरेवाला	करनीसर
58.	बराला	94. हरिजन बस्ती वराला	करनीसर
59.	पलाना	95. हरिजन बस्ती मेघवाल	पलाना
		96. हरिजन बस्ती नायक	पलाना
60.	घोघा	97. हरिजन बस्ती मेघवाल	सत्तासर
61.	करणपुरा	98. हरिजन बस्ती मेघवाल	सत्तासर
62.	राजेवाला	99. हरिजन बस्ती नायक	”
63.	कलावाली	100 हरिजन बस्ती मेघवाल	सत्तासर
64.	लूणखां	101. हरिजन बस्ती मेघवाल	सत्तासर
65.	किशनपुरा	102. हरिजन बस्ती मेघवाल	सत्तासर
66,	खारवाली	103. हरिजन बस्ती मेघवाल	सत्तासर

1	2	3	4
67.	सीथल	104. हरिजन बस्ती अगूणावास	सीथल
		105. हरिजन बस्ती अथूणावास	सीथल
68.	जामसर	106. हरिजन वस्ती अगूणी	जामसर
		107. हरिजन बस्ती अथूणी	जामसर
		108. हरिजन बस्ती अथूणी	जामसर
		109. हरिजन बस्ती लालसर	जामसर
69.	लालसर		
70.	अलड़ियावाल	110. हरिजन बस्ती अलड़िया	जामसर
71.	खींचिया	111. हरिजन बस्ती खीचिया	बीकानेर
72.	जलालसर	112. हरिजन वस्ती मेघवाल	जामसर
73.	हिम्मतसर	113. हरिजन बस्ती मेवालीवाल	रिड़मलसर पुरोहितान
		114. हरिजन बस्ती नायकों का बास	रिड़मलसर पुरोहितान
74.	पैमासर	115. हरिजन बस्ती मेघवालों का बास	ऊदासर
		116. हरिजन बस्ती नायकों	ऊडासर
75.	उदासर	117. हरिजन बस्ती उदासर	ऊदासर

परिशिष्ट-15

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख को सूचनाएं
बिलोई ग्राम (झुंझुनू) में गैरकानूनी रूप से गोचर भूमि के पट्टे काटना

[श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)]

नियम 295 के तहत निम्न प्रस्ताव की सूचना पेश कर रहा हूं कृपया स्वीकृति प्रदान करें।

ग्राम दिलोई पंचायत समिति अलसीसर जिला झुंझुनू की गोचर भूमि पर कुछ लोगों ने गैर कानूनी रूप से कब्जे कर लिये हैं तथा अपनी इस विशेष स्थिति का फायदा उठाते हुए अपने ही निजी रिश्तेदारों, भाई-बन्धुओं के नाम से ग्राम पंचायत से गैर-कानूनी रूप से पट्टे भी बनवा लिये हैं। इसमें ग्राम पंचायत के प्रशासक ग्राम सेवक तथा विकास अधिकारी अलसीसर की पूरी मिली-भगत है। इन दोनों अधिकारियों ने गांव की गोचर-भूमि को गांव के ही कुछ लोगों को हड़पने में सहयोग दिया है। गांव के लोगों ने जिला कलक्टर, झुंझुनू को इस मामले में एक आवेदन पत्र भी दिया है, परन्तु कोई कार्यवाही सन्तोषजनक ढंग से नहीं हो रही है। जानकारी मिली है कि गांव वालों की दरखास्त को विकास अधिकारी के पास ही जांच के लिए भेजा गया है जो अनुचित है। विकास अधिकारी इस मामले में पहले से ही गांव के हितों के खिलाफ दूसरे लोगों को सहयोग दे रहा है। इससे बहुत असन्तोष व रोष पैदा हो रहा हैं। धन्यवाद।

सीमा शर्मा, सांगानेर निवासी की हत्या की सी. बी. आई. जांच

[श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर)]

राजस्थान विधान सभा के नियम 295 विशेष उल्लेख के अन्तर्गत माननीय गृह मंत्रीजी, राजस्थान सरकार का ध्यानाकर्षण कर निवेदन कर रहा हूं कि दिनांक 21-3-94 को ससुराल-वालों ने श्रीमती सीमा शर्मा को जला कर मार डाला जबकि थाना सांगानेर में आत्महत्या का मामला दर्ज किया है।

स्व. श्रीमती सीमा के भाई अशोक शर्मा ने दिनांक 25-3-94 को थाना सांगानेर में रिपोर्ट दर्ज करवायी है कि मेरी बहन सीमा ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसे जला कर मारा गया है। रिपोर्ट के तथ्य निम्न प्रकार से हैं :-

(अ) श्री अशोक कुमार शर्मा ने अपनी बहन सीमा शर्मा का विवाह कल्याण नगर, सांगानेर निवासी श्री हंसराम शर्मा के सुपुत्र शशि शर्मा के साथ दिनांक 10-12-93 को किया था। विवाह में एक लाख पन्द्रह हजार रुपये खर्च किये थे। अशोक शर्मा ने अपनी हैसियत से बाहर जाकर विवाह में खर्च किये क्योंकि अशोक शर्मा गंगापुर में रेलवे स्टेशन पर स्टाल लगाता है। इनके पिता की भी मृत्यु हो चुकी है। सगाई के मौके पर एक स्कूटर बजाज व बीस हजार रुपये दिये थे। विवाह के पश्चात् अशोक अपनी बहन सीमा को लेने सांगानेर पहुँचा। तो सीमा की सास ने ताने देते हुए कहा कि लेने तो आ गये लेकिन कलर टी. वी. व बस का पांच हजार रुपये किराये के भी साथ लाये हो क्या ? अशोक ने कहा कि मैं अपनी हैसियत से अधिक खर्च कर चुका हूं। मैं तो आप लोगों को जिन्दगी भर देता ही रहूंगा। अशोक अपनी बहन सीमा को लेकर गंगापुर आ गया। 20 सितम्बर, 1993 को सीमा का पति शशी शर्मा मांडा जबपने (रीति-रिवाज) से गंगापुर आया तब सब लोगों ने समझाया कि अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है, जैसे तैसे देते रहेंगे। शशी शर्मा सीमा को लेकर सांगानेर चला गया।

(ब) दिनांक 2-1-94 को अशोक शर्मा व दो अन्य मित्र सीमा शर्मा को लेने सांगानेर गये तब शशि शर्मा व सास-ससुर का व्यवहार अत्यन्त रूखा था कहा कि खाली हाथ आये हो थोड़ी बहुत शर्म भी नहीं है। कहां है कलर टी.वी., फर्नीचर व बस का किराया ? ले जाओ अपनी बहन को जब सामान देने की हैसियत बन जावे तक भेज देना।

(स) मकर संक्राती के त्योहार पर भी सीमा शर्मा को लेने सांगानेर से कोई नहीं आया तो अशोक शर्मा ने फोन पर बात की तब जवाब यह आया कि पहले मकर संक्रान्ती का सामान भेजो तब लेने भेजेंगे। अशोक व दोस्त मुकेश सामान लेकर सांगानेर गये। तब भी दहेज के सामान का ताकाजा किया। 26 जनवरी, 94 को शशी शर्मा का भाई सीमा को लेने गंगापुर आया, विदा से पूर्व सीमा ने अपने भाई अशोक व मां से कहा कि आप मुझे बगैर सामान के भेजे रही हैं मेरी अब क्या स्थिति बनेगी, भगवान ही जाने।

(द) दिनांक 18-3-94 को अशोक अपनी बहन सीमा को लेने सांगानेर गया तो सास-ससुर शशी व देवरों ने एक सुर में एक ही बात कही कि खाली हाथ

चले आते हो अगर अपनी बहन को इज्जत के साथ विदा करा कर ले जाना चाहते हो तो दहेज का बाकी सामान दे आओ और बहन को ले जाओ। अन्यथा अब कभी मत आना काफी रोया गिड़गिड़ाया लेकिन किसी को भी रास (दया) नहीं आयी, बैरंग गंगापुर लौट गया।

(घ) सिर्फ तीन दिन बाद अर्थात् दिनांक 12-3-94 को प्रातः 8.00 बजे पड़ोस में सांगानेर से हंसराज शर्मा जी का फोन आया कि अशोकजी को तुरन्त जयपुर भेज दो सीमा की तबीयत खराब है। जयपुर पहुंचने पर सीमा के देवर ने बताया की भाभी लेट्रीन में आग से जल कर मर गयी। एस. एम. एस. अस्पताल पहुंचने पर सीमा के ससुर हंसराज ने बताया कि गैस सलेण्डर फटने से मर गयी। रात्रि को कुछ लोग गंगानगर से और आये उन्होंने घर वालों से घटना के बारे में पूछा तो शशी के मामा ने बताया कि चाय बनाते समय नूतन स्टोप फटने से जल गयी। सभी का अलग-अलग बयान संदेह के दायरे में आता है।

श्रीमान् जैसा कि प्रत्यक्ष दर्शियों ने बताया कि सीमा शर्मा के पैरों से कुले तक दोनों हाथ नीचे की तरफ से जले थे चेहरा छाती व बाल बिल्कुल भी नहीं जले थे अगर वो स्वयं आत्महत्या करती तो क्या इसी प्रकार जलती ?

हंसराम शर्मा सिंचाई विभाग में ऑफिस सुपरिटेण्डेण्ट है तथा इनके एक भाई अस्पताल में फिजीशियन डाक्टर है।

अतः आपसे मेरा अनुरोध है कि उक्त प्रकरण की जांच सी. बी. आई. से करवाने की कृपा करें। जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाये। दोषी व्यक्ति को दण्ड मिले।

सेवानिवृत कर्मचारियों को आयुर्वेद चिकित्सा सुविधा

[श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर)]

आयुर्वेदिक दवाइयों का महत्व भारत में ही नहीं, विदेशों में भी काफी बढ़ रहा है। सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में कार्यरत व्यक्तियों को ऐलोपेथिक दवाइयों की तरह आयुर्वेदिक दवाइयों का भी पुनर्भरण होता है। यह बहुत अच्छा निर्णय है किन्तु सेवा निवृत्ति कर्मचारियों को यह सुविधा क्यों नहीं दी जाती है। सेवा निवृत्त कर्मचारियों को भी जिस प्रकार ऐलोपैथिक दवाइयों का पुनर्भरण किया जाता है उसी प्रकार से सेवा निवृत्त कर्मचारियों को भी आयुर्वेदिक दवाइयों का पुनर्भरण होना चाहिए।

बापी ग्राम (दौसा) के खसरा नं. 309 पर अनाधिकृत कब्जा

[श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई)]

गैर मुमकिन ग्राम रास्ते पर अनाधिकृत कब्जे ।

निवेदन है कि तहसील दौसा के ग्राम बापी में गैर मुमकिन ग्राम रास्ता जिसका खसरा नं. 309 है, जो कि ग्राम बापी से ग्रामढ़ाय, भेरा, चान्दराना आदि गांवों को जाने वाला ग्राम रास्ता है पर अनाधिकृत रूप से ग्राम बापी के कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है । इस ग्राम रास्ते में बाड़ा बनाने के लिये पत्थर, मूल, कांटे आदि डाल रखे हैं । इसके कारण ग्रामवासियों को अपने खेतों पर जाने के लिये भारी परेशानी उठानी पड़ रही है क्योंकि इस रास्ते से ट्रेक्टर, बैलगाड़ी आदि अन्य साधनों का आना जाना लगा रहता है । इसी रास्ते से ग्रामवासियों को अपने खेतों पर भी जाना पड़ता है, खेतों से फसल आदि को लाने में बहुत परेशानी उठानी पड़ती है । इस कारण से ग्राम बापी की जनता में काफी असंतोष और आक्रोष व्याप्त हैं, साथ ही कभी-कभी झगड़े विवाद की परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है ।

उक्त रास्ते के अनाधिकृत कब्जे को हटाने के लिये ग्रामवासियों ने प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है किन्तु अभी तक अनाधिकृत कब्जे को हटाया नहीं गया है ।

अतः गैर मुमकिन रास्ता के खसरा नं. 309 में हुये कब्जों को तुरन्त हटवाने के आदेश दिये जावें और उसकी पालना भी करवायी जावें, साथ ही अनाधिकृत कब्जा करने वालों के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज करा कर दण्डित कार्यवाही भी करवायी जाये, जिससे सरकारी एवं गैर मुमकिन रास्ते पर कब्जा करने के अपराध को निरुत्साहित किया जा सके ।

अतः प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत अनाधिकृत कब्जों के सम्बन्ध में यह मामला सदन में प्रस्तुत कर सरकार से निवेदन है कि इन मामलों में ठोस एवं कारगर कार्यवाही अविलम्ब करवायी जाये, जिससे ग्रामवासियों में व्याप्त असन्तोष एवं आक्रोष शान्त हो सके और दोषी व्यक्ति दण्डित हो सकें ।

बिजोलिया को पूर्ण तहसील का दर्जा

[श्री बद्री प्रसाद गुरूजी (माण्डलगढ़)]

अतिरिक्त तहसील बिजोलिया को तहसील में क्रमोन्नत करना

अतिरिक्त तहसील बिजोलिया का क्षेत्र मुख्य रूप से अपरमाल के रूप में जाना जाता है जो अपनी राजनैतिक चेतना के लिये प्रसिद्ध रहा है। इस क्षेत्र की जनता ने स्व. श्री विजयसिंह पथिक के नेतृत्व में अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिये एक लम्बी लड़ाई लड़ी व स्वतन्त्रता आन्दोलन को एक नयी दिशा दी।

यहां पर स्टेट टाइम में मुन्सिफ कोर्ट, तहसील आदि सब थे परन्तु आजादी के बाद राजनैतिक दुर्भावना की वजह से इसका तहसील का दर्जा नहीं दिया गया।

इसका कुल क्षेत्रफल 353.6 वर्ग किलोमीटर है। भू-अभिलेख निरीक्षक 2 हैं। 18 पटवार मण्डल हैं। 121 राजस्व गांव हैं। 1993-94 की भू-राजस्व 1,24,325 रुपया रही। 18 ग्राम पंचायतें हैं। 1981 की जनसंख्या 57,344 है व 1991 की अनुमानित 80,000 है। कुल क्षेत्रफल 57,344 हैक्टेयर है। चरागाह 2857 हैक्टेयर वन क्षेत्र भी है।

तादाद खसरा संख्या 53,127 हैक्टेयर है जिसमें सिंचित क्षेत्र 3194 हैक्टेयर व असिंचित क्षेत्र 8580 हैक्टेयर है अकृषि योग्य क्षेत्रफल 45640 हैक्टेयर है।

जिला मुख्यालय से दूरी 90 किलो मीटर है उप खण्ड मुख्यालय से दूरी 35 किलोमीटर है, रेल्वे स्टेशन से दूरी 22 किलोमीटर है। कुल खाते 15,709 है व इस क्षेत्र में मन्डोल व पचानपुरा बांध बने हुए हैं।

यहां पर एम. एम. कोर्ट है, पुलिस स्टेशन है, खनिज विभाग का सहायक अभियन्ता कार्यालय है, दो उच्च माध्यमिक विद्यालय, अस्पताल सब पोस्ट आफिस आदि भी हैं। यहां पर तिलिस्वा महादेव, मन्दाकिनी झरिया, कनेर की पुतलिया आदि दर्शनीय स्थल भी हैं।

खनिज विभाग की भू-राजस्व आय बिजोलिया खनिज कार्यालय की 4,25,00,000 रुपया रही है। इस वर्ष 10,00,000 टन खनिज का विकास हुआ है। मुख्य समस्या अवैध खनन की हैं। इस प्रकार यह तहसील होने की पूरी क्षमता व पूर्तियां रखता है फिर भी यदि क्षेत्रफल कम रहे तो इसमें माल का खेड़ा, श्यामपुरा, मागरला, विकरण, भभोला पंचायत और मिला सकते हैं और इन पंचायतो की दूरी बिजोलिया से 14 व 20 किलो मीटर के बीच है। जबकि माण्डलगढ़ से दूरी 40 व 50 किलो मीटर है। इन क्षेत्रों की जनता के लिए भी सुगम रहेगा व इनका आना जाना, लेनदेन बिजोलिया से ही है।

माननीय मुख्य मन्त्रीजी स्वयं इस स्थिति से अच्छी तरह परिचित हैं। अतः मेरा नम्र निवेदन है कि अतिरिक्त तहसील बिजोलिया को तहसील का दर्जा प्रदान करा कर क्षेत्र की जनता की वर्षों की मांग व आशा आकांक्षा की पूर्ति करायेंगे ही परन्तु इस कार्य को करने से मुख्य मन्त्री जी भाजपा सरकार की स्व. विजय सिंहजी पथिक को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

सुल्ताना शहर ग्राम में गंदे पानी के निकास की व्यवस्था

[श्री श्रवण कुमार (पिलानी)]

ग्राम सुल्ताना बड़ा कस्बा है। उसमें अल्प संख्यकों के मोहल्ले ग्राम चौक में गन्दा पानी भरा हुआ है। पानी निकालने का कोई रास्ता नहीं है। लोग घर से निकल नहीं सकते है। जानमाल को खतरा हो रहा है। बड़े-बड़े मकानों को गिरने का खतरा बना हुआ है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उक्त पानी को निकालने की ड्रेन बना कर जनता को राहत दिलायी जावे।

महिला एवं बाल विकास परियोजना, सागवाड़ा में कार्यरत ड्राईवर की कागजों में हेराफेरी के कारण सेवामुक्ति

[श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)]

श्री नारायणलाल ड्राइवर की महिला एवं बाल विकास परियोजना सागवाड़ा में पत्र सं. 1052 दिनांक 29-7-91 के तहत ड्राइवर के पद पर

नियुक्ति दी गयी थी। श्री नारायणलाल ने दिनांक 16-7-91 से 4-12-91 तक महिला एवं बाल विकास परियोजना खण्ड-सागवाड़ा में जीप नं. आर जे. के-1704 व आर. जे. जे.-1717 को चलाया जिसमें लोग बुक एवं डीजल इन्डेन पर, दि. 4-12-91 तक ड्राइवर नारायणलाल एवं महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारीजी के हस्ताक्षर है। इसी कार्य काल में ड्राइवर नारायणलाल को हटा कर दूसरे ड्राइवर को रखने की चर्चा के कारण ड्राइवर नारायणलाल ने 27-11-91 को जोधपुर हाई कोर्ट से स्टेट ले लिया। श्रीमान् सम्बन्धित अधिकारी स्वर्ण जाति के होने से एवं ड्राइवर जनजाति का होने से रेकार्ड में हेराफेरी कर पिछली दिनांक में अर्थात् दिनांक 17-11-91 को हटा दिया है जबकि विभाग के रिकार्ड में नारायणलाल, ड्राइवर एवं विभाग के अधिकारियों के हस्ताक्षर 4-12-91 तक के हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से महिला एवं बाल विकास परियोजना मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि जनजाति के इस बेरोजगार ड्राइवर को कागजों में हेराफेरी कर निकाल दिया गया है उसे यथाशीघ्र पुनः नौकरी देने की कृपा करें।

पुलिस निरीक्षक कैडर कोर्स 1993 का परीक्षा परिणाम

[श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)]

हम आपके माध्यम से जनहित में राजस्थान पुलिस निरीक्षक प्रमोशन कैडर कोर्स, 1993 की कथित धांधलियों के बारे में माननीय गृह मंत्रीजी से सही जानकारी चाहते हैं।

(1) पुलिस निरीक्षकों का प्रमोशन कैडर कोर्स, 19 अप्रैल, 1993 से 3 जुलाई, 1993 तक आयोजित किया गया था, का परिणाम अब एक वर्ष बाद घोषित होने जा रहा है।

(2) प्रमोशन कैडर कोर्स मे 1993 पुलिस निरीक्षक सम्मिलित थे, में से 92 पुलिस निरीक्षक को अनुत्तीर्ण किया जा रहा है जबकि सभी 93 का चयन सभी परीक्षाओं के आयोजन के बाद किया गया था। पूर्व में कभी ऐसा परिणाम किसी भी पद के प्रमोशन कैडर कोर्स का नहीं रहा है।

(3) सलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन महा निरीक्षक, श्री अशोक भण्डारी, पी. सी. सी. बोर्ड के चेयरमैन श्री मोहन सिंह पारीक से सीनियर है तथा

सलेक्शन बोर्ड में दो उप महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी शामिल थे जबकि पी. सी. सी. बोर्ड में मात्र एक उप महानिरीक्षक थे।

इन 93 निरीक्षकों का चयन नियमानुसार परीक्षा आयोजित कर किया गया था, को दो माह का प्रशिक्षण दिया गया, तत्पश्चात् 92 को अनुत्तीर्ण किया जा रहा है। रिजल्ट सदन की मेज पर रखें।

(4) निरीक्षकों को अनुत्तीर्ण घोषित करने का कौन सा मापदण्ड चयन बोर्ड द्वारा अपनाया गया है। राजस्थान पुलिस अकादमी के स्टाफ द्वारा चयन मण्डल के खर्चे हेतु प्रति निरीक्षक 500/- रुपये चन्दा देने की सलाह दी गयी थी जिसके नहीं देने पर अनुत्तीर्ण घोषित करने की धमकी दी गयी थी। इस बाबत में कहां तक सच्चाई है। सरकार स्पष्ट करें।

(5) श्री मोहन सिंह पारीक, श्री अशोक भण्डारी को अपने से पहले पदोन्नति देने से तथा इसी दौरान इनके द्वारा चयनित निरीक्षकों को पी.सी. सी. बोर्ड का चेयरमैन बना देने से बदले की भावना रखते हुए 93 में से 92 निरीक्षकों को अनुत्तीर्ण किया जा रहा है।

(6) सरकार के लाखों रुपये उक्त प्रशिक्षण में खर्च हुए है और आज जानबूझकर अनुत्तीर्ण किया जा रहा है जिससे राज्य कोष पर लाखों रुपये का पुन: भार पड़ेगा तथा पुलिस में भारी असन्तोष व्याप्त होगा।

सरकार अपने अधिकारों का प्रयोग कर इस प्रमोशन फीडर कोर्स के परिणाम पर पुनर्विचार कर निरीक्षकों को न्याय प्रदान करके व्याप्त असन्तोष को दूर करे ऐसा निर्देश राज्य सरकार को कर पावे।

राजस्थान वित्त निगम द्वारा ऋण वितरण में अनियमितता

[श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा)]

राजस्थान वित्त निगम द्वारा जो ऋण दिये जा रहे हैं, उनमें बड़े पैमाने पर अफसरों की मिलीभगत से काफी घोटाले हो रहे हैं। जोधपुर शाखा में अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी ऋण दिये गये हैं। जिसका एक उदाहरण मैं सदन के समक्ष रख रहा हूं। श्री खींवाराम पुत्र श्री रणछोड़रामजी ने शास्त्री

नगर थाना में 19-1-94 प्र. ई. रिपोर्ट संख्या 24/94 दर्ज करा कर गुहार की है कि श्री गणेशराम पुत्र श्री खरताराम ने खीवाराम के मकान का फर्जी पट्टा, आर. एफ. सी. में पेश कर अपने नाम से गाड़ी नं. आर. जे.--19--जी--2373 एल. पी. गाड़ी निकलवायी, जिसमे एक गारण्टर चेनाराम पुत्र श्री चिमाराम भी फर्जी बनाया गया।

इस प्रकार की भारी अनियमितता बिना किसी अधिकारी की मिलीभगत से किया जाना सम्भव नहीं है। इस तरह के कई बड़े-बड़े घोटाले बोर्ड के अधिकारी/कर्मचारी मिलजुल के कर रहे हैं, इससे भ्रष्टाचार को खत्म करने वाली सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर जनता की शंकायें बढ़ने लगी है।

कृपया इस अत्यन्त लोक महत्व के मुद्दे पर सदन मे चर्चा की अनुमति प्रदान करावें। धन्यवाद।

अलवर एवं जयपुर में खनिज विभाग के नाके बन्द करने से राजस्व हानि

[श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)]

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि खनिज विभाग जयपुर एवं अलवर जिले के अधिकारियों द्वारा बिना किन्हीं कारणों के कई नाके बन्द कर दिये गये हैं जिससे सरकार को करोड़ों रुपये की राजस्व आय में हानि हुई। चूंकि यह एक लोक महत्व का मामला है कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से सरकार के आदेशों के विपरीत नाजायज रूप से खनन कार्य करवाया जा रहा है जिससे एक तरफ राज्य सरकार को राजस्व हानि हुई है दूसरी ओर अवैध रूप से खनन कार्य कराये जाने से भारी मात्रा में घने जंगलों को नष्ट कर दिया गया है। नाजायज रूप से चल रहे खनन क्षेत्रों में झालाना डूंगरी, अलवर जिले में मीरथनपुरा के आसपास व हरमाड़ा, चौमूं आदि है। इसी प्रकार जो नाके बन्द किये हैं उनमें घाट खनिया व जगतपुरा आदि हैं। इस घोटाले का विस्तृत विवरण कई समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है जिसमें टाइगर्स प्रहार समाचार पत्र उक्त मामले का विस्तृत रूप से पर्दाफास किया है।

कृपया इस मामले की चर्चा हेतु मुझे अविलम्ब समय दिया जावे।

पिड़ावा–सोयत सड़क की मरम्मत

[श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा)]

पिड़ावा से झालावाड़ जाने के लिए मध्य प्रदेश के हिस्से (सोयत) से होकर जाना पड़ता है। पिड़ावा (राजस्थान) सोयत (म. प्र.) के बीच 16 किलोमीटर की रोड बनी हुई है। मध्य प्रदेश सरकार अपनी सीमा जो लगभग सोयत से 6–7 किलोमीटर है तक हर दो तीन वर्ष, में इस रोड़ की रिपेयर करा देती है मगर हमारी राजस्थान की सीमा जो पिड़ावा से लगभग 9–10 किलोमीटर है उस रोड की रिपेयर किये हुए काफी अर्सा बीत चुका है। इस रोड पर बड़े-बड़े खड्डे बन गये हैं जिसकी वजह से वाहनों को चलने में भारी परेशानी आती है।

माननीय अध्यक्षजी, इसी रोड़ पर पिड़ावा, झालावाड़, पिड़ावा, अजमेर, पिड़ावा कोटा, भवानी मंडी-सोयत भवानी मंडी, इन्दौर आदि लगभग 50 यात्री वाहन प्रति दिन चलते हैं, यहां मध्य प्रदेश के भी वाहन चलते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी मेरे विधान सभा क्षेत्र से मध्य प्रदेश में जाने का भी रोड़ वाला सिर्फ यही एक रास्ता है।

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पिडावा सोयत मार्ग पर 9-10 किलोमीटर रोड की राजस्थान सीमा तक अविलम्ब रिपेयर कराये जाने का कष्ट करें। यह हमारे प्रदेश की प्रतिष्ठा का भी प्रश्न है क्योंकि मध्य प्रदेश अपनी सीमा तक इस रोड की रिपेयर करवाता रहता है।

शारीरिक शिक्षण प्रमाण-पत्र प्राप्त विद्यार्थियों का परीक्षा-परिणाम

[श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा)]

सत्र 1992-93 में शारीरिक प्रशिक्षण (प्रमाण पत्र कोर्स) प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम शिक्षा विभाग ने रोक लिया है। ये विद्यार्थी अत्यन्त गरीब एवं कमजोर वर्ग के है तथा राज्य के विभिन्न भागों से इस कोर्स को करने आते हैं। इस प्रशिक्षण में विद्यार्थी का प्रवेश मैरिट एवं साक्षात्कार के आधार पर होता है जिसमें विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र देखे जाते हैं। राजकीय शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में हो रहे खुले भ्रष्टाचार का नमूना खेल प्रमाण पत्र

वेरीफाई करवाना है, जो छात्र पैसे दे देता है उसका प्रमाण पत्र खेल प्राधिकरण द्वारा वेरीफाई नहीं करवाया जाता और जो नहीं देता उसको परेशान किया जाता है।

इन विद्यार्थियों ने 9 माह तक कम से कम 20 हजार रुपये के लगभग खर्च करके प्रशिक्षण प्राप्त किया है किन्तु मनमानी एवं भ्रष्टाचार के चलते परिणाम नहीं निकाला जा रहा है जिससे छात्रों का जीवन अन्धकारमय हो गया है तथा उनमें आक्रोश व्याप्त है। अतः शीघ्र परिणाम निकाले जावें।

कुम्हेर की अधूरी पेयजल योजनाओं से पेयजल समस्या

[श्री हरिसिह (कुम्हेर)]

मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-295 के अन्तर्गत निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय का विशेष उल्लेख करना चाहता हूं :—

कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में इस वर्ष कुम्हेर कस्बे एवं ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल का अत्यधिक अभाव हो गया है। कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में जो पेयजल आपूर्ति की योजनायें स्वीकृत हुई थी और जिनका कई वर्ष पूर्व क्रियान्वयन भी शुरू हो गया था, वे आज अधूरी पड़ी हुई हैं। जिन गांवों में पानी की टंकी बनाने का कार्य प्रारम्भ हो गया था वहां पानी की टंकी अधूरी पड़ी हुई है और जहां टंकी बनायी गयी है उनमें पेयजल नहीं पहुंच रहा है। गांव भटावली की पेयजल की टंकी अधूरी पड़ी हुई है और गांव कुरवारा, सितरा, पड़ता, समन, अघैया, मोरोली, सातरूक, पिचूमर, जहांगीरपुर, बरताई, रणधीरपुरा, तालफरा, पला, गुन्सारा, अवार, थौर, हबीबपुर एव सुखावली आदि अनेक स्थानों पर पानी की टंकियां खाली पड़ी रहती हैं अथवा इन गांवों तक पानी नहीं पहुंचता है। कुम्हेर के 50 प्रतिशत से अधिक गांव पेयजल के अभाव में भारी संकट का सामना कर रहे हैं। मवेशियों को पानी का कोई प्रबन्ध नहीं है, पोखरों का पानी सूख गया है। यदि यही दशा रही तो मवेशियों को ग्रामवासियान किसी अन्यत्र स्थानों पर ले जाना पड़ेगा। अन्यथा वह प्यासे मर जायेंगे। मवेशियों के लिये भी पीने के पानी की भारी किल्लत जो वर्तमान में है, आने वाले मौसम में इतनी बढ़ जावेगी कि कानून एवं व्यवस्था की समस्याऐं इस इलाके में बढ़ जायेगी। समस्याओं के निकट भविष्य में हल के लिये जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने कन्टीजेन्सी योजना बना

कर भेजी थी जिसको राज्य सरकार ने बहुत ही छोटे अंश में स्वीकार किया है। जिससे कोई हल नहीं निकल पायेगा। इन समस्याओं के निराकरण हेतु अत्यन्त आवश्यक है कि राज्य सरकार कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र के लिये कन्टीजेन्सी योजनाएँ, जो स्थानीय अधिकारियों ने बना कर भेजी थी, उसे अधिकतम रूप में स्वीकार करें और आवश्यक राशि अविलम्ब स्थानीय अधिकारियों को प्रदान करें, जिससे कि पेयजल की पूर्ति हो सके।

गच्छीपुरा ग्राम (परबतसर) में गंदे पानी के निकास की व्यवस्था

[श्री राकेश मेघवाल (परबतसर)]

विनम्र निवेदन है कि मेवनाधरे सभा क्षेत्र परबतसर के ग्राम गच्छीपुरा बहुत बड़ा ग्राम है उसकी घनी आबादीको देखते हुए वहां पर बहुत अच्छी तरह की बसावट है और छोटे से बड़े तबके के लोग वहां पर निवास करते हैं और पुराने समय में यह नाला बना था उस समय वहां पर आबादी नहीं थी धीरे-धीरे ग्राम गच्छीपुरा की बढ़ती आबादी के कारण इस नाले के चारों तरफ नयी अच्छी कालोनियां बन गयी मगर नाला नया नहीं बना। इस प्रकार ग्राम का पुराने समय से ही जो गन्दा पानी आता है वह इस नाले में इकट्ठा होता रहता है। अब इस नाले में जो नयी कालोनियां बनी उनका गन्दा पानी, कीचड़ भी उस नाले में इकट्ठा होने लगा और समस्या बढ़ती चली जा रही है। इस समस्या के कारण पूरे नगर में कभी इतना आक्रोश बढ़ जाता है कि भयंकर कोई घटना घट सकती है। ग्रामवासियों ने समय समय पर बी. डी. ओ., एस. डी. ओ. प्रोजेक्ट डाइरेक्टर व कलक्टर को भी इस नाले के बारे में जो समस्या है उसका समाधान हेतु निवेदन किया था, मगर इस समस्या के समाधान हेतु किसी ने भी ध्यान नहीं दिया।

सभापति महोदय, इस नाले की समस्या, इतनी गम्भीर है कि यह समस्या बहुत पुराने समय से चली आ रही है इसलिये इस ग्राम गच्छीपुरा निवासियों ने लोक सभा चुनावों के दौरान एक बार माननीय रामनिवास जी मिर्धा को भी यह नाला दिखाया था और चुनावों में उन्होंने आश्वासन दिया कि चुनावों के बाद इस समस्या का समाधान कर दिया जायेगा।

सभापति महोदय, इस नाले को माननीय नाथूराम मिर्धा ने भी इस समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया था जब भारतीय जनता पार्टी व जनता पार्टी के आपसी समझौता थ। इस ग्राम के ग्रामवासियों ने जो भी चुनावों के दौरान वोट मांगने आते थे उनके सामने भी यह प्रथम समस्या रखी थी। इसलिये मैं सरकार का ध्यान इ गम्भीर समस्या की ओर आकर्षित करता हूं कि इस नाले का गन्दा पानी पाइप लाइन द्वारा ग्राम के बाहर निकाल दियाजाय। ग्राम गच्छीपुरा की जनता को गम्भीर समस्या से व होने वाली अनेक बीमारियों से जनता को बचाया जाना अति आवश्यक है अगर समय पर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो पूरे ग्रामवासी धरना देने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे अनुरोध से ग्रामवासियों ने विधान सभा सत्र तक समय दिया है इस गम्भीर समस्या को मध्य नजर रखते हुए जनता में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए अतिशीघ्र पाइप लाइन द्वारा इस गन्दे पानी को ग्राम के बाहर निकाल कर ग्रामवासियों को राहत पहुंचावें। यह लोक महत्व का प्रस्ताव है।

शुद्धि-पत्र

दिनांक 5 अप्रेल, 1994

क्र.सं.	स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1.	22	14	(श्री गुलाबचन्द कटारिया	(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
2.	49	1	(श्री जोगेश्वर गर्ग	(श्री जोगेश्वर गर्ग)
3.	75	1	खनिज मंत्री)	(खनिज मंत्री)
4,	78	27	श्री अर्जुनलाल जीनगर (लाडपुरा)	श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार) :
5,	255	1	—	(श्री सभापति)